दशम माला, खण्ड 31, अंक 35

मंगलवार, 10 मई 1994
20 वैशाख 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...52...
Date ...13.10.95...

नवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 31 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 31, चौथा सत्र, 1994/1915—1916 (शक)

अंक 35, मंगलवार, 10 मई 1994/20 वैशाख, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	...	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 621, 623, 624 और 628—630		2—28
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 622, 625—627 और 631—640		28—48
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6878—6907 और 6909—7108	...	48—280
सभा पटल पर रखे गए पत्र	... ...	293—298
राज्य सभा से सन्देश	... ...	298
राज्य सभा द्वारा यथा-पारित विधेयक	... ...	298
कृषि संबंधी समिति		
बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश – प्रस्तुत	...	299
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति		
पाँचवां प्रतिवेदन – सभा पटल पर रखा गया ...	...	299
नियम 377 के अधीन मामले	... ...	299—304
(एक) आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में सिंग्रेणी कोयला खानों के खनिकों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना को शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता		
श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी	...	299—300

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को अपनी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा ... 300

(तीन) चालू वर्ष में छोटा उदयपुर दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता को बढ़ाने के लिए धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता

श्री एन. के. राठवा ... 301

(चार) राज्य में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार की केन्द्र सरकार के पास लंबित चार – परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव ... 301—302

(पाँच) मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के व्यापारी समुदाय के लाभ के लिए पर्याप्त माल डिब्बे उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 302

(छः) मुसलमानों के विकास के लिए उन्हें सरकारी सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी 302—303

(सात) रक्षा सेवाओं के अधीन कार्यरत असैनिक कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास ... 303

(आठ) उड़ीसा में राउरकेला में मलेरिया अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो ... 304

रबड़ (संशोधन) विधेयक ... ... 307—327

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री प्रणव मुखर्जी ... ... 309—309

श्री कबीन्द्र नाथ पुरकायस्थ ... ... 309—311

श्री थाइल जॉन अंजलोज ... ... 311—312

श्री ए. चार्ल्स	...	...	312—313
श्री पी. सी. थामस	...	...	314—317
श्री सैयद शहाबुद्दीन	...	...	317—318
श्री रमेश चेन्नित्तला	...	...	318—321
श्री भोगेन्द्र झा	...	...	321—322
श्री प्रणव मुखर्जी	...	...	322—325
खंड 2 और 1			
यथासंशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव		...	327
श्री प्रणव मुखर्जी			
उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक	...	...	328—343, 354—387
राज्य सभा द्वारा यथा-पारित			
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
श्री पी. ए. संगमा	...	...	328—330
श्री कड़िया मुण्डा	...	...	330
श्री ए. चार्ल्स	...	...	330—336
श्री जार्ज फर्नान्डीज	...	...	336—339
श्री अजय मुखोपाध्याय	...	...	339—340
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	...	...	340—342
श्री वी. धनंजय कुमार	...	...	354—357
कुमारी ममता बनर्जी	...	...	357—361
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	...	...	361—362
श्री गाउ दयाल जोशी	...	...	362—364
श्री मोहन रावले	...	...	364—367
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	...	...	367—368
मेजर जनरल आर. जी. विलियम्स		...	368—369

श्री तरित बरण तोपदार	...	...	369—371
श्री भेरू लाल मीणा	...	...	371—372
श्री राम टहल चौधरी	...	...	372—374
श्री हाराधन राय	...	...	377—378
श्री भोगेन्द्र झा	...	...	378—379
श्री सूर्य नारायण यादव	...	...	379—380
श्री राम कृपाल यादव	...	...	380—381
खंड 2 से 4 और 1			
यथासंशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री पी. ए. संगमा	...	...	380
बहुजातीय आधार पर चुनी गई सरकार के गठन पर दक्षिण अफ्रीका की जनता तथा उनके नव-निर्वाचित राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का अभिनंदन	...	...	343—353
श्री पी. वी. नरसिंह राव	...	...	343—344
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	...	...	344—345
श्री जार्ज फर्नान्डीज	...	...	345—346
श्री सोमनाथ चटर्जी	...	...	347—348
श्री भोगेन्द्र झा	...	...	349—350
श्री चित्त बसु	...	...	350
श्री ए. अशोकराज	...	...	351
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या	...	...	351
श्री इब्राहिम सुलेमान सेट	...	...	351—352
श्री रवि राय	...	...	352—353
बहु-जातीय आधार पर चुनी गई सरकार के गठन पर दक्षिण अफ्रीका की जनता तथा उनके नव-निर्वाचित राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का अभिनंदन करने संबंधी संकल्प	...	...	353—354

लोक सभा

मंगलवार, 10 मई 1994/20 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मुझे सभा को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री विजय मोदक के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री मोदक चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने 1967 से 1980 तक की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के हुबली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का और 1980 से 1984 की अवधि के दौरान इसी राज्य के आजमबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वे 1957–62 के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे।

एक प्रख्यात राजनैतिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते श्री विजय मोदक ने 1921 में विद्यालय की शिक्षा के दौरान असहयोग आन्दोलन में भाग लिया और 1930–32 के दौरान सविनय अवज्ञा आन्दोलन में दो बार जेल गए और बाद में क्रान्तिकारी गतिविधियों के कारण 1939 तक कैम्प में नजरबन्द रहे।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते श्री विजय मोदक ने 1952–71 की अवधि के दौरान हुगली जिला संयुक्त शरणार्थी कौंसिल के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1964–71 के दौरान हुगली जिला कृषक सभा तथा हुगली संयुक्त खेत मजदूर समिति के अध्यक्ष रहे।

एक सक्रिय सांसद के रूप में श्री मोदक ने सभा के वाद–विवाद में अपना अमूल्य योगदान दिया।

श्री विजय मोदक का 9 मई, 1994 का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ। हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे यकीन है कि दुखी परिवार को सांत्वना देने में यह सभा भी मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखेगी।

11.02 बजे म.पू.

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

11.04 बजे म. पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गोपालकृष्ण समिति

*621. **श्री सुधीर गिरि :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित गोपालकृष्ण समिति ने विश्वविद्यालयों को अवार्ड देने के संबंध में कोई रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस रिपोर्ट पर विचार–विमर्श किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) के उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एवं (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति, डॉ. एम. गोपालकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसका गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाए गए आदर्श शैक्षिक कैलेण्डर को कार्यान्वित

करने के लिए विश्वविद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में सिफारिशें करने के लिए किया गया था। समिति द्वारा इस संबंध में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(I) शैक्षिक कैलेण्डर को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से वार्षिक आधार पर शैक्षिक कैलेण्डर को कार्यान्वित करने की प्रगति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी जानी चाहिए।

(II) कुलपति कॉलेज विकास परिषदों के माध्यम से कॉलेजों के शैक्षिक कैलेण्डर का अनुश्रवण करें।

(III) चुनिंदा विश्वविद्यालयों को कार्यालय उपस्कर, फोटोकॉपी मशीन, निजी कम्प्यूटर, इत्यादि खरीदने के लिए उन्हें विशेष सहायता प्रदान करके शैक्षिक कैलेण्डर कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(IV) चुनिंदा विश्वविद्यालयों को "अच्छे निष्पादन" का प्रमाण-पत्र भी दिया जाए।

(V) शैक्षिक कैलेण्डर को कार्यान्वित करने के संबंध में चुनिंदा विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, प्रैस के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।

(VI) इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों की सूची अन्य विश्वविद्यालयों में परिचालित की जाए।

(ग) एवं (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 9 मार्च, 1994 को हुई अपनी बैठक में गोपालकृष्ण समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। आयोग ने शैक्षिक कैलेण्डर को कार्यान्वित करने के लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में समिति की उपुर्यक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

श्री सुधीर गिरि : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा का अच्छा स्तर प्राप्त करने के लिये शिक्षण दिवसों को बढ़ाये जाने के लिये और परीक्षाओं को निश्चित समय पर आयोजित करने और उनके परिणाम भी निश्चित समय-सीमा में घोषित किये जाने के लिये गोपालकृष्ण समिति ने सिफारिश की है कि उपकुलपति महोदय महाविद्यालय विकास परिषद् के माध्यम से महाविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेन्डर के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेंगे।

इन सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि –

(क) क्या इन सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों में महाविद्यालय विकास परिषद् गठित की गई है और यदि नहीं, तो अपेक्षित महाविद्यालय विकास परिषद् कब तक गठित कर ली जायेगी;

(ख) क्या यह सही है कि क्या गोपालकृष्ण पेनल ने विश्वविद्यालय आयोग से यह सिफारिश

की है कि संबंधित विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय विकास परिषद् की स्थापना के लिए दी जाने वाली राशि की व्यवस्था के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वित्तीय सहायता प्रदान के जाये।

कुमारी शैलजा : महोदय, जहां तक गोपालकृष्ण समिति और शैक्षणिक कैलेण्डर का संबंध है, विश्वविद्यालय आयोग द्वारा यह रिपोर्ट 9–3–1994 को स्वीकार की गयी। विश्वविद्यालयों की सहायता किये जाने के लिये इस योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है और इसके बारे में सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को सूचित कर दिया जायेगा। एक सिफारिश महाविद्यालय विकास परिषद् की स्थापना किये जाने के संबंध में भी की गई थी लेकिन किसी भी विश्वविद्यालय ने इसकी स्थापना नहीं की है क्योंकि जैसाकि मैंने कहा है कि यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केवल इसी वर्ष ही प्राप्त और अनुमोदित की गई है। इसमें महाविद्यालय विकास परिषद् की स्थापना किये जाने के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

श्री सुधीर गिरि : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेण्डर के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से गोपालकृष्ण समिति ने यह सुझाव दिया है कि उन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को उस विशेष वर्ष के लिये योजनागत अनुदान की स्वीकृति रद्द कर दी जाए जो उक्त वर्ष में शैक्षणिक कैलेण्डर की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहते हैं ?

कुमारी शैलजा : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जो कार्यवृत्त प्राप्त हुआ है, यह सिफारिश उसमें की गई सिफारिशों में से एक है।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : मैं भी साधारणतया यही बात कहना चाहता हूं। अपने सुझाव में डॉ. गोपालकृष्ण ने कहा है कि योजनागत सहायता को रोका जाना सिफारिश में शामिल नहीं किया जाना चाहिये। क्या मैं जान सकता हूं कि डॉ. गोपालकृष्ण द्वारा दिये गये इस सुझाव को समिति के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया था और अन्ततः सहायता को रोका जाने की बात इन सिफारिशों में शामिल की गई ?

अध्यक्ष महोदय : समिति में जो कुछ हुआ है, क्या उस पर सभा में चर्चा की जा सकती है ?

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : ऐसा डॉ. गोपालकृष्ण की सिफारिश से नहीं हुआ बल्कि उन्होंने तो यह चाहा था कि योजनागत सहायता को रोके जाने की बात को निकाल दिया जाना चाहिये लेकिन समिति के अन्य सदस्य इससे सहमत नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : हम भी यही कह रहे हैं, समिति में क्या हुआ था।

डॉ. मुमताज अंसारी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये शैक्षणिक कैलेन्डर के संबंध में डॉ. गोपालकृष्ण ने कतिपय सिफारिशें का थी। अच्छे परिणाम

प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को कुछ प्रमाण–पत्र दिये जाने का प्रावधान भी किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गोपालकृष्ण समिति की सिफारिशों में कोई दण्डीय कार्यवाही का भी उल्लेख किया गया है जोकि उन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध की जानी चाहिये जो अच्छे परिणाम प्रारत नहीं कर रहे हैं और जिनमें शैक्षणिक कैलेन्डर वर्ष लागू नहीं किया जा रहा।

कुमारी शैलजा : इसमें दण्डात्मक कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है लेकिन इसकी सिफारिशों में से एक सिफारिश शैक्षणिक कलैण्डर के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने के बारे में है।

डॉ. सुधीर राय : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महाविद्यालय विकास परिषद् की स्थापना किस तरह से करेगा क्योंकि इसके लिए भारी धनराशि की आवश्यकता होगी। हम सभी जानते हैं कि वित्तीय संकट के कारण राज्यों में विश्वविद्यालयों की डांवाडोल स्थिति है और इसलिये कहीं पर भी महाविद्यालय विकास परिषद् की स्थापना नहीं की गई है। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विगत दस वर्षों से इसकी सिफारिश कर रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके लिये धनराशि कहां से आयेगी।

कुमारी शैलजा : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो केवल राज्यों को सिफारिश कर सकता है। इनकी स्थापना करने की कोशिश करना राज्यों का कार्य है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आप यह कह सकते हैं कि धनराशि राज्य सरकारों की ओर से उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना

\+ :

***623. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तथा कृषि संगठन के तकनीकी सहयोग से एक राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। दीर्घकालिक (20 वर्ष) और मध्यकालिक (10 वर्ष) की एक संदर्श योजना के साथ–साथ (पांच वर्षों के लिए) एक अल्प–कालिक प्राथमिकता कार्रवाई कार्यक्रम तैयार किया जा रहा हे। इस परियोजना की वित्तीय लागतों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारत सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए सं. वि. का. 7,16,000 अमरीकी डालर और भारत सरकार 3.05 करोड़ रुपए का अंशदान दे रही है, जिसमें से 2.47 करोड़ रुपए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रिपोर्टें तैयार करने और राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम तैयार करने के लिए नियोजित स्टाफ के वेतन के लिए हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई के निरूपण में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) इस योजना के सितम्बर, 1995 तक तैयार हो जाने की आशा है और उसके बाद ही उसे लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : भारतीय वन नीति का प्राथमिक उद्देश्य वन और वन भूमि का सरंक्षित प्रबन्धन कायम करना है जिससे वर्तमान और भावी पीढ़ी को पर्यावरणीय, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। राष्ट्रीय नीति के प्रतिपादन से लेकर भारत सरकार ने इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये विभिन्न सुझावों की शुरूआत की है किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक विकास की आवश्यकता है और इसके लिए ग्रामीण समुदायों की भी और अधिक भागीदारी की आवश्यकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय वन नीति को लागू करने में केन्द्र को सहयोग नहीं दिया है और यदि हां तो राष्ट्रीय वन कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिये सरकार का कौन–कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है।

श्री कमल नाथ : वास्तव में सरकार का यह इरादा रहा है कि लोगों को और समुदायों को केवल पौधारोपण में ही नहीं बल्कि वन प्रबन्धन में भी शामिल किया जाये। राज्य सरकारों को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया गया था और 14 राज्यों ने आदेश और संकल्प जारी किय हैं। जिनमें सभी ग्रामीण समुदायों को इस बात के लिए आमंत्रित किया गया है कि वन क्षेत्र में साथ लगने वाली सम्पति को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाये वे उसका संरक्षण और विकास कर सकते हैं, इस पर उन्होंने अपनी सहमति दर्शायी। ऐसा अनुमान है कि उन ग्रामीण समुदायों और प्रबन्धन समितियों की संख्या 10,000 से भी अधिक हो सकती है जोकि वृक्ष विहीन लगभग एक मीलियन हेक्टेयर भूमि पर हर वर्ष पौधारोपण कर सकते हैं।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान 2 मई के 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' में "शिफ्टिंग कल्टीवेशन डिपलीटिंग फारेस्टस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित

करना चाहता हूं। इसके अन्तर्गत यह कहा गया है कि झूम खेती वन क्षय का प्रमुख कारण रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि झूम खेती करने से होने वाले वनों के क्षय को रोकने के लिये सरकार का कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि एक प्रमुख समस्या झूम खेती करने की भी रही है जो अधिकतर और लगभग पूरी की पूरी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ही की जाती है। लगभग 4. 37 मीलियन हेक्टेयर वन भूमि पर झूम खेती की जाती है कुछेक वर्ष पूर्व यह आंकड़ा 4.37 मीलियन हेक्टेयर भूमि से भी अधिक था। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिये एक कार्यनीति तैयार की गई है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि झूम खेती की प्रथा को बंद किया जा रहा है अथवा इसे हतोत्साहित किया जा रहा है। लोगों को इसके लिए जागृत किया जा रहा है और समुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

झूम खेती में काफी हद तक गिरावट आई है। और प्रयास सफल सिद्ध हुए हैं लेकिन अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पायी है। यह उम्मीद की जाती है कि सरकार की वर्तमान रणनीति से हम इस सम्बंध में सफल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो वन लगाने की नीति है इसके अन्तर्गत क्या 5 साल तक वृक्षों को लगाने के बाद उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है या उनकी हमेशा के लिए सुरक्षा, वन समितियां बनाकर की जाती है या वन विभाग करता है ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो अभी राष्ट्रीय वानिकी की योजना आरंभ की जा रही है उसकी क्या नीति होगी, क्या वर्तमान में जो नीति चल रही है, वही होगी या उसकी कोई स्थाई नीति होगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब आ गया है।

श्री भेरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो आदिवासी वन भूमि के आसपास रहते हैं उनकी समिति बनाकर उनको विश्वास में लेकर क्या उनके द्वारा ही वनों की रक्षा की जाएगी क्योंकि मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं अपने क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियें को कई बार लेकर गया हूं और उनको दिखाया है कि जहां आदिवासियों के खेत हैं और यदि उनमें एक भी पेड़ है, तो वन विभाग के अधिकारी उसको वहां से जरूर बेदखल करते हैं, मैंने अनेक बार कहा है कि उनको वहां से बेदखल मत करो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता है और जहां जंगल पूरी तरह नष्ट होने का खतरा होता है, वहां वे कुछ भी नहीं करते हैं। इस प्रकार से आदिवासियों को परेशान करने की नीति

वहां के अधिकारी चला रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी यह नीति वनों की रक्षा करने के लिए है या आदिवासियों को परेशान करने के लिए ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में उत्तर दें क्योंकि आप पहले भी इसका उत्तर दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि कम्युनिटी को जोड़ने के लिए हमारी नीति है और हमारा यही लक्ष्य और उद्देश्य है। यह सब जगह सफल नहीं हुआ या सब जगह कार्यान्वित नहीं हुआ, यह बात भी सच है। यह जो हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है यह न केवल सभी राज्यों बल्कि सभी राज्यों के सभी जिलों के लिए है। मुझे विश्वास है कि जैसे ही यह नीति बनेगी, इसके बाद इसको हर राज्य और हर राज्य के हर जिले में कार्यान्वित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने 5 साल के लिए वन सुरक्षा किए जाने के प्रबन्ध की नीति के बारे में पूछा है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जो फेसिंग और ट्रेचिंग होती है वह तो हमेशा के लिए रहती है, लेकिन 5 या 6 साल के बाद उसके प्रोटैक्शन की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है जितनी शुरू–शुरू में रहती है। इसलिए जो फेसिंग और ट्रेचिंग होती है, यह वहां मौजूद रहती है।

श्री भेरू लाल मीणा : ....*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में नहीं शामिल किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न में पूछना चाहता हूं, शायद वह इससे सम्बन्धित नहीं है, इसलिए मैं इस प्रश्न को पूछने के लिए आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर सम्बन्धित नहीं है, तो संरक्षण भी नहीं मिलेगा और रिकार्ड पर भी नहीं जाएगा।

---

* कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, संबंधित मंत्री और कृषि मंत्री संयोग से आज सदन में दोनों विद्यमान हैं। इनकी उपस्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि गांवों में किसान अपने खेत की मेड़ के ऊपर शीशम के पेड़ लगाता था और आम के बगीचे लगाता था इसलिए कि अगर कहीं उसे अपने घर के प्रयोग के लिए या किसी अपने कार्य के लिए कभी लकड़ी की जरूरत होती थी, तो उस पेड़ को काट कर वह अपनी जरूरत को पूरी कर लेता था, लेकिन अब हालत यह है कि यदि उसे शीशम का पेड़ काटना हो, तो उसे पुलिस को 300 रुपए देने पड़ते हैं। इसलिए अब उसने शीशम के पेड़ अपने खेत के किनारे लगाने बन्द कर दिए हैं, तो क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाएगी जिसमें गांवों में किसान अपने खेतों के किनारे पेड़ लगाएं और यदि उन्हें कभी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए लकड़ी की आवश्यकता हो, तो उसे वे काटकर अपने घरेलू उपयोग में ला सकें और उस पेड़ को काटने के लिए उसे पुलिस को 300 रुपए न देने पड़ें ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं। ऐसी नीति बनाई जा रही है जिससे किसान जो पेड़ लगाएं, उनका लाभ उन्हें मिल सके।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जितने आदिवासी लोग हैं, उनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, इसलिए ये लोग जंगलों को काटकर उससे अपनी आजीविका कमा कर अपना गुजारा करते हैं। जब गवर्नमेंट की नैशनल पॉलिसी आई, तो उसके अन्तर्गत गवर्नमेंट ने उन आदिवासियों से कहा है कि तुम झूम कल्टीवेशन और शिफ्ट कल्टीवेशन को छोड़ दो ताकि वनों की रक्षा हो सके। सरकार की इस बात को मानकर उन्होंने कोआपरेट किया और उन्होंने झूम खेती तथा शिफ्टिंग कल्टीवेशन बन्द कर दिया, लेकिन सरकार ने उनके साथ जो वायदा किया था कि इसके बदले उनको जमीनें मिलेंगी, लेकिन वे जमीनें उनको अभी तक नहीं मिलीं और उनकी रोजी–रोटी का कोई भी प्रबन्ध नहीं हुआ, तो इसके बारे में हमें मंत्री जी बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो जूमिंग कहलाता है, उसके लिए एक स्पष्ट नीति है। अगर इस नीति का सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मुझे उसकी जानकारी दी जाए ताकि जो भी उसमें कमी है, उसे पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री डी. के. नायकर : महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी जानते हैं और मेरी समझ के अनुसार पर्यावरण का विकास पूर्णतः वनों के संरक्षण पर निर्भर है।

इस संबंध में बनाया गया कानून भी कठोर हैं। लेकिन फिर भी प्रत्येक राज्य में वनों की तबाही हो रही है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या माननीय मंत्रीजी वनारोपण के लिए कुछ धनराशि प्रदान करेंगे जबकि राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र ने ऐसी नीति बनाई है जिसमें वे प्रत्येक राज्य को वनारोपण के लिए धनराशि प्रदान करेंगे और यदि हाँ तो किस सीमा तक धनराशि प्रदान की जाएगी।

श्री कमल नाथ : महोदय, निसंदेह, पर्यावरण में वन मुख्य भूमिका अदा करते हैं। महोदय मुझे आपके द्वारा सभा को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि पहली बार उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों से यह पता चला है कि हमारे वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आज उपग्रह द्वारा लिए जाने वाले चित्रों की प्रक्रिया द्वारा एक चित्र भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा लिया गया है ....

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकारों को धनराशि देने जा रहे हैं ?

श्री डी. के. नायकर : महोदय, मैंने कहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति कमज़ोर है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र वनों के संरक्षण के लिए धनराशि दे रहा है।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा था। राज्य सरकारों की सहायता करना केन्द्र सरकार की नीति है। दुर्भाग्यवश, राज्य सरकारें ....

श्री डी. के. नायकर : महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि क्या राज्यों को धनराशि प्रदान की जाएगी अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया है।

श्री कमल नाथ : जवाब यह है कि अनेक योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता कर रही है जबकि राज्य सरकारें पुराने राज्य बजटों में केवल 1 अथवा 1.5 प्रतिशत के प्रावधान को भी पूरा नहीं कर रहीं है, यहाँ तक कि वनों द्वारा प्राप्त पुराने राजस्व स्त्रोतों के बराबर भी धनराशि का पूरा उपयोग नहीं कर पा रही हैं।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश सरकारें इतना प्रावधान नहीं करती। हिमाचल प्रदेश ने "वन लगाओ रोज़ी कमाओ" एक कार्यक्रम चलाया था जिसके तहत स्थानीय लोगों को इनवॉल्व करके वन लगाने के काम में लगाया जाता था और उससे सर्वाईवल भी अधिक थी। मंत्री जी ने स्वयं उस कार्यक्रम को स्वीकृति भी दी थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस कार्यक्रम को बाकी प्रदेशों में भी लागू करेंगे और प्रदेश सरकारों को उस कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए और धन उपलब्ध करवाऐंगे ?

श्री कमल नाथ : हर राज्य ने अपनी अलग–अलग योजना बनाई थी। हिमाचल प्रदेश ने "वन लगाओ रोज़ी कमाओ" वाली योजना बनाई थी। इस प्रकार विभिन्न राज्यों ने कहीं कुछ परिवर्तन करते हुए, कहीं कुछ जोड़ते हुए, कहीं कुछ काटते हुए अनेक योजनाएं बनाई हैं। हिमाचल प्रदेश जैसी योजना दूसरे राज्यों में नहीं है लेकिन ऐसी विभिन्न योजनाएं अलग–अलग राज्यों में हैं और उन्हें इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है, मदद दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नैशनल फोरैस्ट्री एक्शन प्लान का है। जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पर जा रहे है, वह अच्छा नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने विगत दस वर्षों में वन लगाने के कार्यक्रमों के लिए अनेक पॉलिसियां बनाई और इसके बाद देश में बहुत तेजी के साथ वन लगाए जाने लगे। किन्तु अभी देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या देश के अनेक स्थानों में जो वन लगाए जा रहे हैं, वे पेड़ बबूल या ऐसे कांटेदार दूसरे वृक्ष के लगाए जा रहे हैं जिनसे न ही फलों का उत्पादन होता है और न ही उनकी कोई उपयोगिता है। इसी हाउस में इस विषय पर पिछले वर्ष भी बातचीत हुई थी और मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था, कि नहीं फलदार वृक्ष लगाये जायेंगे ओर इस नीति में कुछ परिवर्तन किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज रोड पर जब जाते हैं तो सड़क के दोनों ओर बबूल के पेड़ लगे दिखाई देते हैं, उससे लोगों को कष्ट होता है और जानवर तक उसके पौधें नहीं खाते, न जानवरों को उनसे कोई लाभ है तो क्या मंत्री जी इस पालिसी में कोई परिवर्तन करने वाले हैं ? क्या स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे निर्देश दिये जायेंगे कि कांटेदार वृक्ष न लगाकर फलदार वृक्ष लगाये जायें ? ... (व्यवधान) ...

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य को फोरैस्ट्री और हार्टीकल्चर में कुछ अन्तर करना होगा। जहां तक फल के पेड़ हैं, हमारे कृषि मंत्री, बलराम जाखड़ जी फल के पेड़ लगवायेंगे। जहां तक वन विभाग का प्रश्न है, हम केवल फोरैस्ट स्पिसीज लगाएंगे। फल लगाने का काम हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट का है।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष जी, यह जो पालिसी बनी है, इसके कारण हमारे गांवों में ईंधन की कमी होती जा रही है, जलाऊ लकड़ी की कमी होती जा रही है और इसी कारण ग्रामीण लोग जंगल में जाकर जलाऊ लकड़ी काटते हैं, जिससे जंगल कट रहे हैं। आज स्थिति यह है कि जंगलों की कमी हो गई है और ग्रामीण इलाकों में ईंधन की समस्या लोगों के सामने पैदा हो गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस पालिसी के भीतर ग्रामीण लोगों को ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी प्रदान करने की कोई व्यवस्था होगी ? .... (व्यवधान) ....

श्री कमल नाथ : यह बात सही है कि ग्रामीण लोगों को अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता है। हमारे देश में 80 प्रतिशत ग्रामीण लोगों का जीवन उनकी

ऊर्जा की आवश्यकता के लिए जलाऊ लकड़ी पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। आज हमारे देश में 220 मिलियन टन जलाऊ लकड़ी हमारे वन जनता को उपलब्ध कराते हैं ....

एक माननीय सदस्य : यह आंकड़ा आपके पास कहां से आया ?

श्री कमल नाथ : यह भी इन्हें बता दूं। इन्हें अगर कोई शक, शंका है तो वह दूर हो जानी चाहिए। एक स्टडी की गई है कि कितनी जलाऊ लकड़ी अपने वनों से टनों के हिसाब से ही नहीं पर साथ-साथ माननीय सदस्य को आपके थ्रू जानकारी देना चाहता हूं कि इसकी कीमत का भी मूल्यांकन किया गया है कि आज हमारे वनों से अपने देश की इकोनोमी में कितना इनपुट होता है। 30,000 करोड़ रुपये हमारे वनों का अपने देश की इकोनोमी में इनपुट है, जो मार्केट इकोनोमी के बाहर है। यह जो 220 मिलियन टन का हमने एक असेसमेंट किया है ..... (व्यवधान) ..... मैं खत्म कर दूं, तब माननीय सदस्य आपकी स्वीकृति के साथ पूछ लें, जो पूछना है। इसमें जो वनों की क्षमता है, उस क्षमता पर बहुत बड़ा बोझ है इसीलिए अगले 20 साल के लिए यह नेशनल फोरैस्ट एक्शन प्लान बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

नारियल के पेड़ों को "रूट-विल्ट" रोग

***624. श्री वी. एस. विजयराघवन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) .क्या केन्द्रीय सरकार देश में नारियल के पेड़ों को "रूट-विल्ट" रोग के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए 1993-94 के दौरान केरल और अन्य दक्षिणी राज्यों को दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। लेकिन, केन्द्रीय सरकार जड़ मुरझान (रूटविल्ट) तथा अन्य रोगों से प्रभावित नारियल के पेड़ों को हटाने तथा फिर से पेड़ लगाने के लिये आठवीं योजना में नारियल जोतों में समेकित खेती संबंधी परियोजना के अन्तर्गत किसानों को सहायता प्रदान कर रही है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान इस कार्यकलाप के लिये दी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

(रूपये लाखों में)

केरल	463.8
कर्नाटक	29.2
तमिलनाडु	79.0
गोवा	1.0
पाण्डिचेरी	1.7
लक्षद्वीप	1.7
कुल	576.4

[अनुवाद]

श्री वी. एस. विजयराघवन : महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि नारियल के पेड़ों को हुए "रूट विल्ट" रोग के कारण कुल वार्षिक हानि कितनी हुई।

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, केरल में, रूट–विल्ट रोग के कारण अनुमानतः 100 करोड़ नारियल बेकार हो गए। केरल में प्रतिवर्ष 520 करोड़ नारियलों का उत्पादन होता है। यदि यह रूट–विल्ट रोग न होता तो 620 करोड़ नारियलों का उत्पादन होता। इसकी लागत का अनुमान इस संख्या को एक नारियल की वर्तमान कीमत से गुणा करके लगाया जा सकता है।

श्री वी. एस. विजयराघवन : महोदय, हम अभी तक इस रोग का कारण नहीं जान पाये हैं फिर भी सी. पी. सी. आर. आई. में पिछले 50 वर्षों से अनुसंधान जारी है। क्या सरकार विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों से सहायता प्राप्त कर अनुसंधान करवाएगी और उपाय ढूँढेगी ?

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, हमारी अनुसंधान तथा विकास संस्थाएँ इस रोग को नियंत्रित करने के उपाय ढूँढने में लगी हुई हैं। यह सही है कि उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन हमने दो कार्यक्रम आरम्भ किए हैं मूलतः रोगग्रस्त पेड़ों तक की उत्पादकता को सुधारने के लिए और दूसरा तरीका है रोगग्रस्त पेड़ों को काटने का तथा उन्हें उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगाने का हम विश्व भर में उपलब्ध अनुसंधानों का उपयोग कर रहे हैं।

हमने 30 देशों से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं। यह क्रम चल रहा है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, जब श्रीचित्रा केन्द्र ने दिल के रोग पर अनुसंधान किया था तो उन्होंने पाया था कि दिल के रोग तथा रूट विल्ट रोग दोनों का मिट्टी के कुछ पदार्थों से संबंध हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उस पर आगे कोई अनुसंधान कार्य करवाया है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या सरकार एक ओर तो "रूट विल्ट" रोग के कारण कृषकों द्वारा उठाई जा रही परेशानियों तथा दूसरी ओर नारियल की गिरती कीमतों को ध्यान में रखते हुए रबर बोर्ड की भांति नारियल बोर्ड का गठन करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : महोदय, अनुसंधान का क्षेत्र हमेशा खुला रहता है। हमने इस ओर ध्यान देने की तथा खोजने की कोशिश की है। यह कमज़ोर कर देने वाला रोग है। अभी तक इसका इलाज नहीं ढूँढा जा सका है।

लेकिन हम इनके स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं और इन्हें अधिक पैदावार के योग्य बना सकते हैं। ये पौधे शीघ्र ही समाप्त नहीं होते। यह एक लम्बी प्रक्रिया है। लेकिन कृषकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए हमने कुछ किया है। उसके लिए हमारे पास एक योजना है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह पर्याप्त नहीं है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं यह नहीं समझता कि दिल के रोग के बारे में जो सूचना माननीय सदस्य के पास है वह मेरे पास भी हो। हमें इस पर विचार करना होगा और मैं उन्हें इसकी सूचना बाद में दूँगा। लेकिन जो कुछ भी हमने पेड़ों को रोगों से बचाने के लिए किया है वह काफी है। इस उद्देश्य से आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने नारियल विकास के लिए लगभग 80 करोड़ रु. की राशि नियत की है। यह काफी बड़ी राशि है। इसके अतिरिक्त हमने रोगग्रस्त पेड़ों को हटाने के लिए 200 रू. प्रति पेड़ प्रदान किए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि 75 रू. प्रति पेड़ थी। नारियल के पेड़ों को पुनः उगाने के लिए रियायती दरों पर नारियल के पौधे की आपूर्ति के लिए हमने 5 रु. प्रति पौध प्रदान किए। इस सब पर 100 प्रतिशत राज्य सहायता दी गई है। राज्य सहायता के लिए, उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए और पौध संरक्षण उपायों के लिए हमने पूरी अवधि के दौरान 8 रु. प्रति पेड़ प्रदान किए। बहुफसलों के लिए हमने 200 रु. प्रति हेक्टेयर प्रदान किए। दूसरा, ड्रिप सिंचाई के लिए हमने 15,000 रु. प्रति हेक्टेयर की राज सहायता प्रदान की। इन्हीं चीज़ों से हम नारियल के अधिक उत्पादन में कृषकों की मदद कर सकते हैं।

दूसरा, माननीय सदस्य ने कीमतों के संबंध में बात की है। यह 1990 से पहले था। यह साधारण पौधारोपण के लिए था। हमने इसे नारियल बोर्ड के अन्तर्गत तिलहन के रूप में ले लिया है। हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत किया है। अभी हाल ही में हमने 200 रु. प्रति क्विंटल तक कीमतों में

वृद्धि की है। अब खोपरे की एक किस्म की कीमत 2,350 रु. है और खोपरे की अन्य किस्म की कीमत 2,575 रु. है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : वह काफी अपर्याप्त है। राज्य सरकार 3500 रु. की माँग कर रही है।

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : पहली बार कीमतें न्यूनतम समर्थक मूल्य से नीचे आई हैं। पहले यह स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी और सी. ए. सी. पी. की सिफारिशों के अनुसार हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ? इसीलिए हमने इसमें 100 रुपए की बजाय 200 रुपए की वृद्धि की है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैं नए पौधे लगाने हेतु राजसहायता में वृद्धि की घोषणा करने के लिए मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं यह बात उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि यह बीमारी लगभग पच्चीस वर्षों से चली आ रही है और मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि हम इस बीमारी के कारणों का पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं और इसके उपचारात्मक उपाय क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे वैज्ञानिक दुनिया में किसी से कम है। वे इस बीमारी का समाधान ढूंढ सकते हैं। कहीं कुछ त्रुटियां हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पर्याप्त धन या जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं या कोई प्रशासनिक खामी है ? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी हमें बताएं कि क्या वह इस बात की जांच कराने के लिए तैयार हैं कि पिछले पच्चीस वर्षों से भी अधिक समय से इस बीमारी के उपचार के उपाय क्यों नहीं ढूंढे जा सके हैं। इस बीमारी के चलते रहने से नारियल का उत्पादन 50 प्रतिशत तक कम हो गया है। अप्रत्यक्ष रूप से इसका मतलब यह है कि जहां तक किसानों का संबंध है इसकी उत्पादन लागत सौ प्रतिशत बढ़ गई है। अतः मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिस समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, यद्यपि यह अपर्याप्त है, उसमें आपने इस बीमारी के कारण उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के इस पहलू पर भी विचार किया है।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, हमारे वैज्ञानिकों की कोई त्रुटि होने का प्रश्न नहीं है। वह अपना काम बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे विश्व से हमने जानकारी प्राप्त की है। हम बहुत से दूसरे देशों से सहयोग कर रहे हैं और हम उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बीमारी एक क्षीणता पैदा करने वाली बीमारी है और हम अभी तक इसका कोई उपचार नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन हमने निम्नलिखित उपाय करके किसानों के नुकसान को कम से कम करने की कोशिश की है। ये उपाय हैं — सभी प्रभावित बीजों को रोगग्रस्त पेड़ों सहित अंकुरण से पहले उखाड़ देना, अधिक उपज देने वाले नए पौधों को पुनः लगाना, उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग और बेसिन में कम्पोस्ट खाद का इस्तेमाल करना, ग्रीष्मकाल में पौधों की सिंचाई करना और जल निकासी की समुचित व्यवस्था करके पानी जमा न होने देना, दो फसलों के बीच बदल—बदल कर

फसलें उगाना या जैव तत्वों का पुनः प्रयोग करते हुए मिश्रित खेती करना। ये उपाय किए गए हैं जिनसे पेड़ अधिक पैदावार दे सकते हैं और इन उपायों से पौधे भी स्वस्थ रहेंगे ।

श्री वी. धनंजय कुमार : महोदय, जैसा कि यहां पर उल्लेख किया गया है कि दक्षिणी राज्यों अर्थात् कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नारियल प्रमुख रूप से उगाई जा रही नकदी फसलों में से एक फसल है। नारियल का फलदार पेड़ उगाने में पांच से सात वर्ष लग जाते हैं। यह बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है कि तीन से छह मास की थोड़ी ही अवधि में पेड़ सूख जाता है। अतः आठवीं योजना के अन्तर्गत नए पौधे लगाने और समन्वित विकास के लिए उपलब्ध करवाई गई धनराशि पूर्णतः अपर्याप्त है। मंगलौर के निकट कासरगोड़ में एक केन्द्रीय सी.पी.सी.आर.आई. इकाई होती थी और वहां पर नारियल के संबंध में विशेष अनुसंधान किए जा रहे थे। पिछले तीन वर्ष से उसने यह अनुसंधान कार्य बंद कर दिया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि कासरगोड़ में स्थापित किए गए केन्द्र को नारियल पर अनुसंधान और ऐसी भयंकर बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए एक पूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, पेड़ तीन से छह मास के भीतर नहीं सूखते। यह एक क्षयकारी रोग है और इसमें समय लगता है। लेकिन हमारे पास इन पेड़ों को बचाए रखने की क्षमता है और हम कुछ रोग रोधी विधियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कासरगोड़ इकाई के बारे में मैं माननीय सदस्य को बाद में जानकारी दूंगा क्योंकि मेरे पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री पी. सी. थामस : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार नारियल को तिलहनों की श्रेणी में रखने पर विचार करेगी और नारियल को भी वह सभी सुविधाएं देने पर विचार करेगी जो अन्य तिलहनों को प्राप्त हैं। फिलहाल नारियल को यह सुविधा नहीं दी गई है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जड़ें मुरझाना एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई उपाय नहीं ढूंढा जा सका है। यदि इसको तिलहनों के वर्ग में रखा जाता है, इसको पूरे लाभ दिए जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि यदि जितनी अनुसंधान सुविधा तिलहनों के लिए दी जा रही है उतनी नारियल को दी जाय तो हम जड़े मुरझाने की बीमारी का हल ढूंढ लेंगे।

मैं केन्द्र सरकार से यह कार्य करने का अनुरोध करता हूं।

श्री एस. कृष्ण कुमार : सरकार ने नारियल को पेड़ से उत्पन्न होने वाला तिलहन घोषित कर दिया है। कुछ हलकों में भ्रांति है कि इस घोषणा से नारियल को फायदा नहीं हुआ है और इसको तिलहन घोषित किए जाने का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन तथ्य कुछ और ही हैं। नारियल ही एकमात्र ऐसा तिलहन है जिसे बागवानी में भी श्रेणीबद्ध किया गया है। बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है

जिसे कृषि मंत्रालय द्वारा अधिक महत्व दिया जा रहा है। आठवीं योजना में बागवानी के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वृक्ष आधारित एकमात्र तिलहन होने के कारण से बागवानी में भी रखा गया है और इस मंत्रालय के बागवानी अनुभाग द्वारा नारियल को पर्याप्त सहायता दी जा रही है।

अतः नारियल को तिलहन और बागवानी दोनों का लाभ मिल रहा है। यदि इसको केवल तिलहन निर्धारित किया जाता है तो इसे बागवानी के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे। नारियल एकमात्र ऐसी बागवानी की फसल है जिसका पृथक विकास बोर्ड है जिसे नारियल विकास बोर्ड के नाम से जाना जाता है और जिसका पृथक बजट होता है।

इन सब बातों को मिला कर देखा जाय तो नारियल को अन्य तिलहनों को प्राप्त सहायता राशि से दो–तीन गुणा अधिक सहायता मिल रही है।

श्री जी.एम.सी. बालयोगी : आंध्र प्रदेश भी नारियल का निर्यात करने वाला महत्वपूर्ण राज्य है। लेकिन केन्द्र सरकार नारियल की फसल का विकास करने के संबंध में केवल केरल राज्य पर ही ध्यान दे रही है। मैं इस पृष्ठभूमि में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जड़े मुरझाने की बीमारी के अलावा आंध्र प्रदेश में नारियल के पेड़ों की पत्तियों की भी बीमारियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा केवल जड़े मुरझाने की बीमारी के बारे में है। मैंने इस प्रश्न को काफी समय दे दिया है।

श्री जी.एम.सी. बालयोगी : क्या सरकार इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए कोई रासायनिक या जैविक विधि अपनाने जा रही है। आंध्र प्रदेश के संबंध में नारियल के पेड़ों के विकास के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। क्या सरकार आंध्र प्रदेश के नारियल उगाने वालों को सहायता देने जा रही है ?

श्री बलराम जाखड़ : आंध्र प्रदेश में भी नारियल के लिए यही बात है।

डॉ. के. वी. आर. चौधरी : आंध्र प्रदेश में भी जड़ें मुरझाने की बीमारी बहुत अधिक फैली हुई है। लेकिन आंध्र प्रदेश को एक भी रुपया नहीं दिया गया है। क्या वहां की राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है ? .... (व्यवधान) .....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न मंजूर नहीं किया जाता है ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

शीतल पेय

*628. श्री संतराम सिंगला : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन संबंधी संचालन समिति ने वायुमिश्रित शीतल पेयों की बोतलों का आकार एक समान करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या उपभोक्ता संगठनों ने अनेक पैक और बोतल के आकारों को एक समान करने की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (च). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) आर्थिक सुधार हेतु संचालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) ने वातित शीतल पेयों के बोतल आकारों को युक्तियुक्त बनाने की सिफारिश की है।

(ख) और (ग). यह महसूस किया गया है कि न्यूनतम आकार 100 मि.ली. का हो सकता है और उसके बाद 150 मि. ली., 200 मि. ली., 250 मि. ली., 300 मि. ली., 330 मि. ली. (केवल डिब्बों में) 500 मि. ली., 750 मि. ली., 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर और उसके बाद 1 लीटर के गुणनों में 5 लीटर तक।

बोतलों के अलग-अलग आकारों से अधिक प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलेगा जो उपभोक्ता के हित में होगा।

(घ) से (च). उपभोक्ता संगठन समय-समय पर बड़ी संख्या में पैक तथा बोतल आकारों को युक्तियुक्त बनाने की मांग करते रहते हैं। तेजी से बदलते तकनीकी-आर्थिक परिदृश्य तथा उसके

परिणामस्वरूप बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में संगत परिवर्तन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन सुझावों पर विचार करने के लिए मंत्रालय में एक स्थाई समिति गठित की गई है, जिसमें उपभोक्ता संगठनों सहित सभी पक्षों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री संत राम सिंगला : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मंत्रालय द्वारा गठित स्थाई समिति जो उपभोक्ता संगठनों सहित सभी के हितों का ध्यान रखती है ने तीन अलग–अलग अवसरों पर 250 मि. ली., 500 मि. ली., 750 मि. ली. और 1 लीटर के आकारों के पैक को युक्तिसंगत बनाने के लिए सिफारिशें की हैं ताकि निर्माता कोई भ्रांति या धोखा न दे सकें। यदि हां, तो समिति की सुविचारित सिफारिशों को क्यों टाला गया है ?

श्री ए. के. एन्टनी : माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि स्थाई समिति ने दो बार बोतल आकारों की सिफारिश की है। लेकिन सरकार को स्थाई समिति के फैसले को अंतिम रूप देना था। बहुत अधिक संख्या में अभ्यावेदन आने शुरू हो गए। सभी दलों के बहुत से संसद सदस्यों ने भी मसौदा अधिसूचना के बारे में लिखित अभ्यावेदन दिए और हमें अनेक दूसरे हलकों से भी अभ्यावेदन मिले हैं। चूंकि इस मामले से विदेशी निवेश भी संबद्ध है, अन्ततः विभाग ने सोचा कि आर्थिक सुधारों सम्बन्धी संचालन समिति की राय जान लेना बेहतर होगा। अनेक ब्यौरों का अध्ययन करने के बाद आर्थिक सुधारों संबंधी संचालन समिति ने कतिपय परिवर्तनों की सिफारिश की और अन्ततः मंत्रालय ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

श्री संत राम सिंगला : स्थाई समिति की सिफारिशों को आम तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। पहली बार ही क्यों उनको स्वीकार नहीं किया गया और इसकी सिफारिशों की उपेक्षा क्यों की गई ? इस मामले को अब संचालन समिति को भेजा गया है और अब प्रतिस्पर्धा के नाम पर लिए गए इस निर्णय से उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचना निश्चित है। क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ताओं के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी?

श्री ए. के. एंटनी : मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा अंतिम निर्णय ले लिए जाने के बाद उपभोक्ताओं या संसद सदस्यों किसी ने भी कोई भी शिकायत नहीं की है। हमें केवल पेप्सी से एक पत्र मिला है। किसी भी उपभोक्ता संगठन ने सरकार के अंतिम निर्णय के विरुद्ध शिकायत नहीं की है।

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, भारत में बिकने वाले शीतल पेयों के विषय में विश्व खाद्य संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रिपोर्ट में कहा कि इनमें मिलाया जाने वाले बीवीओ,

अर्थात् ब्रोमाइट वेजीटेबल आइल पर रोक लगाई जाए, जो कि विशेष रूप से लिमका, कैंपा आरेंज और रसना आदि में मिलाया जाता था। सरकार ने 15 अक्तूबर 1990 को इन पेय पदार्थों में बीवीओ मिलाने के संबंध में प्रतिबंध लगा दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस आदेश का कार्यान्वयन हो रहा है। ये कंपनियां अपनी बोतलों पर बीवीओ रहित पेय पदार्थ प्रिंट करवाती हैं। कंपनियों ने दो साल का स्टे भी लिया था और इनको स्टे दे दिया गया था, ताकि बीवीओ को विकल्प निकाला जा सके। क्या इन कंपनियों ने बीवीओ का कोई विकल्प निकाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बीवीओ मिश्रित पेय पदार्थों का सेवन करने से कैंसर जैसी महान व्याधियां पैदा हो सकती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए क्या हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और क्या इसके संबंध में सरकार द्वारा दिए गए आदेश का कार्यान्वयन ठीक तरह से हो रहा है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती है। इसका मूल प्रश्न से संबंध नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या बोतल के आकार के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले वह स्वास्थ्य मंत्रालय से यह विश्लेषण करवाएंगे कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है ?

श्री ए. के. एंटनी : स्थाई समिति में सदैव स्वास्थ्य मंत्रालय का भी एक प्रतिनिधि होता है।

पैलेस ऑन व्हील्स

+

*629. **डॉ. रमेश चन्द तोमर** :

श्री भेरू लाल मीणा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए "पैलेस ऑन व्हील्स" जैसी पर्यटक रेल सेवाएं और "पैलेस ऑन व्हील्स" रेस्तरां आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक लागू किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग). भारतीय रेलों ने "पैलसे ऑन व्हील्स" किस्म की पर्यटक गाड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए निम्नलिखित पर्यटक सर्किटों की पहचान की है :

बड़ी लाइन

1. दिल्ली–जयपुर–जोधपुर–जैसलमेर–सवाई माधोपुर–भरतपुर–आगरा–दिल्ली।
2. हावड़ा–गया–वाराणसी–गोरखपुर–भुवनेश्वर–पुरी–हावड़ा।
3. बम्बई–औरंगाबाद–नांदेड़–सिकन्दराबाद–हैदराबाद–पुणे–बम्बई।
4. दिल्ली–जयपुर–आगरा–ग्वालियर–झांसी–वाराणसी–लखनऊ–दिल्ली।
5. गोवा (मडगावं)–मंगलौर–मैसूर–हास्पेट–बैंगलूर–गोवा (मडगांव)।
6. बैंगलूर–मैसूर–मद्रास–कोडै कानल रोड–कन्याकुमारी–तिरूवनंतपुरम–कोचीन–मेटुपालैयम–बैंगलूर।

मीटर लाइन

7. मद्रास एग्मूर–पांडिचेरी–कारक्काल/वेलनकीनी– तिरुच्चिरापल्ली–मदुर–रामेश्वरम–तंजाऊर– चिदम्बरम–मद्रास एग्मूर; और
8. दिल्ली–जयपुर–उदयपुर–अहमदाबाद–वेरावल–पालीताणा–दिल्ली।

बड़ी लाइन की "पैलेस ऑन व्हील्स" पर्यटक गाड़ी (क्रम सं. 1 पर सूचीबद्ध) तथा तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात सेक्टरों में मीटर लाइन की दो पर्यटक गाड़ियों को, जिन्हें क्रम सं. 7 और 8 पर सूचीबद्ध किया गया हो, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात के पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से क्रमशः अप्रैल, 1995, अक्तूबर, 1994 तथा फरवरी, 1995 से अनंतिम रूप से चलाया जा रहा है।

ऊपर क्र. सं. 2 से 6 में दिए गए शेष 5 सर्किटों के संबंध में, यह विनिश्चय किया गया है कि पर्यटन गाड़ी सेवाओं के स्वामित्व, विपणन और प्रबंधन के लिए सरकारी तथा निजी सेक्टरों से बोलियां आमंत्रित की जाएं। नई गाड़ी सेवाओं के निर्माण तथा उन्हें शुरू करने के लिए अपेक्षित कम से कम समय ठेका प्रदान करने की तारीख से एक वर्ष होगा।

"पैलेस ऑन व्हील्स" के मूल मीटर आमान रेक के कुछ सैलूनों को रेल परिवहन संग्रहालय, नई दिल्ली के परिसर में रेस्तरां के रूप में इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए शीघ्र ही बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।

डा. रमेश चन्द तोमर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इन सर्किटों पर आरामदेह पर्यटन रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए निजी क्षेत्रों से निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? इसके लिए क्या–क्या नियम और शर्तें रखीं जाएँगी ?

श्री सी. के. जाफर शरीफ : अभी तक, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस विषय पर विभिन्न राज्य सरकारों से समझौता हुआ है। हम अभी इस संबंध में तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हम तैयारी कर लेंगे, तब हम निविदाएं आमंत्रित करेंगे।

डा. रमेश चन्द तोमर : इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को क्या–क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ? प्रत्येक रेलगाड़ी के चलाने पर अनुमानित व्यय क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री सी. के. जाफर शरीफ : जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम इस प्रक्रिया में संलग्न हैं। जैसे ही प्रक्रिया बन कर तैयार हो जाएगी हम उसका ब्यौरा देंगे।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन दिल्ली से जयपुर तक चलने वाली है तो क्या वाया झुंझुंनू से जाने का प्रस्ताव है या नहीं ? झुंझुंनू टूरिज्म के लिए एक नंबर पर आता है। वहां पर प्राचीन जमाने की हवेलियां और किले हैं। ऐसी हवेलियां हैं जिनमें चार–चार सौ विन्डोज हैं तो क्या उन प्राचीन हवेलियों और गौरवशाली किले को देखने के लिए दिल्ली से जयपुर तक जाने वाली ट्रेन का वाया झुंझुंनू प्रबंध किया जा सकेगा या नहीं ?

श्री सी. के. जाफर शरीफ : अध्यक्ष महोदय, झुंझुंनू के लिए पहले ही ट्रेन दे चुके हैं इसलिए इस ट्रेन की वहां जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में हमको आश्वासन दिया गया था कि वेस्टर्न रेलवे को पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन मिलेगी। आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहती हूँ कि वह कब तक मिलेगी और कब से शुरूआत होगी ?

श्री सी. के. जाफर शरीफ : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा है, इसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और अगले साल तक कुछ संभावना है।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, भारत की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक गोमती एक्सप्रैस ट्रेन जाती है। सन् 1991 से अभी तक मैं 14–15 प्रार्थना

पत्र मंत्री जी को दे चुका हूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद ऐसा नगर है जो अलग स्थान रखता है और भारतवर्ष के सभी व्यापारी वहां आते हैं.... (व्यवधान) .....

अध्यक्ष महोदय : क्या वहां भी पैलेस ऑन व्हील्स जाने वाली है ?

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : तीन वर्ष से मैं लगातार इनके मंत्रालय के चक्कर लगाता रहा ..... (व्यवधान) श्री आचार्य जो इनके रेलवे बोर्ड के मैम्बर थे उन्होंने आश्वासन दिया ..... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने पूछा कि फिरोजाबाद में क्या बनता है ? मैंने कहा कि चूड़ी बनती है। ... (व्यवधान) ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : ** ... (व्यवधान) ....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत ही अनुचित बात है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कृपया अपने शब्दों को वापस लीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मैं इन शब्दों को वापिस लेता हूं। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि क्या फिरोजाबाद में गोमती एक्सप्रेस का स्टापेज होगा ?

[अनुवाद]

श्री सी. के. जाफर शरीफ : यह प्रश्न पैलेस ऑन व्हील्स से संबंधित है। अतः माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, वह इससे स्पष्ट नहीं होता है।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

कुलपति

*630. **श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग ने, केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा समविश्वविद्यालय संस्थाओं के कुलपतियों/निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जाँच करने के लिए सितम्बर, 1991 में गुजरात विद्यापीठ के कुलपति प्रो0 रामलाल पारिख की संयोजकता में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दे दी है।

समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

1. कुलपति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें प्रशासनिक योग्यता के साथ शैक्षिक नेतृत्व करने की दूरदर्शिता व गुण हों।

2. कुलपति एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना चाहिए।

कुलपति की नियुक्ति पूर्ण रूप से शैक्षिक आधार पर की जानी चाहिए। उनमें अपनी शैक्षिक योग्यता, प्रशासनिक क्षमता व नैतिक महत्ता से विश्वविद्यालय को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों को (सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हैं) कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

3. कुलपति का चयन जाँच समिति द्वारा नामों के पैनल (3–5 व्यक्ति) का उचित रूप से पता लगाकर किया जाना चाहिए। जाँच समिति में निम्नलिखित व्यक्ति हो सकते हैं :

(I) कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति का नामजद व्यक्ति (केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों के लिए) या समविश्वविद्यालय के अध्यक्ष का एक नामजद व्यक्ति (सम विश्वविद्यालयों के लिए) जो समिति का अध्यक्ष होना चाहिए;

(II) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का एक नामजद व्यक्ति;

(III) विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् का एक नामजद व्यक्ति;

(IV) विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद् का एक नामजद व्यक्ति।

समविश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति/अध्यक्ष को पैनल में से कुलपति नियुक्त करना चाहिए।

4. कुलपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होना चाहिए और वह उसी अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय में दूसरे सत्र के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र होना चाहिए।

5. नियुक्ति पाँच वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए जो विधान द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। यह 65 वर्ष की आयु तक दूसरे सत्र के लिए नवीकृत हो सकती है। 65 वर्ष के पश्चात् नियुक्ति विशिष्ट संस्थानों में अवैतनिक रूप से हो सकती है।

6. कुलपति को कुलाधिपति द्वारा नहीं हटाया जाना चाहिए बशर्ते कुलपति को हटाने के लिए उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा समुचित जांच, जिसमें उन्हें सहज न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार सुने जाने का अवसर प्रदान किया गया हो, के पश्चात् कुलाधिपति द्वारा नोटिस दिया गया हो, जिसमें उनके विरुद्ध स्थापित अभियोगों के विशिष्ट आधारों का उल्लेख हो।

7. जब कुलपति के कार्यालय में एक अस्थायी रिक्त पद हो, तो वरिष्ठतम सम कुलपति, कुलपति के रूप में कार्य करेंगे। तथापि, जब कोई सम–कुलपति न हो तो वरिष्ठतम डीन/प्रोफेसर, कुलपति के रूप में कार्य करेंगे।

8. किसी भी विश्वविद्यालय का कार्यभार कार्यकारी कुलपति को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

9. सम कुलपति के पद पूर्णकालिक होने चाहिएं और कुलपति की अवधि तक होने चाहिएं। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देश ध्यान में रखे जाने चाहिएं।

10. समकुलपति की नियुक्ति कार्यकारी परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिशों के आधार पर की जानी चाहिएं और न कि राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

उपर्युक्त समिति की सिफारिशें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथासंशोधित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य सरकारों/कुलपतियों को भेज दी गई हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : चांसलर की नियुक्ति भी गवर्नर की तरह होती है। चूंकि इसमें सरकार का दखल होता है इसलिए उसकी नियुक्ति राजनैतिक आधार पर हाती है। इस सम्बंध में जो पारीख कमेटी ने रिकमंडेशंस दी है उसमें कहा गया है कि वाइस चांसलर नामजद होना चाहिए। क्या सरकार चीफ जस्टिस को चांसलर की नियुक्ति में स्वीकार करेगी, जिससे राजनैतिक आधार पर नियुक्तियों पर पाबंदी लगे ?

कुमारी शैलजा : ऐसी बात नहीं है, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है और तीन नाम पैनल में जाते हैं, उसमें से ही इनका चयन किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या चीफ जस्टिस को भी लेने जा रहे हैं ?

कुमारी शैलजा : अभी ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मोहन रावले : मेरा यह कहना है कि अगर गवर्नर रखते हैं तो उसके बदले चीफ जस्टिस ....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई ख्याल नहीं है।

श्री मोहन रावले : पारीख कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, वह शिक्षा मंत्रालय को कब भेजी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को भेजने के समय क्या सिफारिशें की थीं ?

कुमारी शैलजा : पारीख कमेटी यू. जी. सी. ने 27.9.91 को नियुक्त की थी और 1992 में इसकी रिपोर्ट आई थी। वह रिपोर्ट यू.जी.सी. ने स्वीकार कर ली है।

अध्यक्ष महोदय : रिकमंडेशंस क्या हैं ?

[अनुवाद]

कुमारी शैलजा : यह मूल उत्तर का एक भाग है।

अध्यक्ष महोदय : आप वो बात कह सकते हैं।

कुमारी शैलजा : वह मूल उत्तर में दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय : देश के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्राध्यापकों, रीडर्स और विभागाध्यक्षों का कोटा पूरी तरह भरा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वाइस चांसलर नियुक्त करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसके लिए यह प्रश्न है।

श्री राम निहोर राय : देश के विश्वविद्यालयों में क्या कुलपति भी इन वर्गों से हैं, यदि नहीं तो क्या सरकार इन वर्गों से नियुक्त करने पर विचार कर रही है ?

[अनुवाद]

कुमारी शैलजा : यह जानकारी माननीय सदस्य को दी जा सकती है।

श्री श्रीकान्त जेना : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पारीख समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। लेकिन क्या इन सिफारिशों को सभी राज्यों एवं केन्द्र सरकार द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है ? क्या इस समिति की सिफारिशों पर किसी विश्वविद्यालय में कुलपति की कोई नियुक्ति हुई है ?

कुमारी शैलजा : सर्वप्रथम, मैं यहां इस बात पर बल देना चाहूंगी कि हम सभी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का सम्मान करते हैं। मूल धारणा तो यही है और अन्य कोई कार्रवाई सभी विश्व विद्यालयों को निर्देश देकर करने की बजाय समझा बुझा कर की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या फिलहाल इन सिफारिशों को राज्य सरकारों द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है और क्या आपके पास इस संबंध में कोई जानकारी है।

कुमारी शैलजा : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र लिखा है। मैं इस संबंध में जानकारी दे सकती हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसको स्वीकार किया गया है। यह ठीक है कि कुलपति की नियुक्ति राजनैतिक रूप से नहीं होनी चाहिए। इसकी नियुक्ति पांच वर्षों तक के लिए होनी चाहिए और हटाने के बारे में भी दिया है कि उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायाल के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा समुचित जांच और उसका नोटिस देकर हियरिंग होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार द्वारा इसका उल्लंघन किया गया हो तो उस पर आप क्या एक्शन लेंगे ? क्योंकि ऐसा उल्लंघन हुआ है, क्या आपको इसकी जानकारी है ?

[अनुवाद]

कुमारी शैलजा : हम वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि आप समझाने–बुझाने की पद्धति को अपनाते हैं।

कुमारी शैलजा : जी हां, श्रीमान।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1991 में पारीख समिति की रिपोर्ट आयी और राज्य सरकारों को भेजी गयी है उसमें खासतौर पर अन्तरिमकाल के कुलपतियों के चयन का सवाल है, अभी मेरठ में तात्कालिक तौर पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, वे प्रेस मार्क्स में पास हुये हैं और उनकी उम्र कुल 35 साल है। मैं उदाहरण के तौर पर माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों को अपने कुलपतियों की नियुक्ति करने की पद्धति में परिवर्तन करने संबंधी कोई निर्देश सरकार देने को तैयार है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रौढ़ शिक्षा

+

*622. **श्री राम बदन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम' के अन्तर्गत इस समय राज्यवार कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) 1994–95 में इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने राज्यवार कितनी राशि आवंटित की है;

(ग) 1994–95 में इससे राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या सरकार ने समय–समय पर इन केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा करने की व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ). ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम कहा जाने वाला केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अप्रैल, 1991 से बन्द कर दिया गया है क्योंकि इसकी समीक्षाओं से यह पता चला है कि इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं था और न ही यह मूल्य–प्रभावी था। प्रौढ़ साक्षरता को अब पूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से चलाया जा रहा है जोकि क्षेत्र सापेक्ष, समयबद्ध स्वयंसेवी आधारित तथा मूल्य–प्रभावी हैं। तथापि दुर्गम तथा दूर–दराज क्षेत्रों में, जहां यह अभियान तत्काल शुरू नहीं किए जा सकते, वहाँ अब एक पुनःसंशोधित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

साक्षरता के कार्य के लिए राशियां राज्य–वार आबंटित नहीं की जाती हैं। यह निधियाँ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर आबंटित की जाती है। वर्ष 1994–95 के लिए पूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए 154.95 करोड़ रु. की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। पुनः संशोधित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के लिए 6 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान की गई है। साक्षरता विस्तार के लिए अलग से कोई वर्ष–वार लक्ष्य नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने वर्ष 1995 तक 8 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

[अनुवाद]

राजीव पर्यावरण परियोजना

*625. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजीव पर्यावरण परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं,

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार किन किन जिलों का चयन किया गया है, और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). राजीव पर्यावरण परियोजना में पर्यावरण और वन मंत्रालय की समस्त स्कीमों, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की पर्यावरण से संबंधित स्कीमों और कार्यक्रमों के देश के चुने गए 50 जिलों में समन्वित और गहन कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है ताकि पांच वर्ष की समयावधि में सुस्पष्ट और ठोस प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। परियोजना के अन्तर्गत चुने गए जिलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पर्यावरण और पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम के लिए चुने गए 50 जिलों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य	जिलों की संख्या	जिले
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	पूर्वी गोदावरी, चित्तूर तथा विशाखापट्नम्
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	डिबंग घाटी
3.	असम	1	उत्तरी कछार
4.	बिहार	3	सिंगभूम, धनबाद तथा हजारीबाग
5.	गुजरात	3	जूनागढ़, पंचमहल तथा बलसाद
6.	गोवा	1	उत्तरी गोवा
7.	हरियाणा	1	अम्बाला
8.	हिमाचल प्रदेश	3	कांगड़ा, चम्बा तथा कुल्लू
9.	जम्मू और कश्मीर	1	ऊधमपुर
10.	कर्नाटक	3	बेल्लरी, कोलार तथा हसन
11.	केरल	2	पालाघाट, मल्लापुरम्
12.	मध्य प्रदेश	4	जबलपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा और झबुआ
13.	महाराष्ट्र	2	जलगांव और येओतमल
14.	मेघालय	1	पश्चिमी खासी पहाड़ियां
15.	मिजोरम	1	आइज़ोल
16.	मणिपुर	1	इम्फाल
17.	नागालैंड	1	कोहीमी
18.	उड़ीसा	2	गंजम और कालाहांडी
19.	पंजाब	1	गुरदासपुर

1	2	3	4
20.	राजस्थान	4	डुंगरपुर, जोधपुर, उदयपुर, और झालावाड़
21.	सिक्किम	1	पूर्वी सिक्किम
22.	तमिलनाडु	3	मदुराई, उत्तरी अरकोट और नीलगिरी
23.	त्रिपुरा	1	उत्तरी जिला
24.	उत्तर प्रदेश	4	अलमोड़ा, झांसी, मिर्जापुर और रायबरेली
25.	पश्चिमी बंगाल	2	पुरुलिया और बांकुरा

रिहायशी खेल कूद

*626. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण देश में रिहायशी खेल स्कूलों को कुछ सुविधाएं देता है;

(ख) यदि हां, तो इन स्कूलों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे स्कूलों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा ये किन–किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(घ) इन स्कूलों को 1993–94 के दौरान कितना अनुदान दिया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस. ए. आई.) उन स्कूलों को सहायता देता है तो राष्ट्रीय खेल प्रति॥ प्रतियोगिता योजना (एन. एस. टी. सी.) के तहत इसके द्वारा अपनाए जाते हैं।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण अपनाए गए स्कूलों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है :

(I) खेलों को बुनियादी सु.वेधाएं निर्मित करने/सुधार करने के लिए दो या तीन किश्तों में 5 लाख रुपये (पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों के लिए 7.5 लाख रू.) का एक मुश्त वित्तीय अनुदान।

(II) खेल सुविधाओं के अनुरक्षण, खेल पुस्तकों, पत्रिकाओं की खरीद, चयनित बच्चों के प्रशिक्षण हेतु उपभोज्य खेल सामग्री के लिए 50,000/– रुपये का वार्षिक अनुदान।

(III) उनके भोजन, आवास के लिये व्यय, स्कूलों में प्रवेश, बच्चे तथा मार्गरक्षक को यात्रा भत्ता तथा टयूशन शुल्क, स्कूल यूनीफार्म, पुस्तकें, खेल किट, चिकित्सा तथा इंश्योरेंश कवर।

(ग) ऐसे स्कूलों को संख्या 59 है जिसका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) *1993–94 के दौरान सभी एन. एस. टी. सी. स्कूलों पर कुल अनुदान/व्यय की राशि* 292.00 लाख रुपये थी (अन्तरिम)।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्कूलों की संख्या	स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	1. सिकन्द्राबाद
			2. विजयवाड़ा
			3. विणुकोंडा
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	इटानगर
3.	असम	3	1. गोलपारा
			2. गोलाघाट
			3. गुवाहाटी
4.	बिहार	2	1. राँची
			2. गुमला
5.	दिल्ली	3	नई दिल्ली
6.	गोवा	1	गोवा
7.	गुजरात	2	1. बल्लभ विद्यानगर
			2. राजकोट
8.	हरियाणा	2	1. राई
			2. सोनीपत

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्कूलों की संख्या	स्थान
9.	हिमाचल प्रदेश	1	माजरा
10.	जम्मू और कश्मीर	2	श्रीनगर
11.	कर्नाटक	3	1. बंगलौर
			2. चिकमंगलूर
			3. मैसूर
12.	केरल	2	त्रिवेन्द्रम
13.	मध्य प्रदेश	3	1. इंदौर
			2. जबलपुर
			3. भोपाल
14.	महाराष्ट्र	4	1. नासिक
			2. पुणे
			3. पंचगानी
			4. प्रावरनगर
15.	मणिपुर	1	इम्फाल
16.	मेघालय	1	शिलांग
17.	नागालैंड	1	विस्वामा
18.	उड़ीसा	3	1. } सुन्दरगढ़
			2. } सुन्दरगढ़
			3. भुवनेश्वर
19.	पंजाब	4	1. होशियारपुर
			2. अमृतसर
			3. जालन्धर
			4. पटियाला

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्कूलों की संख्या	स्थान
20.	राजस्थान	3	1. बनस्थली
			2. उदयपुर
			3. गंगानगर
21.	सिक्किम	1	गंगतोक
22.	तमिलनाडु	3	1. चेतपुर
			2. सेलम
			3. कुड्डालोर
23.	त्रिपुरा	1	अगरतला
24.	उत्तर प्रदेश	3	1. वाराणसी
			2. लखनऊ
			3. देहरादून
25.	पश्चिम बंगाल	5	1. कलकत्ता
			2. कृष्णानगर
			3. कुरसियोंग
			4. – वही –
			5. ताल्दी
26.	चंडीगढ़	1	चंडीगढ़

क्यूबा के साथ समझौता

*627. **श्री राम सिंह कस्वां :**

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और क्यूबा ने कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) संयुक्त उद्यम के लिए किन किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्यूबा गणराज्य के साथ दिनांक 19 नवम्बर, 1978 को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर तथा दिनांक 16 सितम्बर, 1988 को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए नयाचार पर हस्ताक्षर किये थे।

इस समझौते/नयाचार के तहत कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए क्यूबा गणराज्य सरकार के साथ कार्य–योजना पर हस्ताक्षर करता रहा है। पिछली 1992–93 की द्विवार्षिक कार्य–योजना दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 को समाप्त हो गई थी। दिनांक 11 अप्रैल, 1994 को 1994–95 के दो वर्षों के लिए एक नयी कार्य–योजना पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे।

(ग) निम्नलिखित क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम की पहचान की गयी है :

(I) रोग प्रतिरोधी गन्ने का आनुवंशिक सुधार।

(II) सूखा तथा लवणीयता की प्रतिरोधी गन्ने की किस्में।

कृषि क्षेत्र में सहयोग

*631. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र में कौन–कौन से देश भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं अथवा करेंगे;

(ख) क्या इस संबंध में सहयोग करने वाले सभी देशों के साथ समझौते किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) निम्नलिखित देश भारत के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं :

इजराइल, फ्रांस, बुल्गारिया, नीदरलैंड्स, स्विटजरलैण्ड, डेनमार्क, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, नार्वे, जापान, स्वीडन, कनाडा, सं. रा. अमरीका, आस्ट्रेलिया, नेपाल, चीन, फिलीपींस, सीरिया, साइप्रस, मंगोलिया, मारीशस, इण्डोनेशिया, ईरान, क्यूबा, वियतनाम और बंग्लादेश।

(ख) कृषि तथा इससे सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग हेतु जिन देशों के साथ समझौते किए गए हैं वे हैं : इजराइल, फ्रांस, नीदरलैण्ड्स, नेपाल, चीन, फिलीपींस, सीरिया, साइप्रस, मंगोलिया, मारीशस, इण्डोनेशिया, ईरान, क्यूबा, वियतनाम और बंग्लादेश। शेष देश द्विपक्षीय सहायताप्राप्त कृषि परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं जिसके लिये अलग से समझौते हुए हैं।

(ग) इन समझौतों में संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, प्रशिक्षण, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, सामग्री और सूचनाओं के आदान प्रदान, तकनीकी सहायता परियोजनाओं आदि के माध्यम से कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में वैज्ञानिक तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

कृषि विज्ञान केन्द्र

*632. प्रो. प्रेम धूमल :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने हेतु अनेक प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये प्रस्ताव स्वीकृति हेतु कब से लम्बित हैं;

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी; और

(ङ) 1994–95 में राज्यवार ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए जायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी नहीं। फिर भी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात सरकारों ने कुछ जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुरोध किया है।

(ख) और (ग). सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ). जब इस काम के लिए परिषद् को अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी, तब इन प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जाएगा।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	जिला	प्राप्ति की तारीख
1.	आंध्र प्रदेश	1. विशाखापतनम	14.1.94
		2. नेल्लोर	14.1.94
		3. निजामाबाद	14.1.94
		4. प्रकाशम	14.1.94
		5. कडप्पा	14.1.94
		6. कृष्णा	14.1.94
2.	हिमाचल प्रदेश	1. किन्नोर	14.3.94
		2. शिमला	14.3.94
3.	जम्मू और कश्मीर	1. उधमपुर	20.10.93
		2. कर्गिला	– वही –
		3. कुपवाड़ा	– वही –
		4. राजौरी	– वही –
		5. बदगांव	– वही –
		6. डोडा	– वही –
4.	पंजाब	1. अमृतसर	19.10.92
		2. लुधियाना	7.10.92
		3. मनसा	7.10.92
5.	महाराष्ट्र	1. यावत्मल	31.3.93
		2. अमरावती	30.5.91
6.	उत्तर प्रदेश	1. बाराबंकी	6.4.93
		2. फैजाबाद	16.2.94

क्र. सं.	राज्य	जिला	प्राप्ति की तारीख
		3. सोनभद्रा	8.12.93
7	गुजरात	1. भावनगर	मार्च, 93
		2. अहमदाबाद	दिसम्बर, 93
		3. धर्मपुरी	अगस्त, 1991
		4. जामनगर	अक्तूबर, 93
		5. सुरिन्द्रनगर	अगस्त, 92
		6. अमरेली	अक्तूबर, 93
		7. जूनागढ़	जनवरी, 93
		8. राजकोट	जनवरी, 93

वायु प्रदूषण

[अनुवाद]

*633. श्री एस. बी. सिद्नाल :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अत्यधिक वायु प्रदूषण वाले बीस बड़े शहरों की सूची में मुम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे प्रमुख शहर भी हैं;

(ख) इन शहरों में प्रदूषण का विद्यमान स्तर क्या है;

(ग) इस रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) वायु प्रदूषण कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या 1993—94 के दौरान विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्राप्त विभिन्न स्थानों की वायु की गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों की पलीपियों की जांच, विश्लेषण, व्याख्या और प्रकाशन कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). तीनों प्रमुख शहरों में नाइट्रोजन के आक्साइडों के स्तर निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर हैं। कलकत्ता में सल्फर डाइआक्साइड के स्तर निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं। सभी तीन प्रमुख शहरों में निलंबित धूलकणों की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक है। ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

(ख) तालिका : दिल्ली, बंबई और कलकत्ता में वायु प्रदूषण का स्तर

क्र. सं.	शहर	वायु प्रदूषण का स्तर* (प्रति घन मीटर माइक्रोग्राम)		
		सल्फर** डाई आक्साइड	नाइट्रोजन के आक्साइड	निलंबित धूल कण**
01.	दिल्ली	12.9	25.2	296
02.	बम्बई	33.4	30.9	199
03.	कलकत्ता	98.4	28.7	313

* वार्षिक औसत

** विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नियत सीमा :

सल्फर डाई आक्साइड : 40–60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर

निलंबित धूलकण : 60–90 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर

(ग) निलंबित धूल कणों के उच्चतर स्तरों के मुख्य कारण सभी तीनों शहरों में मोटरकारों से होने वाले उत्सर्जनों में वृद्धि और दिल्ली में सामान्य तौर पर धूल भरा माहौल का होना है। सल्फर डाई आक्साइड के उच्च स्तरों के मुख्य कारण उद्योगों और विद्युत संयंत्रों से होने वाला उत्सर्जन है।

(घ) वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) अधिक प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक और परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(3) उद्योगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के निदेश दिए गए हैं और दोषी इकाइयों के खिलाफ मुकदमें चलाए जाते हैं।

(4) प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अंतर्गत पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं और ये 1990 से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को इस मानकों को लागू करने की सलाह दी गई है।

(6) पेट्रोल में सीसा की मात्रा को 0.15 ग्राम प्रति लीटर के राष्ट्रीय औसत तक कम कर दिया गया है। इसे और कम करने का प्रस्ताव है।

(7) वाहनों से होने वाले प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों पर जन–जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(8) सितंबर, 1993 में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के तहत वाहन संबंधी उत्सर्जनों के लिए अधिक सख्त मानक अधिसूचित किए गए हैं जो 1996 से प्रभावी होंगे।

(9) ओटोमोबाइल विनिर्माताओं को अपनी प्रौद्योगिकी का विकास और उसमें सुधार करने के लिए कहा गया है ताकि वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों के लिए अधिक सख्त मानकों का अनुपालन कराया जा सके।

(ङ) और (च). 1990–91 तक सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से एकत्रित परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करके प्रकाशित किया गया है।

वर्ष 1993–94 के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

खाद्यान्नों की खरीद

*634. डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गेहूं, चावल और चीनी के खरीद मूल्य में कितनी बार वृद्धि की गई;

(ख) प्रत्येक बार इस प्रकार की वृद्धि के क्या कारण थे;

(ग) क्या पिछले फसल मौसम में गेहूं, चावल और चीनी की खरीद संतोषजनक थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख). खेती की लागत और आदानों तथा किसानों के लिए उचित लाभ आदि को ध्यान में रखकर प्रत्येक विपणन मौसम के आरम्भ होने से पूर्व गेहूँ और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों/वसूली मूल्यों में वृद्धि कर दी जाती है। प्रत्येक खरीद विपणन मौसम के लिए धान के निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य, विभिन्न सांविधिक और गैर–सांविधिक प्रभारों/करों और धान से चावल बनाने के अनुपात आदि को ध्यान में रखकर लेवी चावल के मूल्यों में वृद्धि की जाती है।

गन्ने के अधिसूचित किए गए सांविधिक न्यूनतम मूल्य, चीनी तैयार करने की लागत, उस पर यदि कोई अदा किए गए अथवा अदा किए जाने वाले शुल्क अथवा कर और चीनी का उत्पादन करने के कारोबार में लगाई गई पूंजी पर उचित लाभ को ध्यान में रखकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के खण्ड 3 (3–सी.) के अनुसार प्रत्येक चीनी वर्ष के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान निम्नानुसार गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों तथा लेवी चीनी के मूल्यों में दो बार वृद्धि की गई थी :

(रुपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	गेहूँ	धान			लेवी चीनी
		साधारण	बढ़िया	उत्तम	निर्गम मूल्य प्रति किलो
1992–93	275*	270	280	290	8.30 रू.
1993–94	330*	310	330	350	9.05 रू.

* 25 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस शामिल है।

(ग) और (घ). पिछले तीन विपणन मौसमों के दौराम केन्द्रीय पूल के लिए वसूल की गई गेहूं और चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की मात्राएँ नीचे दी गई हैं :

(लाख मीटरी टन में)

विपणन वर्ष	वसूली	
	चावल	गेहूँ
1992–93	117.93	63.20
1993–94	*126.45	128.35
1994–95	–	**85.46

*2.5.94 की स्थिति के अनुसार

**7.5.94 की स्थिति के अनुसार

1979 से लागू दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली के संबंध आरंभिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन सरकार द्वारा प्रत्येक चीनी फैक्ट्री के कुल उत्पादन में से (विभिन्न प्रोत्साहित योजनाओं के तहत आने वाली फैक्ट्रियों को छोड़कर) एक निश्चित प्रतिशत, जोकि इस समय 40 प्रतिशत है, में वसूल कर ली जाती है ताकि इस मात्रा का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जा सके।

[हिन्दी]

पर्यावरण प्रदूषण

*635. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण की समुचित ढंग से रोकने के लिए नियम/कानून बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए कोई आचार संहिता बनाने का है जिससे कि समाज का प्रत्येक वर्ग प्रदूषण की रोकथाम में सहायक बन सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए संवैधानिक उपबंधों और विशिष्ट जरूरतों के आधार पर पर्यावरणीय कानून और नियम बनाए गए हैं। एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). पर्यावरण की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(ख) ये कानून/नियम इस प्रकार हैं :

(1) 1988 में यथासंशोधित जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

(2) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियमावली, 1975;

(3) 1987 में यथासंशोधित वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

(4) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियमावली, 1982;

(5) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977;

(6) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर नियमावली, 1978 और 1992;

(7) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986;

(8) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989;

(9) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989;

(10) लोक दायिता बीमा अधिनियम, 1991.

(ग) और (घ). प्राकृतिक पर्यावरण के साथ-साथ वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीव की सुरक्षा और सुधार करने का प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। नागरिक में इस संवैधानिक कर्त्तव्य के कारण उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चेतना जगाने के लिए सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए हैं और विद्यालयों और कालेजों में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में पर्यावरणीय बाध्यताओं की जानकारी भी दी जाती है। व्यक्तिगत व्यवहार जो पर्यावरणीय अवक्रमण पर निगरानी रखने के लिए प्रासंगिक है और केवल आचार संहिता से ही शासित नहीं हो सकता है इसलिए सरकार पारंपरिक लोकाचारों पर बल देकर और जागरूकता पैदा करने के पर्यावरणीय कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरणीय प्रदूषण पर निगरानी के लिए 'करने और न करने योग्य बातों' का प्रसार करती है।

खाद्यान्न भंडार

*636. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बफर भंडार में कितना खाद्यान्न है;

(ख) क्या प्रतिवर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होने के बावजूद सरकार के खाद्यान्न भंडार में किसानों का योगदान उन्हें वित्तीय सहायता और राज सहायता देने पर भी तुलनात्मक रूप से कम रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी कृषि मूल्य नीति की पुनरीक्षा करने का है ताकि किसान अपने अधिक से अधिक उत्पाद सरकार को बेच सकें ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पहली अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार 3.7 मिलियन मीटरी टन गेहूं और 10.8 मिलियन मीटरी टन चावल का बफर स्टाक रखने

के मानदण्डों के प्रति केन्द्रीय पूल में वास्तव में 7 मिलियन मीटरी टन गेहूं और 13.5 मिलियन मीटरी टन चावल का स्टाक था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राकृतिक आपदाएं

*637. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पूर्व सूचना देने हेतु कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मछुआरों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों पर स्थापित अपने छह चक्रवात चेतावनी केन्द्रों के माध्यम से चक्रवातों, तेज हवाओं, आंधी वाले मौसम, झंझा तथा समुद्र की स्थिति जैसे खराब मौसम के बारे में चेतावनियां जारी की जाती हैं। ये चेतावनियां दिन में कई बार समुद्रतटीय राज्यों के आकाशवाणी केन्द्रों के जरिए स्थानीय भाषा में प्रसारित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, मत्स्य विभाग को प्रतिकूल मौसम के बारे में चेतावनियां दी जाती हैं। पत्तन प्राधिकारियों द्वारा भी प्रतिकूल मौसम संबंधी संकेत दिए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, श्रीमान।

[अनुवाद]

उपनगरीय रेल

*638. **श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपनगरीय रेलवे के लगभग 116 शाखा रेल मार्ग घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इन रेल मार्गों के कारण रेलवे को 1991–92 के दौरान 123.04 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे को इस प्रकार के घाटे से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उक्त कार्यवाही के फलस्वरूप 1993–94 और 1994–95 के दौरान इन घाटों में कितनी कमी होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). भारतीय रेलों पर ऐसी 116 शाखा लाइनें थी जिन्हें 1991–92 के दौरान अलाभप्रद पाया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) यद्यपि परिचालनिक घाटे को कम करने के लिए कम से कम संख्या में कर्मचारियों को तैनात करने और उपस्करों का इस्तेमाल करने जैसे अनेक उपाय किए गए हैं, फिर भी सुनिश्चित तौर पर यह बता पाना संभव नहीं है कि 1993–94 और 1994–95 में घाटे को किस हद तक कम किया जा सकेगा।

विवरण

1991–92 के दौरान अलाभप्रद शाखा लाइनों पर हुआ घाटा और घाटे को कम करने के लिए उठाए गए कदम

(क) घाटा

रेलवे	अलाभप्रद शाखा लाइनों की संख्या	घाटा (करोड़ रुपये में)
मध्य	8	16.22
पूर्व	11	5.87
उत्तर	14	15.25
पूर्वोत्तर	16	11.52
पूर्वोत्तर सीमा	17	23.35

दक्षिण	10	6.00
दक्षिण मध्य	7	4.22
दक्षिण पूर्व	9	25.03
पश्चिम	24	15.58
जोड़	116	123.04

(ख) घाटे को कम करने के लिए उठाए गए कदम

(क) कर्मचारियों की संख्या में कटौती : इसे निम्नलिखित उपाय करके प्राप्त किया गया है :

(i) स्टेशनों को ठेकेदार द्वारा परिचालित हाल्टों में डाउनग्रेड करना।

(ii) "केवल एक इंजन" प्रणाली लागू करना जिससे किसी एक समय पर खंड में केवल एक गाड़ी रह सकती है। इससे ब्लाक संचालन की आवश्यकता नहीं रहती है और इस प्रकार कर्मचारियों की आवश्यकता कम हो जाती है।

(iii) गाड़ी सेवाओं में कटौती करना जिसमें दिन के दौरान ही गाड़ियाँ चलाना, रविवार तथा अन्य छुट्टियों आदि में गाड़ियों को रद्द करना शामिल है।

(iv) खंड पर चलने वाली गाड़ियों में चल टिकट परीक्षकों/बुकिंग क्लर्कों द्वारा यात्री टिकटें जारी करना।

(ख) निम्नलिखित के जरिए अवसंरचना में कटौती करना :

(i) साइडिंगों को उखाड़ना।

(ii) सिगनल उपस्करों को उखाड़ना।

वृक्षारोपण

*639. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे की भूमि पर पेड़ लगाने का कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान शुरू किये गये कार्यक्रम, वास्तविक व्यय और वास्तविक सफलता के रूप में प्राप्त परिणामों सहित आठवीं योजनावधि के दौरान चलाए जाने वाले कार्यक्रम क्या हैं;

(ग) क्या अब तक चलाए गए कार्यक्रम का मूल्यांकन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कार्यक्रम को अधिक सफल और कम खर्चीला बनाने के लिए तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों/फलदार वृक्षों को योजनाबद्ध तरीके से लगाने का है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे भूमि पर लगभग 398 लाख पौधे लगाये गये हैं। इस अवधि के दौरान लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य वर्षानुवर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। आठवीं योजना के शेष वर्षों में इस कार्यक्रम को जारी रखा जाना है ताकि अधिक क्षेत्रों को वनरोपण के अंतर्गत लाया जा सके बशर्ते कि यह व्यावहारिक हो।

(ग) यह देखा गया है कि पर्यावरण में सुधार लाने तथा रेल लाइनों के साथ-साथ हरियाली की व्यवस्था करने के अलावा, वनरोपण कार्यक्रम से खाली भूमि पर अतिक्रमण रोकने में भी मदद मिली है। इसके अलावा, अनेक वृक्षारोपण ब्लाकों में वृक्ष अब काफी बड़े हो गए हैं और राजस्व प्राप्त करने के लिए इन्हें काट दिए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) जी हां।

चीनी मिलें

*640. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चीनी मिलों की स्थापना हेतु क्या क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों में भी चीनी मिलों को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत और अधिक चीनी मिलों की स्थापना करने हेतु, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में चीनी मिलों की स्थापना करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए जिन्हें 7.9.1990 से 31.3.1994 तक की अवधि के दौरान आशय पत्र आदि जारी किए गए हैं उनकी उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं। ऐसी मिलों को उच्च रिकवरी क्षेत्रों में 8 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की दर से खुली बिक्री कोटा दिया जाएगा तथा अन्य रिकवरी क्षेत्रों में 9 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की दर से तथा 10वें वर्ष के लिए 66 प्रतिशत की दर से खुली बिक्री कोटा दिया जाएगा बशर्ते कि वे योजना के निहित अन्य शर्तों को पूरा करती हों

(ख) इस समय ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

तस्करी करके लाई गयी मछली

6878. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1994 के "आब्जर्वर ऑफ बिजनेस पालिटिक्स" नई दिल्ली में "स्मगल्ड फिश पोजिज थ्रेड टू इंडियन स्पीसीज" के शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तस्करी से लाई गयी अफ्रीकी मछली, देशी मछलियों को कोई नुकसान न पहुंचाए यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जीनस तिलापिआ (ओरिओकोमिस) की विदेशी मछली की किस्म जैसे ओ. मोसाम्बिकस और ओ. निलोटिका को प्राइवेट उद्योगपतियों ने पड़ोसी देशों से प्राप्त किया है और उन्होंने उन्हें भारत में ताजे जल में पालना शुरू किया है।

(ग) सरकार तिलापिओ (ओरिओकोमिस) नामक विदेशी मछली की किस्मों के आयात की अनुमति नहीं देती।

(घ) सरकार मछली कि देशी प्रजातियों के साथ-2 कुछ सावधानीपूर्वक चुनी गई और मूल्यांकित विदेशी कार्प मछलियों की किस्मों के द्वारा देश में मछली पालन को बढ़ावा देती और सहायता करती है लेकिन इसमें विदेशी अफ्रीकन मछली की प्रजाति तिलापिआ (ओरिओक्रोमिस) को शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मसालों की फसलों के लिए विदेशी सहायता

6879. श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री सूरजभानु सोलंकी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों की सरकारों से राज्य में मसालों की फसलों के विकास हेतु विदेशी सहायता मांगने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से "मध्य प्रदेश में समेकित मसाला विकास" नामक एक परियोजना का प्रस्ताव ए.डी.बी. (एशियाई विकास बैंक) सहायतार्थ प्राप्त हुआ है।

(ख) यह परियोजना 18409.311 लाख रूपये की कुल लागत से सात वर्षों के लिये प्रस्तावित है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(क) मसाला फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना।

(ख) मसालों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना।

(ग) मसाला फसलों की ऐसी किस्मों और प्रजातियों की खेती आरम्भ करना और उन्हें लोकप्रिय बनाना जो निर्यात के लिए उपयुक्त हों।

मसाले की खेती

6880. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में मसालों का उत्पादन किया जा रहा है और प्रत्येक राज्य में कुल कितनी भूमि पर इनकी खेती की जाती है;

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य में मसालों का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) मसालों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित कौन-कौन से कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई और 1994–95 के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) मसाले देश भर में उपजाए जाते हैं। कुछ प्रमुख मसाला उत्पादक राज्य हैं : केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल।

(ख) मसालों के उत्पादन का राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं है। लेकिन 1992–93 के दौरान देश में मसालों का अनुमानित उत्पादन 20.5 लाख मीटरी टन था तथा 1993-94 के लिये उत्पादन का लक्ष्य 22.5 लाख मीटरी टन था।

(ग) मसालों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए 125 करोड़ रुपये के कुल आबंटन से आठवीं योजना के दौरान मसालों के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(घ) मसालों के विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम के तहत 1992–93 के दौरान निर्मुक्त तथा 1994–95 के लिए आबंटित राज्यवार धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मसालों के विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम के तहत प्रदत्त राज्यवार निधि

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त निधि (लाख रुपये में) 1992–93	1993–94	1994–95 (आबंटित)
1.	आंध्र प्रदेश	27.46	65.04	135.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.36	42.39	79.91
3.	असम	10.24	24.15	39.83
4.	बिहार	2.52	12.57	16.91
5.	गोआ	1.82	1.34	1.24
6.	गुजरात	9.83	28.54	53.86
7.	हरियाणा	12.87	15.60	28.23
8.	हिमाचल प्रदेश	–	10.03	16.51
9.	जम्मू और कश्मीर	–	2.17	5.16

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त निधि (लाख रूपये में)		
10.	कर्नाटक	25.59	80.41	185.50
11.	केरल	689.95	761.97	1454.01
12.	मध्य प्रदेश	13.71	57.33	65.86
13.	महाराष्ट्र	14.59	36.15	76.68
14.	मणिपुर	5.01	11.71	9.45
15.	मेघालय	3.27	20.77	25.89
16.	मिजोरम	5.91	16.88	19.25
17.	नागालैंड	5.87	9.71	9.54
18.	उड़ीसा	9.99	27.47	62.23
19.	पंजाब	2.66	7.18	11.38
20.	राजस्थान	15.05	26.14	43.45
21.	सिक्किम	8.40	20.82	64.71
22.	तमिलनाडु	25.41	74.26	125.40
23.	त्रिपुरा	5.50	13.72	15.32
24.	उत्तर प्रदेश	6.34	16.06	35.25
25.	पश्चिम बंगाल	12.33	22.26	44.15
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16.76	19.84	14.25
27.	पांडिचेरी	1.00	1.75	2.59

[अनुवाद]

सिपाही की भर्ती हेतु परीक्षा

6881. **श्री हरिभाई पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा बल में सिपाही के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा मई, 1993 में शकूरबस्ती, दिल्ली में तथा उसके बाद मौखिक साक्षात्कार लखनऊ में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो अंतिम रूप से चुने गये कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) रे. सु. ब. के कांस्टेबलों के भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता जांच मार्च से जून, 1993 तक लखनऊ और दिल्ली में की गयी थी और उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 10.6.93 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। साक्षात्कार/मौखिक परीक्षाएं लखनऊ में आयोजित की गई थीं।

(ख) पैनल में रखे गए उम्मीदवारों की कुल संख्या 587 है। इनमें से 121 उम्मीदवार अनुसूचित जाति के हैं और 25 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति के हैं।

स्वास्थ्य के लिए हानिकर दुग्ध उत्पाद

6882. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाज़ारों में स्वास्थ्य के लिए हानिकर दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की बाढ़–सी आ गई है;

(ख) क्या विभिन्न जांच रिपोर्टों तथा उनके मंत्रालय को किए गए अभ्यावेदनों से यह पता चलता है कि अधिकतर डेयरियों का प्रबंधन निजी क्षेत्र के हाथों में हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाये जायेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण पर निगरानी रखने में पौधों का प्रयोग

6883. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए समान पौधों का प्रयोग करने की तकनीक अपना रही है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण.के प्रदूषण पर निगरानी रखवे के लिए प्रयोग किए जा रहे पौधों के नाम क्या हैं तथा उन प्रदूषकों का ब्यौरा क्या जिन पर इस प्रकार निगरानी रखी गई;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों से भी इस प्रकार की तकनीकों कोई जानकारी मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी नहीं। सरकार प्रदूषण की निगरानी के लिए पौधों का उपयोग नहीं कर रही है। तथापि, भारत में अनेक संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पौधों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो पर्यावरणीय प्रदूषण को सहन कर लेती हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अधिकतम सीसा प्रदूषण सहायता का सूचकांक जामुन, कनेर और अल्स्टोनिया में देखने में आया है। यह पाया गया है कि जामुन सड़कों के किनारे उगाए जाने के लिए उपयुक्त हैं, जबकि कनेर, एक डाउस झाड़ी, सड़कों के विभाजक पैनलों पर लगाने के लिए उपयुक्त है। ये पौधे काफी मात्रा में धूल को ग्रहण कर सकते हैं और इनमें निस्पंदन क्षमताएं होती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यात्री-सुविधाएं

6884. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के विभिन्न नगरों में अनेक उपनगरीय स्टेशनों पर यात्री—सुविधाओं की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल विभाग द्वारा खरीदी गयी बिजली

6885. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल विभाग ने राज्य विद्युत परिषदों से, परिषद—वार तथा वर्ष—वार कितनी बिजली की खरीद की;

(ख) इन वर्षों के दौरान प्रत्येक बोर्ड ने इस संबंध में कुछ कितना व्यय किया;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से कितनी मात्रा में बिजली खरीदी जायेगी ;

(घ) उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ङ) बिजली की सप्लाई अन्य सप्लाईकर्त्ता से लेने पर कितनी बचत होने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) उत्तर रेलवे के दिल्ली–कानपुर खंड हेतु बिजली कर्षण के लिए दादरी और औरिया स्थित राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के पावर स्विच यार्डों से पायलट परियोजना आधार पर 350 मिलियन यूनिट खरीदने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा प्रभारित की जाने वाली टैरिफ पर निर्भर करती है।

विवरण

(क) और (ख). वर्ष 1991–92, 1992–9[illegible] और 1993–94 के दौरान रेलों द्वारा विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों से कर्षण प्रयोजनों के लिए खरीदी [illegible] बिजली की मात्रा और उपर्युक्त वर्षों के दौरान प्रति बोर्ड किया गया खर्च इस प्रकार है :

बिजली बोर्ड का नाम	खरीदी गई बिजली (मिलियन यूनिटों में)			किया गया खर्च (करोड़ रु. में)		
	1991–92	1992–93	1993–94	1991–92	1992–93	1993–94
1. टाटा	566.85	565.01	564.153	75.169	100.672	119.646
2. महाराष्ट्र	418.69	553.48	640.19	67.613	114.492	150.21
3. मध्य प्रदेश	565.348	716.444	845.014	140.831	198.257	248.799
4. उत्तर प्रदेश	675.079	705.89	721.96	108.706	179.952	194.379
5. हरियाणा	65.09	68.14	72.66	10.623	11.7	13.882
6. दामोदर घाटी निगम	313.18	315.73	324.61	43.72	53.87	66.3

बिजली बोर्ड का नाम	खरीदी गई बिजली (मिलियन यूनिटों में)			किया गया खर्च (करोड रु. में)		
7. पश्चिम बंगाल	426.14	421.62	435.79	77.82	76.29	86.14
8. बिहार	323.32	323.92	346.95	58.37	63.54	80.36
9. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	52.268	45.39	51.29	11.56	13.77	17.30
10. तमिलनाडु	265.655	318.817	357.679	41.793	58.609	76.305
11. आंध्र प्रदेश	445.798	466.565	549.819	75.269	88.551	115.011
12. कर्नाटक	–	6.867	13.154	–	1.504	1.594
13. उड़ीसा	147.92	150.73	152.15	20.72	22.86	26.29
14. गुजरात	274.09	293.63	283.62	45.508	57.302	67.056
15. राजस्थान	159.38	169.88	174.548	25.338	28.083	31.869

पारिस्थितिकीय कृषि

6886. डॉ. आर. मल्लू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पारिस्थितिकीय कृषि को उतने ही उत्साह के साथ प्रोत्साहन देने का विचार है जितने उत्साह के साथ कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख). जी हाँ, सरकार कीट नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंध को बढ़ावा दे रही है तथा सुरक्षित एवं न्याय–संगत ढंग से केवल जरूरी रासायनिक कीटनाशियों का प्रयोग करने को समर्थन दे रही है। इसी तरह, रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में जैव उर्वरकों और जैव खादों के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय जैव खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहे हैं। इस विषय में कई प्रौद्योगिकियों की सुस्थापना पहले ही की जा चुकी है। इस समय समेकित कीट प्रबन्ध को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 26 केन्द्रीय समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्र खोले गये हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से कृषि मंत्रालय किसानों और विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर जैव उर्वरकों और समेकित कीट प्रबन्ध को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है।

उपनगरीय रेलवे घटक

6887. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधियों के बीच डीयूटीपी II के उपनगरीय रेलवे घटक हेतु धनराशि की व्यवस्था करने के तरीके के बारे में दिसम्बर, 1993 के एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य की लागत में रेलवे के हिस्से के भुगतान हेतु धनराशि जुटाने के स्रोत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए विचाराधीन रेल परिसम्पति विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) बम्बई शहरी परिवहन परियोजना II में रेल परियोजनाओं का निवेश रेलों और महाराष्ट्र राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में किया जाएगा। इस निवेश की वसूली उपनगरीय रेल टिकटों पर अतिरिक्त अधिप्रभार लगाकर की जाएगी और इसे भी परिचालनिक घाटा, यदि कोई हो, को ध्यान में रखने के बाद रेलों और राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। रेलवे के हिस्से की धनराशि पूरी करने के लिए, यह विनिश्चय किया गया था कि भूमि के वाणिज्यिक उपयोगे के लिए सरकार की अनुमति के अध्यधीन, बम्बई क्षेत्र में रेलों की भूमि पर सम्पत्ति के विकास से जो आय होगी, रेल्वे द्वारा उसका इस्तेमाल बम्बई क्षेत्र की रेल परियोजनाओं में $\frac{1}{3}$, महाराष्ट्र क्षेत्र की रेल परियोजनाओं में अन्य $\frac{1}{3}$ और शेष $\frac{1}{3}$ भाग देश में अन्यत्र किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि योजना आयोग से अनुरोध किया जाएगा कि रेलों को उसके योजना आकार से अधिक अतिरिक्त धन आबंटित किया जाए ताकि प्रस्तावित खर्च के संबंध में रेलों के हिस्से के लिए धन की व्यवस्था की जा सके।

(ग) शहरी विकास मंत्रालय इस मसले पर नीति विषयक दिशा निर्देश जारी करेगा और उनका अनुपालन किया जाएगा।

स्वयंसेवी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को सहायता

6888. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जनजातीय लोककलाओं और संस्कृति के प्रसार कार्य में लगी कितनी स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संस्था को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण क्या है; और

(ग) वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा लम्बित आवेदनों को स्वीकृति प्रदान किए जाने की अद्यतन स्थिति क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) वित्त वर्ष 1993–94 के दौरान जनजातीय और लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन और प्रचार–प्रसार के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या 139 थी, इनमें से 3 आवेदन मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए थे। कोई भी आवेदन विचारार्थ लंबित नहीं है।

विवरण

जन–जातीय और लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन और प्रचार–प्रसार के लिए वित्तीय सहायता की केन्द्रीय स्कीम

वर्ष 1991-92

1. प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या : 24
2. मध्य प्रदेश से प्राप्त आवेदनों की संख्या : कोई नहीं।

वर्ष 1992-93

1. प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या : 20
2. मध्य प्रदेश से प्राप्त आवेदनों की संख्या : 1
3. मध्य प्रदेश से प्राप्त उन आवेदनों की संख्या जिन के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान की गई : 1

ब्यौरा

1. पारंपरिक बस्तर शिल्पी परिवार, बस्तर, मध्य प्रदेश : 1,00,000/– रू.

वर्ष 1993-94

1. प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या : 139

2. मध्य प्रदेश से प्राप्त आवेदनों की संख्या : 3

3. मध्य प्रदेश से प्राप्त उन आवेदनों की संख्या, जिनके संबंध में सहायता प्राप्त प्रदान की गई : 2

ब्यौरा

1. पारंपरिक बस्तर शिल्पी परिवार, बस्तर, मध्य प्रदेश : 2,00,000/– रू.

2. लोक मंजरी, दुर्ग, मध्य प्रदेश : 1,50,000/– रूपये।

आमान परिवर्तन

6889. श्री देवी बक्स सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मकराना–पर्वतसर सिटी शाखा लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार [illegible] इस [illegible] में कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो [illegible] संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) (क) जी हां।

(ख) संसाधनों की भारी तंगी के कारण, इस परियोजना पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम

6890. श्री आर. धनुष कोडी आदित्यन : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय/जोनल कार्यालय (उत्तर) के प्रबंधक ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सतर्कता संबंधी मामलों में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) 1.1.1993 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के विरुद्ध प्रमुख दण्ड के 45 मामले और लघु दण्ड के 35 मामले लम्बित थे। वर्ष 1993 के दौरान, उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कर्मचारियों के विरुद्ध प्रमुख दण्ड के 13 मामलों और लघु दण्ड के 40 मामलों की सिफारिश की गई थी/ को शुरू किया गया था। इसके साथ-साथ प्रमुख दण्ड के 25 मामलों और लघु दण्ड के 44 मामलों को अन्तिम रूप दिया गया और वर्ष के अन्त में अर्थात् 31 दिसम्बर, 1993 को प्रमुख दण्ड के 33 और लघु दण्ड के 31 मामले शेष रह गए थे। वर्तमान वर्ष के दौरान मार्च, 1994 तक कर्मचारियों के विरुद्ध प्रमुख दण्ड के 5 मामलों और लघु दण्ड के 18 मामलों की सिफारिश की गई थी/को शुरू किया गया था। इसके साथ साथ प्रमुख दण्ड के 5 मामलों और लघु दण्ड के 18 मामलों को अन्तिम रूप दिया गया और 31 मार्च, 1994 को प्रमुख दण्ड के 33 और लघु दण्ड के 31 मामले शेष रह गए थे।

वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश के दोषी कर्मचारियों को निम्नलिखित दण्ड दिए गए हैं:

	:	1993	1994 (31.3.94 तक)
(1)	रैंक को कम करना	–	4
(2)	समय वेतनमान में कमी करना	8	–
(3)	वेतन वृद्धि रोकना/वेतन से वसूली करना	26	5
(4)	पदोन्नति पर रोक लगाना	1	–
(5)	निन्दा करना	17	7
		52	16

बुश प्यपर

6891. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गमलों में "बुश प्यपर" उगाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके विकास के लिये कौन सी जलवायु संबंधी स्थितियां उपयुक्त हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). साधारणतया, 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 50–90 प्रतिशत आर्दता वाले क्षेत्र जो कि प्यपर उगाने के लिए उपयुक्त होते हैं, बुश पोपर के उत्पादन के लिए भी उपयुक्त पाये जाते हैं। गैर परम्परागत क्षेत्र यथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश भी इसके लिए उपयुक्त हैं।

उपभोक्ता वस्तुओं पर मुद्रित मूल्य

6892. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न घरेलू किराना वस्तुओं और उपभोक्ता मदों पर मुद्रित फुटकर मूल्यों तथा इनके वास्तविक विक्रय मूल्यों में बड़ा अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजार में भी इन मदों पर अधिक मूल्य दर्शाया जाता है; और

(घ) सरकार द्वारा इस तरह की कार्यविधि से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). मंत्रालय का ध्यान कुछ समाचार पत्रों में छपे उन लेखों की ओर दिलाया गया है, जिनमें यह कहा गया है कि पैकेज पर अंकित मूल्य वास्तविक विक्रय मूल्य से अधिक होता है। किसी पैकेज पर विक्रय मूल्य की घोषणा में विभिन्न घटक जैसे कर, भाड़ा, कमीशन इत्यादि शामिल होते हैं। मुद्रित मूल्य केवल अधिकतम मूल्य होता है और वास्तविक विक्रय मूल्य इन बातों पर निर्भर करते हुए अंकित मूल्य से कम हो सकता है।

(ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार सुपर बाज़ार और केन्द्रीय भंडार में किराना और प्रसाधन अनुभाग में विभिन्न किस्मों की वस्तुओं का विक्रय मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य से नीचे निर्धारित किया गया है।

(घ) मंत्रालय ने, पहले से पैक की गई वस्तुओं पर खुदरा विक्रय मूल्य घोषित करने की सर्वोत्तम विधि के बारे में समीक्षा करने और सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है जिसमें सरकारी संगठनों, व्यापार और उद्योग एसोसिएशनों और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

चीनी के बफ़र स्टॉक पर राजसहायता

6893. डॉ. वसंत पवार : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1992–93 के उत्पादन मौसम में चीनी के अधिकृत बफर स्टाक के रख–रखाव पर व्यय के संबंध में सहकारी चीनी मिल द्वारा भेजे गए राजसहायता संबंधी किसी दावे को निपटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने दावे निपटाए गये हैं; और

(ग) शेष दावों को बिना किसी और विलंब के निर्धारित अवधि में निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) दावों को तय नहीं किया जा सका क्योंकि अधिकांश दावों में त्रुटियां पाई गई थीं। फैक्ट्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे सही दावे प्रस्तुत करें। इन दावों के प्राप्त होने पर इनका तत्परता से निपटान किया जाएगा।

मंगलापुरम से अल्लेपी तक नई रेलगाड़ी

6894. श्री थाइल जान अंजलोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंगलापुरम से अल्लेपी तक नई रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण।

रेल सह-सड़क पुल का निर्माण

6895. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रह्मपुत्र नदी पर डिब्रूगढ़ के समीप बोगीबील में रेल सह–सड़क पुल बनवाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लामडिंग से डिब्रूगढ़ के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने में अभी तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना की कुल लागत और चालू वित्त वर्ष में आवंटित की गई धनराशि कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) असम के उत्तरी तट की लाइन और डिब्रूगढ़ को जोड़ते हुए बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक रेलवे के निर्माण की पहले ही नौवीं पंचवर्षीय योजना की एक परियोजना के रूप में पहचान कर ली गई है। यह कार्य जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पुल, जो अभी निर्माणाधीन है और जिसे दिसंबर '95 में पूरा करने का लक्ष्य है, का निर्माण कार्य पूरा होने पर शुरू किया जाएगा।

(ग) लमडिंग–डिब्रूगढ़ खण्ड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है, लंबा समय लेने वाली मदों पर कार्य चल रहा है। इस परियोजना को 1996–97 में पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) लागत : 317.52 करोड़ रुपए

1994–95 के दौरान 83 करोड़ रुपये परिव्यय।

काजू बोर्ड

6896. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काजू उत्पादकों की सहायता हेतु कोई काजू बोर्ड बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान से आए वायरस

6897. **श्री गुरुदास कामत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से आए वायरस, गुजरात, पंजाब, राजस्थान तथा हरियाणा में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संदर्भ में क्या कदम उठाए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

को-ज्वाइंट रिसर्च पेपर्स

6898. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1992–94 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसंधान वैज्ञानिकों के पद के लिए ऐसे कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया जिन्होंने अपने पी.एच.डी. कार्यों में से "को–ज्वाइंट रिसर्च पेपर्स" प्रस्तुत किए थे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीज रहित आम

6899. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेंगुरला (महाराष्ट्र) में क्षेत्रीय फल अनुसंधान केन्द्र, कोंकण विद्यापीठ मे हाल ही में प्रसिद्ध किस्म के "अल्फान्सो और रत्ना" आमों का संकरण करके "पार्थी–नोकार्पिक" (बीज रहित) संकर किस्म के आम को विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीज रहित नई किस्म के आम की देश में और विदेश में बिकने की अत्यधिक संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसकी स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय मांग का कोई आंकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बीज रहित इस नई किस्म के आम का उत्पादन बढ़ाने और स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इसे लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं अथवा किए जायेंगे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) इस किस्म के फल की गुठली करीब 7 ग्राम के वजन की होती है जो बिना गिरी/बीज की होती है और इस प्रकार इसे बीज रहित आम कहा जा सकता है। इसके फल अलफॉन्सों आम की किस्म जैसी है जो संसाधन हेतु उपयुक्त है तथा स्पॉन्जी ऊतक बीमारी से मुक्त है।

(ग) से (च). महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र के लिए कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली द्वारा आम की "सिन्धु" नामक बीजरहित किस्म विकसित तथा रिलीज की गई है। इसे केवल विश्वविद्यालय स्तर पर जारी किया गया है न कि केन्द्रीय किस्म रिलीज समिति के द्वारा। इस किस्म को अखिल भारतीय समन्वित उपोष्ण अनुसंधान प्रायोजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपयुक्तता की बहु स्थानिक जांच के लिए रखा गया है। घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दोनों के बहु स्थानिक परीक्षणों से प्राप्त परिणामों के बाद ही इस किस्म की पूरी क्षमता का पता लगेगा।

रैमी का उत्पादन

6900. श्री सार्इका उम्मे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन से आयातित फाइबर की नई किस्म "रैमी" भारत में खेती के उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी खेती के लिए कौन–कौन से क्षेत्र चुने गए हैं;

(ग) क्या इस किस्म की कृषि अरुणाचल प्रदेश तथा असम में पहले से ही कम मात्रा में की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। चीन से आयात करके रेशे "रेमी" की कोई नयी किस्म इस्तेमाल में नहीं लाई गई है।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

मणिपुर की पर्यावरण और वानिकी परियोजनायें

6901. **प्रो. एम. कामसन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण सुधार और वनों के विकास के लिये मणिपुर से प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये, परियोजना–वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार को मणिपुर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

1. थुबाल बहुउद्देशीय परियोजना
2. लोकताउ डाउम स्ट्रीम परियोजना के लिए भूमि का अंतरण
3. मणिपुर नदी घाटी के भू–पर्यावरणीय अध्ययन
4. जलगुणवत्ता प्रबंध कार्यक्रम (1992–93)
5. जल गुणवत्ता प्रबंध कार्यक्रम (1993–94)
6. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग
7. मणिपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सुदृढ़ीकरण

(ख) और (ग). मणिपुर से प्राप्त प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई और दी गई वित्तीय सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) वन भूमि का वनेतर प्रयोजनों में अंतरण हेतु उपरोक्त क्र. सं. 1 और 2 के प्रस्तावों में स्वीकृति मांगी है इसलिए कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

(2) मणिपुर नदी घाटी परियोजना को भू–पर्यावरणीय अध्ययन की अवधि 2 वर्ष है और भू–विज्ञान विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय को 11,00,156 रू. की राशि स्वीकृत की गई है।

(3) मणिपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान जल गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रमों के लिए क्रमशः 16,150 रु. और 24,275 रु. की राशियां दी गई थीं।

(4) वर्ष 1991–92 के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरिंग के लिए मणिपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1,99,000 रू. की धनराशि प्रदान की गई थी।

(5) मणिपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए बोर्ड को वर्ष 1990–91 के दौरान 5,00,000 रु. की राशि प्रदान की गई थी।

[हिन्दी]

रेलवे में रिक्त पद

6902. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में 1981 से सहायक सुरक्षा आयुक्त/सहायक कमांडेन्ट/एडजुटेन्ट के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों को न भरने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं। सहायक सुरक्षा आयुक्त/सहायक कमांडेन्ट/एडजुटेन्ट के पद खाली होने पर समय–समय पर भरे जा रहे हैं। लेकिन अनेक उच्च न्यायालयों में न्यायालयी मामलों के लम्बित रहने के कारण सीधी भर्ती वाले कनिष्ठ वेतनमान के ग्रुप "ए" अधिकारियों और कनिष्ठ वेतनमान के ग्रुप "ए" में लिए गए पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता को अन्तिम रूप न दिए जाने तथा चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर ग्रुप "बी" को समाप्त कर देने के फलस्वरूप ग्रुप "सी" से कनिष्ठ वेतनमान के ग्रुप "ए" में पदोन्नति के लिए भर्ती नियमों को भी अंतिम रूप न दिए जाने के कारण इनमें से कुछ पद तदर्थ आधार पर भरने पड़े थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय के गैर-शिक्षक कर्मचारी

6903. **डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने एक ओर केन्द्रीय विद्यालयों में तथा दूसरी ओर मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त इसके गैर–शिक्षक कर्मचारियों को समान वरीयता सूची में रखने का निर्णय लिया है जबकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका औचित्य क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने केवल यह प्राधिकृत किया है कि इस मामले की जाँच एक समिति द्वारा की जाएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों में कथित अनियमितताएं

6904. **श्री मुही राम सैकिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू सत्र तथा पिछले दो सत्रों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय, गोमती नगर में दाखिलों में हुई अनियमितताओं की शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). जी, हाँ। वर्ष 1993–94 के दौरान, केन्द्रीय विद्यालय, गोमती नगर, लखनऊ में प्रवेश में कथित अनियमितताओं के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत जाँच के बाद निराधार पाई गई।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर रेलवे

6905. **श्री सूरज मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के खगड़िया जिले के पत्रकार की लिखित शिकायत पर जांच के आदेश दिए थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) शिकायत में अन्तर्विष्ट आरोप जांच करने पर प्रमाणित नहीं हुए थे।

मध्य प्रदेश में रेल परियोजना

6906. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पहले से ही मंजूर की गई रेल विकास परियोजनाओं को स्थगित कर दिया गया है तथा इन परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि अन्य राज्यों को दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के स्थगन से इनकी लागत में वृद्धि हो जायेगी; और

(घ) राज्य में निर्माणाधीन ऐसी परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1993–94 के दौरान मध्य प्रदेश में नयी लाइनों, आमान परिवर्तन तथा दोहरी लाइन बिछाने की परियोजनाओं पर 267.46 करोड़ रूपये की राशि खर्च की गयी है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट अम्पायरों की तालिका

6907. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् (आई.सी.सी.) ने तटस्थ अम्पायरों की विश्वतालिका के लिए कितने भारतीयों का चयन किया है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट अम्पायरों की तालिका के सदस्यों के रूप में भारतीयों का चयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार का विचार कोई शैक्षिक पाठ्यक्रम आरंभ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित नये पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् ने तटस्थ अम्पायरों की विश्वतालिका के लिए दो भारतीयों का चयन किया है।

(ख) और (ग). जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि तटस्थ अम्पायरों की तालिका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् द्वारा तैयार की जाती है और किसी भी देश की सरकार को इस मामले में कोई भूमिका निभाने के लिए अनुरोध नहीं किया जाता है।

तम्बाकू के विकास हेतु धनराशि

6909. **श्री एस. एम. लालजान बाशा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93 और 1993–94 के दौरान राज्य–वार तम्बाकू के उत्पादन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) 1994–95 में तम्बाकू विकास निदेशालय ने तम्बाकू के उत्पादन हेतु कुल कितनी धनराशि नियत की है; और

(ग) तम्बाकू के विकास हेतु सरकार द्वारा तैयार किए गये नए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों को कोई धनराशि आबंटित नहीं की जा रही है किन्तु विभिन्न एजंसियों के माध्यम से तम्बाकू विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये तम्बाकू विकास निदेशालय को आबंटित किये गये कोष का ब्यौरा निम्नलिखित रहा है:

वर्ष	आबंटित/निर्मुक्त की गई राशि
1992–93	4,76,000 रुपये
1993–94	5,00,000 रुपये
1994–95	4,25,000 रुपये

(ग) निरूपित कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

(i) तम्बाकू की निर्यातोन्मुखी किस्मों, विशेष रूप से वर्जीनिया और बर्ली के उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना;

(ii) निर्यात नहीं किये जाने योग्य किस्मों की खेती क्रमशः समाप्त करना;

(iii) विशिष्ट स्थलों/सस्य जलवायवी परिस्थितियों के लिये उचित अन्य समान रूप से लाभकारी औषधीय फसलों/नकदी फसलों को तम्बाकू फसलों के स्थान पर लगाने के लिये प्रदर्शन के माध्यम से कृषकों को प्रोत्साहित करना;

(iv) उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये पौद उत्पादन तथा गुणवत्ता वाले बीज का प्रबोधन;

(v) वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी का अन्तरण।

(vi) साहित्य, प्रशिक्षण, सामूहिक विचार–विमर्श और सेमिनारों के माध्यम से नई विकसित अधिक पैदावार देने वाली वर्जीनिया तम्बाकू की किस्मों के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार, और

(vii) तम्बाकू विकास आदि के मामले में सम्बन्धित राज्य सरकारों को तकनीकी सलाह देना।

तम्बाकू विकास निदेशालय

6910. **श्री प्रकाश वी. पाटील :**

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बाकू की खेती को बढ़ावा देने में तम्बाकू विकास निदेशालय की क्या भूमिका है;

(ख) इस निदेशालय की अभी तक क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार इस निदेशालय पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). तम्बाकू विकास निदेशालय की भूमिका तम्बाकू अनुसंधान संस्थानों तथा विस्तार कार्मिकों एवं किसानों के बीच संपर्क स्थापित करना, बीज तथा पौद उत्पादन की क्वालिटी की मॉनिटरिंग करना तथा किसानों को प्रशिक्षण देने की है। यह तम्बाकू उत्पादन, विपणन खपत आदि पर आंकड़ों का संग्रह/संकलन भी करता है तथा उपयोगकर्ताओं को ये आंकड़े सुलभ कराता है। निदेशालय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्णय लेने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग की सहायता करने हेतु आंध्र प्रदेश में वर्जीनिया तम्बाकू की उत्पादन लागत का भी पर्यवेक्षण करना है। इस निदेशालय के प्रयासों से तम्बाकू का उत्पादन 1965–66 के 0.29 मि. मी. टन से बढ़कर 1992–93 में 0.58 मिलियन मी. टन हो गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू विकास निदेशालय द्वारा खर्च की गई राशि इस प्रकार है :–

(लाख रुपये में)

वर्ष	धनराशि
1991–92	14.710
1992–93	17.195
1993–94	18.00

गांवों की पर्यावरणीय आयोजना

6911. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में गांवों की पर्यावरणीय आयोजना के लिए कोई स्कीम शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस पर कितना व्यय किया गया ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य संघ क्षेत्र सेक्टर की स्कीम "गांवों का विकास" के अन्तर्गत गांवों में मलजल प्रणाली बिछाने, गलियों में खंड़जे बिछाने और नालियों के निर्माण, गांव के तालाबों के पुनरुद्धार आदि का कार्य किया जाता है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। "गांवों में स्वच्छता और सफाई का सुधार" नामक दूसरी स्कीम भी कार्यान्वित की जाती है जिसके अन्तर्गत गांव की गलियों और परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए सफाई कर्मचारी नियुक्त करने हेतु पंचायतों को अनुदान दिए जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष खर्च की गई राशि इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	मलजल प्रणाली	गलियों में खड़ंचे बिछाने तथा सतही नालियां बनाना	तालाबों की मरम्मत तथा पुश्ता दीवारों का निर्माण	गलियों और परिवेश की सफाई	कुल
1991–92	38.03	26.902	0.43	–	65.36
1992–93	115.54	21.64	2.27	25.43	165.38
1993–94	93.16	42.81	–	10.78	146.75
कुल	246.73	91.35	3.20	36.21	377.49

[हिन्दी]

सर्कस उद्योग

6912. **श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से कलाकारों और जानवरां को लाने पर रोक लगी होने के कारण सर्कस उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस रोक को हटाने के लिए और सर्कस उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं। विदेशों से जानवरों के आयात या कलाकारों को लाने पर कोई सामान्य प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठती।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

6913. **श्री हरि केवल प्रसाद : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कई सिंचाई परियोजनाएं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1960 से प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). 30.4.1994 को केन्द्र सरकार के पास वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उत्तर प्रदेश की 5 सिंचाई परियोजनाएं लंबित थी। इन परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकार से पूरे ब्यौरों के साथ किसी प्रस्ताव के प्राप्त होते ही, उस पर निर्णय लेने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	जिला	क्षेत्र (हे. में)
1.	जामरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना	नैनीताल	368.69
2.	भद्राशु नहर	उत्तर–काशी	0.29
3.	हरिद्वार पूर्वी गंगा नहर से निकलने वाली कांगड़ी माइनर	हरिद्वार	0.812
4.	मोरा नहर	उत्तरकाशी	0.03
5.	हुमकापिता नहर	पिथौरागढ़	0.84

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण

6914. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या देश के प्रमुख जोखिम प्रबन्ध संगठन ने औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). चुनिन्दा जिलों जहां पर परिसंकटमय उद्योग स्थित हैं, में स्थल–बाह्य आपात तैयारी योजनाएं तैयार करने के लिए अध्ययन किए गए हैं। जिन जिलों और संगठनों में ये अध्ययन किए हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं :

जिला	संगठन
1. बड़ौदा, गुजरात	टाटा रिस्क्स मैनेजमेंट सर्विसेज, नई दिल्ली
2. मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	एन्वाइरेन्मेंटल रिसोर्सेस मैनेजमेंट (इंडिया) प्रा. लि. मद्रास

जिला	संगठन
3. विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	नेशनल एन्वाइरेंमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर।
4. मंगलौर, कर्नाटक	इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, हैदराबाद
5. कोटा, राजस्थान	टाटा रिस्कस मैनेजमेंट सर्विसेज, नई दिल्ली
6. थाणे, महाराष्ट्र	टाटा रिस्कल मैनेजमेंट सर्विसेज, नई दिल्ली।
7. रायगढ़, महाराष्ट्र	एन्वाइरेन्मेंटल रिसोर्सेस मैनेजमेंट (इंडिया) प्रा. लि. मद्रास।
8. टूटीकोरन और कुड्डलोर तमिलनाडु	केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान, मद्रास।
9. दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर।

इन सभी संगठनों ने अध्ययन पूरे कर लिए हैं और रिपोर्ट पेश कर दी हैं। इन रिपोर्टों ने रासायनिक दुर्घटनाओं के दौरान आपातकालीन तैयारी हेतु आवश्यक कदमों का संकेत किया है।

(ग) रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए ये रिपोर्टें संबंधित राज्य प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं।

बाघ की खाल/हड्डियों की तस्करी

6915. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाघ की खाल/हड्डियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिये चीन के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). बाघ की हड्डियों और इसके शरीर के अन्य अंगों के अवैध व्यापार का मिलकर मुकाबला करने के लिए चीन के साथ प्रोटोकोल तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बाघ की हड्डियों और इसके शरीर के अन्य अंगों के शिकार, तस्करी और बेचने संबंधी अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु विश्वव्यापी अभियान चलाने, बाघ संरक्षण से संबंधित द्विपक्षीय अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने तथा इससे संबंधित मामलों में जानकारी का आदान–प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय प्रयासों को समन्वित करने की कोशिश की जाएगी।

परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण

6916. **श्री राम कापसे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में चीनी सहकारी क्षेत्र, सहकारी कताई मिलों और कृषि परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिये विदेशों से ऋण लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की संख्या कितनी है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु केन्द्रीय वित्तपोषण एजेंसियों से अनुरोध किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने ऐसी कृषि परियोजनाओं के लिए, जिनकी स्थापना महाराष्ट्र की सहकारी समितियों द्वारा की जानी है, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से सम्पर्क किया है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि जर्मनी के के. एफ. डब्ल्यू. और कुवैत फंड ने क्रमशः त्रिमूर्ति स्टाक प्लाई सहकारी समिति लिमिटेड, बासमत नगर के प्रायोगिक आधार पर तथा चार कताई मिल परियोजनाओं के लिये धन देने की अपनी कुछ इच्छा जाहिर की है।

(ग) तथा (घ). इन परियोजनाओं के लिये वितीय सहायता प्राप्त करने के लिए न ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने और न ही भारत सरकार ने केंन्द्रीय वित्त ऐजेन्सी से कोई सम्पर्क किया है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना/समिति का नाम	क्षमता	परियोजना का नाम
कपास स्टाक पर आधारित कण-कोर्ड संयंत्र			
1.	त्रिमूर्ति स्टाकप्लाय सहकारी समिति लिमिटेड, बासमत नगर, जिला– परभानी, महाराष्ट्र	40 ट./प्रति दिन	28.79

क्र. सं.	परियोजना/समिति का नाम	क्षमता	परियोजना का नाम
2.	श्री बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड कारखाना लि., जिला–अकोला, महाराष्ट्र	40 ट./दिन	28.79
3.	नीलकमल स्टाकप्लाय सहकारी समिति लि., परोला, जिला–जलगांव, महाराष्ट्र	40 ट/दिन	28.79
4.	जवाहर सेतकारी सहकारी पार्टिकल बोर्ड लि. जिला धूले महाराष्ट्र	40 ट./दिन	30.88
	योग :		117.25

कताई मिल

1.	अनन्त सतकारी सहकारी सूत गिरनी, वासिम जिला अकोला, महाराष्ट्र	19200 पूनी 3446 मी. टन (ओटाई तथा दवाई)	26.28
2.	प्रियदर्शनी सहकारी सूत गिरनी यवतमाल जिला यवतमाल, महाराष्ट्र	19200 पूनी 3588 मी. टन (जी.एण्ड पी.)	26.76
3.	प्रियदर्शनी सहकारी सूत गिरनी सिरपुर जिला धूल, महाराष्ट्र	18240 पूनी 3374 मी. टन (जी. एण्ड. पी.)	25.48
4.	तरना सतकारी सहकारी सूत गिरनी ओसमानाबाद जिला ओसमानाबाद महाराष्ट्र	20160 पूनी 3914 मी. टन (जी. एण्ड पी.)	28.09
	योग :		106.60

मसालों के मूल्यों में कमी

6917. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख मसालों के मूल्यों का अलग–अलग वर्षवार विवरण क्या है;

(ख) इनके मूल्यों में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित प्रमुख मंडियों में मुख्य मसालों के थोक मूल्य का रेंज निम्नवत है :

मसालों का थोक मूल्य

(रु. प्रति क्विंटल)

मसाले	राज्य/मंडी	1991–92	1992–93	1993–94
1. काली मिर्च	केरल (अलेप्पी)	2650–3650	2450–3250	2700–4800
2. मिर्च	आंध्र प्रदेश (निजामाबाद)	1150–3500	1425–3550	800–1650
3. हल्दी	तमिलनाडु (इरोड़)	1300–2440	1550–3210	1160–1900
4. धनियां	आंध्र प्रदेश (अनन्तपुर)	1000–1500	1000–1550	1000–1700
5. लहसुन	तमिलनाडु वेल्लौर	900–1500	850–1150	1150–3280
6. अदरक	केरल (कोचीन)	1900–2850	2050–3500	2400–3400

(ख) मूल्यों में उतार–चढ़ाव का मुख्य कारण मसालों की मांग और आपूर्ति के बीच आने वाला अंतर है। निर्यातोन्मुखी मसालों के मामले में, घरेलू मूल्यों पर निर्यात निष्पादन तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

(ग) मसालों के स्वदेशी मूल्यों में उतार–चढ़ाव पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए विकासात्मक उपाय किए हैं। क्वालिटी उन्नयन पर प्रशिक्षण के जरिए वर्तमान मंडियों में मंडी आधार को मजबूत बनाकर तथा नई मंडियों की पहचान करके, विदेशी मंडियों में उपभोक्ता पैक में ब्रांडयुक्त मसालों के निर्यात प्रवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देकर; और विदेशी मंडियों में बिक्री सह अध्ययन मिशन भेजकर निर्यात प्रवर्धन उपायों के जरिए निर्यात का विस्तार किया जा रहा है। मूल्यों में अनुचित गिरावट पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने मंडी हस्तक्षेप योजना भी लागू की है जिसके तहत जब मूल्य गैर किफायती स्तर तक गिर जाता है तब नियत मूल्य पर विशेष अवधि के दौरान विशेष मात्रा के लिए किसी खास वस्तु हेतु राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर मंडी हस्तक्षेप कार्य शुरू किया जाता है।

[हिन्दी]

लाख का उत्पादन

6918. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो दशकों के दौरान विशेष तौर पर छोटा नागपुर में लाख के उत्पादन में लगातार कमी आई है और 1950 की तुलना में इस समय इसका उत्पादन 75 प्रतिशत कम हो गया है;

(ख) क्या इस उत्पादन में कमी के कारण बिहार तथा अन्य राज्यों के अधिकांश बाजार जो लाख की खरीद–बिक्री का कार्य करते हैं, बंद पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां। विगत वर्षों में बिहार में, तथा अन्य लाख उत्पादक राज्यों में लाख के उत्पादन में बहुत कमी आई है। देश में इसका उत्पादन लगभग 49 प्रतिशत कम हुआ है अर्थात् यह 1950–51 के 40045 मीटरी टन से घटकर 1993–94 में 20520 मीटरी टन रह गया है। इसी अवधि के दौरान बिहार में इसमें करीब 42 प्रतिशत की कमी आई है।

(ख) बिहार तथा अन्य लाख उत्पादक राज्यों में लाख निर्माण फैक्टरियों के बंद हो जाने से, विशेषकर हस्तचालित फैक्टरियों के बंद हो जाने से तथा सस्ते विकल्प उपलब्ध हो जाने के कारण

इसकी स्वदेशी मांग कम हो जाने से मंडी में इसके कारोबार के परिमाण में काफी कमी आई है।

(ग) एक निर्यात प्रधान उत्पाद होने के कारण लाख के स्वदेशी मूल्यों पर इसके निर्यात के कार्य निष्पादन का बहुत प्रभाव पड़ता है। लाख के उत्पादन, स्वदेशी खपत, तथा निर्यात में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उत्पादकों की आय बढ़ सके। सरकार ने प्रशिक्षण, प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के जरिए लाख की खेती की उन्नत विधियों के प्रचार जैसे विकासात्मक उपाय शुरू किए हैं।

कर्नाटक में रेल नेटवर्क

6919. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 और 1994–95 के लिए कर्नाटक में रेल नेटवर्क के विस्तार और विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). 1993–94 के दौरान, निम्नलिखित कार्य पूरे किए गये :

(I) तुमकूर–चिकजाजूर का आमान परिवर्तन

(II) बेल्लारी–रायदुर्ग और चित्रदुर्ग–चिकजाजूर के आमान परिवर्तन सहित चित्रदुर्ग से रायदुर्ग तक नई लाइन

1994–95 के दौरान निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है :

(I) चिकजाजूर से हुबली तक

(II) हुबली से हॉसपेट तक

(III) लौंडा के रास्ते हुबली से मिरज तक

(IV) हॉसपेट से स्वामी हल्ली तक तथा

(V) बिरूर से शिमोगा तक आमान परिवर्तन।

उपर्युक्त खंडों पर कार्य अच्छी प्रगति पर है और ये सभी कार्य 1994–95 में पूरे हो जायेंगे।

उत्तर रेलवे में यात्री डिब्बे

6920. **श्री दत्ता मेघे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उत्तर रेलवे में यात्री डिब्बों की वर्तमान संख्या यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे ने 1993–94 के दौरान किस–किस के कितने यात्री डिब्बों की मांग की और किस–किस किस्म के कितने–कितने डिब्बे वास्तव में उपलब्ध कराये गये; और

(ग) सरकार द्वारा यात्री डिब्बों की कमी को शाघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) उत्तर रेलवे को 1993–94 के दौरान आवंटित किये गये बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों की संख्या और किस्म नीचे दी गई है :

1.	वातानुकूल मिश्रित	4
2.	वातानुकूल 2 टियर	18
3.	वातानुकूल कुर्सीयान	13
4.	दूसरा दर्जा शयनयान	45
5.	जी एस/दिन में चलने वाले सवारी डिब्बे	108
6.	पेन्ट्री कार	13
7.	दूसरा दर्जा सामान और ब्रेकयान	57
8.	मोटर–एवं–पार्सल यान	25
		283

ये उत्तर रेलवे पर बड़ी लाइन की अतिरिक्त गाड़ी सेवाओं की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। आमान परिवर्तन के कारण/मीटर लाइन पर कोई मांग नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मोटे अनाज

6921. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या 1993–94 के दौरान देश में मोटे अनाज की प्रचुर मात्रा थी;

(ख) यदि हां, तो 1992–93 की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यकताएं पूरी करने के बाद इस समय कितना मोटा अनाज फालतू है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). फसल वर्ष, 1993–94 (जुलाई–जून) में 31.06 मिलियन मीटरी टन मोटे अनाजों की पैदावार होने की सम्भावना है जबकि 1992–93 में 37.04 मिलियन मीटरी टन मोटे अनाजों की पैदावार हुई थी। मोटे अनाजों की पैदावार में वर्ष प्रति–वर्ष उतार चढ़ाव होता रहता है। मोटे अनाजों की पैदावार 1989–90 में 34.76 मिलियन मीटरी टन, 1990–91 में 32.70 मिलियन मीटरी टन हुई थी जबकि 1991–92 में मोटे अनाजों की पैदावार गिरकर 25.99 मिलियन मीटरी टन रह गई।

सरकार देश में मोटे अनाजों की वास्तविक आवश्यकता के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखती है और न ही वह किसी वर्ष विशेष में अधिशेष मोटे अनाजों का कोई मूल्यांकन करती है। तथापि, देश में कुल मिलाकर चावल, गेहूं और मोटे अनाजों सहित खाद्यान्नों की वर्तमान स्थिति सुगम है।

यात्री सुविधाएं

6922. **श्री के. प्रधानी :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण–पूर्व रेलवे में गाड़ियों में तथा स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाएं संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण–पूर्व रेलवे में बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). दक्षिण पूर्व रेलवे में गाड़ियों में और स्टेशनों पर मानदंडों के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सुविधाओं का ग्रेडोन्यन करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम

6923. **डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आर्थिक उदारीकरण नीति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय खाद्य निगम को बंद करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निगम में इस समय कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) क्या इस निगम के बंद हो जाने की स्थिति में कर्मचारियों के लिए रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम में 31.12.1993 को स्थिति के अनुसार विभागीय मज़दूरों को छोड़कर 66,191 कर्मचारी कार्य कर रहे थे।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुणवत्ता नियंत्रण

6924. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1994 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "आई. एस. आई. मार्क्ड स्विचेज लैक क्वालिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे कि निर्माताओं द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित गुणवत्ता स्तर बनाए रखा जाए; और

(घ) दोषी निर्माताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). जी हां। उक्त समाचार, उपभोक्ता शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र अहमदाबाद द्वारा 8 जाने–माने विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित आई. एस. आई. चिन्ह युक्त 16 एम्पीयर 240 वोल्ट्स के घरेलू स्विचों के नमूनों पर किए गए परीक्षणों से संबंधित है। उपभोक्ता शिक्षा तथा अनुसंधान केंद्र द्वारा किए गए इन परीक्षणों के अनुसार ये सभी ब्रांड भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

(ग) प्रमाणन चिन्ह योजना के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद ही लाइसेंस मंजूर किया जाता है कि (1) उत्पाद संबंधित मानकों के अनुरूप है और (2) विनिर्माता के पास उत्पाद के परीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं तथा आधार–ढांचा मौजूद है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणन चिन्ह योजना के अनुसार लाइसेंसधारी के कार्य पर आवधिक रूप से निगरानी रखी जाती है, जिसमें नमूने (कारखानों और बाजार दोनों से) लेना तथा उनका परीक्षण करना शामिल है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को लागू करने (जैसे कि घरेलू स्विच के मामले में) की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों से समय–समय पर अनुरोध करती रही है कि वे इन गुणवन्ता नियंत्रण आदेशों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करें। भारतीय मानक ब्यूरो भी उपयुक्त कार्यवाही करता है, जिसमें आई. एस. आई. चिन्ह के दुरुपयोग के मामले में जानकारी आने पर छापे मारना भी शामिल है।

(घ) जिन 8 विनिर्माताओं के नमूने उपभोक्ता शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र द्वारा लिए गए थे तथा जिनका परीक्षण किया गया था, उनमें से 4 के पास आई.एस.आई चिन्ह का उपयोग करने के लिए वैध लाइसेंस नहीं था, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 का उल्लंघन है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आई. एस. आई. चिन्ह के इस दुरुपयोग के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही शुरू की गई है। जहां तक अन्य चार विनिर्माताओं, जिनके पास वैध लाइसेंस हैं, का संबंध है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्वतंत्र रूप से परीक्षण के लिए बाजार से और नमूने लिए जा रहे हैं। दोषी विनिर्माताओं के विरुद्ध प्रमाणन चिन्ह योजना के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है।

[अनुवाद]

रेल लाइन का उद्घाटन

6925. **श्री के. जी. शिवप्पा :**

श्री के. एच. मुनियप्पा : ;

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीरुर और बंगलूर के बीच बड़ी लाइन में बदली गई रेल लाइन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है; और

(ख) मुम्बई और बंगलूर के बीच की सारी रेल लाइन का काम कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) 31.3.95 तक।

सियालदह और हावड़ा स्टेशन

6926. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सियालदह और हावड़ा स्टेशनों को रख रखाव और विकास हेतु निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में समुचित परियोजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) इस पर निजी कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

किराया और मालभाड़ा ढांचा

6927. **श्री हरिन पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की विशेषज्ञ समिति ने किराये और मालभाड़े के ढांचे के संबंध में हाल ही में कोई रिपोर्ट पेश की है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों का विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी सिफारिशें मान ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने माल भाड़ा संरचना, पण्यों के वर्गीकरण, यात्रा के लिए रियायत आदि के संबंध में 373 सिफारिशें की हैं।

(ग) और (घ). रेल किराया और माल भाड़ा समिति द्वारा की गई 373 सिफारिशों में से अभी तक उपयुक्त आशोधनों के साथ कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें रेलवे बजट 1994–95 में कार्यान्वित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

लाल मिर्च का निर्यात

6928. **श्री नवल किशोर राय :**

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से लाल मिर्च का निर्यात करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नॉडल एजेंसी है;

(ख) यदि हां, तो 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान किन–किन देशों को कितने–कितने मूल्य की लाल मिर्च का निर्यात किया गया;

(ग) क्या इस संघ को इस वर्षों के दौरान श्रीलंका को लाल मिर्च के निर्यात–व्यापार के कारण करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने घाटे की पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). जी, नहीं। लाल मिर्च का निर्यात खुले साधारण लाइसेंस के अन्तर्गत है। वैसे पिछले तीन वर्षों के दौरान नैफेड द्वारा किया गया लाल मिर्च का निर्यात इस प्रकार रहा :

वर्ष	देश	मूल्य लाख रूपये में
1991–92	श्रीलंका	985.15
1992–93	–	–
1993–94	श्रीलंका	34.55
	बंगलादेश	17.25

(ग) जी, नहीं। बल्कि नैफेड को श्रीलंका को लाल मिर्च के निर्यात से लगभग 61.2 लाख रुपये का लाभ हुआ है।

(घ) और (ङ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेल कोच फैक्टरी

6929. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर और मिर्जापुर में रेल कोच फैक्टरी की स्थापना के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल कोच फैक्टरी की स्थापना के लिए बलिया में भूमि उपलब्ध कराई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में रेलवे एक इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव कोच फैक्टरी स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). रेल कोच फैक्टरी की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित दो स्थानों में से गोरखपुर एक था और केवल यहीं सर्वेक्षण किया गया था। इस प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया का प्रस्ताव नहीं किया था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सफेद रायल बंगाल और "स्पाटेड" शेर

6930. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सफेद रायल बंगाल और "स्पाटेड" शेरों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1989 की जनगणना के बाद से इन शेरों की जनसंख्या में आई वास्तविक कमी का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन शेरों की संख्या बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है/ की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). देश के जंगलों में बाघ की केवल एक प्रजाति अर्थात् पैंथरा टाइग्रिस (रॉयल बंगाल बाघ) पाई जाती है। 1989 तथा 1993 की गणना के अनुसार राज्यवार जंगली बाघों की अनुमानित संख्या तथा उनकी संख्या में कमी संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण–I में दर्शाए गए हैं। सफेद बाघ, जो एक उत्परिवर्ती है, अब जंगलों में नहीं पाए जाते हैं। देश में बन्द रखे गए सफेद बाघों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है। देश में बन्दी सफेद बाघों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है।

"स्पोटेड" बाघ होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) देश में बाघों की संख्या में गिरावट आने का मुख्य कारण बाघ की हड्डियों तथा उसके शरीर के अन्य अंगों की अवैध मांग को पूरा करने के लिए उसके चोरी–छिपे शिकार में वृद्धि होना है।

(घ) इस संबंध में सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. मंत्रालय में एक बाघ संकट सेल स्थापित किया गया है।

2. राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर सतर्कता बढाएं और गश्त तेज कर दें।

3. बाघ परियोजना क्षेत्रों में एक विशेष प्रहार बल स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

4. इच्छुक देशों की भागीदारी से एक विश्व बाघ मंच की स्थापना हेतु कदम उठाए गए हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष		कमी (–)
		1989	1993	वृद्धि (+)
1.	आन्ध्र प्रदेश	235	197	(–38)
2.	दादर, नगर हवेली	कुछ नहीं	कुछ नहीं	(—)
3.	गोआ	2	3	(+1)
4.	बिहार	157	137	(–20)
5.	मिजोरम	18	28	(+10)
6.	हिमाचल प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं	(—)
7.	उड़ीसा	243	226	(–17)
8.	राजस्थान	99	64	(–35)
9.	गुजरात	9	5	(54)
10.	महाराष्ट्र	417	276	(–141)
11.	कर्नाटक	257	305	(+48)
12.	हरियाणा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	(—)
13.	मेघालय	34	53	(+19)
14.	उत्तर प्रदेश	735	465	(–270)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष		कमी (–)
		1989	1993	वृद्धि (+)
15.	अरुणाचल प्रदेश	135	180	(+45)
16.	मध्य प्रदेश	985	912	(–73)
17.	केरल	45	57	(+12)
18.	तमिलनाडु	95	97	(+2)
19.	पश्चिम बंगाल	353	335	(–18)
20.	असम	376	325	(–51)
21.	त्रिपुरा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	(—)
22.	नागालैण्ड	104	83	(–21)
23.	सिक्किम	4	2	(–2)
24.	मणिपुर	31	—@	(—)
	कुल योग	4334	3750	(–553)*

(@) 1993 में गणना नहीं की जा सकी।

(*) इसमें मणिपुर में बाघों की संख्या शामिल नहीं है।

विवरण II

क्र. सं.	राज्य का नाम	सफेद बाघों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	असम	2
3.	बिहार	5
4.	दिल्ली	3
5.	गुजरात	1

6.	कर्नाटक	5
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	उड़ीसा	30
9.	पंजाब	1
10.	राजस्थान	2
11.	पश्चिंम बंगाल	3
	कुल योग	55

भैषजीय पौधों के लिये जीन बैंक

6931. **श्री सत्यदेव सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भैषजीय पौधों तथा सुगन्धयुक्त पौधों के जीवद्रव्य का भंडारण करने के लिये जीन बैंक की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन जीन बैंकों की स्थापना किन–किन स्थानों पर की जायेगी;

(ग) इन जीन बैंकों में किन–किन प्रमुख प्रजातियों को रखा जायेगाँ; और

(घ) ये जीन बैंक कब से कार्य करना शुरू कर देंगे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) (I) राष्ट्रीय पादक आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली।

(II) केन्द्रीय औषधीय एवं संगधीय पादक संस्थान, लखनऊ।

(III) उष्णकटिबंधीय वनस्पति बाग एवं अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) मार्च, 93 में आरम्भ हुआ।

विवरण

संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण औषधीय एवं संगधीय पौधों की प्रजातियां।

औषधीय एवं संगधीय पौधों की निम्न प्रजातियों को संरक्षित करने की जरूरत है। प्राथमिकता "क", "ख" और "ग" के रूप में दी गयी है। संरक्षण का कार्य तीन प्रस्तावित जीन बैंकों में चालू किया जाएगा। विभिन्न प्रजातियों पर ऊतक कल्चर संबंधी कार्य स्वतंत्र रूप से किया जाएगा ताकि पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

(I) **प्राथमिकता वाली प्रजातियां (क)**

पैपेवर सोम्निफेरा

प्लाण्डागो ओवारा

हायोसायमस नाईजर (खरासानी अज्वाईन)

एच. म्यूटिकस

ओसिमय सैंक्टम

ओसियम बेसिलिकम

कैथेरैन्थस रोसियस

कोम्फिोरा व्हिटि

सौरैलिया कोरिलिफोलिया (बावची)

स्वेर्टिया चिराटा

बैलेरियाना बाल्लिचि

ऐपियम ग्रैवीओलेंस

ऐण्ड्रोग्रैफिस पैनिक्यूलैटा (*)

राऊवोलफिया सर्पेटिना **

राऊवोलफिया कैनैसेन्स **

टायलोफोरा इण्डिका **

इवोलव्यूलस ऐलसिनोइडेस*

(II) **प्राथमिकता वाली प्रजातियां (ख)**

ऐट्रोपा बैलेडोना

रोज़मेरियम ओफिसिनैलिस*

सैलविया स्लेरोसा

अज़ैडिरैक्आ इंडिका (नीम)

कैसिया *अगास्तिफोलिया (सनाम का पौधा)*

नारोडोस्टाचीसु जाटामांसि*

युपोरबिया नेटिफोलिया

ग्लाइसिरिज़ा ग्लैबरा*

फामलैंथस अमैरस

फामलैंथस फैटनस

पैण्डानस लेराम

असपैरागस रेसिरमोसस

क्राटैवा नरवाला

एम्ब्लिका ओफिसिनैलिस

कैरम कैरिवि

कैटम बल्वोकैस्टेनम

विथैनिया सोम्नीफैरा*

विथेनिया कोऐग्युलैंस*

वेटिवेर जिजोइडेस

म्युक्युन्ना प्यूरिएंस

ऐकोरस कैल्यस

ऐमोयम स्पि०

थायमस सरपायलम

सिम्बोपोगॅन ज्वारान्क्यूसा*

हिस्सोपस ऑफिसिनैले*

करकुपा लोंगा

(III) प्राथमिकता वाली प्रजातियां (ग)

सिम्बोपोगॉन विण्टेरियानस

एफेडेरा स्पि०

फेरुला फोइटिडा

लैवेन्डूला ऑफिसिनैलिस

मेंथा आरयेन्सिस

बरबेरिस अरिसटैटा

टैफ्रोसिया परप्यूरिया

टर्मिनौलिया बेल्लेरिका

ऐनेथम ग्रेविओलियस

ट्रिगोनेल्ला फोएन्यूमग्रैइकम

ऐब्रस प्रीकैटोरियंस

*सूक्ष्म सम्बर्धन और इन वाइट्रो संरक्षण/निम्नतापी संरक्षण के लिए विचार किया जाना है।

** राष्ट्रीय सुविधा पादप ऊतक संवर्धन भंडार, एन.बी.पी.जी.आर. में इन वाईट्रो संरक्षण कार्य पहले ही से किया जा रहा है।

पिक्रोहिजा क्यूरोआ**

टैक्सस बैकैट्रा*

रेकोनिटम हेटेरीफललग*

कोलियस टोसलोन्हेंज**

लेन्टियाना क्यूरो**

पोडोफायरूप हैक्साण्ड्रम**

सैस्सुरीया लैप्पा**

पोगोस्टेमोन पैटच्चोयुलि**

डोयोस्कोरिया डेल्टोरडिया*

काप्टिस टीटा*

पेनाक्स–स्यूडो–जिनमेंग*

डिनिटेलिस सैनैटा

कैसिया अंगास्टिफोलिया

रिहयूम एमोडि**

जिजिबर ऑफीसिलाले**

अलियम सेटिवम**

ए. ट्यूबरोलम**

जैट्रोफा स्पिकीस

पेलारडोनियम ग्रैविथोलैंस*

मेंथा पिपेंरिटा सिम्बोपिमास फ्लैक्सस

लिम्बोपोगांन सिट्रैटस

सिम्बोपोगांस वारिटिगावा. नोटिया

सिम्बोपोगांन मार्टिनि वार. कोसिया

अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल

6932. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार के पास चालू वर्ष के दौरान अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइन

6933. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल लाइनों के साथ-साथ वन रोपण/पर्यावरण प्रबंधन के लिए कुल कितना क्षेत्र उपलब्ध है;

(ख) वन रोपण/पर्यावरण प्रबंधन हेतु बनायी गई योजना और इसमें लगे हुए गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या अनन्तपुर (जिला), जहां पर अन्य भू-भागों पर इसी तरह की गतिविधियों में पहले से ही अनेक गैर-सरकारी संगठन लगे हुए हैं, के विशेष सन्दर्भ में कम से कम सूखा प्रवरण और अविकसित क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) लगभग 50,000 हेक्टेयर।

(ख) और (ग). रेलवे भूमि पर वृक्षारोपण के कार्य में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने की कोई योजना या प्रस्ताव नहीं है।

कम वर्षा के कारण हानि

6934. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)- क्षेत्रवार औसतन कितनी वर्षा हुई तथा यह कितनी कम है;

(ख) क्या सरकार देरी से अथवा कम वर्षा के कारण होने वाले नुकसान का अनुमान लगाने का विचार रखती है; और

(ग) कम वर्षा के कारण, विभिन्न फसलों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान विभिन्न मौसम विज्ञान संबंधी उप प्रभागों में मौसमवार कुल वा ी तथा सामान्य वर्षा से प्रतिशत अन्तर का विवरण संलग्न है।

(ख) कृषि मंत्रालय में, वर्षा तथा फसल स्थिति के नियमित प्रबोधन की एक पद्धति है। यह पद्धति बहु विषयी फसल मौसम निगरानी दल के रूप में है जो दक्षिण–पश्चिम मानसून मौसम के (जून–सितम्बर) दौरान प्रत्येक सप्ताह तथा वर्ष के शेष मौसमों में पाक्षिक रूप से बैठकें करता है।

(ग) सरकार ने विभिन्न वर्षा स्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों के लिये आकस्मिक फसल योजनायें तैयार की हैं जो वर्षा के विचलन की स्थिति में लागू की जाती हैं।

विवरण

1993–94 के दौरान विभिन्न मौसम विज्ञानीय उप प्रभागों में मौसमवार कुल वर्षा तथा सामान्य वर्षा से प्रतिशत अन्तर

(मिलीमीटर में)

क्र.सं. उप प्रभाग	मानसून जून से सितम्बर 1993			मानसून पश्चात अक्तूबर से दिसम्बर 1993		
	ए.	एन.	% विचलन	ए.	एन.	% विचलन
1. अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1284	1594	−19	678	743	−9
2. अरूणाचल प्रदेश	2436	1812	+34	104	148	−30
3. असम और मेघालय	2066	1835	+13	159	197	−19
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा	1381	1262	+9	104	202	−49
5. उप हिमालय प. बंगाल और सिक्किम	1925	2058	−6	252	167	+51
6. गंगेटिक पं. बंगाल	1308	1117	+17	119	142	−16
7. उड़ीसा	1189	1176	+1	94	153	−19
8. बिहार का पठारी भाग	895	10.62	−16	80	99	−19

(मिलीमीटर मे)

क्र.सं.	उप प्रभाग	मानसून जून से सितम्बर 1993			मानसून पश्चात अक्तूबर से दिसम्बर 1993		
		ए.	एन.	% विचलन	ए.	एन.	% विचलन
9.	बिहार का मैदानी भाग	948	1018	−7	53	75	−29
10.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	796	897	−11	5	59	−92
11.	प. उ. प्र. का मैदान	763	775	−1	1	47	−98
12.	पश्चिमी उ. प्र. की पहाड़ियां	1340	1295	+4	1	95	−99
13.	हरियाणा चण्डीगढ़ व दिल्ली	589	513	+15	1	29	−97
14.	पंजाब	588	502	+17	4	40	−91
15.	हिमाचल प्रदेश	833	920	−10	16	94	−83
16.	जम्मू व कश्मीर	439	522	−16	21	95	−78
17.	पश्चिमी राजस्थान	342	284	+21	3	9	−72
18.	पूर्वी राजस्थान	673	615	+9	11	22	−50
19.	पश्चिमी मध्य प्रदेश	1012	920	+10	30	53	−43
20.	पूर्वी मध्य प्रदेश	1154	1179	−2	43	71	−39
21.	गुजरात क्षेत्र, दादर और नगर हवेली	1222	1048	+17	45	37	+20
22.	सौराष्ट्र, कच्छ व दीव	356	539	+34	53	25	+113
23.	कोंकण और गोवा	2986	2801	+7	223	147	+52
24.	मध्य महाराष्ट्र	752	745	+1	261	108	+142

(मिलीमीटर में)

क्र.सं. उप प्रभाग	मानसून जून से सितम्बर 1993			मानसून पश्चात अक्तूबर से दिसम्बर 1993		
	ए.	एन.	% विचलन	ए.	एन.	% विचलन
25. मराठवाड़ा	600	717	−16	201	85	+136
26. विदर्भ	874	980	−11	90	72	+24
27. तटवर्ती आन्ध्र प्रदेश	472	606	−22	322	316	+2
28. तेंलगाना	641	773	−17	137	100	+37
29. रायलसीमा	411	379	+8	367	214	+71
30. तमिलनाडु और पाण्डिचेरी	316	326	−3	784	479	+64
31. तटवर्ती कर्नाटक	2850	3018	−6	442	267	+66
32. नॉर्थ इन्टिरियर कर्नाटक	461	522	−12	268	128	+110
33. साउथ इन्टिरियर कर्नाटक	714	773	−8	329	218	+51
34. केरल	2019	2133	−5	662	499	+33
35. लक्षद्वीप	971	943	+3	441	334	+32

क्र. सं. उप–प्रभाग	जाड़ा जनवरी–फरवरी 94			मानसून–पूर्व मार्च–मई 4, 1994		
	ए	एन	%विचलन	ए	एन	% विचलन
1. अण्डमान और निकोबार	57	120	−53	379	157	+142
2. अरूणाचल प्रदेश	98	112	−12	520	337	+54

क्र. सं.	उप–प्रभाग	जाड़ा जनवरी–फरवरी 94			मानसून–पूर्व मार्च–मई 4, 1994		
		ए	एन	%विचलन	ए	एन	% विचलन
3.	असम और मेघालय	55	46	+20	344	313	+10
4.	नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा	54	43	+26	262	224	+17
5.	उप–हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम	71	40	+80	140	191	−27
6.	गंगटिक पश्चिम बंगाल	74	34	+117	81	77	+5
7.	उड़ीसा	32	37	−13	58	60	−3
8.	बिहार का पठार	35	45	−22	23	45	−49
9.	बिहार का मैदानी क्षेत्र	42	31	+32	5	29	−82
10.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	48	34	+40	11	17	−35
11.	पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदानी क्षेत्र	47	39	+18	15	20	−26
12.	पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र	93	129	−28	32	97	−67
13.	हरियाणा, चण्डीगढ़ और दिल्ली	42	41	+3	13	21	−35
14.	पंजाब	68	56	+21	17	38	−56
15.	हिमाचल प्रदेश	171	152	+12	131	128	+2
16.	जम्मू और कश्मीर	158	170	−7	113	183	−38
17.	पश्चिम राजस्थान	17	13	+29	13	8	+67
18.	पूर्वी राजस्थान	28	12	+137	11	8	+25

क्र. सं. उप–प्रभाग	जाड़ा जनवरी–फरवरी 94			मानसून–पूर्व मार्च–मई 4, 1994		
	ए	एन	%विचलन	ए	एन	% विचलन
19. पश्चिमी मध्य प्रदेश	31	21	+49	16	12	+40
20. पूर्वी मध्य प्रदेश	31	41	−24	21	33	−37
21. गुजरात क्षेत्र, दादरा, नगर हवेली	14	3	+381	1	3	−81
22. सौराष्ट्र, कच्छ और दियु	6	2	+229	नगण्य	4	−95
23. कोंकण व गोवा	7	2	+249	12	8	+33
24. मध्य महाराष्ट्र	5	6	−9	46	19	+145
25. मराठवाड़ा	6	6	−11	25	18	+40
26. विदर्भ	28	22	+32	19	32	−39
27. तटवर्ती आंध्र प्रदेश	27	21	+33	30	41	−27
28. तेलंगाना	17	10	+60	30	33	−10
29. रायलसीमा	9	13	−33	27	32	−14
30. तमिलनाडु व पाण्डिचेरी	39	49	−19	66	77	−15
31. तटवर्ती कर्नाटक	6	4	+60	97	46	+112
32. नार्थ इंटरियर कर्नाटक	5	4	+15	55	38	+44
33. साऊथ इंटरियर कर्नाटक	23	7	+229	80	64	+26
34. केरल	63	31	+103	183	174	+5
35. लक्षद्वीप	75	34	+119	112	49	+129

बिहार में रेल परियोजनाएं

6935. **श्री प्रेम चन्द राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित विभिन्न नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) परियोजना–वार इन पर कितना व्यय आएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान क्षमता में वृद्धि और नेटवर्क के विद्युतीकरण से संबंधित शुरू की गई नयी रेल परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	रेलवे	परियोजना	मार्ग लम्बाई (कि. मी.)	स्वीकृति का वर्ष	प्रत्याशित लागत	1993–94 तक संभावित परिव्यय	1994–95 के लिए परिव्यय
आमान परिवर्तन							(करोड़ रूपये)
1.	पूर्वोत्तर	मुजफ्फरपुर–रक्सौल	130	1992–93	75.09	16.40	55.00
2.	पूर्वोत्तर	सगौली–नरकटियागंज	59	1992–93	30.51	1.00	एक हजार रूपये
दोहरीकरण							
3.	पूर्वोत्तर	कर्पूरीग्राम–सीही–कहीं–कहीं दोहरी लाइन बिछाना	26.16	1993–94	21.00	0.50	5.00
रेल विद्युतीकरण							
4.	दक्षिण पूर्व	चांडिल–मुरी–बरकाकाना (कुछ भाग बिहार में)	119	1992–93	32.22	2.00	1.00
5.	दक्षिण पूर्व	जामादोबा–मोहुदा	22	1992–93	4.8	0.02	0.01

किसी एक वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं के बारे में उस वर्ष की वार्षिक योजना बनाते समय निर्णय लिया जाता है।

[अनुवाद]

सीधी भुगतान प्रणाली

6936. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने निगम के गोदामों में कार्य संबंधी प्रबन्धन हेतु सीधी भुगतान प्रणाली आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कितने राज्यों ने कार्यान्वित किया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के देश भर में स्थित डिपुओं में विभिन्न प्रकार की सीधी भुगतान करने की प्रणालियों का अनुसरण किया जा रहा है। वे इस प्रकार हैं :

(1) कोई काम नहीं; कोई भुगतान नहीं प्रणाली;

(2) मेट प्रणाली;

(3) सीधा भुगतान करने की प्रणाली;

(4) "ख" श्रेणी के कामगार;

(5) विभागीय श्रमिक।

(ग) केरल और कर्नाटक को छोड़कर, जहां पर श्रमिक सहकारी समितियां बहुत ही कौशल के साथ कार्य कर रही हैं, देश के सभी राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में तैनात मज़दूरों के लिए सीधा भुगतान करने की विभिन्न प्रणालियां चलाई जा रही हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय

6937. **श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों से वित्तीय सहायता प्राप्त करके राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय की संकल्पना की जाँच करने के लिए 1993 में एक समिति नियुक्त की। समिति की यह रिपोर्ट मुख्य रूप से राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय की संकल्पना के विकास से संबंधित है।

बिना चौकीदार के रेलवे फाटक

6938. **श्री एन डेनिस :**

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिना चौकीदार के रेलवे फाटक के खतरे के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिना चौकीदार वाले सभी रेलवे फाटकों पर चौकीदार रखने हेतु कोई उपाय किए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो जोन–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1994–95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). नियमों के अनुसार बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलने की प्रारंभिक लागत संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा वहन की जाती है। देश भर में लगभग 23,000 बिना चौकीदार वाले समपार हैं। बिना चौकीदार वाले एक समपार को चौकीदार वाली समपार में बदलने पर शुरू में लगभग 5 लाख रूपयों की लागत आती है और आवर्ती खर्चे के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 60,000 रूपये की लागत आती हैं। इस प्रकार बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को चौकीदार वाले समपार में बदलने के लिए शुरू में लगभग 1150 करोड़ रूपये और उसके बाद प्रतिवर्ष लगभग 138 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। बहुत से समपारों पर यातायात का घनत्व कम है और इतने अधिक वित्तीय बोझ को सहन करने का औचित्य नहीं है।

संरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार लगभग 500 व्यस्त और भेद्य समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलने के लिए 1994–95 के बजट में 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है :

रेलवे	समपारों की संख्या
मध्य	67
पूर्व	07
उत्तर	104
पूर्वोत्तर	34
पूर्वोत्तर सीमा	02

दक्षिण	83
दक्षिण--पूर्व	22
पश्चिम	181
जोड़	500

मथुरा स्टेशन पर कम्प्यूटर सुविधा

6939. **डॉ. साक्षीजी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार मथुरा रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ग). भारतीय रेलों पर लगभग 80 प्रतिशत आरक्षण कार्य--भार कंप्यूटरीकृत हो गया है और मथुरा में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा के बारे मे उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा। फिलहाल मौजूदा यातायात की मात्रा को देखते हुए इसका औचित्य नहीं बनता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चावल का मूल्य

6940. **श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या चावल के मूल्य विशेषकर बासमती चावल के मूल्य में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग). गत 3–4 महीनों के दौरान बासमती चावल सहित चावल के थोक मूल्यों में स्थिर रुख दिखाई दिया है।

कर्नाटक एक्सप्रैस

6941. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान 2627 डाउन और 2728 अप (कर्नाटक एक्सप्रैस) गाड़ियां अपने गंतव्य स्थानों पर विलम्ब से पहुंच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रेलगाड़ियों को अपने गंतव्य स्थानों पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इनकी गति मे वृद्धि करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). नवम्बर, 1993 से अप्रैल 1994 के दौरान, 2627/2628 कर्नाटक एक्सप्रैस दुर्घटनाओं, खतरे की जंजीर खींचे जाने/शरारती तत्वों की अन्य गतिविधियों, इंजीनियरी प्रतिबंधों और उपस्करों की खराबी आदि के कारण नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार गंतव्यों पर विलंब से पहुंची थी :

	दिनों की संख्या	
महीना	गाड़ी संख्या 2627	गाड़ी संख्या 2628
नवम्बर, 93	5	4
दिसम्बर, 93	7	9
जनवरी, 94	8	2
फरवरी, 94	7	3
मार्च, 94	6	6
अप्रैल, 94	7	3

(ग) रेलों के नियंत्रणाधीन स्कौनियों को समाप्त करने के लिए चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन का निर्माण

6942. श्री राम कृपाल यादव :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण–पूर्व रेलवे के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन के निर्माण हेतु लोगों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). जी हाँ। 1993–94 के दौरान 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 7 यात्री हाल्ट स्वीकृत कर दिए गए हैं। जिनमें से 2 चालू कर दिए गए हैं; अन्य दो का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और शेष तीन से संबंधित कार्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर दिए जाने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।

अन्य 19 प्रस्तावों के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जलग्रहण क्षेत्रों का विकास

6943. श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से केन्द्र द्वारा प्रायोजित भू–संरक्षण परियोजना के अंतर्गत तुंगभद्रा, निजामसागर और नागार्जुन सागर के जलग्रहण क्षेत्रों के विकास के बारे में स्वीकृति हेतु तथा वित्तीय सहायता की मांग करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग). नदी घाटी परियोजनाओं

के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना आंध्र प्रदेश में मछकुंड–सिलेरू, नागार्जुनसागर, निजामसागर, और पोचमपाड के स्रवण क्षेत्रों को कवर करते हुए कार्यान्वित की जा रही है। तुंगभद्रा स्रवण क्षेत्र में, केवल कर्नाटक राज्य के क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 1994–95 के लिए प्रस्तावों की अभी प्रतीक्षा है। 1993–94 के दौरान 8213 हैक्टेयर क्षेत्र का सुधार करने के लिए 300 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

गुड़ और खांडसारी नियंत्रण आदेश

6944. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों ने गुड़ और खांडसारी नियंत्रण आदेश को मानने से मना कर दिया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस आदेश का गन्ने के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस आदेश को संशोधित करने अथवा वापस लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त आदेश को प्रभावकारी ढंग से लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (च) केन्द्र सरकार ने खांडसारी पर कोई नियंत्रण आदेश जारी नहीं किया है। जहां तक गुड़ का संबंध है इसके उपयोग को गुड़ (उपयोग विनियमन) आदेश, 1968 द्वारा विनियमित किया जाता है। चीनी मिलों को गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश के उपबंधों को कड़ाई से लागू करें जिससे कि गुड़ का उपयोग शराब बनाने के लिए न किया जा सके।

जहां तक गुड़ नियंत्रण आदेश जारी करने के प्रस्ताव का संबंध है मामला लगातार समीक्षाधीन है।

[अनुवाद]

चीनी मिलों के लिए आशय-पत्र

6945. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में चीनी मिलों की स्थापना हेतु राज्य के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजनाओं को चालू करने के लिए लाइसेंस धारकों ने क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). गत तीन चीनी वर्षो अर्थात् 1990–91, 1991–92 तथा 1992–93 (अक्तूबर–सितम्बर) के दौरान उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि., उड़ीसा (इपीकोल) को दो आशय–पत्र जारी किए गए हैं :

क्रम सं.	जिला सहित स्थान
1.	तहसील बौद्ध, जिला फूलबनी
2.	तहसील भजानगर, जिला गंजाम

(ग) इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि., उड़ीसा, जिसके पास उपरोक्त आशय–पत्र हैं, ने हाल में इन दो चीनी परियोजनाओं को संयुक्त/सहायता प्राप्त क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है इसलिए उसने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इन आशय–पत्रों को प्राइवेट प्रोमोटरों के पक्ष में अंतरित कर दिया जाए।

विज्ञान संग्रहालय

6946. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विज्ञान संग्रहालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये संग्रहालय राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र–वार कहां–कहां स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सिक्किम में भी ऐसे संग्रहालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता ने निम्नलिखित विज्ञान संग्रहालय स्थापित किए हैं :

आंध्र प्रदेश	–	तिरूपति
असम	–	गुवाहाटी
बिहार	–	पटना
दिल्ली	–	दिल्ली
गुजरात	–	धरमपुर
कर्नाटक	–	बंगलौर, गुलबर्ग
केरल	–	कालीकट
		(पूर्ण होने वाला है)
मध्य प्रदेश	–	भोपाल
महाराष्ट्र	–	बम्बई, नागपुर
उड़ीसा	–	भुवनेश्वर
		धेमकेनाल
		कापिलाश (पूर्ण होने वाला है)
तमिलनाडु	–	तिरूनेल्वेली
उत्तर प्रदेश	–	लखनऊ
पश्चिम बंगाल	–	कलकत्ता
		पुरूलिया
		बर्दवान
		दीघा (पूर्ण होने वाला है)

(ग) सिक्किम में विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उप क्षेत्रीय विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 एकड़ का निःशुल्क भूखंड प्रदान कराना तथा कुल योजनागत व्यय के 50 प्रतिशत भाग के लिए 40 लाख रुपये की राशि देना अपेक्षित है। सिक्किम राज्य सरकार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कृषि विज्ञान केन्द्रों को धनराशि

6947. **डॉ. परशुराम गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विज्ञान केन्द्रों को वर्ष 1993–94 और 1994–95 के लिए कोई धनाबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा अनुसंधान केन्द्रों को विदेशी कम्पनियों को सौंपने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्रों को वर्ष 1993–94 और 1994–95 के लिए आवंटित धन क्रमशः 30 (तीस) करोड़ रु. और 26 (छब्बीस) करोड़ रु. (बजट अनुमान) है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षकों के संबंध में राष्ट्रीय आयोग

6948. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

डॉ. सुधीर राय :

श्री अष्ट भुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षकों के संबंध में द्वितीय राष्ट्रीय आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विष नियंत्रण केन्द्र

6949. **श्री तारा सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विष नियंत्रक केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए विदेशों से भी सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में विष नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई है। अन्य स्थानों पर इस प्रकार के केन्द्र स्थापित करने संबंधी स्कीम की रूपरेखा भी बनाई गई है। विष नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(1) विष के अभिनिर्धारण, निदान, प्राथमिक उपचार, प्रबंध, विष से होने वाली घटनाओं का उपचार और नियंत्रण के बारे में जानकारी और सलाह देना;

(2) विषाक्तता के मामलों की एक रजिस्टरी का निर्माण करना जो अस्पतालों तथा अन्य संस्थानों को विषाक्तता आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु एक स्रोत के रूप में काम करेगा;

(3) विषाक्त रसायनों के कारण जोखिमों का अभिनिर्धारण, जांच और मूल्यांकन करना तथा समय पर रोधी कार्रवाई करने के लिए प्राधिकारियों को सावधान करना;

(4) विषाक्त रसायन उपचार और निवारण के क्षेत्र में चिकित्सा एवं अर्द्ध–चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना; और

(5) विषाक्त रसायनों के सुरक्षित प्रयोग हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय स्तर पर प्रयोग में लाने हेतु शिक्षा संबंधी सामग्री तैयार करना और मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को रोकना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख स्टेशनों पर पैदल चलने वालों के लिए पुल

6950. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पैदल चलने वालों के लिए "एस्केलेशन" से युक्त पुलों का निर्माण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने इस प्रयोजन के लिए विदेशी सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अब तक क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). केवल नई दिल्ली में ही मुख्य–ऊपरी पैदल पुल पर "एस्कलेटरों" की व्यवस्था करने का कार्य शुरू किया गया है। इस कार्य पर 3.00 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

6951. **डॉ. सुधीर राय** :

श्री मुही राम सैकिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 के शिक्षा सत्र के दौरान केन्द्रीय विद्यालय के चेयरमैन और अधिकारियों के कहने पर स्थानान्तरण निर्देशों के प्रावधानों में छूट देकर स्थानान्तरित किए गये कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले का औचित्य क्या है; और

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी नियम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). वर्ष 1993–94 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्थानान्तरण उसके स्थानान्तरण सम्बंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किये गये हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष और आयुक्त के आदेशों पर किए गए स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) स्थानान्तरण सम्बंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

शैक्षिक सत्र 1990-91 से उप-प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य और उससे ऊपर के अधिकारियों सहित शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त, जिन्हें शासी बोर्ड ने दिनांक 22/8/1990 को हुई अपनी 54वीं बैठक में अनुमोदित किया।

शासी बोर्ड ने दिनांक 22/8/90 को आयोजित अपनी बैठक में उप–प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य और उससे ऊपर के अधिकारियों सहित शिक्षकों के स्थानान्तरण के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुमोदित किए हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त शैक्षिक वर्ष 1990–91 से प्रभावी होंगे।

1. सामान्य नीति यह होगी कि प्रधानाचार्यों सहित शिक्षकों का बार–बार स्थानान्तरण न किया जाए। सामान्य स्थानान्तरण केवल संगठनात्मक कारणों अथवा अनुरोध अथवा चिकित्सा आधारों पर किए जाएंगे।

2. ऐसी कोई निर्धारित समयावधि नहीं होगी जिसके बाद किसी शिक्षक/उप–प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षाधिकारी/सहायक आयुक्त का स्थानान्तरण आवश्यक हो सकता है। (अगले वर्ष से उपप्रधानाचार्य और उससे ऊपर के लिए 5 वर्ष की समयावधि)।

3. पदोन्नति पर तैनातियों स्थानान्तरण, इत्यादि के संबंध में सामान्यता निम्नलिखित क्रम का अनुसरण किया जाएगा :

(i) पदोन्नति पर तैनाती,

(ii) अंतर्क्षेत्रीय स्थानान्तरण,

(iii) अंतः क्षेत्रीय स्थानान्तरण,

(iv) सीधी भर्ती वालों की तैनाती

4. जहां तक सम्भव होगा वार्षिक स्थानान्तरण ग्रीष्मावकाश के दौरान किये जाएं। तथापि निम्नलिखित आधारों को छोड़कर कोई भी स्थानान्तरण नहीं किये जाएंगे :

(i) प्रशासनिक आधार पर, और

(ii) पति/पत्नी की मृत्यु सहित, गम्भीर बीमारी के आधार पर स्थानान्तरण 31 अक्तूबर के बाद किये जाएंगे।

5. स्थानान्तरण, मार्गदर्शी सिद्धान्तों के खण्ड 3 को ध्यान में रखते हुए किये जाएंगे।

6. स्थानान्तरण, निम्नलिखित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किए जाएंगे :

(क) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण (उपर्युक्त पैरा 4 के अनुसार)

(ख) अनुरोध पर स्थानान्तरण :

(i) गम्भीर बीमारी के कारण स्थानान्तरण जिस पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनकी संतुष्टि पर वर्तमान तैनाती के स्थान से दूर उपचार के लिए, ऐसा स्थानांतरण आवश्यक हो।

(ii) अवधि समाप्त होने पर दुष्कर स्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र से स्थानान्तरण (स्नातकोत्तर शिक्षक और उससे ऊपर)

(iii) पति/पत्नी मामले :

-- एक वर्ष का अन्तराल पूरा करने के बाद परिवार को एक साथ रखने के लिए पति/पत्नी का स्थानान्तरण।

(iv) अविवाहित महिलाओं/तलाकशुदा महिलाओं/विधवाओं का एक वर्ष का अंतराल पूरा करने के पश्चात् उनकी सुविधा वाले स्थान में स्थानान्तरण।

(v) शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों का स्थानान्तरण बशर्ते कि विकलांगता एक वर्ष का अंतराल पूरा होने पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सेवा के दौरान हुई हो।

(vi) सामान्य मामले।

(vii) परस्पर स्थानान्तरण बशर्ते कि दोनों स्थानों के लिए उच्च प्राथमिकता को कोई अन्य दावेदार न हो।

7. स्थानान्तरण के लिए साधारणतया किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक शिक्षक उक्त (6) (i) (iii) (iv) (v) और (vii) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर तीन शैक्षिक सत्र पूरे नहीं कर लेता।

8. एक समान वेतनमानों में पी.आर.टी., टी.जी.टी. और अन्य वर्ग के शिक्षकों को उस क्षेत्र से बाहर साधारणतया तैनात नहीं किया जाएगा जिसमें उनका चयन हुआ है।

9. सभी श्रेणियों के शिक्षकों को नियुक्ति, पर, जहां तक संभव हो, भीतरी क्षेत्रों के स्कूलों में तैनात किया जाएगा।

10. रिक्त स्थान उपलब्ध होने की शर्त पर पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती पर पी.जी.टी./उपप्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों/शिक्षा अधिकारियों/सहायक आयुक्तों को उस राज्य से भिन्न जहां वे तैनात हैं अथवा जहां उनका अधिवास है। भिन्न राज्य में तैनात किया जाएगा अथवा जैसा भी मामला हो निवास स्थान में तैनात किया जाएगा और साधारणतया जब तक कोई अकाट्य कारण न हो उसे साधारणतया उस राज्य से कम से कम पांच वर्ष तक स्थानान्तरिक न किया जाए।

11. पी.जी.टी./उप प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त जिनकी सेवानिवृत्ति में तीन वर्ष अथवा उससे कम का समय है, रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त पर यदि वह पहले से ही अपने मूल राज्य में कार्य कर रहे हैं, पदोन्नति/सीधी भर्ती पर उन्हें अपने ही राज्य से बाहर तैनात नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, जिनकी अधिवर्षिता में 3 वर्ष अथवा उससे कम समय है और जो अपने से बाहर कार्य कर रहे हैं, रिक्ति की उपलब्धता की शर्त पर उनके ही राज्य में पदोन्नति की वरीयता दी जाए।

12 अनुरोध पर किए जाने वाले स्थानान्तरण के लिए, चाहे जो भी कारण हो, स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा जब तक कि शिक्षक तैनाती के विद्यमान स्थान पर पांच वर्ष पूरे नहीं कर लेता। (अनुरोध पर स्थानान्तरण के लिए 5 वर्ष और उत्तर पूर्वी क्षेत्र और दुष्कर स्थान के लिए 3 वर्ष पढ़ें)।

13. सहायक आयुक्त किसी भी शिक्षक का मुख्यालय जैसा वह उचित समझें क्षेत्र के अन्दर किसी भी स्थान पर प्रशासनिक आधारों पर परिवर्तित करने के लिए सक्षम होंगे और वे शिक्षक को उस स्थान पर कार्य निर्वहन का निदेश दे सकते हैं। आयुक्त द्वारा जैसा आवश्यक समझा जाएगा सहायक आयुक्त पुष्टि अथवा निर्देशों के लिए आयुक्त को पूरे तथ्यों के साथ मामले की तुरंत रिपोर्ट देंगे।

14. उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किसी व्यवस्था के होते हुए, आयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में से किसी भी प्रावधान से हटने के लिए, जिसे वह संगठन के हित में आवश्यक समझते हों, सक्षम होंगे।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों हेतु बजट

6952. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 के दौरान विश्वविद्यालय–वार योजना व्यय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कितनी बजट राशि स्वीकृत की गयी;

(ख) शिक्षा सत्र 1993–94 के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय में प्री–यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को छोड़कर, कुल कितने विद्यार्थी थे;

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय–वार प्रति विद्यार्थी औसत व्यय कितना था;

(घ) क्या सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान सहित प्रति विद्यार्थी औसत खर्च के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(ङ) क्या सरकार प्रति विद्यार्थी औसत व्यय के स्तर में अंतर होने के कारण विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर में अंतर बढ़ रहा है, और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

6953. **श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.) रेल सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाला सरकारी क्षेत्र का अकेला ऐसा एकक है जिसे इसकी अच्छी प्रणालियों के लिए आई एस ओ–9001 प्रमाणपत्र द्वारा मान्य ठहराया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे ने बी.ई.एम.एल. को कुल कितने रेल सवारी डिब्बों का निर्माणादेश दिया;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा बी.ई.एम.एल. को दिये गये सवारी डिब्बों के निर्माणादेश की संख्या में अचानक कमी आई है;

(घ) क्या उक्त आदेश में वृद्धि करने की कोई मांग की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) आदेशित सवारी डिब्बों की संख्या :

1991–92	–	400	अदद
1992–93	–	400	अदद
1993–94	–	400	अदद *

* इसमें वे सवारी डिब्बे शामिल हैं जिनका आदेश 1994–95 में दिया जाना था।

(ग) जी हां.

(घ) जी हां.

(ङ) 400 सवारी डिब्बों के विनिर्माण और साथ ही लगभग 400 सवारी डिब्बे पट्टे पर उपलब्ध कराने के आदेश प्रस्तुत करने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

सप्ताहान्त चलने वाली विशेष रेलगाड़ियां

6954. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सप्ताहान्त अवकाश मनाने हेतु रेल आरक्षण द्वारा अनेक स्थानों की यात्रा करने की योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त योजना कब से शुरू की जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). सप्ताहान्त भ्रमण की पहली श्रृंखला में, दिल्ली, बम्बई और जयपुर से "साबरमती–री. विजिटिड" पहले ही शुरू कर दी गयी है। अन्य पर्यटक स्थलों के लिए चरणबद्ध आधार पर इसी प्रकार की सप्ताहांत भ्रमण योजना शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के पर्यटन विकास निगमों के साथ प्रबन्ध व्यवस्था की जा रही है।

नवोदय विद्यालय

6955 **श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 और आठवीं योजनावधि के दौरान नवोदय विद्यालयों के लिए किये गये बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) नवोदय विद्यालय समिति के लिए वर्ष 1993–94 के संशोधित अनुमानों में योजनागत और योजनेत्तर के अंतर्गत क्रमशः 132.00 करोड़ रूपए तथा 49.27 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। आठवीं योजनावधि में नवोदय विद्यालय समिति के लिए योजनागत के अन्तर्गत 650.00 करोड़ रूपए की राशि का नियतन किया गया है।

(ख) तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, जिन्होंने अभी तक इस स्कीम को नहीं अपनाया है, देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। फिलहाल, नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत लगभग 100 जिलों को अभी भी शामिल किया जाना है। ये जिले आठवीं योजना अवधि के दौरान शामिल किए जाएंगे बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र निःशुल्क उपयुक्त भूमि तथा जब तक समिति अपने भवन का निर्माण करे तब तक विद्यालय चलाने के लिए अस्थायी आवास प्रदान करें।

[हिन्दी]

दुर्लभ वन जन्तु

6956. **डॉ. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई शेरों को गुजरात के गिर जंगलों से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जंगलों में ले जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ अन्य दुर्लभ जन्तुओं को भी समान जलवायु वाले दूसरे स्थान पर ले जाने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो उस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे उत्पन्न स्थिति पर नियंत्रण हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). बड़ौदा में अक्तूबर, 1993 में आयोजित "शेरों की आबादी तथा वास–स्थल व्यवहार्यता विश्लेषण" कार्यशाला में भारत में शेरों के उपयुक्त वैकल्पिक वास–स्थलों का पता लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। इस बारे में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश के शेरों के पूर्व वास–स्थलों की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) और (घ). जब भी आवश्यक हो, प्राणियों की अन्य संकटापन्न प्रजातियों का अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण, मामला–दर–मामला आधार पर किया जाता है। ऐसा हाथी, तेंदुए, चीतल एवं गैंडे के मामले में किया गया है।

(ङ) ऐसे प्रयासों में कोई अप्रिय समस्याएं देखने में नहीं आई हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रियों का सम्मेलन

6957. **श्री चन्देश पटेल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विभिन्न राज्यों के पर्यावरण और वन मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या–क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 18–19 अप्रैल, 1994 को नई दिल्ली में राज्यों के वन मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था।

(ख) और (ग). इस सम्मेलन में वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा, भर्ती, प्रशिक्षण, भारतीय वन शिक्षा सवंर्ग प्रबन्ध, वानिकी अनुसंधान एवं वन्यजीव संरक्षण विषयों पर विचार विमर्श हुआ था। उत्तर–पूर्वी राज्यों के वन आवरण एवं अन्य संबद्ध वानिकी मामलों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इन मुद्दों पर सिफारिशें की गई हैं तथा इन्हें कार्यान्वित करने के लिए सभी संबंधितों को भेजा गया है।

कृषि व्यापार संघ

6958. **श्री तेज नारायण सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु कृषि व्यापार संघ की संरचना क्या है;

(ख) बिहार सरकार द्वारा प्रथम चरण में इस उद्देश्य हेतु किन–किन जिलों के नाम की सिफारिश की गई है;

(ग) प्रथम चरण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) द्वितीय चरण में शामिल किए जाने हेतु अनुशंसित बिहार के अन्य जिलों के नाम क्या हैं तथा इनके चयन की कसौटी क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) लघु कृषकों के कृषि व्यापार संघ की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मुजफ्फरपुर तथा रांची।

(ग) शून्य।

(घ) कोई नहीं।

विवरण

लघु कृषकों के कृषि व्यापार संघ के सदस्य

निम्नलिखित सदस्यों ने, जिनके नाम तथा पते नीचे दिए गए हैं, सहकारी समिति के संघ के ज्ञापन के अनुसरण में केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए लागू सहकारी समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत लघु कृषकों का कृषि व्यापार संघ नामक एक समिति का गठन किया :

क्र. सं.	नाम तथा पता	व्यवसाय
1.	डॉ. बलराम जाखड़ ग्राम एवं डाकघर पंचकोशी, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	कृषि मंत्री
2.	श्री अरविन्द नेताम, गांव एवं डाकघर कांकेर जिला बस्तर (मध्य प्रदेश)	कृषि राज्य मंत्री

क्र. सं.	नाम तथा पता	व्यवसाय
3.	श्री एस. कृष्ण कुमार,	कृषि राज्य मंत्री
	एस–44, शंकर नगर,	
	चिन्नक्कडा, कोल्लम, केरल	
4.	श्री जे. सी. पंत,	सचिव (कृषि व सहकारिता)
	"वेवरली व्यू",	
	मसूरी (उत्तर प्रदेश)	
5.	श्री एम. एस. दयाल,	विशेष सचिव
	हसनपुर,	(कृषि व सहकारिता)
	जिला मुरादाबाद, (उ.प्र.)	
6.	श्री भगत सिंह,	प्रबंध निदेशक
	203, रोज एवेन्यू,	(रा. स. वि. नि.)
	नई दिल्ली	
7.	श्री वी. बी. महाजन,	प्रबंध निदेशक,
	207, सिद्धार्थ एन्कलेव,	(नेफेड)
	आश्रम चौक, नई दिल्ली	
8.	श्री आई. एस. मल्ही,	संयुक्त सचिव (व्यापार)
	सी–2, 127, मोती बाग–1,	
	नई दिल्ली।	
9.	श्रीमती सरिता जे. दास	संयुक्त सचिव
	10, कन्टोनमेन्ट रोड,	(पौध संरक्षण)
	कटक (उड़ीसा)	

प्रबंध बोर्ड

केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए लागू सहकारी समिति पंजीयन अधिनियम, 1860 की धारा–2 में यथापेक्षित प्रबंध बोर्ड के सदस्यों, जिन्हें समिति का प्रबंध सौंपा गया है, के नाम, पते, व्यवसाय तथा पदनाम नीचे दिए गए हैं

क्र. सं.	नाम (बड़े अक्षरों में)	पता	व्यवसाय	समिति में पदनाम
1	2	3	4	5
1.	डॉ. बलराम जाखड़	गांव एवं डाकघर पंचकोशी, जिला फिरोजपुर (पंजाब)	केन्द्रीय कृषि मंत्री	पदेन अध्यक्ष
2.	श्री जे. सी. पन्त	"ववेरली व्यू", मसूरी (उ.प्र.)	सचिव (कृषि व सह०)	पदेन उपाध्यक्ष
3.	श्री आर. वी. गुप्ता	वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली	अपर सचिव	पदेन सदस्य
4.	श्री के. राजन	योजना भवन नई दिल्ली	कृषि सलाहकार	पदेन सदस्य
5.	श्री आई. एस. मल्ही,	सी–2, 127, मोती बाग–1, नई दिल्ली।	संयुक्त सचिव	पदेन सदस्य
6.	श्री गोकुल पटनायक	असंल चेम्बर–2, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066	अध्यक्ष, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	पदेन सदस्रू

1	2	3	4	5
7.	"	125, कृषि भवन, नई दिल्ली।	प्रबंध निदेशक, एस.एफ.ए.सी.	पदेन सदस्य
		वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों के प्रतिनिधि		
8.	श्री पी. कोटैया	सेन्ट ए.बी. रोड, वरली, नाबार्ड कार्यालय, मुंबई	अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।	नामित सदस्य
9	श्री एम. मण्डल	भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मैडम काम रोड, मुंबई।	उप प्रबंधक निदेशक (कृषि)	नामित सदस्य
		सांविधिक एवं स्वायत संगठन		
10.	डॉ. डी. के. उप्पल	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 442/14, गुड़गावं (हरियाणा)	कार्यकारी निदेशक	नामित सदस्य
11.	श्री भगत सिंह	203 रोज एवेन्यू, नई दिल्ली।	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	नामित सदस्य
		गैर सरकारी संगठन एवं कृषक संगठन		
12.	डॉ. कृष्णवीर चौधरी	भारत कृषक समाज, नई दिल्ली।	कार्यकारी अध्यक्ष	नामित सदस्य

1	2	3	4	5
13.	श्री एम. एम. आरवे	महाराष्ट्र अंगूर उत्पादक संघ, महाराष्ट्र	कृषक	नामित सदस्य
		निजी कम्पनियां/कृषि उत्पाद निर्यातक		
14.	डॉ. मनमोहन अन्तावर	इण्डो अमरीका हाइब्रिड सीड्स	निर्यातक	नामित सदस्य
15.	श्री नौशाद पदमसी	ईगल फ्लास्क इंडस्ट्रीज	निर्यातक	नामित सदस्य

माल डिब्बे पट्टे पर देना

6959. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माल ढोने के लिये माल डिब्बों को दीर्घकालीन आधार पर पट्टे पर देने का है;

(ख) क्या इस मामले में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निर्मित माल डिब्बों को प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ग) क्या 1994–95 के दौरान पट्टे पर दिये जाने वाले माल डिब्बों की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया है और इसके लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई "अपने माल डिब्बे के मालिक बनें" योजना के अंतर्गत माल डिब्बों, जिन्हें रेलवे को पट्टे पर दिया जा सकता है, के निजी स्वामित्व के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की पार्टियां निवेश कर सकती हैं।

(ख) निवेशकों के पास रेलवे द्वारा अनुमोदित किसी माल डिब्बा निर्माता से सीधे या रेल मंत्रालय के माध्यम से माल डिब्बे प्राप्त करने का विकल्प होगा, जो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उन्हीं निर्माताओं को आर्डर प्रस्तुत करेगा।

(ग) चूंकि उन पार्टियों की संख्या, जो इस योजना में भाग लेंगी, या उन माल–डिब्बों की

संख्या जिन पर वे अन्ततः निवेश करेंगी, का अनुमान लगाना संभव नहीं होगा इसलिए इस प्रकार के निवेश का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क

6960. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में नाडिया जिले सहित भारत–बंगलादेश सीमा पर स्थित जिलों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने और उसे सशक्त बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) 1. एकलाखी से बालुरघाट तक (87 कि. मी.) एक नई बड़ी रेल लाइन निर्माणाधीन है।

2. अलुआबाड़ी से किशनगंज और न्यू जलपाईगुडी से आमबाड़ी–फालाकाटा तक 40 कि. मी. में दोहरी रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

3. जोगीघोपा से सिलचर तक (लगभग 200 कि. मी.) नई बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य 1994–95 के रेल बजट में शामिल किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बूचड़खानों का आधुनिकीकरण

6961. **श्री के. एच. मुनियप्पा :**

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन् :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में बूचड़खानों/गोश्त संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य–वार उन बूचड़खानों/गोश्त संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनका आधुनिकीकरण शुरू हो गया है;

(घ) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ) किन–किन बूचड़खानों/गोश्त संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख). कृषि मंत्रालय देश में बूचड़खानों के आधुनिकीकरण/सुधार के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है। पौष्टिक स्वास्थ्यकर मौंस, मानवोचित पशुवध की शुरूआत, उपोत्पादों का प्रभावी उपयोग, पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम और वायुयानों से पक्षियों के टकराने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य के साथ इस योजना को 1988–89 से जारी रखा जा रहा है।

(ग) तथा (घ). एक विवरण संलग्न है।

(ङ) कृषि मंत्रालय, वायु सेना और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा अभिज्ञात बूचड़खानों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देगा। श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर), हैदराबाद तथा नैल्लोर (आन्ध्र प्रदेश), बंगलूर (कर्नाटक), चण्डीगढ़, कोट्टायम, चंगनसैरी, त्रिसूर तथा इरिंअलाकुडा (केरल), अगरतला (त्रिपुरा), सिल्चर (असम), भोपाल (म. प्र.), इलाहाबाद (उ. प्र.), मद्रास (तमिलनाडु) में स्थित पहले से प्रतिबद्ध बूचड़खानों के अलावा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अन्य प्रस्तावों पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए कृषि मंत्रालय के पास 1850 लाख रुपए का बजट प्रावधान है और वास्तविक अनुमानों पर आधारित अनुमोदित परिव्यय के भीतर गुण दोष के अनुसार निधियों की व्यवस्था की जाएगी।

विवरण

(ग) तथा (घ). बूचड़खानों/मांस एककों की स्थिति तथा प्रत्येक मामले में प्रदत्त धनराशि नीचे दी गई है :

राज्य	बूचड़खाना/मांस संयंत्र का स्थान	कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त धनराशि x	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	127.00	118.00*
	नेलौर	65.000	–

राज्य	बूचड़खाना/मांस संयंत्र का स्थान	कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त धनराशि x	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**
असम	गुवाहाटी	–	317.50
	नजीरा	–	75.00
	सिलचर	42.600	–
गोवा	उसगांव	23.960	–
जम्मू और कश्मीर	वनीहामा	55.000	–
कर्नाटक	बैंलोर	25.000	– 71.00
केरल	त्रिसूर	55.000	–
	अलापूझा घंगनाचेरी	20.000	–
	इरंजलाकुडा	20.000	–
	कूथातुकुल्लम	25.000	–
मिजोरम	आइजोल	–	66.00
मध्य प्रदेश	भोपाल	10.000	87.50*
महाराष्ट्र	कोरेगांव	5.000	–
	नानडेड़	10.000	65.00
सिक्किम	मजितर	96.240	–
तमिलनाडु	पेरम्बूर	109.000	–
	सइदापेट	1.225	–
त्रिपुरा	अगरतल्ला	46.000	–
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	101.013	–
	सी. डी. एफ.		

राज्य	बूचड़खाना/मांस संयंत्र का स्थान	कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त धनराशि x	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**
	अलीगढ़	35.675	63.00
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	22.45	–
	अंदूल मौरिग्राम	12.55	–
चण्डीगढ़ प्रशासन	औद्योगिक क्षेत्र फेस–1	23.025	–
पंजाब	डेराबासी	–	200.00
नागालैंड	दिमापुर	–	30.00

x साम्या तथा अनुदानों सहित

** साम्या, ऋण तथा अनुदानों सहित

* कुक्कुट प्रसंस्करण संयंत्र के लिए।

सोयाबीन के लिए धनराशि

6962. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है जिससे कि सोयाबीन का निर्यात बढ़ाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो 1992–93 और 1993–94 के दौरान इस हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) 1994–95 में राज्य–वार कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। सभी नौ तिलहन फसलों, जिनमें सोयाबीन भी शामिल है, के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) एवं (ग). तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान दी गई तथा 1994–95 के लिए प्रस्तावित सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 1992–93 तथा 1993–94 में जारी की गई तथा 1994–95 के लिए अनन्तिम रूप से आबंटित धनराशि

(लाख रूपए)

क्र. सं.	राज्य	1992–93	1993–94	1994–95
1.	आंध्र प्रदेश	855.50	1436.55	1102.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.75	30.266	33.75
3.	असम	149.00	155.743	183.75
4.	बिहार	158.00	63.12	150.375
5.	गुजरात	725.50	951.449	984.75
6.	हरियाणा	215.00	160.81	242.625
7.	हिमाचल प्रदेश	30.00	14.46	28.95
8.	जम्मू व कश्मीर	41.50	66.397	66.45
9.	कर्नाटक	685.00	750.00	829.20
10.	केरल	–	–	67.50
11.	मध्य प्रदेश	730.35	1005.849	1240.50
12.	महाराष्ट्र	733.71	985.03	1034.25

क्र. सं.	राज्य	1992–93	1993–94	1994–95
13.	मणिपुर	15.00	22.026	23.10
14.	मेघालय	6.75	15.825	15.825
15.	उड़ीसा	315.08	430.747	433.125
16.	पंजाब	128.50	187.50	187.50
17.	राजस्थान	551.00	820.438	870.00
18.	सिक्किम	43.00	55.857	55.857
19.	तमिलनाडु	653.00	1425.00	907.50
20.	त्रिपुरा	15.47	67.276	22.50
21.	उत्तर प्रदेश	459.62	193.24	511.875
22.	पश्चिम बंगाल	185.17	224.792	225.00
	कुल :	6699.91	9062.375	9216.90

राष्ट्रीय बाल कोष

6963. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड़** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक राज्य में बाल कोष की सहायता से शुरू की गई योजनाओं का विवरण क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान इससे कितने बच्चे लाभान्वित हुए; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के लिए कितना धन आबंटित किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवराजेश्वरी) : (क) से (ग). राष्ट्रीय बाल कोष द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं, लाभार्थियों की संख्या तथा निर्मुक्त की गई राशि का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	संगठन का नाम	परियोजना का शीर्षक	लाभप्राप्तकर्ता बच्चों की सं.	निर्मुक्त की गई धनराशि (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	आंध्र महिला सभा, हैदराबाद	सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की बालिकाओं (6–12 वर्ष) के लिए खेल, पुस्तकालय तथा अनुवर्ग सुविधाएं उपलब्ध कराना।	100	39,780
		निर्मला हरिजन गिरिजन सेवा सदन, कुद्दापा	प्लास्टिक तथा सूत की निवार बुनने और टोकरियां बनाने के लिए हरिजन, गिरिजन तथा पढ़ाई छोड देने वाले निर्धन बच्चों (14–18 वर्ष) के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	40	44,010
		रॉयलसीमा हरिजन गिरिजन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक सेवा समाजम, कुड्डाप्पा	कामकाजी बच्चों (6–12 वर्ष) के लिए 5 अवकाश विद्यालय	100	48,150
	उप जोड़			240	131,940

1	2	3	4	5	6
2.	बिहार	राष्ट्रीय ग्रामीण विद्यापीठ, मधुबनी	निराश्रित/श्रमिक बच्चों, पढ़ाई छोड़ देने वाले लड़के तथा लड़कियों (14–18 वर्ष) के लिए चमड़े तथा रैक्सीन उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना।	40	80,000
	उप जोड़			40	80,000
3.	दिल्ली	ग्रामीण शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्था, नई दिल्ली।	अनुसूचित जाति/जनजाति के पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों (14–17 वर्ष) को स्कूटर/मोटर मैकेनिक कार्य में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।	30	35,100
		भारतीय बाल कल्याण परिषद्, नई दिल्ली।	चमड़ा तथा रैक्सीन उत्पाद बनाने, हाल्क क्रार्योन बनाने, कागज के लिफाफे बनाने तथा गत्ते के डिब्बे बनाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र और झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास कॉलोनियों की लड़कियों (14–18 वर्ष) को स्वास्थ्य एवं पोषाहार सुविधाएं उपलब्ध कराना।	30	43,470

1	2	3	4	5	6
		रूकमणि बाई प्रतिष्ठान, नई दिल्ली–9।	शहरी गन्दी बस्तियों के बच्चों के लिए (5–18 वर्ष) के लिए अध्ययन कक्षा सह– पुस्तकालय और मनोरंजन सुविधाएं	200	32,067
		जनता विद्यापीठ, नई दिल्ली	बच्चों (6–15 वर्ष) के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराना।	200	43,515
	उप जोड़			460	154,152
4	गुजरात	गुजरात रक्तपित्त निवारण सेवा संघ, बडोदरा	मोमबत्ती बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कोढ़ असंक्रामक (नैगेटिव) रोगियों (12–18 वर्ष) के लिए शिक्षा केन्द्र	60	परियोजना नवम्बर, 1993 में स्वीकृत की गई। निर्मुक्त की जाने वाली राशि पर विचार किया जा रहा है।
	उप जोड़			60	—
5	हरियाणा	हरियाणा बाल कल्याण परिषद्, चण्डीगढ़	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पढ़ाई छोड़कर असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे बच्चों के लिए मनोरंजन केन्द्र	2900	50,000

1	2	3	4	5	6
		एस.ओ.एस. चिल्ड्रन विलेज एसोसिएशन, पंचकुला।	गन्दी बस्तियों में रह रहे कमजोर वर्गों के बच्चो के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा मनोरंजन केन्द्र।	30	90,000
		बहु अकबर पुर और मन्दिर प्रबन्धक समिति रोहतक।	आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के (11–18 वर्ष आयु वर्ग के लड़कों के लिए आटो तथा ट्रैक्टर मरम्मत के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।	30	90,000
	उप योग			2960	230,000
6.	कर्नाटक	जनता विद्या समस्थे, मंधा	अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के पिछड़े वर्गों के (7–16 वर्ष की आयुवर्ग के) लड़के, लड़कियों के लिए वाचनालय तथा मनोरंजन कक्ष	500	57,996
		ग्रुप फॉर अर्बन एण्ड रूरल डिवेल्पमेंट चित्रदुर्ग	पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले बच्चों के लिए पूरक शिक्षा यथा घरेलू बाग़वानी पशुपालन और शैक्षिक कक्षाएं	2000	42,750
	उप जोड़			2500	100,746

1	2	3	4	5	6
7	केरल	जे.डी.टी. इस्लाम आरफेनेज कमेटी, कालीकट।	समाज के आर्थिक रूप से कमजारे तथा निराश्रित वर्ग की 14 से 18 आयु वर्ग की लड़कियों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	20	90,000
		विनोबा निकेतन, त्रिवेन्द्रम	जनजातीय तथा अनाथ लड़कियों (7 से 16 वर्ष की आयु वर्ग की) के लिए चिल्ड्रन्स आर्टस स्कूल।	50	परियोजना नवम्बर, 1993 में स्वीकृत की गई। निर्मुक्ति अभी विचाराधीन है
	उप जोड़			70	90,000
8	मध्य प्रदेश	डॉ. पाठक बाल तथा माता कल्याण समिति, ग्वालियर।	निर्धन परिवारों के 6–12 वर्ष की आयु वर्ग के लड़के–लड़कियों के सर्वांगीण विकास हेतु बाल विकास केन्द्र।	100	86,832
		जैंटल एज्यूकेशन सोसाइटी, भोपाल	भोपाल में एम आई सी गैस त्रासदी से पीड़ित 15 से 18 वर्ष आयुवर्ग की लड़कियों हेतु टी. वी. मैकनिज्म प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।	25	50,000

1	2	3	4	5	6
		ग्रामीण विकास एवं जन कल्याण परिषद्, मुरैना।	14 से 18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों के लिए मोटर कारीगरी तथा बढ़ईगीरी प्रशिक्षण केन्द्र।	100	35,685
		दयाल सेवा एवं शिक्षा समिति, ग्वालियर	अनुसूचित जाति/जनजाति तथा गरीब बच्चों (6 से 14 वर्ष आयुवर्ग) के लिए तीन मनोरंजन खेल तथा स्वास्थ्य शिक्षा क्लब।	425	45,090
	उप जोड़			650	217,607
9	महाराष्ट्र	इंडिया स्पोन्सरशिप कमेटी, पुणे।	कोचिंग कक्षाओं का आयोजन तथा पुस्तकालय श्रृव्य-दृश्य शिक्षा केन्द्र की स्थापना।	40	34,807
		श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर	14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के निर्धन, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों हेतु जिल्दसाजी, कम्पोजिंग, मुद्रण के व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	40	परियोजना नवम्बर, 1993 में स्वीकृत की गई। निर्मुक्ति अभी विचाराधीन है।
	उप जोड़			80	34,807

1	2	3	4	5	6
10	मणिपुर	वागजिंग टन्था फार्मर्स डिवेल्पमेंट एशोसिएशन वांग्जिंग	12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पिछड़े, अल्संख्यक और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए कम्पोजिंग तथा मुद्रण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना	10	90,000
		रूरल डिवेल्पमेंट सोसाइटी वांग्जिंग	14 से 18 वर्ष आयु वग के जनजातीय तथा वंचित बच्चों हेतु मनोरंजन तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र।	160	45,000
		अपुन्बा म्हही शांग्लेन, बम्बोल।	14 से 18 वर्ष आयुवर्ग के अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए बांस, केन, बढ़ईगीरी प्रशिक्षण केन्द्र।	60	परियोजना नवम्बर, 1993 में स्वीकृत की गई। निमुक्ति अभी विचाराधीन है।
	उप जोड़			230	1,35,000
11	उड़ीसा	विद्युत क्लब हल्दीपाड़ा।	9 से 11 वर्ष आयु वर्ग के सामाजिक और आर्थिक रूप में पिछड़े परिवारों से सम्बद्ध कुशाग्र बुद्धि बच्चों के लिए विद्यालय उपरान्त समय में अध्ययन केन्द्र	40	34,605

1	2	3	4	5	6
		नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान पुरी	लड़कियां (6–14 वर्ष) के लिए बतख पालन और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सह उत्पादन एकक	60	45,000
	उप जोड़			100	79,605
12	राजस्थान	सेंट स्टीफन पब्लिक स्कूल समिति, जयपुर	बच्चों (14–18 वर्ष) के लिए टंकण प्रशिक्षण केन्द्र	50	48,690
	उप जोड़			50	48,690
13.	तमिलनाडु	मद्रास समाज सेवा समिति, मद्रास	अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के पिछड़े वर्गों के लड़के तथा लड़कियों के लिए हथकरघा, कढ़ाई और अनौपचारिक शिक्षा का प्रशिक्षण	30	49,355
		विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लड़के तथा लड़कियों (14–18 वर्ष) के लिए आवासीय व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	500	40,725
		अन्नई इन्दिरा सातिया समुगा, सिवगंगा तालुक	लड़कियों (14–18 वर्ष) के लिए ताड़–पत्र प्रशिक्षण–सह–उत्पादन एकक	60	46,642
	उप जोड़			590	136,722

1	2	3	4	5	6
14	उत्तर प्रदेश	इन्टरनैशनल बुद्ध ऐजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हापुड़	निराश्रित बच्चों (15–18 वर्ष के) के लिए मुद्रण, जिल्द-साजी और कम्पोजिंग का प्रशिक्षण	50	50,000
		सैन्टर फॉर ऐग्रोरियन रिसर्च ट्रेनिंग एंड ऐजुकेशन सैन्टर, गाजियाबाद	समाज के कमजोर वर्गों के स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके लड़के और लड़कियों (6–15 वर्ष) के लिए इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रिकल हाऊस वायरिंग, रिवाइंडिंग का प्रशिक्षण	40	31,050
		पीपल्ज सोसाईटी डिवेल्पमैंट, लखनऊ	बच्चों के लिए कढ़ाईदार कपड़ों के उत्पादन हेतु (10–15 वर्ष के आयुवर्ग के लिये) सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।	30	37,462
		सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान, लखनऊ	(1) रेडियो, ट्रांजिस्टर, टी वी इत्यादि जैसे इलेक्ट्रानिक सामान को तैयार करने और इसके रिपेयर करने के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना। (2) 14--18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषाहार की व्यवस्था।	30	36,270

1	2	3	4	5	6
		स्वामी धर्मानंद शिक्षा समिति, फतेहपुर	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़ी जातियों की लड़कियों (14–18 वर्ष) के लिए एक टाइपिंग केन्द्र की स्थापना	25	40,824
		महिला भवन विद्यापीठ, लखनऊ	समाज की पिछड़ी जातियों की लड़कियों (14–18 वर्ष) के लिए रेक्सीन के सामान के निर्माण के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	50	32,895
		समाज कल्याण समिति, उन्नाव	स्कूल जाने वाले और स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों (14–18 वर्ष) के लिए मोटर मैकेनिक और स्कूटर रिपेयरिंग	80	32,850
		युवा एवं बाल विकास समिति, देवरिया	बच्चों (6–14 वर्ष) के लिए वाचनालय और पुस्तकालय केन्द्र	200	18,432
		कैलास स्मारक बाल सदन, आगरा	बच्चों (14–18 वर्ष) के लिए आधारभूत शिक्षा तथा मोटर साईकिल और स्कूटर रिपेयरिंग का प्रशिक्षण केन्द्र	50	30,465
		श्री हरि ग्राम उद्योग सेवा संस्थान, इटावा	बच्चों (14–18 वर्ष) के लिए मुद्रण और कम्पोजिंग का प्रशिक्षण केन्द्र	50	47,393

1	2	3	4	5	6
		उत्तर प्रदेश बाल विकास परिषद, इलाहाबाद	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और निर्धन बच्चों (14–18 वर्ष) के लिए अगरबत्ती उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र	200	49,095
		डा. अम्बेदकर समाज सेवा मण्डल, इलाहाबाद	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के 14 से 18 आयुवर्ग के बच्चों हेतु दरी बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र	25	30,105
		भारतीय शिक्षण सेवा संस्थान, इलाहाबाद	अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों (14–18 वर्ष) के लिए दरी उत्पादन का प्रशिक्षण केन्द्र	25	25,485
		ज्ञान भारती महिला एवं बाल विकास परिषद्, उरई	निराश्रित बच्चों (14–18 वर्ष) के लिए मुद्रण व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	30	43,200
		सामाजिक उत्थान समिति, कानपुर	बच्चों (5–15 वर्ष) के लिए खेल संबंधी कार्यकलापों के एक केन्द्र की स्थापना	1000	22,500
	उप जोड़			1885	528,026
15	पश्चिम बंगाल	रामाकृष्णा विवेकानन्द मिशन, बैरकपुर	बच्चों के लिए बढ़ईगीरी, सिलाई और कढ़ाई, आटो-मैकेनिज्म का व्यावसायिक प्रशिक्षण	30	संगठन ने राष्ट्रीय बाल कोष से अनुदान नहीं लिया।

1	2	3	4	5	6
		हल्दिया समाज कल्याण परिषद्, मिदनापुर	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों (18 वर्ष की आयु तक) के लिए मोटर स्कूटर मैकेनिक प्रशिक्षण	20	85,536
		ऑल बेंगाल वीमेन्ज यूनियन चिल्ड्रन्स वेल्फेयर होम, कलकत्ता	अनाथ और निराश्रित गृहों की लड़कियों (13–18 वर्ष) के लिए बालिक साफ्ट टॉयज, ग्रीटिंग कार्ड, मशीनी बुनाई, टाइपलेखन गुड़िया बनाने, बेकरी और मसाले पीसने सहित सिलाई और कटाई, कला और शिल्प की व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	110	50,000
		वीमेन्ज को–आर्डिनेटिंग काऊंसिल, कलकत्ता	निराश्रित बच्चों (7–15 वर्ष) के लिए समेकित अनौपचारिक शिक्षा स्वास्थ्य और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम	50	44,730
		मिलन संघ, मिदनापुर	भूमिहीन मजदूरों, रिक्शा चलाने वालों और ग्रामीण गरीबों के बच्चों (14– 18 वर्ष) के लिए बढ़ईगीरी का प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र	20	36,045
		ऐल्महर्स्ट इंस्टीट्यूट आफ कम्यूनिटी स्टडीज शान्तिनिकेतन	स्कूल न जाने वाले बच्चों (6–14 वर्ष) के लिए मनोरंजन और खेल केन्द्र	500	21,150

1	2	3	4	5	6
		सेउलिपुर उद्यान क्लब, मिदनापुर	बच्चों (5–16 वर्ष) के लिए बाल पुस्तकालय	200	20,093
		विवेकानन्द लोक शिक्षा निकेतन, मिदनापुर	साईकिल रिपेयरिंग और बढ़ईगीरी का व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	50	48,668
	उप जोड़			980	306,222
	कुल जोड़			10,895	2,273,517

कृषि विस्तार कार्यक्रम

6964. **श्री प्रबीन डेका :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने किसानों को प्रशिक्षण दिया गया; और

(ग) उन किसानों को दिए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य तथा मंत्री कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्र तापीय विद्युत परिवर्तन विद्युत संयंत्र

6965. **डॉ. (श्रीमती) के. एस. सौन्दम :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने तमिलनाडु में समुद्र विद्युत परिवर्तन विद्युत संयंत्र की स्थापना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मानसून और समुद्री जीवन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से मंजूरी प्राप्त करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तथा पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार किया जाना एक पूर्वापेक्षा है।

युवक विकास केन्द्र

6966. **डॉ. कृपासिन्धु भोई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ युवक विकास केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे केन्द्रों के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गयी है; और

(घ) 1994–95 के दौरान उड़ीसा में ऐसे कितने केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है और इनकी स्थापना किन–किन स्थानों पर की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) युवा विकास केन्द्रों की नई योजना में ग्रामस्तर पर युवा क्लबों और जिला स्तर पर नेहरू युवा केन्द्र के बीच मध्यस्थता प्रदान करने की व्यवस्था की हुई है। अभी तक कोई युवा विकास केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

रिंग रेलवे

6967. **श्री विजय नवल पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार की दिल्ली में रिंग–रेलवे की संचालन सेवा में संशोधन सुधार करके, इसे मुम्बई उपनगरीय रेल सेवा के समान बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यातायात का कम औचित्य होने के कारण।

[हिन्दी]

पटसन अनुसंधान केन्द्र

6968. **श्री हरचन्द सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से पंजाब में पटसन अनुसंधान केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन–किन स्थानों पर ये केन्द्र खोले जायेंगे ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) एवं (ख). जी नहीं। पंजाब में जूट अनुसंधान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, आठवीं योजना के दौरान जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के तीन क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस मामले में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

राजधानी एक्सप्रेस को जसीडीह स्टेशन पर रोकना

6969. **श्री साईमन मरान्डी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों से बैजनाथ धाम, वासुकीनाथ तथा आसपास के अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों और रेल यात्रियों की सुविधा के लिए राजधानी एक्सप्रेस को जसीडीह जंक्शन पर रोकने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इन धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए अन्य कौन से वैकल्पिक कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक आवश्यकताएं तथा यातायात की कमी। तथापि, जसीडीह से/तक अन्य वैकल्पिक फास्ट गाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग

6970. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निष्पादन से महिलाओं के संगठनों तथा स्वयंसेवी समूहों का पूरी तरह मोहभंग हो गया है;

(घ) इस आयोग पर इसके आरम्भ से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ङ) क्या अगले वर्ष बीजिंग में होने वाले महिला सम्मेलन के लिए भारत के कागज पत्र तैयार करने में आयोग की उपेक्षा की जा रही है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) राष्ट्रीय महिला आयोग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवराजेश्वरी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 में यह प्रावधान किया गया है कि आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखे संसद में प्रस्तुत किए जाएं। किन्तु, राष्ट्रीय महिला आयोग वर्ष 1992–93 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं कर सका, क्योंकि (क) संचालन के प्रथम वर्ष 1992–93 में यह अपने कार्यकलापों की प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं कर सका और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग (वार्षिक लेखा विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट) नियमावली को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी नहीं। ये संगठन आयोग को उसके विभिन्न कार्यों के सम्पादन तथा आयोग के कार्यकलापों के निष्पादन में समुचित सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

(घ) आयोग को निर्मुक्त की गई धनराशि का वर्ष–वार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	वर्ष	धनराशि
1.	1991–92	11 लाख
2.	1992–93	125 लाख
3.	1993–94	175 लाख

(ङ) और (च). जी नहीं। सितम्बर, 1995 मे बीजिंग में होने वाले चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन की तैयारियों में राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय रूप से शामिल है। विश्व सम्मेलन के लिए परामर्श, समर्थन सेवाएं प्रदान करने तथा भारत के योगदान को अन्तिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय तैयारी समिति में तथा इस समिति के अंतर्गत स्थापित विभिन्न कोर ग्रुपों दोनों मे आयोग का प्रतिनिधित्व है।

(छ) आयोग को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वर्ष 1994–95 के बजट आबंटन को बढ़ाकर 200 लाख रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम

1990 के तहत अपने कार्यकरण में पूर्णतया स्वायत्त है। आयोग ने अपना कार्यालय स्थापित कर लिया है तथा अधिनियम के तहत परिकल्पित अपने कार्यों के निष्पादन में सक्रिय रूप से संलग्न है।

खलासियों की भर्ती

6971. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के तिरुपति, स्थित रेल डिब्बा मरम्मत कार्यशाला में खलासियों की भर्ती में अनियमितताएं बरती गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इन अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पान के पत्तों की खेती

6972. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पान के पत्तों की खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों को दिए गए प्रोत्साहन और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पान के पत्ते की किस्मों को सुधारने हेतु विभिन्न केन्द्रों पर चलाए जा रहे अनुसंधान कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में पान के पत्तों की बहुत अधिक निर्यात क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसानों को और अधिक सहयोग और सुविधाएं देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) भारत सरकार , आठवीं योजना के दौरान 2 करोड़ रूपए के परिव्यय से देश में पान की बेल के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत संरक्षिका/बरेजा का निर्माण करने, जल स्रोतों का विकास करने, पौध रक्षण उपकरणों की सप्लाई करने तथा प्रदर्शनियां लगाने के लिए 20 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान क्रमशः 19.45 लाख रुपए तथा 50.30 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी गई थी।

(ख) देश में पान की बेल पर अनुसंधान कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के 10 केन्द्रों पर किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की हालीशर सांची तथा उड़ीसा की आलुपाट्रिया किस्म को मूल जड के रोग के प्रतिरोधक के रूप में अभिज्ञात किया गया है। "बरेजा" के लिए एक किफायती डिजाइन भी विकसित किया गया है। कटाई पश्चात डंठल तोड़े हुए पान के पत्तों को 6 घण्टे तक 25 पी.पी.एम. बेनजिल एडेनाइन में डुबोने, पोलीथीन के थैलों में पैक करने तथा प्रशीतित अवस्था में भण्डारण करने से पान के पत्तों की ताजगी को 40 दिन तक बनाए रखा जा सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण चुनिन्दा बागवानी फसलों के लिए जिसमें पान की बेल भी शामिल है, कटाई पश्चात् की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, निर्यात संवर्धन, उपयुक्त पैकिंग विकसित करने आदि जैसे अलग–अलग कार्यकलापों के लिए सहायता दे रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

चित्तरंजन लोको वर्क्स

6973. **श्री एस. बी. सिद्नाल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोको वर्क्स ने वर्ष 1993–94 के दौरान इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव के निर्माण में नया रिकार्ड कायम किया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान चितरंजन लोको वर्क्स द्वारा कितने इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया गया ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में चितरंजन रेल इंजन कारखाना द्वारा बनाए गये बिजली रेल इंजनों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	संख्या
1991–92	115
1992–93	125
1993–94	140

दोहरी राशन कार्ड प्रणाली

6974. **श्री राम नाईक : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दोहरी राशन कार्ड प्रणाली आरंभ करने की सिफारिश करने हेतु नियुक्त समिति से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या–क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले ओर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा दोहरी राशन कार्ड प्रणाली के लिए मानदंड सुझाने हेतु नियुक्त की गई समिति ने राष्ट्रीय विकास परिषद् को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) व (ग). प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पर व्यय

6975. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में धान, गेहूं, ज्वार तथा मक्का को छोड़कर, खाद्य फसलों (बाजरा) तथा तिलहनों के उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा तीन वर्षों के दौरान कितना व्यय किया गया;

(ख) खाद्य फसलों, अर्थात् गेहूं, धान, ज्वार, मक्का आदि पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है; और

(ग) परम्परागत फसलों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में नियुक्त शोध कार्यकर्ताओं की तुलना मे आदिवासी क्षेत्रों में उगायी जाने वाली फसलों (बाजरा) के लिए नियुक्त शोध–कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे खर्च का ब्यौरा क्या है ?

आपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) 416.60 लाख रू.।

(ख) करीब 80 प्रतिशत।

(ग) विभिन्न फसलों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रदान किये गये वैज्ञानिकों की संख्या निम्नलिखित है :—

धान, गेहूं, ज्वार, मक्का तथा जो	=	450
मोटे अनाज	=	77

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा आईस-क्रीम

6976. **डॉ. आर. मल्लू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने यह मानकर कि सरकार उसकी योजना को स्वीकृति दे ही देगी, आईस–क्रीम की बिक्री के लिए मदर डेयरी के बूथों में 200 से अधिक "डीप–फ्रीजर" लगवा लिये हैं;

(ख) क्या एन. डी. डी. बी. ने और भी आगे जाकर इस कार्य के लिए कुछ उपकरण खरीदे अथवा उनके लिए क्रयादेश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

घटिया चावल की खरीद

6977. **श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या 1992–93 और 1993–94 के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा बड़ी मात्रा में बी. आर. एल. और घटिया चावल की खरीद की गई है तथा अभी तक खरीद की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और साथ ही इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चावल का केवल वही स्टाक खरीदा जाता है जो भारत सरकार की विनिर्दिष्टियों के सर्वथा अनुरूप होता है। खरीदे गए चावल के स्टाक की अचानक जांच की जाती है और बाद में इस बात की पुष्टि करने के लिए स्क्वाडों द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है कि क्या खरीदा गया स्टाक विहित विनिर्दिष्टयों के अनुरूप खरीदा गया है। इस प्रकार के निरीक्षण करने से यह पाया गया कि असावधानी अथवा गलत मूल्यांकन करने के कारण खरीदे गए चावल के स्टाके के कुछ ढेरों में अस्वीकृत सीमा से अधिक मात्रा में वर्तन था। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में की गई कुल खरीदारी की तुलना में खरीदे गए स्टाक में अस्वीकृत सीमा से अधिक वर्तन की मात्रा नगण्य पायी गई थी। अधिकांश मामलों में मिल मालिकों द्वारा इस स्टाक को बदला नहीं गया था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया किस्म के चावल का कोई स्टाक नहीं खरीदा जाता है।

(ग) अचानक जांच–पड़ताल करने और स्क्वाडों द्वारा निरीक्षण करने के दौरान यदि किसी स्टाक को अस्वीकृत सीमा के बाहर पाया जाता है तो मिल मालिकों से इस स्टाक को बदलवाने के लिए कदम उठाने के अतिरिक्त एक साथ इन सौदों में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्वीकृत सीमा से बाहर का कोई स्टाक न खरीदा जाए, क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षण करने के अतिरिक्त आंचलिक कार्यालय और मुख्याल द्वारा भेजे गए स्क्वाडों द्वारा आवधिक और नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

कोपरा की खरीद

6978. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोपरा खरीदने के लिए "नाफेड" ने बाजारों में हस्तक्षेप किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने कोपरा की खरीद की गई और इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां। केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नेफेड ने भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत केरल में कोपरा की खरीद के लिए मण्डी में हस्तक्षेप किया है।

(ख) 3.5.1994 तक केरल में लगभग 3411.60 लाख रुपए मूल्य के 14156 मीटरी टन कोपरा की खरीद की गई है। आगे और भी खरीद जारी है।

खाद्यान्नों की कुल खरीद

6979. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की कुल खरीद में गत वर्ष के दौरान गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी गिरावट आयी है; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्नों की कुल खरीद के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के उठान में वर्ष प्रति वर्ष उतार चढ़ाव होता रहता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल का कम उठान होने का प्रमुख कारण पिछले दो वर्षों अर्थात् 1992–93 और 1993–94 में खाद्यान्नों का अच्छा उत्पादन होने की वजह से देश में खाद्यान्नों की सुगम उपलब्धता होना है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का निम्नानुसार उठान किया गया था

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं
1989–90	73.21	69.46
1990–91	78.77	70.83
1991–92 (अ.)	99.45	87.85
1992–93 (अ.)	93.64	74.00
1993–94 (अ.)	88.84	58.63

(अ.) – अनन्तिम।

छात्रों को बार्ड की परीक्षा में बैठने पर रोक

6980. **प्रो. एम. कामसन :**

श्री गुरूदास कामत :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 में दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में कुछ छात्रों को स्कूल–वर्दी में न होने के कारण, उन्हें परीक्षा में न बैठने देने संबंधी कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रभावित छात्रों का भविष्य बचाने के लिए इस मामले में कुछ कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

टाइम्स आफ इंडिया में 22.3.94 को एक समाचार प्रकाशित हुआ जिसमें इस बात का उल्लेख है कि स्कूल की यूनीफार्म न पहनने के कारण एक छात्र को भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् द्वारा संचालित कक्षा X की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। बिशप काटन पब्लिक स्कूल, शिमला के छात्र श्री अमित छाबड़ा को स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित उम्मीदवार के रूप में भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा की कक्षा X की परीक्षा के लिए फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल, दिल्ली नामक परीक्षा केन्द्र आबंटित किया गया। परीक्षा की समय–सारणी के लिए तथा स्थानीय केन्द्र शुल्क के भुगतान के लिए ऊपर उल्लिखित स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क करने से संबंधित भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् द्वारा दिए गए निर्देश का छात्र ने पालन नहीं किया।

1.3.94 को उक्त छात्र विद्यालय गया और सुरक्षा गार्डों ने उसे केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें यह हिदायत दी गई थी कि केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए जो स्कूल यूनीफार्म पहने हो ताकि बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को रोका जा सके।

2.3.94 (पूर्वाह्न) को उक्त छात्र अपने पिता के साथ स्कूल के प्रधानाचार्य से मिला। प्रधानाचार्य ने छात्र को उसके पिता की उपस्थिति में परीक्षा में तत्काल शामिल हो जाने की सलाह दी। प्रधानाचार्य

ने 1.3.94 को छात्र अंग्रेजी के जिस प्रश्नपत्र में नहीं बैठ सका था उसमें भी मदद करने की पेशकश की। 2.3.94 को (अपराह्न) छात्र ने मामले की सी आई एस सी ई कार्यालय में रिपोर्ट की। लेकिन उसने यह उल्लेख किया कि वह परीक्षा देने का इच्छुक नहीं है क्योंकि वह अंग्रेजी का प्रश्नपत्र नहीं दे सका है जो कि एक अनिवार्य विषय है।

सी आई एस सी ई द्वारा संचालित प्रारंभिक छानबीन से इस बात का पता नहीं चलता है कि स्कूल के प्रधानाचार्य या किसी अन्य अधिकारी की ओर से कोई चूक हुई है। इस मामले में विशेष हस्तक्षेप को सुकर बनाने के लिए साक्ष्य देने के परिषद् के अनुरोध का छात्र ने कोई जवाब नहीं दिया।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जमजातियों के अभ्यार्थियों को छूट

6981. **श्री रामविलास पासवान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "जूनियर रिसर्च फेलोशिप" की राष्ट्रीय अर्हता परीक्षा और ऐसी अन्य परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को अंकों में कोई छूट नहीं दी है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में गठित तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) क्या एम. फिल/शोध/डिग्री पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार आयोग ने जूनियर रिसर्च फैलोशिप और लेक्चररशिप की योग्यता हेतु राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में शामिल होने वाले अ. जा. /अ. ज. जा. के उम्मीदवारों को अंकों में छूट नहीं दी थी। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा के परिणामों में अ. जा./अ. ज. जा. के उम्मीदवारों को अंकों की कटौती में 15% अंक तक की छूट प्रदान की जाती है। बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के शताब्दी समारोह के सिलसिले में आरक्षण कार्यान्वयन उप समिति द्वारा दी गई अंतिम रिपोर्ट और अ. जा. तथा अ. ज. जा. के सांसदों और विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित संकल्पों पर विचार

करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की। समिति ने सिफारिश की है कि "द्वितीय श्रेणी से मास्टर डिग्री उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवार राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।" विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ). राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से कल्याण मंत्रालय अ. जा./ अ. ज. जा. के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित करता है। योजना के अंतर्गत भारत में एम. फिल/पी.एच.डी. पाठ्यक्रम करने वाले पूर्णकालिक अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। योजना में विषय (थिसिस) के टंकण/मुद्रण शुल्कों का भी प्रावधान है।

अनिवासी भारतीयों के बच्चों को प्रवेश

6982. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों के बच्चों को कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रबन्धन पाठ्यक्रमों में विदेशी मुद्रा का भुगतान करने पर प्रवेश परीक्षा दिए बिना ही प्रवेश दिए जाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या नीति है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टीक के पेड़ लगाना

6983. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई. आर. एस. आंकड़ों का उपयोग करके टीक के पेड़ लगाने हेतु कोई योजना चलायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने इस प्रयोजनार्थ किसी विशेष क्षेत्र का चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्यस्थ प्राधिकरण

6984. **श्री एस. एम. लालजान बाशा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे ने मध्यस्थता निर्णय हेतु कितने मामले मध्यस्थता प्राधिकरण के पास भेजे; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल मामलों में से कितने मामलों पर निर्णय लिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) 42

(ख) 15

चीनी मिलों का संकट

6985. **श्री प्रकाश वी. पाटील** :

श्री खेलन राम जांगडे :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख चीनी उत्पादकों ने मासिक कोटा प्रणाली के कारगर ढंग से प्रयोग न किए जाने के कारण उद्योग में पैदा होने वाले संकट के प्रति सचेत किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या 1988-89 के मौसम की तरह देश के समक्ष संकट है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) उद्योग को आशंका है कि चीनी के उत्पादन में गिरावट के कारण 1993-94 के चालू मौसम के दौरान देश में चीनी की उपलब्धता कम होगी।

(ग) 1988–89 मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन पिछले मौसम की तुलना में घट गया था। चालू मौसम 1993–94 के दौरान भी पिछले मौसम की तुलना में चीनी का उत्पादन घटने की संभावना है।

(घ) 1993–94 मौसम के दौरान उत्पादन में संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए और मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए तथा देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के तहत चीनी का आयात करने की मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। इस आयात पर कोई सीमा शुल्क या अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। आशा की जाती है कि इससे चीनी की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने तथा खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

जापान से जीवाणु का अवैध रूप से आयात

6986. **श्री राम बदन :**

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री बृज भूषण शरण सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जापान से अवैध रूप से आयात किए गए जीवित जीवाणु और उन्हें बिना कोई परीक्षण कराए खेतों में छोड़ दिए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इन जीवाणुओं को अनुमानतः कितने एकड़ जमीन में छोड़ा गया है;

(घ) क्या इन जीवाणुओं को खेतों में छोड़े जाने के कारण फसलों के नष्ट होने की संभावना है;

(ङ) इस बात की जांच कराई गई है कि इन जीवाणुओं का आयात कैसे किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख). जी, नहीं।

(ग) लाभकारी प्रभावों के लिए दावा किए गए इ.एम. नामक एक उत्पाद के नमूने की परीक्षणात्मक जांच की जा रही है।

(घ) उपरोक्त "ग" को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) तथा (छ). प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान

6987. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री एस. बी. सिदनाल :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री अंकुश राव रावसाहेब टोपे :

श्री मोहन रावले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) 1994–95 के दौरान इस संस्थान को कितनी धनराशि दी गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना 1991 में की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य संसाधन केन्द्रों से मिलकर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को सहायता प्रदान करना है।

मंत्रालय ने राज्य संसाधन केन्द्रों तथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान सहित सभी संस्थाओं को आवश्यक सहायता प्रदान की है। 1994–95 के दौरान, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के लिए 120.00 लाख रू. का बजट प्रावधान तैयार किया गया है।

बचत सह-राहत-योजना

6988. **श्री वी. एस. विजयराघवन :**

श्री के. मुरलीधरन :

क्या **कृषि मंत्री** 10 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न सं. 2368 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सभी भाग लेने वाले राज्यों के बचत सह राहत योजना के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

चीनी प्रोत्साहन योजना

6989. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान शर्तें पूरी न करने वाली चीनी मिलों को चीनी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन दिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस प्रकार के प्रोत्साहन देने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संबंधित प्रोत्साहन योजनाओं में निहित शर्तों को पूरा करने वाली चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं।

बेड़थी परियोजना

6990. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में बेड़थी परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार को उक्त परियोजना का कार्य रोकने का निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने आगे क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). बेड़थी जल विद्युत परियोजना को कतिपय शर्तों और सुरक्षा–उपायों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति फरवरी, 1979 में दी गई थी। तथापि, वन भूमि के अंतरण का प्रस्ताव अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ). उत्तर कन्नड़ के जन–आन्दोलन के कारण राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1979 में न केवल कार्य रोकने का आदेश दिया था बल्कि निर्मित ढांचे को भी कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु पुलिस विभाग को अंतरित कर दिया था। बाद में परियोजना की वांछनीयता की जांच करने के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा एक पुनरीक्षा समिति गठित की गई और स्कीम की पुनरीक्षा की जा रही है।

(ङ) जब संशोधित स्कीम को अपेक्षित पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाओं तथा वन भूमि के अन्तरण संबंधी प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाएगा तो उस पर विचार किया जाएगा।

उपनगरीय रेल

6991. **श्री मोहन रावले :** क्या रेल मंत्री 23 फरवरी, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में उपनगरीय रेलवे के सुधार से संबंधित स्थगित कर दी गयी योजना को पुनः कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना को कितनी अवधि तक के लिए स्थगित किया गया था;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त योजना को कब तक पुनः कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) इस विषय पर नीति संबंधी मार्ग निर्देश शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने हैं। तदनुसार, मामले पर कार्रवाई की जाएगी।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पार्सल कर्मचारी

6992. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जोनवार कितने पार्सल कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गये हैं; और

(ख) इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नए डिवीजन

6993. **श्री दत्ता मेघे** :

श्री एन. जे. राठवा :

श्री प्रवीन डेका :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को रेलवे में जोनवार नए डिवीजन बनाने के अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) पूर्व रेलवे पर एक नये मण्डल, मध्य, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम रेलों पर दो नये मण्डलों, दक्षिण–पूर्व रेलों पर चार नये मण्डलों और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर पांच नये मण्डलों के सृजन के लिए सरकार को समय समय पर सुझाव पत्र प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा किसी नये मण्डल का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय

6994. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश में कुछ केन्द्रीय विद्यालय खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विद्यालयों में कार्य करने के लिए भारत से अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन स्कूलों में अध्यापकों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). विदेशों में स्थापित तीन केन्द्रीय विद्यालय मास्को, काठमाण्डू तथा काबुल में स्थित हैं। काबुल का विद्यालय वहां विद्यमान अशांत परिस्थितियों की वजह से काम नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ). जी, हां। संगठन के सेवारत इच्छुक शिक्षकों में से इन विद्यालयों के लिए शिक्षकों का चयन किया जाता है।

(ङ) और (च). मास्को में पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र) तथा पी.जी.टी. (इतिहास) के पद खाली हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र) का पहले ही चयन कर लिया है और तैनाती आदेश

जारी कर दिए गए हैं। पी.जी.टी. (इतिहास) के पद के लिए 2 मई, 1994 को साक्षात्कार लिया गया और एक उम्मीदवार का चयन किया गया। पी.जी.टी. (इतिहास) का पद रिक्त है क्योंकि पहले चयन किये गये उम्मीदवार ने पदभार ग्रहण नहीं किया। पदधारी के देश प्रत्यावर्तन की वजह से पी.जी. टी. (अर्थशास्त्र) का पद रिक्त है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों हेतु विपणन केन्द्र

6995. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1994--95 के दौरान गेहूं की खरीद के लिए कितने विपणन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) ये केन्द्र निकट भविष्य में किन–किन राज्यों में खोले जाएंगे ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है, जिसमें वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1994–95 के दौरान गेहूं की वसूली करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की वसूली एजेन्सियों द्वारा चलाए जा रहे क्रय केन्द्रों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

रबी विपणन मौसम, 1994–95 के दौरान भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा चलाए गए क्रय केन्द्रों की संख्या (अनन्तिम)

		केन्द्रों की संख्या		
क्रम सं.	राज्य	भारतीय खाद्य निगम	राज्य/एजेंसियां	जोड़
1.	पंजाब	414	487	901
2.	हरियाणा	99	202	301
3.	उत्तर प्रदेश	339	5751	6090
4.	राजस्थान	43	92	135
5.	मध्य प्रदेश	15	492	507
6.	दिल्ली	4	–	4

1	2	3	4	5
7.	बिहार	20	20	40
8.	हिमाचल प्रदेश	9	–	9
9.	गुजरात	11	6	17
	जोड़ :	954	7050	8004

[अनुवाद]

बाल शिक्षा

6996. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

श्रीमती शीला गौतम :

डॉ. मुमताज अंसारी :

श्री राजेश कुमार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्कूल–पूर्व बाल शिक्षा के संबंध में दूरदर्शन के लिए कोई परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने स्कूल–पूर्व बच्चों के लिए गीतों, कार्टून चित्रण (एनीमेशन), कठपुतली नाच और कागज़ की कृतियों (ऑरिगामी) के माध्यम से वर्णमाला, गिनती, स्वास्थ्य रक्षा, स्वच्छता, पोषण, ज्यामितीय आकृतियाँ आदि के शिक्षण को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से 13 श्रृंखलाओं का एक दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार किया था। कार्यक्रम पहले ही 4 जुलाई, 1993 से लगातार 13 रविवारों को दूरदर्शन नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जा चुका है।

पर्यावरण पर संगोष्ठी

6997. **डॉ. के. वी. आर. चौधरी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991, 1992 और 1993 में सरकार द्वारा पर्यावरण पर कितनी संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं को सीधे ही आयोजित किया गया अथवा प्रायोजित किया गया;

(ख) तत्संबंधी संगोष्ठियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक संगोष्ठियों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष–1991

क्र. सं.	संगोष्ठी का नाम	संगठन	स्वीकृत राशि
1.	बीज एवं अंकुरण क्रिया पर पर्यावरणीय प्रभाव–अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी में हाल में हुई प्रगति पर एक परिसंवाद	जोधपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान	10,000 रु.
2.	पर्यावरणीय सुरक्षा एवं कीट–नाशकों के सही उपयोग पर संगोष्ठी	पर्यावरण एवं प्रबंध अध्ययन केन्द्र, 20–एफ., बसंत लोक, नई दिल्ली–110 052.	25,000 रु.
3.	"भारत में पर्यावरण अवक्रमण के परिणाम" पर संगोष्ठी का प्रकाशन	पर्यावरणीय शिक्षा एवं अनु–संधान डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, 54, आनन्द नगर, इन्दौर, म. प्र.	10,000 रु.
4.	"पशुधन एवं पर्यावरण" पर संगोष्ठी	गुजरात राज्य समिति, वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर इंडिया, मार्फत ज्योति लिमिटेड, 5, इम्पाला हाउस, विश्वास कालोनी, बड़ौदा–390 005.	20,000 रु.
5.	"पर्यावरण और विकास" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, 5, लाजपत राय रोड, नया कटरा, इलाहाबाद–208 012.	50,000 रु.

1	2	3	4
6.	"महिला, पर्यावरण एवं विकास : नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन" पर राष्ट्रीय कार्यशाला	अखिल भारतीय महिला अध्ययन एवं विकास संगठन, 11/98–ए, अशोक नगर, कानपुर – 208 012.	50,000 रु.
7.	"कानून, शिक्षा एवं विकास पर बल – पर्यावरण नीतिशास्त्र" पर राष्ट्रीय परिसंवाद	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	45,000 रु.
8.	"पर्यावरण अध्ययन" पर संगोष्ठी	भूगोल विभाग, डी. एन. कालेज, फतेहगढ़–209 601	25,000 रु.
9.	नेशनल एसोसिएशन आफ जियोग्राफर्स इंडिया की 13वीं भारतीय भूगोल कांग्रेस	13वीं भारतीय भूगोल कांग्रेस, भूगोल विभाग, पटना	50,000 रु.
10.	"पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन" पर भारत–डच कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	75,000 रु.
11.	"पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन" पर भारत–डच कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला	पर्वतीय पर्यावरण पर बहु–विषयी अध्ययन केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	1,31,693 रु.
12.	"गंगा नदी की जैव–निगरानी" पर कार्यशाला	गंगा परियोजना निदेशालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय	40,000 रु.

(वित्तीय वर्ष) 1992

क्र. सं.	संगोष्ठी का नाम	संगठन	स्वीकृत धन–राशि
1.	"स्कोप काम्पलेक्स में गैर–सरकारी संगठनों का सम्मेलन	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1,20,223 रु.
2.	26.5.92 को स्कोप कन्वेंशन सेंटर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण	– वही –	3,75,000 रु.

1	2	3	4
	एवं विकास सम्मेलन के बारे में गैर–सरकारी संगठनों के साथ परामर्श		
3.	गैर–सरकारी संगठन कार्यशाला पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अनुसरण में	पर्यावरण और वन मंत्रालय	42,373 रु.
4.	राष्ट्रीय अखण्डता शिविर, यूथ केयर	इन्टेग्रेशन कैम्प, शिवनन्दा सेन्टेनारी बॉयज़ हाई स्कूल, खण्डागिरी, भुवनेश्वर	1,00,000 रु.
5.	"रायलसीमा प्रदेश में सूखा एवं मरुस्थल की स्थिति" पर संगोष्ठी	जनसंख्या एवं पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अनन्तपुरम, आन्ध्र प्रदेश	50,000 रु.
6.	भारतीय हाथियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	बम्बई राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान सोसायटी, बम्बई	2,00,000 रु.
7.	पर्यावरण शिक्षा पर दक्षिण एवं दक्षिण–पूर्व एशिया नेटवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद	50,000 रु.
8.	शिमला में पर्यावरण और विकास पर पांचवीं भारत–ब्रिटिश संगोष्ठी	टिकाऊ विकास फाउन्डेशन, मौरिस नगर, नई दिल्ली	25,000 रु.
9.	खनिज विकास एवं पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	भारतीय खनन स्कूल, धनबाद	40,000 रु.
10.	"पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन" पर भारत–डच कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला	राष्ट्रीय महासागर विकास संस्थान, गोवा	61,222 रु.
11.	– वही –	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद	75,000 रु.

1	2	3	4
12.	– वही –	राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर	99,755 रु.
13.	"विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल करना" पर नीति संगोष्ठी	पर्यावरण और वन मंत्रालय	50,000 रु.
14.	"शहरी ठोस अपशिष्टो को पर्यावरण की दृष्टि से ठोस प्रबंध" पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला	पर्यावरण और वन मंत्रालय	10,000 रु.
15.	"लंदन दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन तथा संभावित विषाक्त रसायनों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने" पर एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला	पर्यावरण और वन मंत्रालय	1,97,000 रु.

(वित्तीय वर्ष) 1993

क्र. सं.	संगोष्ठी का नाम	संगठन	स्वीकृत धन–राशि
1.	"पर्यावरण और निवारण योग्य मानव समस्याओं तथा राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी का वार्षिक सम्मेलन" पर विचारगोष्ठी	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, क्षेत्रीय मेडीकल केन्द्र, भुवनेश्वर–751 016	30,000 रु.
2.	'जल' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	राजस्थान पर्यावरण संरक्षण सोसायटी, वसुन्धरा, जयपुर	20,000 रु.
3.	पर्यावरण विधि–अध्ययनों को संस्थागत बनाने तथा भारत में इसके प्रयोग के एजेण्डा पर परामर्श	वर्ल्ड वाइड फण्ड, इंडिया, नई दिल्ली	25,000 रु.

1	2	3	4
4.	डॉ. सलीम अली का जन्म दिवस मनाना	सलीम अली पक्षी–विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र, कोयम्बतूर	15,000 रु.
5.	"मानव एवं पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में प्राणिविज्ञानीय अनुसंधान" पर संगोष्ठी	जूलोजिकल सोसायटी, बालीगंज, कलकत्ता	50,000 रु.
6.	"विकासशील देशों के वानिकी मंच" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	पर्यावरण और वन मंत्रालय	6,88,000 रु.
7.	"पौध आनुवंशिक संसाधनों पर आई.एस.पी.जी.आर. चर्चा, राष्ट्रीय नीति का विकास करना : उभर रहे मुद्दों पर चिंता की वर्तमान स्थिति" पर संगोष्ठी	आई.एस.पी.जी.आर., नई दिल्ली	25,000 रु.
8.	"जीव विज्ञान के क्षेत्र में हाल की प्रवृत्ति" पर अंतर्राष्ट्रीय विचार–गोष्ठी	जीव–विज्ञान विभाग, ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद	50,000 रु.
9.	"प्रदूषण एवं प्रदूषण निगरानी तथा नियंत्रण" पर कार्यशाला	सेंट फ्रांसिस कालेज फार वीमेन, बेगमपेट, हैदराबाद	3,000 रु.
10.	"विधि द्वारा भविष्य बनाना : शिशु पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	भारतीय विधि संस्थान, भगवान दास रोड	5,00,000 रु.
11.	"बंजर भूमि में पौधरोपण" पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी	प्राकृतिक संसाधन विकास फाउंडेशन, लेविस रोड, भुवनेश्वर	30,000 रु.

1	2	3	4
12.	"पर्यावरणीय कानून, नीति एवं परिप्रेक्ष्य" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी	मद्रास विश्वविद्यालय मद्रास–600 005	50,000 रु.
13.	"मृदा और पर्यावरण" पर हुई कार्यशाला की कार्यवाहियों का प्रकाशन	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, न्यू कटरा, इलाहाबाद	50,000 रु.
14.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, हीरक जयन्ती वर्ष मनाना	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	20,000 रु.
15.	विश्व मंच में भाग लेने के लिए छिंदवाड़ा पर्यावरण समूह द्वारा किए गए खर्च को लौटाना	छिंदवाड़ा पर्यावरण समूह, चर्च कम्पाउंड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	35,000 रु.
16.	भारतीय हाथियों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	बम्बई प्राकृतिक विज्ञान सोसायटी, हार्नबिल हाउस, शहीद भगत सिंह रोड, बम्बई	2,00,000 रु.
17.	"पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन में प्रणाली–विज्ञान एवं प्रक्रिया" पर कार्यशाला	राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नेहरू मार्ग, नागपुर	1,00,000 रु.
18.	"जल संभर प्रबंध एवं जल ग्रहण क्षेत्र सुधार" पर कार्यशाला	पर्वतीय पर्यावरण पर बहु–विषयी अध्ययन केन्द्र, दिल्ली विश्व–विद्यालय, दिल्ली	1,00,000 रु.
19.	"महाराष्ट्र में राष्ट्रीय नदी कार्ययोजना के संदर्भ में प्रारंभिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने" पर कार्यशाला	गंगा परियोजना निदेशालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय	10,000 रु.

भारतीय खाद्य निगम

6998. **श्री के. प्रधानी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम की कितनी शाखाएं हैं तथा ये कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) राज्य में शाखावार कितने–कितने कर्मचारी हैं;

(ग) क्या सरकार के पास राज्य में नई शाखाएं खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम का उड़ीसा क्षेत्र में एक क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में स्थित है और उसके इस क्षेत्र में सात जिला कार्यालय हैं जिनके मुख्यालय भुवनेश्वर, कटक, जैपोर, सम्बलपुर, तीतलगढ़, बालासोर और बरहामपुर में हैं।

(ख) राज्य में शाखावार स्टाफ संख्या निम्नानुसार है :

	श्रेणी–1	श्रेणी–2	श्रेणी–3	श्रेणी–4
क्षेत्रीय कार्यालय	11	39	121	41
बालासोर	1	10	102	105
जैपोर	1	6	57	48
बरहामपुर	1	7	64	47
कटक	1	7	105	68
तीतलगढ़	1	6	65	54
सम्बलपुर	1	15	153	108
भुवनेश्वर	1	6	83	73
	18	96	750	544

(ग) और (घ). जी, नहीं। तथापि, नए कार्यालय खोलने की दृष्टि से कार्य के भार की समीक्षा करना एक निरनतर प्रक्रिया है और भारतीय खाद्य निगम इसकी आवधिक समीक्षा करता रहता है।

रेलवे फाटक

6999. **श्री भीम सिंह पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली में रेल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली अधिकतर मौतें रेलवे फाटकों और ऊपरिपुलों तथा पुलों के न होने के कारण होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली के कई क्षेत्रों के निवासियों ने रेलवे फाटक उपलब्ध कराने तथा ऊपरिपुलों और पुलों का निर्माण करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). कुछ अनुरोध किए गए हैं।

मौजूदा नियमों के अनुसार नए समपार की व्यवस्था करने के बारे में तभी विचार किया जाता है जब राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण ऐसे समपार की प्रारंभिक एवं आवर्ती परिचालन और अनुरक्षण लागत वहन करने के करार सहित प्रस्ताव प्रायोजित करे। इसी प्रकार नया ऊपरी/निचला सड़क पुल, जो मौजूदा समपार का प्रतिस्थापन नहीं है, भी मौजूदा नियमों के अनुसार "निक्षेप" कार्य के रूप में समझा जाता है। एक व्यस्त समपार को ऊपरी/निचले सड़क पुल में बदलने की प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य सरकारें प्राथमिकतायें देते हुए कार्यों का प्रस्ताव करती हैं। तब रेलें मामलों की जांच करती हैं और उन कार्यों को निर्माण कार्यक्रम में शामिल करती हैं जिनकी विभिन्न पूर्वापेक्षित औपचारिकताएं राज्य सरकारों द्वारा पूरी की जा चुकी हों। इन कार्यों को निर्माण कार्यक्रम में शामिल करते समय रेलें उस विशेष राज्य के मौजूदा स्वीकृत कार्यों की मात्रा और राज्य सरकार द्वारा उन कार्यों के कार्यान्वयन की गति को भी ध्यान में रखती हैं।

अभ्यावेदनकर्त्ताओं को इस प्रक्रिया से अवगत करा दिया जाता है।

[हिन्दी]

नीम के पत्ते

7000. **डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी बीमारी के कारण बड़े पैमाने पर नीम के पत्तों के झड़ने की जानकारी है; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार को नीम के पेड़ों के पत्ते झड़ने की बीमारी के बारे में जानकारी है। यह बीमारी पुल्वीनेरिया मेक्सिमा (इन्सेक्टरः होमोप्टेरा : कोडिडा) नामक कीट के कारण होती है। प्रौढ़ कीट के शिशुकीट दोनों ही कोमल पत्तों पर प्रहार करके रस चूसते हैं परिणामतः पत्तियां झड़ जाती हैं। यह बीमारी गुजरात, मध्य और दक्षिण भारत में पायी जाती है।

(ख) गुजरात राज्य सरकार ने अहमदाबाद और गांधी नगर के मध्य नीम के पेड़ों के इन कीटों से अत्यधिक ग्रसित होने की रिपोर्ट दी थी। आई.सी.एफ.आर.ई. के दल ने उक्त क्षेत्रों का दौरा किया और सुझाव दिया कि इस प्रकोप की रोकथाम के लिए मानोकोटोफोस (0.02%) का पत्तों पर पानी के फुहारे से छिड़काव किया जाना अत्यधिक प्रभावी होगा।

आमान परिवर्तन

7001. **श्री के.जी. शिवप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994–95 के दौरान बंगलौर और मिरज के बीच आमान परिवर्तन के कार्य को पूरा करने के लिए वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक कार्य पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हाँ।

(ख) 1994–95 के लिए किए गए आबंटनों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) बेंगलूर–हुबली 78 करोड़ रुपये।

(ii) होसपेट–हुबली–गोवा (बेंगलूर–मिरज मार्ग पर हुबली से लौंडा सहित) 89 करोड़ रु.

(iii) मिरज–लौंडा 102 करोड़ रुपये।

बेंगलूर से मिरज तक के पूरे खंड पर 31-3-95 तक कार्य पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में परियोजनाएं

7002. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में रेलवे के धीमे विकास को ध्यान में रखते हुए एकलाखी–बालूरघाट परियोजना, तामलुक–दीघा बड़ी लाइन, बंडेल–कटवा लाइन के विद्युतीकरण

कार्य, अदरा–मिदनापुर और हावड़ा–आम्टा बड़ी लाइन परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने हेतु विशेष उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). एकलाखी–बालुरघाट का कार्य पुनः शुरू कर दिया गया है। तामलुक–दीघा लाइन के लिए परिव्यय की राशि 93–94 के एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 94–95 में 2 करोड़ रूपये कर दी गयी है। हावड़ा–आमता लाइन के एक भाग में पुनः कार्य शुरू करने के बारे में समीक्षा की जा रही है। बंडेल–कटवा के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है और इसके लिए 1994–95 के बजट में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आद्रा–मिदनापुर के विद्युतीकरण के लिए योजना आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

गहन भूकम्पीय ध्वनि प्रणाली

7003. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के भूगर्भ–भौतिकी विभाग ने तेल क्षेत्रों और अभ्रक क्षेत्रों की खोज करने हेतु "गहन भूकम्पीय ध्वनि प्रणाली" के नाम से एक नई तकनीक का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस तकनीक का उक्त क्षेत्रों में उपयोग करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे सुरक्षा बल

7004. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों को लम्बे समय से पदोन्नति नहीं मिल रही है और उच्च स्तर पर पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). सीधे भर्ती किए गए और पदोन्नति रे. सु. ब. अधिकारियों के ग्रुप "क" में पारस्परिक वरिष्ठता के प्रश्न के बारे में कलकत्ता, इलाहाबाद, और मद्रास उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर किए जाने के कारण कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड में 24 पदों पर पदोन्नति नहीं की जा सकी थी, इन पदों को वरिष्ठ वेतनमान में परिचालित किया जा रहा है और ये सभी पद भरे हुए हैं। 4.3.94 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है, जिसकी विधि कक्ष के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

चीनी मिलों को वित्तीय सहायता

7005. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का गुजरात में स्थापित की जाने वाली नई चीनी मिलों को केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सावधि ऋण देने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन वित्तीय संस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थाओं ने अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त किए हैं और कितनों पर विचार किया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) वित्तीय संस्थाएं नई चीनी इकाइयों को उनकी व्यवहार्यता के आधार पर तथा कोष उपलब्ध होने पर सावधि ऋण स्वयं ही उपलब्ध करा रही हैं।

(ख) व (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष

7006. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5.4.94 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एच.सी.पलेस रिमूवल ऑफ पॉल्यूशन बोर्ड चीफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने "अनुचित दृष्टिकोण" के लिए सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर, 1990 में श्री एन. एस. तिवाना को तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नवम्बर, 1991 में संसद में बहस के दौरान प्रदूषण संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन की व्यापक आलोचना हुई थी जिसमें संसद सदस्यों ने महसूस किया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ या अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। माननीय पर्यावरण और वन मंत्री जी ने संसद में आश्वासन दिया था कि यदि जरूरी हुआ तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि उसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। तदनुसार, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 61 के अंतर्गत बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। फलस्वरूप, श्री एन.एस. तिवाना की सेवाएं उनके मूल विभाग, अर्थात् पंजाब सरकार को सौंप दी गई।

(ग) इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने हेतु कानूनी सलाह के लिए भेजा गया है।

(घ) और (ङ). जी, हां। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिनांक 2 दिसम्बर, 1991 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अधिक्रमण नैसर्गिक न्याय के नियम के विरुद्ध था।

अतः उन्होंने सरकार पर 20,000/– रुपए की लागत का भार डाल दिया है।

[हिन्दी]

प्रकाश टंडन समिति

7007. **श्री गुमान मल लोढ़ा** :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाश टंडन समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं;

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इसकी कौन--कौन सी सिफारिशें सरकार के जांचाधीश हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) श्री प्रकाश टंडन, जो पहले राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष थे, ने एक सदस्यीय समिति गठित की थी।

(ख) लगभग 1.8 लाख रुपये।

(ग) ग्रुप "ए" सेवा में भर्ती के एकीकरण और क्षेत्रीय रेलों को शक्तियां अन्तरित करने से संबंधित सिफारिशों को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

[अनुवाद]

मदर डेयरी द्वारा आइसक्रीम का उत्पादन

7008. **डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी के पास आइसक्रीम बनाने हेतु नई योजना आरम्भ करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) यह योजना कब तक आरंभ हो जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ). मदर डेयरी आइसक्रीम के व्यापार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। तथापि, इस व्यवस्था को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसके उपकरण पर 5 करोड़ रूपए का व्यय होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

7009. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तथा मेरठ जिलों में बड़ौत तक आमान परिवर्तन हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) बड़ौत के रास्ते दिल्ली से सहारनपुर तक पहले ही बड़ी लाइन मौजूद है।

(ख) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरिस्का टाइगर रिज़र्व

7010. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की एक विशेषज्ञ समिति की सलाह के विपरीत सरिस्का टाइगर रिज़र्व का क्षेत्र 1,145 वर्ग कि. मी. से घटाकर 866 वर्ग कि. मी. कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य जांच

7011. **डॉ. महादीपक सिंह शाक्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य जांच करने का कोई प्रावधान है;

(ख) क्या इसमें पोलियो, चेचक, बी.सी.जी. तथा डी.पी.टी. के टीके लगाये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या शहरी, ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में समान रूप से टीकाकरण किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवराजेश्वरी) : (क) से (घ). चिकित्सकीय जांच और टीकाकरण समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के अंतर्गत दी जा रही दो प्रमुख सेवाएं हैं। टीकाकरण सेवाएं शहरी, ग्रामीण और जनजातीय आई.सी.डी.एस. ब्लॉकों के बच्चों को डिप्थीरिया, कुक्कुर खांसी, टेटनस, पोलियो, तपेदिक और खसरे से बचाव के लिए प्रदान की जाती है। किन्तु, चेचक के टीके नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि इस बीमारी का उन्मूलन किया जा चुका है। इसके अलावा, सभी गर्भवती माताओं को टेटनस से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं।

जोजोबा की खेती

7012. **श्री शिवलाल नागजीभाई बेकारिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोजोबा (होहोबा) नाम का विदेशी पौधा, जो मैक्सिको, कैलिफोर्निया और एरिजोना के मरूस्थलों में उगता है, राजस्थान में भी उगता है;

(ख) यदि हां, तो वनस्पति विज्ञान में जोजोबा को क्या कहते हैं, उसमें क्या गुण होते हैं ओर उसकी खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु, तापमान, मिट्टी तथा सिंचाई उपयुक्त है;

(ग) क्या उसके बीजों से निकाले गए तेल के गुण "स्पर्म व्हेल" से निकाले गए तेल से मिलते-जुलते हैं;

(घ) यदि हां, तो जोजोबा की खेती से प्रति हैक्टेयर कितनी वार्षिक आय होती है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में उसकी खेती को वाणिज्यिक स्तर पर प्रोत्साहन देने का है; और

(च) यदि हां, तो देश में जोजोबा की वर्तमान खेती सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके संवर्द्धन के लिए सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जोजोबा का वानस्पतिक नाम सिम्मोन्डसिया चिनेनसिस (लैटिन) है।

जोजोबा तेल और इससे उत्पन्न वस्तुओं का कई प्रकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रसाधन सामग्रियों, औषधियों, स्नेहकों, भोजन, विद्युत इन्सूलेटरों आदि में, झाग, नियंत्रण एजेन्टों, प्लास्टिकसाइजरों, अग्नि गतिरोधक, ट्रान्सफार्मर तेल आदि के रूप में।

जोजोबा 200 से 400 मी. मी. की वर्षा वाले शुष्क तथा अर्द्ध–शुष्क मौसमी स्थितियों में अच्छी तरह उगता है। यह 54 डिग्री सेंटीग्रेट के उच्च तथा – 5 डिग्री सेंटीग्रेट के न्यून तापमान को भी सहन कर सकता है। जोजोबा भारी मृदा तथा जलागम प्रवण मृदा को छोड़कर किसी भी प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए अच्छी नालीदार बालूई मिट्टी बहुत उपयुक्त है। जोजोबा को अच्छी पैदावार तथा बीज उत्पादन के लिए आरंभिक पौध रोपण के समय पौध जमने तथा उसके बाद फूल खिलने के समय, सिंचाई की आवश्यकता होती है।

(ग) जी, हां।

(घ) जोजोबा के आर्थिक पहलू पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसका वाणिज्यिक उत्पादन उपलब्ध नहीं है।

(ङ) तथा (च). जी, हां। जोजोबा की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास निम्नवत् हैं :

(1) राजस्थान के 8 जिलों में 57 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जोजोबा पौधे लगाए गए हैं।

(2) राजस्थान सरकार ने 2003 तथा 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र को जोजोबा पौध रोपण के अंतर्गत लाने के लिए एक परियोजना बनाई है। उनके चालू प्रयासों में अकृष्य बंजर भूमि को पौध रोपण के लिए पट्टे पर आबंटित करना, पौदों की लागत पर 50 प्रतिशत की सबसिडी देना, किसानों को प्रशिक्षण देना, कार्य प्रणाली पैकेज का प्रकाशब करना आदि शामिल है।

(3) नाबार्ड राजस्थान में जोजोबा की खेती के लिए ऋण दे रहा है।

[हिन्दी]

आरक्षण कोटा

7013. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में गया से 72 सीटों का कोटा आवंटित करने हेतु कोई मांग की जा रही है;

(ख) क्या पूर्व रेलवे ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड को लिखा है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या रेलगाड़ी संख्या 2801 में गया से वातानुकूलित टू टियर कोटा नहीं है और रेलगाड़ी संख्या 2802 में गया के लिए वर्तमान वातानुकूलित टू टियर कोटा मुगलसराय से दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गया स्टेशन पर दिल्ली–पुरी राजधानी एक्सप्रेस को न रोकने का क्या औचित्य है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) 18.4.1994 से 2801 पुरी–नई दिल्ली पुरूषोत्तम एक्सप्रेस में कोटा 6 से बढ़ाकर शयनयान दर्जे की 36 शायिकाएं कर दिया गया है।

(घ) और (ङ). इस समय गया में 2801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में वातानुकूल 2–टियर का कोई कोटा नहीं है। स्थान की सीमित उपलब्धता और मौजूदा कोटाधारक स्टेशनों पर कोटे का पूरा–पूरा उपयोग किए जाने के कारण, गया में इस गाड़ी से वातानुकूल 2–टियर का कोटा आबंटित करने को कोई प्रस्ताव नहीं है। गया में 2802 नई दिल्ली–पुरी पुरूषोत्तम एक्सप्रेस में उंपलब्ध वातानुकूल 2–टियर की दो शायिकाओं का कोटा समाप्त नहीं किया गया है।

(च) नई राजधानी एक्सप्रेस के सुपरफास्ट स्वरूप और साथ ही सीमित यातायात होने के कारण।

उत्तर प्रदेश में आधुनिकृत रेलवे स्टेशन

7014. **डॉ. साक्षीजी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992–93 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) मेरठ शहर तथा आगरा छावनी को "आदर्श स्टेशनों" के रूप में विकसित करने, सारनाथ गौर, मुगलसराय, रेणुकूट, चोपन, परियावन, कालाकंकर रोड और अंतू स्टेशनों पर प्लेटफार्म सायबानों की व्यवस्था; बादशाहनगर, गोरखपुर, सैयद राजा एवं तिलहर स्टेशनों पर प्लेटफार्मों को ऊंचा करना

उनका विस्तार/उन्हें चौड़ा करने मनकापुर, दुदधीनगर और परियावन कालांककर रोड स्टेशनों पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों की व्यवस्था, देवरिया सदर, पीलीभीत तथा बादशाहनगर स्टेशनों पर बुकिंग/आरक्षण सुविधा बढ़ाने, रमईपुर, परसेहरा मल, मनवा, मुंडागोपाल आश्रम महता बाजार, पिंडरा रोड, पीपरसंद, सोनिक, बंधुआ कलां, जौनपुर कचहरी, रहमतनगर, तलखाजुरी, तिकौली, रावतपुर, रामचन्द्रपुर, ईशरदासपुर स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

7015. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वास्को मार्गो रेलवे स्टेशन से होसपेट हुबली बरास्ता लौन्डा तक प्रस्तावित बड़ी रेल लाइन बिछाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताओं का, वर्ष–वार किये गये वित्तीय प्रावधान, कार्य के वास्तविक लक्ष्य और निर्धारित मानकों के अनुसार परियोजना की वर्तमान स्थिति और 1994–95 हेतु किये गये वित्तीय प्रावधानों सहित विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से वास्को और हुबली के बीच रेलों के आने–जाने पर प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो सरकार को माल ढुलाई और यात्री यातायात पर कितने राजस्व की हानि होगी;

(ङ) क्या आमान परिवर्तन के दौरान गोवा और होसपेट में खनन और औद्योगिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होंगी; और

(च) यदि हां, तो इस कार्य को बिना बाधा के पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). होसपेट–हुबली–लौंडा खण्ड पर कार्य की प्रगति अच्छी है और यह 1994–95 में पूरा हो जाएगा। लौंडा और वास्को के बीच कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा, इस कार्य के लए 1994–95 में 89 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।

(ग) जी हां, अस्थायी रूप से समूचे मार्ग का आमान परिवर्तन होने तक।

(घ) चूंकि घाटा यातायात की उस मात्रा पर निर्भर करेगा जो रेल से हटकर सड़क की ओर चला गया हो अथवा जिसे बिल्कुल ढोया ही न जा रहा हो, इसलिए इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है।

(ङ) और (च). इस मामले पर खनन उद्योग के साथ विचार विमर्श किया गया है और वे लौंडा और वास्को के बीच अस्थायी सड़क पुल के लिए सहमत हो गए हैं।

राज्य भूमि उपयोग बोर्ड

7016. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्य भूमि उपयोग बार्ड को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने केन्द्र की स्वीकृति तथा इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक धनराशि जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इस समय कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ).

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष	राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव	निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	1992–93	13.10	12.05*
		1993–94	21.00	9.40
2.	कर्नाटक	1992–93	7.36	4.46*
		1993–94	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।	

* (इसमें राज्य के पास पिछले वर्षों की बकाया पड़ी पुनः वैधीकृत राशि शामिल है।)

1994–95 के लिए अंतरिम आबंटन प्रदर्शित करने वाली प्रशासनिक स्वीकृति उन राज्य भूमि उपयोग बोर्डों के संबंध में पहले ही जारी कर दी गई है जिन्होंने इस योजना को 1993–94 तक

लगातार कार्यान्वित किया है। तथापि, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों से विस्तृत प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण में निजी फर्म

7017. **श्री तारा सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रदूषण नियंत्रण कार्यकलाप निजी फर्मों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो उन निजी फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस संबंध में अपनी रुचि दर्शायी है;

(ग) क्या ये फर्में सरकार के प्रति जवाबदेह होंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना एवं संचालन औद्योगिक इकाइयों की जिम्मेदारी है जिसमें वे निजी फर्मों की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कोई नियामक कार्यकलाप किसी निजी फर्म को सौंपने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चन्डीगढ़ में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

7018. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष चन्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इस प्रयोजनार्थ स्थापित किए गए अथवा सहायता प्रदत्त प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष इनमें से प्रत्येक केन्द्र द्वारा कितने प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित बनाया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम कहा जाने वाला केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अप्रैल, 1991 से समाप्त कर दिया गया चूंकि समीक्षाओं ने यह दर्शाया कि इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था और यह लागत प्रभावी नहीं था। प्रौढ़ साक्षरता का उपागम अब सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों के माध्यम से है, जो कि क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, स्वयंसेवा आधारित और लागत प्रभावी है।

15–35 आयुवर्ग के 0.53 लाख शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अगस्त, 92 में संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया जिसके लिए 33.90 लाख रु. का कुल अनुदान स्वीकृत किया गया। अब तक 0.23 लाख शिक्षार्थियों की प्राइमर–III के स्तर को पूरा कर लेने की सूचना मिली है।

[हिन्दी]

रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करना

7019. **श्री राजेश कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी; और

(घ) इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). नियमानुसार बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार तैनात करने की प्रारंभिक लागत संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा वहन की जाती है। बहरहाल, समपारों पर दुर्घटनाओं के परिणामों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए रेलों ने 1994–95 के बजट में लगभग 500 समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इन 500 समपारों का ब्यौरा इस प्रकार है :

रेलवे	समपारों की संख्या
मध्य	67
पूर्व	7
उत्तर	104
पूर्वोत्तर	34
पूर्वोत्तर सीमा	2

दक्षिण	83
दक्षिण पूर्व	22
पश्चिम	181
जोड़	500

(घ) लगभग 1160।

[अनुवाद]

पशु-पालन

7020. **श्री शंकर सिंह बाघेला :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रयोजित पशु–पालन के विकास के लिए लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत आज तक क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुईं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के नामों का विवरण उन राज्यों के नाम सहित जहां इन्हें 1992–93 के दौरान कार्यान्वित किया गया, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इन मदों के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

	लक्ष्य	उपलब्धि (अनन्तिम)
दूध (मिलियन टन)	58.7	57.8
अण्डे (मिलियन)	23.2	22.9
ऊन (मिलियन कि. ग्रा.)	44.2	40.6

विवरण

विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची, उन राज्यों के नामों के साथ जहां वर्ष 1992–93 के दौरान इन्हें कार्यान्वित किया गया

योजना का नाम	राज्य
1. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा सन्तति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार	आन्ध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम।

1	2
2. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश।
3. राष्ट्रीय मेढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम	अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश।
4. राष्ट्रीय पशुप्लेग परियोजना	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र।
5. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र।
6. व्यावसायिक दक्षता विकास	हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप, पाण्डिचेरी, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा।
7. एकीकृत सुअर विकास के लिए राज्यों को सहायता	आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह।
8. भारवाही पशु विकास	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश
9. आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश।
10. पशुधन उत्पादों के अनुमानों के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र।
11. वधशाला/पशु शव उपयोग केन्द्रों के सुधार के लिए राज्यों को सहायता	आन्ध्र प्रदेश।
12. विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम	असम, नागालैण्ड, पश्चिम बंगाल तथा संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी को छोड़कर शेष सभी राज्यों की निधियाँ निर्मुक्त की गईं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की खरीद

7021. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993–94 में भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों की खरीद के लिए कई अन्य एजेन्सियों से सहायता ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य–वार ऐसी एजेन्सियां कौन–कौन सी हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा इन एजेन्सियों को किस दर पर कमीशन का भुगतान किया गया; और

(ङ) ऐसी एजेन्सियों के चयन हेतु भारतीय खाद्य निगम ने क्या तरीके अपनाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) खाद्यान्नों की समर्थन मूल्यों पर वसूली करने के लिए भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार की केन्द्रक एजेन्सी है। चूंकि यह एक विशाल कार्य है, इसलिए भारतीय खाद्य निगम को राज्य सरकारों और उनकी वसूली एजेन्सियों के निकट सहयोग के साथ काम करना पड़ता है।

(ग) विवरण I और II संलग्न हैं जिनमें खरीफ विपणन मौसम, 1993–94 और रबी विपणन मौसम, 1993–94 के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अधीन खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए नियुक्त की गई वसूली एजेन्सियों के नाम दिए गए हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए राज्य सरकारों और/अथवा उनकी वसूली एजेन्सियों को कोई कमीशन अदा नहीं करता है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा निश्चित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केन्द्रीय पूल के लिए उनके द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की लागत और प्रासंगिक प्रभार अदा करता है।

(ङ) खाद्यान्न की वसूली करने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ एजेन्सियों के पास उपलब्ध आधार ढांचे को दृष्टि में रखकर संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से एजेन्सियों का चयन किया जाता है।

विवरण-I

खरीफ 1993–94 के दौरान जिन एजेन्सियों को मूल्य समर्थन योजना के अधीन धान/मोटे अनाजों की वसूली करने का कार्य सौंपा गया, उनके नाम बताने वाला विवरण (अनन्तिम)

राज्य **	एजेन्सियां
1. पंजाब	(1) भारतीय खाद्य निगम (2) राज्य सरकार (3) राज्य विपणन संघ (4) पंजाब नागरिक आपूर्ति निगम (5) पंजाब राज्य भण्डारण निगम
2. हरियाणा	(1) भारतीय खाद्य निगम (2) हरियाणा राज्य विपणन संघ
3. राजस्थान	भारतीय खाद्य निगम (पूर्णरूपेण)
4. दिल्ली	भारतीय खाद्य निगम (पूर्णरूपेण)
5. जम्मू और कश्मीर	जे.ऐ.के.एफ.ई.ई.डी.
6. उत्तर प्रदेश	(1) भारतीय खाद्य निगम (2) राज्य सरकार (3) प्रादेशिक सहकारी संघ (यू.पी.सी.एफ.) (4) उत्तर प्रदेश कृषि उद्योग निगम
7. मध्य प्रदेश	(1) विपणन संघ (2) नागरिक आपूर्ति निगम
8. आन्ध्र प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम (पूर्णरूपेण)
9. पांडिचेरी. संघ राज्य क्षेत्र	(1) भारतीय खाद्य निगम (2) सहकारी समितियां
10. असम	राज्य संघ
11. पश्चिम बंगाल	भारतीय खाद्य निगम (पूर्णरूपेण)
12. उड़ीसा	(1) भारतीय खाद्य निगम (2) उड़ीसा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

1	2
13. बिहार (अनन्तिम)	(1) भारतीय खाद्य निगम (2) बिहार राज्य सहकारी बैंक/बी.आई.एस.सी.ओ.एम.ए.एन.
14. अरूणाचल प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम (अंचल समितियों के जरिये)
15. गुजरात	(1) गुजरात राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड (2) गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (केवल मोटे अनाजों के लिए)
16. महाराष्ट्र	(1) आदिवासी विकास निगम (आदिवासी क्षेत्रों में) (2) महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (आदिवासी क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में)
17. कर्नाटक	(1) भारतीय खाद्य निगम (2) कर्नाटक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (3) कर्नाटक राज्य विपणन संघ
18. चण्डीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	(1) भारतीय खाद्य निगम (पूर्णरूपेण)

** खरीफ विपणन मौसम पहली सितम्बर, 1993 से समय से पहले आरम्भ कर दिया गया।

विवरण-II

रबी 1993–94 के दौरान मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन गेहूं की वसूली करने के कार्य में लगी एजेन्सियां (अनन्तिम)

1. पंजाब	1. पंजाब राज्य खाद्य विभाग	
	2. भारतीय खाद्य निगम	
	3. पंजाब राज्य विपणन संघ	(मार्कफेड)
	4. पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	(पुनसुप)
2. हरियाणा	1. हरियाणा राज्य खाद्य विभाग	

		2. भारतीय खाद्य निगम	
		3. राज्य विपणन और सहकारी संघ	(हैफेड)
		4. हरियाणा भण्डारण निगम	(एच.डब्ल्यू.सी.)
		5. हरियाणा एग्रो	
		6. उपभोक्ता संघ	(कानफेड)
3.	उत्तर प्रदेश	1. उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य विभाग	
		2. भारतीय खाद्य निगम	
		3. प्रादेशिक सहकारी संघ	(पी.सी.एफ.)
		4. उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ	
		5. केन्द्रीय भण्डारण निगम	(सी.डब्ल्यू.सी.)
4.	मध्य प्रदेश	1. भारतीय खाद्य निगम	
		2. नागरिक आपूर्ति निगम	(एन.ए.एन.)
		3. विपणन संघ	(मार्कफेड)
5.	राजस्थान	1. भारतीय खाद्य निगम	
		2. राजस्थान राज्य भण्डारण निगम*	(आर.एस.डब्ल्यू.सी.)
		3. राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ*	(आर.के.वी.एस.एस.)
6.	बिहार	1. भारतीय खाद्य निगम	
		2. बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम	(बी.एफ.सी.एस.)
7.	दिल्ली	1. भारतीय खाद्य निगम	
8.	गुजरात	1. भारतीय खाद्य निगम	
		2. गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (जी.यू.जे.सी.ओ.एम.ए.एस.ओ.एल.)	

* ये दोनों एजेन्सियां भारतीय खाद्य निगम के उप–एजेन्टों के रूप में कार्य रही हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय में दूसरी शिफ्ट

7022. **श्री मुहीराम सैकिया :**

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केन्द्रीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं का द्वितीय शिफ्ट में अंतरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। सभी विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं को द्वितीय शिफ्ट में अंतरिम करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

रेल दुर्घटना

7023. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अप्रैल, 1994 को महाराष्ट्र में कोई रेल दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना के कारण क्या हैं;

(घ) दुर्घटना में हुई जान और रेलवे माल के नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दुर्घटना के शिकार लोगों को दिए गए अथवा दिए जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) 10.4.94 को मध्य रेलवे के मनमाड स्टेशन पर "एन" नासिक अप मालगाड़ी की एक खड़े ए.सी. बिजली रेल इंजन और 1382 अप भुसावल–मनमाड पैसेंजर के खाली रेक के साथ टक्कर हो गई थी।

(ग) मनमाड की ओर एक तीव्र ढाल पर "एन" नासिक अप मालगाड़ी का लुढ़कना, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सका।

(घ) इस टक्कर में 3 व्यक्तियों की जानें गईं और 11 व्यक्तियों को चोटें आईं। रेल परिसंपत्तियों और अन्य वाणिज्यिक माल को हुई क्षति के कारण रेलों को लगभग 254 लाख रुपए की हानि हुई है।

(ङ) इसका प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह मामला रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आता है। मृतकों और घायलों में से कोई भी यात्री नहीं था।

केरल में रेलवे स्टेशन

7024. **श्री थाइल जान अंजलोज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में कालावूर प्लेटफार्म ऊंचा करने और करूवट्टा रेलवे स्टेशन के निर्माण करने की तुरन्त आवश्यकता पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ). कालावूर और करूवट्टा स्टेशनों पर प्लेटफार्मों की मौजूदा सतह इन स्टेशनों पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा के अनुरूप है।

केरल के स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाएं

7025. **प्रो. पी. जे. कुरियन :**

श्री थाइल जान अंजलोज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कायमकुलम, मवेलिकाहा, चेंगलूर, निरूवल्ला, अल्लेपी और चेरथले रेलवे स्टेशनों पर किए गये विस्तार कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर 1993–94 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस उद्देश्य हेतु कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1994–95 के दौरान राज्य में कितने प्रस्ताव लिए जाएंगे ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) वर्ष 1993–94 में किए गए कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :

कायनकुलम : द्वीप प्लेटफार्म, ऊपरी पैदल पुल, द्वीप प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था और स्टेशन के पहुंच मार्ग एवं प्लेटफार्म की सतह में सुधार से संबंधित कार्य पूरे कर दिए गए थे। ये कार्य अलेप्पी–कायनकुलम नयी लाइन और कायनकुलम–कोल्लम दोहरीकरण परियोजनाओं के एक भाग के रूप में शुरू किए गए थे और इनका वित्त पोषण उनकी बजटीय व्यवस्था में से किया गया था। अतः खर्च का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा गया था।

चेंगन्नूर : 27.75 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त बुकिंग कार्यालय एवं प्रतीक्षालय की व्यवस्था, स्टेशन की इमारत एवं पानी की व्यवस्था में सुधार और प्लेटफार्म सं. 2 और उसके सायबान के विस्तार से संबंधित कार्य पूरे किए गए थे, जिन पर वर्ष के दौरान 10.66 लाख रुपये खर्च किए गए।

तिरूवल्ला : 11.57 लाख रुपये की लागत से प्लेटफार्म सं. 2 के विस्तार और उस पर सायबान से संबंधित कार्य पूरे किये गये थे जिन पर वर्ष के दौरान 8.61 लाख रुपये खर्च किए गए।

(ख) 1994–95 के दौरान निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं अथवा शुरू करने की योजना है।

कायनकुलम : द्वीप प्लेटफार्म पर अतिरिक्त सायबान, प्रतीक्षालय में सुधार और स्टेशन अधीक्षक के लिए एक नया कमरा।

चेंगन्नूर : प्लेटफार्म सं. 2 पर सायबान का विस्तार और बैठने की व्यवस्था और प्रसाधनों में सुधार।

तिरूवल्ला : प्लेटफार्म सं. 1 और 2 पर सायबान का विस्तार और प्लेटफार्म सं. 2 पर फर्श बिछाना।

मावेलीकारा : प्लेटफार्म सं. 2 को ऊंचा करना।

शेरटाल्ली : प्लेटफार्म सं. 1,2 और 3 का विस्तार।

अनुसंधान केन्द्र

7026. **श्री प्रबीन डेका** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत असम में कहा–कहां पर कौन–कौन से अनुसंधान केन्द्र, अनुसंधान परिषदें और परियोजनाएं स्थापित की गई हैं ओर उनके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त परियोजनाओं पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) कृषि संबंधी उत्पादनों के संबंध में उनके अनुसंधान कार्य का क्या परिणाम रहा है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में "अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना" के तहत असम में स्थित अनुसंधान केन्द्रों के नाम उनके स्थान, उद्देश्य और गत तीन वर्षों के दौरान हुए खर्च का ब्यौरा में संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दलहनों की विकसित अनेक किस्में इस प्रकार हैं :

चना	–	आई.सी.वी.वी.–10, बी.जी.–372
अरहर	–	पूसा–9
मंसूर	–	पंत मंसूर–4
राजमा	–	मालवीय राजमा 137
मूंग	–	पी.डी.एम. 84–139 (सम्राट)
बैंगन :		
लंबा	–	एन.डी.बी.–25
गोल	–	एम–8
जीवाणु मुर्झान रोधी	–	बी.बी.–7
टमाटर (मुर्झान रोधी)	–	बी.डब्ल्यू.आर. 5
बंदगोभी	–	पूसा सिंथैटिक
संकर फूलगोभी	–	पूसा संकर–2
शकरकंदी	–	वी–35

इसी अवधि के दौरान तोरिया सरसों में पर्याप्त वृद्धि हुई। यूरोपीय मधुमक्खी राज्य में अच्छी तरह से पाली जा चुकी हैं और प्रति वर्ष प्रति छत्ता शहद का उत्पादन 32–40 कि.ग्रा. होता है।

तिनसुकिया में निंबू वर्गीय फसल के 47 जर्मप्लाज़्म एकत्रित किए गए हैं।

विवरण

असम

	केन्द्र का नाम	स्थान	गत 3 वर्षों के दौरान हुआ खर्च	उद्देश्य
	अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना			
1.	दलहन	शीलागनि	12.71	1. क्षेत्रीय समस्याओं के
2.	चारा फसलें	जोरहाट	10.22	समाधान के लिए
3.	गन्ना	जोरहाट	1.74	स्थान विशिष्ट
4.	जूट एवं अन्य संवर्गीय फसलें	न्यूगांव	15.56	अनुसंधान करना। 2. क्षेत्र में लिए उपयुक्त
5.	मधुमक्खी	जोरहाट	5.18	किस्मों का परीक्षण
6.	जैविक नियंत्रण	जोरहाट	2.84	एवं विकास।
7.	सूत्रकृमि	जोरहाट	5.83	3. सूअरों के मामले में
8.	कीटनाशी	जोरहाट	7.18	स्थानीय नस्लों के कार्य–
9.	राष्ट्रीय बीज प्रयोजनाएं (फसल)	जोरहाट	6.84	निष्पादन का अध्ययन और संकर नस्लों का विकास
10.	राष्ट्रीय बीज प्रायोजना (विश्व बैंक)	जोरहाट	18.28	4. उपज में वृद्धि करने के
11.	तोरिया सरसों	शीलोंगनी	8.26	लिए उपयुक्त सस्यवानिकी
12.	चावल	जोरहाट, कुमारगंज	26.10	ओर सुधरे एकमुश्त कृषि कार्यों की पहचान करना।
13.	मक्का	जोरहाट	9.55	
14.	गेहूं	शीलांगनी	6.15	

1	2	3	4	5
15.	जल प्रबंध	जोरहाट	19.71	
16.	फसल प्रणाली अनुसंधान	जोरहाट	24.64	
17.	खरपतवार नियंत्रण	जोरहाट	7.55	
18.	दिआरा भूमि	जोरहाट	9.42	
19.	सस्यवानकी	लखिमपुर	7.24	
20.	उष्णकटिबंधीय फल	तिनसुकिया	11.79	
21.	उपोष्ण फल	जोरहाट	10.08	
22.	सब्जियां	जोरहाट	4.56	
23.	आलू	जोरहाट	8.93	
24.	कंदवर्गीय फसलें	जोरहाट	5.94	
25.	ताड़	काहिकुकी	3.64	
26.	पान	जोरहाट	7.27	
27.	सूअर	खानपाड़ा	24.07	
28.	कटाई बाद की प्रौद्योगिकी	जोरहाट	3.51	
29.	पुनर्नवीकरण योग्य ऊर्जा साधन	जोरहाट	1.18	

[हिन्दी]

भू-संरक्षण हेतु धन

7027. **श्री हरचन्द सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं योजनावधि के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित भू–संरक्षण परियोजना के

अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि रही ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित योजनायें राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं:

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के श्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के श्रवण क्षेत्रों में एकीकृत पनधारा प्रबंध।

(3) क्षारयुक्त मृदा का सुधार।

सातवीं व आठवीं योजनाओं (1992–94) के दौरान राज्यवार दिया गया धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान 8.32 लाख हैक्टेयर और 5.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।

विवरण

सातवीं व आठवीं योजना के दौरान दिए गए धन का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	दिया गया धन		खर्च	
		सातवीं योजना	आठवीं योजना (1992-93 व 1993–94)	सातवीं योजना	आठवी योजना (1992–93 तथा 1993–94)
1.	आंध्र प्रदेश	551.77	637.00	560.36	672.26
2.	असम	116.00	60.00	116.13	19.36
3.	बिहार	1580.65	637.24	1674.21	795.58
4.	गुजरात	442.14	380.00	456.53	295.52
5.	हिमाचल प्रदेश	1496.75	1254.85	1696.68	1254.23
6.	जम्मू व कश्मीर	145.80	201.50	144.94	201.34

1	2	3	4	5	6
7.	कर्नाटक	719.94	833.00	965.15	867.38
8.	केरल	414.00	348.00	418.96	321.65
9.	मध्य प्रदेश	1916.97	1971.50	2356.56	2047.78
10.	महाराष्ट्र	391.30	109.00	538.02	109.00
11.	उड़ीसा	937.80	261.75	953.63	382.65
12	पंजाब	964.61	430.21	964.61	430.21
13.	राजस्थान	1926.26	2205.00	1924.19	2321.77
14.	सिक्किम	251.00	404.68	246.21	404.68
15.	तमिल नाडु	711.87	822.95	709.20	915.45
16.	त्रिपुरा	117.40	25.23	115.68	23.93
17.	उत्तर प्रदेश	3099.90	2836.64	3126.67	2900.56
18.	पं बंगाल	882.32	466.14	915.51	477.70
19.	हरियाणा	762.00	357.00	757.00	361.77
20.	दिल्ली	49.50	–	15.91	–
	कुल :	17477.98	14241.69	18647.17	14802.82

रेल लाइन का दोहरीकरण

7028. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के अंतर्गत बरेली–मुरादाबाद सेक्शन पर रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य निर्धारित अवधि के अंदर पूरा हो जाएगा; और

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं तथा इसका कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) मुरादाबाद–रामपुर दोहरी लाइन खोल दी गयी है। रामपुर–मिलक खंड के 1994–95 में पूरा किये जाने का प्रस्ताव है और दोहरीकरण का शेष कार्य 1995–96 में पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

रेल फाटक पर दुर्घटना

7029. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 महिलाओं सहित 7 व्यक्ति उस समय घायल हो गये जब पुथुलापटट तथा चित्तूर के मध्य एक चौकीदार–युक्त रेल फाटक के निकट एक सवारी गाड़ी आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस से टकरा गयी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना के कारणों की कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(घ) पीड़ित व्यक्तियों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) 12.4.94 को दक्षिण मध्य रेलवे के तिरूपति–काटपाडि खण्ड पर पुतलपट्टू और चित्तूर स्टेशनों के बीच चौकीदार वाले समपार सं. 18 पर 643 अप तिरूपति–विषुपुरम पैसेंजर गाड़ी आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस से टकरा गई। इसके परिणामस्वरूप बस के यात्री, जिनमें तीन महिलायें शामिल थीं घायल हो गए थे।

(ख) जी हां।

(ग) अंतः–विभागीय जांच समिति द्वारा इस दुर्घटना का कारण, रेल कर्मचारियों की गलती होना बताया गया है।

(घ) चूंकि बस में सवार व्यक्ति सदाशयी रेल यात्री नहीं थे, इसलिए मुआवजे के लिए उनके मामलों के बारे में सिविल अदालतों द्वारा निर्णय लिया जाता है, रेल दावा प्राधिकरण द्वारा नहीं। सिविल अदालतों द्वारा पारित डिग्रियां प्राप्त होने पर रेलों द्वारा उनका निपटान कर दिया जाएगा।

(ङ) दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराये गए 4 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

निरक्षरता उन्मूलन

7030. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान निरक्षरता समाप्त करने के लिए राज्यों को मिली केन्द्रीय सहायता राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रमुख नीति पूर्ण साक्षरता अभियान है। जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियानों को आयोजित करने के लिए जिला साक्षरता समितियों को सीधे ही केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों में जिला साक्षरता समितियों को राज्य–वार प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

प्रशासनिक संरचना के सुदृढ़ीकरण, उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र आधारित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम, जिसे क्रमशः समाप्त किया जा रहा है, के लिए भी राज्य सरकारों को कुछ केन्द्रीय सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राज्यवार राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991–92	1992–93	1993–94
1.	आन्ध्र प्रदेश	7,71,76,000	7,01,66,000	17,19,74,500
2.	असम	1,00,00,000	65,00,000	25,00,000
3.	बिहार	1,30,00,000	1,25,00,000	8,74,08,000

1	2	3	4	5
4.	चंडीगढ़	–	15,00,000	18,00,000
5.	दमन और दीव	–	–	1,40,000
6.	दिल्ली	16,00,000	18,35,000	55,43,000
7.	गोवा	–	–	–
8.	गुजरात	–	4,95,00,000	8,35,55,000
9.	हरियाणा	–	2,95,00,000	1,81,05,000
10.	हिमाचल प्रदेश	25,00,000	2,11,00,000	64,67,000
11.	जम्मू और कश्मीर	–	–	25,00,000
12.	कर्नाटक	5,26,00,000	6,27,90,000	14,94,83,000
13.	केरल	1,50,00,000	–	1,00,00,000
14.	मध्य प्रदेश	4,04,95,000	1,40,00,000	11,60,99,000
15.	महाराष्ट्र	3,48,00,000	6,30,00,000	6,77,27,000
16.	उड़ीसा	5,30,73,500	4,68,00,000	4,32,38,000
17.	पांडिचेरी	11,11,000	–	–
18.	पंजाब	65,00,000	–	25,00,000
19.	राजस्थान	2,89,30,000	2,20,00,000	5,01,97,000
20.	तमिलनाडु	4,23,87,500	11,46,00,000	9,26,00,000
21.	त्रिपुरा	–	–	2,22,45,000
22.	उत्तर प्रदेश	–	6,85,00,000	22,12,88,500
23.	पश्चिम बंगाल	14,83,27,000	10,69,33,000	5,38,65,000
	जोड़	52,75,00,00	69,12,24,000	120,92,35,000

विवरण

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991–92	1992–93	1993–94
1.	आंध्र प्रदेश	1,77,15,384	1,10,31,900	88,79,900
2.	असम	1,61,61,611	39,44,400	99,86,000
3.	अरूणाचल प्रदेश	23,79,384	8,59,000	18,90,000
4.	बिहार	3,34,95,956	1,10,93,600	2,11,36,600
5.	गोवा	30,000	5,29,000	93,45,650
6.	गुजरात	2,92,62,248	1,42,91,490	2,24,40,600
7.	हरियाणा	–	–	1,25,00,000
8.	हिमाचल प्रदेश	26,22,700	1,91,800	15,41,960
9.	जम्मू व कश्मीर	48,12,800	–	56,47,000*
10.	कर्नाटक	1,71,42,463	1,07,48,700	1,79,33,168*
11.	केरल	10,00,000	11,94,826	12,30,890
12.	मध्य प्रदेश	2,97,91,188	1,06,05,000	2,57,89,130
13.	महाराष्ट्र	3,80,01,817	1,81,60,700	7,49,26,675*
14.	मणिपुर	44,04,492	8,78,195	30,24,770*
15.	मेघालय	15,46,284	9,16,000	16,45,000
16.	मिजोरम	16,24,052	11,18,700	18,73,025
17.	नागालैंड	26,22,400	16,37,000	26,30,800
18.	सिक्किम	9,22,000	–	5,25,000
19.	उड़ीसा	1,38,64,081	1,14,16,870	1,24,31,090

1	2	3	4	5
20.	पंजाब	8,00,000	–	–
21.	राजस्थान	1,79,98,448	2,08,32,000	2,17,35,000
22.	तमिलनाडु	2,39,85,598	45,67,000	1,86,62,000
23.	त्रिपुरा	19,50,592	–	1,72,500
24.	उत्तर प्रदेश	5,23,83,892	2,19,73,500	2,01,91,946
25.	पश्चिम बंगाल	1,07,89,532	13,50,100	19,87,950
26.	अंडमान और निकोबार	2,80,858	5,81,600	9,81,215
27.	चंडीगढ़	9,44,813	7,10,600	8,57,425
28.	दादरा और नागर हवेली	1,25,200	58,000	84,000
29.	दमन और दीव	30,000	44,000	56,000
30.	दिल्ली	3,78,057	2,32,200	3,21,976
31.	लक्षदीप	3,80,756	2,56,600	1,54,560
	जोड़	32,74,46,606	14,83,06,781	30,05,81,830

- वर्ष 1990–91 की ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम परियोजनाओं पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष 1993–94 के दौरान जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मणिपुर राज्यों को जारी की गई क्रमशः 56,47,000 रुपए, 32,87,000/– रुपए, 5,00,00,000/– रुपए तथा 10,52,000/– रुपए की राशि को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

तटीय क्षेत्र प्रबन्धन योजनाएं

7031. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से विकास हेतु तटीय क्षेत्र प्रबन्धन योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तटीय क्षेत्र प्रबन्धन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ तटवर्ती राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) इस मामले में तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में मंत्रालय की कोई स्कीम नहीं है।

विवरण

20, फरवरी 1991 को का.आ. संख्या 114 (इ) के तहत अधिसूचित तटीय क्षेत्र विनियमन में तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे अधिसूचना में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाएं तैयार करें जिनमें क्षेत्रों को मोटे तौर पर निम्नलिखित चार श्रेणियों में अभिनिर्धारित और वर्गीकृत किया गया है :

श्रेणी-1 (सी आर जैड-1)

राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आरक्षित वन, वन्यजीव वास स्थल, कच्छ वनस्पति, मूंगे की चट्टानें आदि जैसे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र तथा निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच के क्षेत्र।

श्रेणी-2 (सी आर जैड-2)

म्यूनिसिपल सीमाओं या कानूनी रूप से नामोदिष्ट अन्य शहरी क्षेत्रों के अन्दर समुद्र तट रेखा तक या उसके समीप पहले से विकसित क्षेत्र।

श्रेणी-3 (सी आर जैड-3)

वे ग्रामीण तटीय जोन क्षेत्र जो अपेक्षाकृत अविक्षुब्ध है और जो न तो श्रेणी–1 के अन्तर्गत आता है और न ही श्रेणी–2 के।

श्रेणी-4 (सी आर जैड-4)

सी आर जैड–1, सी आर जैड–2 या सी आर जैड–3 के रूप में नामोदिष्ट तटीय क्षेत्रों के अलावा अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप तथा लघु द्वीप समूहों में तटीय क्षेत्र।

भोपाल स्टेशन पर स्टॉल

7032. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को खाद्य वस्तुओं को बेचने के लिए कितने स्टॉलों हेतु तथा कितने विक्रेताओं को लाइसेंस दिये गये हैं और कितनी अवधि के लिए दिये गये हैं;

(ख) क्या रेल विभाग ने इस स्टेशन पर विक्रेताओं को सीधे लाइसेंस नहीं दिये हैं और वे विक्रेता वास्तव में स्टॉल मालिकों के उप-पट्टेदार हैं; और

(ग) यदि हां, तो बिचौलियों के रूप में कार्य करने वाले स्टॉल--मालिकों के हाथों विक्रेताओं को शोषण से बचाने के लिए उन्हें सीधे लाइसेंस जारी न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). भोपाल स्टेशन पर यात्रियों की खानपान/वेंडिग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अल्पाहार कक्ष, 11 स्टाल और 31 ट्रालियों की व्यवस्था की गई है। खानपान वेंडिग लाइसेंस, जिनकी सामान्य अवधि 5 वर्ष की होती है, विभिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा रखे जाते हैं जो इस स्टेशन पर 87 वेंडरों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत होते हैं। करार की शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारियों द्वारा वेंडर नियुक्त किए जाते हैं। प्रशासनिक और अन्य निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, भोपाल जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्रत्येक वेंडर को सीधे लाइसेंस प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, वेंडर सहकारी समितियां गठित करने और रिक्तियां होने पर खानपान/वेंडिंग लाइसेंसों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, जहां कहीं उप पट्टे पर देने के मामले प्रशासन की जानकारी में आते हैं, वहां ऐसे मामलों की जांच की जाती है और उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

टनर कंटेनर पर भाड़ा शुल्क दर

7033. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किराये पर लिए गए 20 टन के कन्टेनर की मुम्बई (पत्तन-न्यास) से दिल्ली तक की ढुलाई रेलवे द्वारा किस दर से ली जाती है और इतने ही वजन के व्यापारियों के निजी कन्टेनर की ढुलाई किस दर से की जाती है;

(ख) ढुलाई दरों में अंतर होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कंटेनरों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किए जाने के कारण व्यापारियों को इसे परिवहन साधनों द्वारा ले जाना पड़ता है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय कंटेनर निगम लि. (कनकोर) इस समय एक मात्र ऐसी एजेंसी है जो रेल द्वारा कंटेनरों की ढुलाई करता है। बम्बई से दिल्ली तक घरेलू सामान ले जाने वाले 20 फुट कंटेनर की ढुलाई के लिए कनकोर द्वारा टर्मिनल से टर्मिनल तक जो दर प्रभारित की जाती है, वह 11000/ रु. है चाहे कंटेनर कनकोरे के माध्यम से किराये पर लिया हो या व्यापारी द्वारा स्वतंत्र रूप से इसकी व्यवस्था की गई हो। बहरहाल, पहले मामले में कनकोर ग्राहक से 8600/– रुपये प्रभारित करता है और कंटेनर का स्वामित्व वाली नौ–परिवहन लाइन खाली प्रतिस्थापन प्रभारों के रूप में 2400 रु. प्रभारित करती है। दूसरे मामले में, ग्राहक पूरी राशि अदा करता है और नौ–परिवहन लाइन के साथ स्वयं ही व्यवस्था करता है। इसी कारण से इन दो दरों में अन्तर होता है।

रैबिट क्रॉस ब्रीड सेन्टर

7034. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किसी रैबिट क्रॉस ब्रीड सेन्टर की स्थापना की है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) मांस और फर/ऊन उत्पादन के लिए खरगोश पालकों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

माल की ढुलाई

7035. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री एस. बी. सिदनाल :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार माल की दुलाई सड़क मार्ग से करने के लिए कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता करने की योजना नहीं बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हाँ, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ). भारतीय कंटेनर निगम लि. रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो कंटेनरीकृत कार्गों के संचलन के लिए मल्टी–माडल परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। यातायात को रेलवे की ओर आकर्षित करने के लिए कंटेनर निगम ने जो नीति अपनाई है, उसमें बड़े–बड़े नगरों के बीच स्थल से स्थल तक कंटेनर सेवाएं चलाना, घर से घर सेवाएं प्रदान करना, चुनिंदा ग्राहकों के लिए विशिष्ट संचलन और ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित कंटेनरों का इस्तेमाल करना शामिल है।

[अनुवाद]

लाल बाग एक्सप्रेस

7036. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और मद्रास के बीच चलने वाली गाड़ी लाल बाग एक्सप्रेस बंगलौर देर रात पहुंचती है और सुबह बहुत तड़के बंगलौर से चलती है;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की सहूलियत के लिए उक्त गाड़ी की समय–सारणी में परिवर्तन करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). लाल बाग एक्सप्रेस बैंगलूर 21.45 बजे पहुंचती है और 06.30 बजे छूटती है। चूंकि ये समय असुविधाजनक नहीं हैं, इसलिए उन्हें बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्यान्नों का निर्यात

7037. **श्री मोहन रावले** :

श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतीश कुमार :

श्रीमती वसुंधरा राजे :

श्री शंकर सिंह बाघेला :

श्री राम नाईक :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इनका निर्यात किन–किन देशों को किया जायेगा;

(ग) इससे विदेशी मुद्रा की कितनी धनराशि अर्जित की जायेगी; और

(घ) बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने के लिए खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार देश के भीतर ही खुले बाजार में सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). भारतीय खाद्य निगम से कहा गया था कि सुगम स्टाक स्थिति को देखते हुए वे केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का निर्यात करने की सम्भावनाओं के संबंध में एक नोट प्रस्तुत करें। तदनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने एक नोट प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने गेहूं और चावल का निर्यात करने की सम्भावनाओं के संबंध में अपना मूल्यांकन दिया है। सरकार ने केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का निर्यात करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

(घ) सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अक्तूबर, 1993 से सितम्बर, 1994 तक 5 मिलियन मीटरी टन तक गेहूं और जनवरी से सितम्बर, 1994 तक 1.5 मिलियन मीटरी टन तक चावल खुले बाजार में बेच देने की अनुमति प्रदान कर दी है। भारतीय खाद्य निगम ने लगभग 3 मिलियन मीटरी टन गेहूं और 29,000 मीटरी टन चावल खुले बाजार में बेच दिया है।

रेल परियोजनाएं

7038. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) राज्य–वार कितनी रेल परियोजनाएं विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए दी गई विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) देश में पांच रेल परियोजनाओं को विदेशी सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। रेल प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए पांच परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं को शुरू किया गया है जो विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं और इस प्रकार राज्यवार उनकी पहचान नहीं की जा सकती है। अन्य दो परियोजनाओं में से, एक उड़ीसा से और दूसरी पश्चिम बंगाल से संबंधित है।

(ख)	क्र. सं.	परियोजना का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्तेमाल की गई राशि
	1.	तीसरी रेल आधुनिकीकरण परियोजना	133.8 मिलियन अमेरिकन डालर
	2.	पहली रेल परियोजना	27.82 मिलियन अमेरिकन डालर
	3.	दूसरी रेल परियोजना	16.684 मिलियन अमेरिकन डालर
	4.	उड़ीसा में कोरापुट–रायगडा के बीच बड़ी लाइन का निर्माण	11.66 करोड़ रुपये
	5.	मेट्रो रेलवे, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में सतत स्वचालित गाड़ी नियंत्रण प्रणाली का अभिकल्प, निर्माण, सप्लाई, संस्थापन तथा चालू करना।	42.419 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक

बाल अधिकार

7039. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में "यूनीसेफ" ने बाल अधिकार पर किसी सम्मेलन का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या बाल अधिकार के संबंध में सरकार और "यूनीसेफ" के दृष्टिकोणों में कोई अंतर था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवराजेश्वरी) : (क) भारतीय विधि संस्थान ने यूनीसेफ तथा कुछ अन्य संगठनों के सहयोग से 21–25 मार्च, 1994 तक नई दिल्ली में "विधि द्वारा भविष्य निर्माण–बच्चे, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

(ख) सम्मेलन में बच्चों, पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निर्णय लिए गए। बच्चों के संबंध में की गई प्रमुख सिफारिशों में बच्चों से संबंधित विधान की समीक्षा करना, बाल अधिकार पर कन्वेंशन को विधि स्नातक पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में शामिल करना, प्रचार अभियान शुरू करना, बच्चों को बंधुआ कार्यों से मुक्त करना और उन्हें परिसंकटमय कार्य–स्थलों से हटाना, बालिकाओं की विशिष्ट मांगों की पूर्ति के लिए विधि प्रवर्तन अधिकारियों और जनता में अधिक जागरूकता उत्पन्न करना, न्यायिक संस्थाओं को संवेदनशील बनाना और निर्णय निर्माताओं के साथ संबंध स्थापित करना शामिल है।

(ग) से (ङ). भारतीय विधि संस्थान ने सम्मेलन में की गई सिफारिशों को अभी तक संबंधित मंत्रालयों को नहीं भेजा है। संस्थान को इन सिफारिशों को संबंधित मंत्रालयों को भेज देने की सलाह दी गई है। यूनिसेफ ने बताया है कि विचारों में कोई भिन्नता नहीं थी।

रेलवे दूरसंचार सुविधा

7040. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विभाग ने विद्युतीकरण रेलमार्गों पर रेलवे दूरसंचार संबंधी अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा;

(घ) क्या रेलवे ने विद्युतीकृत रेल मार्गों पर अपने दूरसंचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) रेलें नागपुर–इटारसी–भुसावल खंड पर अपने आप्टिकल फाइबर केबुल में दूरसंचार विभाग के साथ हिस्सेदारी करने के लिए सिद्धांततः सहमत हो गई हैं।

(ग) लगभग एक वर्ष की अवधि में।

(घ) जी हां।

(ङ) भारतीय रेलें विद्युतीकृत मार्गों पर अपने दूर–संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही हैं। शिरोपरि दूर–संचार सर्किटों को अधिक विश्वसनीय भूमिगत केबुल प्रणाली में बदला जाता है। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त दूरसंचार सर्किटों की व्यवस्था की जा सकती है।

रेल सेवा संचालन

7041. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल सेवा संचालन में ऊर्जा की बचत के लिए प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे ने कुल कितनी ऊर्जा की बचत की; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक कर्षण का संबंध है, रेलों के परिचालन में ऊर्जा की बचत विशिष्ट ऊर्जा खपत, अर्थात् 1000 सकल टन कि. मी. कर्षित करने में खर्च की गई ऊर्जा में सुधार के अनुसार मापी जाती हैं। दक्षिण मध्य रेलवे पर रेलवे माल यातायात के परिचालन में विशिष्ट ऊर्जा खपत में पर्याप्त सुधार हुआ है जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :

बड़ी लाइन पर विशिष्ट ऊर्जा खपत

कर्षण	1992–93 (फरवरी'93 तक)	1993–94 (फरवरी'94 तक) (अनंतिम)
डीजल		
(उच्च गति डीजल तेल लिटर/1000 सकल टन कि. मी. में)	2.81	2.52
बिजली		
(कि. वा. घंटा/1000 सकल टन कि. मी. में)	9.71	9.62

(ग) चालू वर्ष के लिए पिछले वर्ष की तुलना में विशिष्ट ऊर्जा खपत में 5% सुधार का समग्र लक्ष्य रखा गया है।

रेलवे भूमि

7042. **श्री के. प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा मानचेश्वर और भुवनेश्वर में कार्यशाला स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किये जाने से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(ख) प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मुआवजे की कितनी धनराशि दी गयी है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रीवा से नई दिल्ली तक नई गाड़ी शुरू करना

7043. **श्री भीम सिंह पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रीवा से नई दिल्ली तक एक नई गाड़ी चलाने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गयी है, लेकिन न तो इसे वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण और न ही परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक पाया गया है।

स्काउट और गाइड

7044. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्काउटों और गाइडों को, जिनका कार्य राष्ट्रीय कैडेट कोर के समान है, केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियों में छूट नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषमता को दूर करने और उन्हें राष्ट्रीय कैडेट कोर के बराबर लाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) स्काउटों और गाइडों का कार्य राष्ट्रीय कैडेट कोर के समान नहीं होता।

(ख) और (ग). स्काउटस और गाइडस एक स्वैच्छिक गैर सरकारी आन्दोलन है और उन्हें केन्द्रीय सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियों में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मणिपुर को रेल मार्ग से जोड़ना

7045. **प्रो. एम. कामसन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मणिपुर को रेल मार्ग से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) मणिपुर में जिरीबाम पहले ही रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। संभवतः माननीय सदस्य का आशय इम्फाल को रेल सम्पर्क से जोड़ने के बारे में है। फिलहाल इस सम्पर्क की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

जूट गलाना

7046. **श्री चित्त बसु** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में जूट गलाने की प्रक्रिया के संबंध में आपत्ति की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य में जूट अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है;

(ग) क्या इस विषय पर पश्चिम बंगाल सरकार के विचार मांगे गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में जूट गलाने की प्रक्रिया के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई है। तथापि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "जूट के रेशे गलाने और पर्यावरण पर उसका प्रभाव" के बारे में एक अध्ययन किया था। अध्ययन के निष्कर्ष और सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1.0 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

1.1 निष्कर्ष

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

- रेटिंग जल स्रोतों का चुनाव पास में उपलब्ध जल स्रोतों पर निर्भर करता है।
- रेटिंग जल स्रोतों में जल की अपर्याप्तता के कारण जूट की गुणवत्ता में गिरावट आती है।
- जहां जूट गलाने के लिए टैंकों और तालाबों जैसे स्थिर जल स्रोतों को प्रयोग में लाया जाता है वहां सामान्यतया जल का सर्वोत्तम उपयोग प्राप्त नहीं किया जाता है। यद्यपि साहित्य में कहा गया है कि एक हेक्टेयर जमीन से प्राप्त जूट को गलाने के लिए 50 घनमीटर से कम पानी चाहिए। किन्तु व्यवहार में एक हेक्टेयर जूट के लिए औसतन 1,417 घनमीटर जल का प्रयोग किया गया। इस विषय में किए गए एक अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि भारत में प्रति हेक्टेयर 180 घनमीटर जल पर्याप्त रहेगा।
- "जैक" पर भार के रूप में प्रयुक्त केले के पेड़ के तनों का अपघटन हो जाता है और उनसे जैव अमल निकलते हैं जो पानी में विद्यमान खनिजों से मिलकर पानी का रंग

काला कर देते हैं। सौंदर्यपरक कारणों के अतिरिक्त इससे जूट की गुणवत्ता में भी गिरावट आ जाती है।

- ठहरे जल स्रोत में जूट गलाने से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यह प्रदूषित एवं बदबूदार हो जाता है।

- रैटिंग टैंकों का रैचट अन्य टैंकों, तालाबों, कूओं एवं कम गहरे नलकूपों के लिए खतरनाक नहीं होता है यदि वे इससे कम से कम 20 मीटर दूर हों।

- रैटिंग अवधि के पश्चात् रैटिंग जल का सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग इसे भूमि की सिंचाई के लिए उपयोग में लाना है।

- यद्यपि रैटिंग कामगारों में किसी बड़ी बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए हैं उनमें से कुछ मामूली संक्रमण से ग्रस्त पाए गए हैं।

- मुश्किल से ही कोई ठोस अपशिष्ट बचता है क्योंकि इसमें से अधिकांश जैसे झड़े हुए पत्तों इत्यादि का उपयोग साथ लगती भूमि पर खाद के रूप में तथा सूखी हुई डंडियों का उपयोग ईंधन या बाड़ लगाने के लिए किया जाता है।

- रैटिंग कामगारों में साक्षरता की दर काफी अच्छी है।

1.2 **सिफारिशें**

जूट रैटिंग पर किए गए अध्ययन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

- जूट की रैटिंग के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले जल स्रोत की गहराई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि जूट के बंडल (जैक) जल स्रोत की तली को न छूने पाएं।

- किसी टैंक का जूट रैटिंग के लिए अनेक बार उपयोग जल के बेहतर उपयोग के लिए संभव एवं वांछनीय है। तथापि, पानी इतना गन्दा नहीं होना चाहिए कि उससे जूट की गुणवत्ता पर असर पड़े।

- अलग–अलग परिवारों द्वारा उगाए गए जूट को गलाने के लिए सामुदायिक टैंकों का चरणबद्ध तरीके से प्रयोग किया जाए इसे निम्नलिखित कारणों से तरजीह दी जाती है :

  – जल स्रोतों का बेहतर उपयोग

  – रैटिंग के कारण कम जल स्रोतों का प्रदूषित होना, तथा

— जूट गलाने के लिए अनेक टैंकों के प्रयोग की तुलना में कम लागत।

जूट गलाने की प्रक्रिया के दौरान टैंक के तले में काफी मात्रा में निलंबित ठोस जम जाते हैं। ये जमा होते जाते हैं और कई वर्षों बाद टैंक की क्षमता क्रमिक रूप से घटती चली जाती है। इसके अलावा, कूड़ा–कचरा सड़ जाता है तथा तालाब में दुर्गन्ध पैदा हो जाती है। अतः टैंक/तालाब से समय–समय पर अवपंक निकालना जरूरी हो जाता है।

- सर्दियों में टैंक/तालाब सूख जाने पर खाली स्थान का उपयोग अदरक, प्याज और लहसुन की खेती के लिए किया जाए।
- जैक पर भार के रूप में केले के तनों या मिट्टी के ढेलों के स्थान पर लकड़ी या किसी अन्य उपयुक्त सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- रैटिंग टैंक के जल का किसी घरेलू प्रयोजन के लिए उपयोग न किया जाए। रैटिंग साल के बाद की अवधि के दौरान गुणवत्ता में सुधार आ जाता है लेकिन फिर भी यह घरेलू उपयोग के अयोग्य होता है।
- रैटिंग जल का कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग इस जल को उपयोग में लाने का एक बहुत लाभदायक तरीका है। इस पद्धति से प्रदूषित जल के मिट्टी के संपर्क में आने से इसके स्थिरीकरण में मदद मिलेगी।
- ठोस अवशेष के वर्तमान उपयोग से कोई संकट या खतरा नहीं है, अतः इसे जारी रखने की सिफारिश की जाती है।
- जूट की सूखी डंडियों का उपयोग कागज, रेयन और ऐसे ही उद्योगों में कच्ची सामग्री के तौर पर किया जा सकता है। इस सुविधा के साझे उपयोग के संदर्भ में इसकी आर्थिक व्यवहार्यता की जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- जूट गलाने के कार्य में लगे मज़दूरों के लिए शरीर के नंगे हिस्सों पर तेल मलना, दिन भर काम करने के पश्चात् अच्छी तरह स्नान करना तथा समय–समय पर चिकित्सा जांच जैसे ऐहतियाती उपायों की सिफारिश की जाती है।
- जूट गलाने के कार्य में लगे कामगारों में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने से जूट गलाने की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं में कमी आएगी।
- जूट उगाने वालों में जूट ऐसोसिएशन/अनुसंधान संगठनों तथा कृषि विभाग से विस्तार सेवा के जरिए जूट गलाने के संबंध में वैज्ञानिक सूचना के प्रचार–प्रसार से जूट गलाने की प्रक्रिया में सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण रोकने में काफी मदद मिलेगी।

पूर्व रेलवे में विद्युतीकरण

7047. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्व रेलवे में बारासात–हुश्नाबाद और बोनगांव–रानाघाट खंड का विद्युतीकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) संसाधनों की तंगी और अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण को सापेक्ष प्राथमिकता दिए जाने के कारण बारासात–हसनाबाद और बोंगांव–राणाघाट खंडों को विद्युतीकरण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वीकार खाद्य तेल

7048. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार स्वीकार खाद्य तेल के निर्माता/सप्लायर के साथ मिली भगत से इस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को ठग रहा है जैसा कि 28 मार्च, 1994 के "मिड डे" समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). जी नहीं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि स्वीकार तेल के 5 लीटर के डिब्बों पर इसके विनिर्माता मैसर्स मैरिको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एक बिक्री संबर्द्धन योजना चलाई गई थी तथा सुपर बाजार का कार्य एक खुदरा विक्रेता के रूप में इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना था। इस योजना में बिक्री संवर्द्धन हेतु प्रत्याशित उपभोक्ताओं के लिए 5 लीटर के उपभोक्ता पैक में स्वीकार तेल खरीदने पर प्लास्टिक के एक कटोरे के रूप में 25 रु. मूल्य का एक निःशुल्क उपहार रखा गया था। यह ज्ञात होने पर कि विनिर्माता द्वारा दिया जा रहा निःशुल्क उपहार का अधिकतम खुदरा मूल्य 24 रु. है, सुपर बाजार ने इस मामले को तत्काल

23 मार्च, 1994 को कम्पनी के समक्ष उठाया तथा वितरक/विनिर्माता से स्पष्टीकरण की मांग की। इस योजना में यथा इंगित प्रोत्साहन राशि और प्लास्टिक के कटोरे के मूल्य में 1 रुपये के अन्तर की वापसी उन उपभोक्ताओं को अनुमत कर दी गई है जिन्होंने प्रोत्साहन योजना के दौरान उक्त उत्पाद की खरीद की है। सुपर बाजार ने आगे सूचित किया है कि विनिर्माता ने अपने उत्तर में कहा है कि ऐसा मुद्रण दोष के कारण हुआ है और ग्राहकों को ठगने की कोई मंशा नहीं थी। विनिर्माता का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया और सुपर बाजार ने इस विनिर्माता के सभी उत्पादों का विपणन बन्द कर दिया है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

7049. श्री गुमान मल लोढ़ा :

श्री नीतीश कुमार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में शोध–कार्य कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संस्थान को छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या इस धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किसी निगरानी तंत्र का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने शोधकर्ताओं को छात्रवृत्तियां दी गई और छात्रवृत्ति की अधिकतम तथा न्यूनतम राशि कितनी थी; और

(ङ) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान कितने शोधकर्ताओं ने अपना शोधकार्य पूरा किया है और कितने शोधकर्ता निर्धारित समयावधि के भीतर अपना शोधकार्य पूरा नहीं कर सके हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा क्षेत्र में पूंजी-निवेश

7050. **डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 1994 के दैनिक जागरण में "भारत प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दे, तो विकास दर बढ़े" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए प्राथमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में औरं अधिक पूंजी निवेश करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). शिक्षा प्रणाली पर समग्र रूप में देखना आवश्यक है। हालांकि सरकार प्रारम्भिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देती है तथापि शिक्षा पर होने वाले निवेश में प्रारंभिक और उच्च शिक्षा को उनका समुचित अंश प्राप्त है।

[अनुवाद]

जोधपुर मेल

7051. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर मेल रेल गाड़ी के मार्ग में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रतनगढ़ से आगे के स्टेशनों को जाने वाले "जोधपुर मेल" के यात्रियों को इस कारण घोर असुविधा हो रही है क्योंकि उसी मार्ग पर चलने वाली "बीकानेर मेल" रेलगाड़ी केवल रतनगढ़ तक ही जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरदारशहर–देगना सवारी गाड़ी के प्रस्थान करने के समय में परिवर्तन करने का है ताकि रतनगढ़ से आगे के स्टेशनों तक लिंक एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्री रतनगढ़ से यह रेलगाड़ी पकड़ सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ङ). दिल्ली तक/से यात्रा करने वाले डेगाना–रतनगढ़ खंड के यात्रियों की सुविधा के लिए, डेगाना और दिल्ली के बीच एक थ्रू कोच की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

आरक्षण कोटा

7052. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या रेल मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया स्टेशन पर असम के लिए कोई आरक्षण कोटा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या गाड़ी संख्या 4056–ब्रह्मपुत्र मेल और 5622 नार्थ–ईस्ट एक्सप्रेस में गया हेतु छः शायिकाओं का आरक्षण कोटा, पटना स्टेशन से इन गाड़ियों को पकड़ने के लिए प्रदान किया जाता है;

(ग) क्या बोकारो–मद्रास एक्सप्रेस जो बोकारो स्टेशन पर 22 घंटे तक रुकती है, को गया तक चलाने का प्रस्ताव है जिससे गया को मद्रास से सीधा जोड़ा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इसे स्टेशन पर क्या–क्या सुविधाएं प्रदान किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). ब्रह्मपुत्र मेल और नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस सहित गाड़ियों में गया में असम के लिए कोई आरक्षण कोटा उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों पर कुली

7053. **डा. साक्षीजी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे स्टेशनों पर कुली अनारक्षित डिब्बों में सीटों पर कब्ज़ा कर लेते है और यात्रियों से पैसे लेकर सीटें देते हैं;

(ख) यदि हां, तो किन–किन रेलवे स्टेशनों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है और उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार की गतिविधियां में लिप्त इन कुलियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी हां। भुसावल, मनमाड़, रतलाम और इंदौर में एक–एक शिकायत और हावड़ा स्टेशन के दो मामले होने की शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) सामान्य सवारी डिब्बों में कुलियों द्वारा सीटों को घेरने से रोकने के लिए रे.सु.ब./रा. रे.पु. के कर्मियों की सहायता से जालसाजी निरोधी दस्ते और टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा नियमित जांच की जाती हैं। प्रमुख/महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लम्बी दूरी की गाड़ियों के लिए सामान्य सवारी डिब्बों के सामने पंक्ति लगाने की प्रणाली शुरू की गई है ताकि डिब्बों में सदाशयी यात्री व्यवस्थित ढंग से प्रवेश कर सकें। इस प्रकार के अनियमित कार्यकलापों में संलिप्त पाये गए लाइसेंसधारी भारिकों के लाइसेंस बैच निरस्त/समाप्त कर दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

कीटनाशकों का प्रयोग

7054. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी कुल कृषि भूमि के 25 प्रतिशत भाग में ही कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में क्लोरीन युक्त कीटनाशकों का प्रयोग अधिक है;

(ग) क्या सरकार पौधों से तैयार किए जाने वाले कीटनाशकों का प्रयोग करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) महोदय, कीटनाशियों का प्रयोग कुल कृष्य भूमि के 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) व (घ). देश में नीम आधारित कीटनाशी दवाओं जैसे पौध कीटनाशियों के उपयोग को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और कीटनाशी दवा अधिनियम, 1968 के तहत नीम आधारित कीटनाशी दवाओं के अनेक फार्मूलेशन पंजीकृत किए जा चुके हैं। सरकार भी कीट नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंध प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें पौध कीटनाशियों सहित जैव कीटनाशियों,

रासायनिक विधियों एवं नीम आधारित रासायनिक कीटनाशियों के प्रयोग करने की सिफारिश की गई है।

खेलों का विकास

7055. **श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने गुंटूर जिले में खेल सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) पिछले तीन वर्षों में गुंटूर टाऊन में खेलों की बुनियादी सुविधाओं के लिए खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

चंडीगढ़ में शिशु सदन

7056. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये शिशु सदनों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने शिशु सदन खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवराजेश्वरी) : (क) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में इन दिनों 41 शिशुगृहों तथा एक दिवस देखभाल केन्द्र का निधीयन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, 43 शिशुगृहों का निधीयन संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय शिशुगृह कोष, 1994 के तहत शिशुगृहों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन, आगामी दो वर्षों में शिशुगृहों का विस्तार, राष्ट्रीय शिशुगृह कोष के तहत, धनराशि की उपलब्धता के अध्यधीन शिशुगृहों की स्थापना के संबंध में देश के विभिन्न भागों में स्थित स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

(ग) उपर्युक्त शिशुगृह इकाइयों के लिए भारत सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा 28,73,380 रुपए की राशि प्रदान की गई है।

1993-94 की वार्षिक योजना

7057. **श्री राजेश कुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993—94 के लिये रेल विभाग की वार्षिक योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या रेल विभाग को विदेशी मुद्रा बाजार भाव पर उपलब्ध होती है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप भारतीय रेल विभाग को कितनी अतिरिक्त धनराशि देनी पड़ेगी; और

(घ) बजट से मिलने वाली सहायता में निरंतर कमी तथा बाजार से मिलने वाले ऋणों का अधिक भरोसा न होने के कारण रेल विभाग का अपने वित्तीय दायित्वों को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) वर्ष के लिए निर्धारित राजस्व यातायात के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अवसंरचनात्मक क्षमता सृजित करना। आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण आदि पर अधिक जोर देना।

(ख) और (ग). आयात की लागत को पूरा करने के लिए रेलें बाजार दर पर विदेशी मुद्रा प्राप्त करती हैं। इस समय विदेशी मुद्रा केवल बाजार द्वारा निर्धारित विनियम दर पर उपलब्ध है और बजट अनुमानों में इस तथ्य का पहले ही ध्यान रखा गया है, इसलिए इस कारण अतिरिक्त बोझ पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उत्पादन बढ़ाकर और किफायत के उपाय अपनाकर।

कम बजट वाले रेलवे होटल

7058. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न मध्यम वर्ग/सामान्य यात्रियों तथा तीर्थ यात्रियों के लिये रेलवे स्टेशनों के आस—पास कम बजट वाले होटलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन होटलों का निर्माण कब से शुरू किया जायेगा;

(घ) क्या इन होटलों के निर्माण, रख–रखाव तथा संचालन में निजी क्षेत्र को शामिल करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). स्थानों की पहचान कर ली गयी है। यह परियोजना वैचारिक स्तर पर है। इस योजना को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमियों की भागीदारी से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

वनों में पानी की कमी

7059. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या अकाल प्रवण क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण वानिकी के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन क्षेत्रों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). मृदा में नमी कम होने से पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्रों में सूखे की परिस्थितियों के कारण पौधों की मृत्यु–दर काफी अधिक होती है।

(ग) सूखे की स्थिति में सुधार नमी अवधारण उपायों से लाया जा सकता है जो सूखा–प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरू विकास कार्यक्रम तथा ऐसे क्षेत्रों में चलाए जा रहे अन्य कृषि एवं वानिकी कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है।

[अनुवाद]

भूमि पर अतिक्रमण

7060. **श्री शंकरसिंह बाघेला :**

श्री प्रबीन डेका :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे जोनों में रेल–पथ के दोनों ओर भूमि के अधिकतम अतिक्रमण से सामान्य रेल सेवाएं भी प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह अतिक्रमण हटाने के लिए उठाये गये अथवा उठाने हेतु प्रस्तावित प्रभावी उपायों का जोर–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां। कुछ स्थानों पर रेलवे भूमि पर अतिक्रमण रेलवे के परिचालन को प्रभावित कर रहे हैं।

(ख) नियमित रूप से समय–समय पर रेलवे भूमि पर अतिक्रमणों की पहचान की जाती है। इस समय लगभग 1768 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर अतिक्रमण है।

(ग) और (घ). रेलवे भूमि से अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत निरन्तर कार्रवाई की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम

7061. **श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कर्मचारियों ने 9 सितम्बर, 1993 को कोई मांग पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध यूनियन के एक विखण्डित ग्रुप ने भारतीय खाद्य निगम को 9 सितम्बर को एक मांग पत्र दिया है।

(ख) इस मांग पत्र की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध ने मांग पत्र पर बातचीत करने के लिए इस यूनियन के प्रतिनिधियों को 12.4.1994 को आमंत्रित किया था। तथापि, प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों के सिलसिले में तब तक बातचीत न करने का फैसला किया जब तक उनकी यूनियन को वस्तुतः मान्यता नहीं दे दी जाती है। भारतीय खाद्य निगम इस यूनियन के सदस्यों के बारे में जांच पड़ताल किए बिना उन्हें वस्तुतः मान्यता प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

विवरण

नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस ऑफ एफ.सी.आई. एम्पालाइज़

(केन्द्रीय समिति) 332, छोटी बजरिया,

गाजियाबाद – 1,

पत्र संख्या : एन.टी.यू.सी/पी.आर.ई./93 दिनांक 9–9–93

सेवा में,

श्री एस.ए. मिश्र, आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय,
नई दिल्ली

विषय : **मॉंग-पत्र – तत्संबंधी समझौता**

महोदय,

जैसाकि आपको विदित ही है कि हमारी यूनियन विभिन्न क्षेत्रों/अंचलों में कार्य कर रही है और अपने–अपने क्षेत्र में पंजीकृत की गई आई.एन.टी.यू.सी. यूनियनों का परिसंघ है। हमारे संघटकों ने एक बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया अपना मॉंग पत्र प्रस्तुत किया है। चूँकि नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस ऑफ एफ.सी.आई. एम्पालाइज़ इन यूनियनों का परिसंघ है इसलिए इन यूनियनों के मॉंग पत्र पर इसके द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर विचार किया जाना है। अतः हम इस पत्र द्वारा

निम्नलिखित माँगें ज़ोरदार ढंग से इस अनुरोध के साथ दोहराते हैं कि इन माँगों पर विचार विमर्श करने के लिए तत्काल एक बैठक बुलाने की कृपा करें।

1. तृतीय मंजूरी संशोधन के लिए बातचीत आरम्भ की जाए और संशोधित वेतनमान में केवल पाइंट से पाइंट निर्धारित करने सहित इसकी अवधि चार वर्ष होनी चाहिए।

2. श्रेणी दो के कर्मचारियों के लिए हमारे दिनांक 8–8–93 के पत्र द्वारा पहले ही सुझाए गए और परिचालित किए गए औद्योगिक महँगाई भत्ते और वेतनमान को ही कुछ संशोधनों के साथ लागू करने के लिए बातचीत आरम्भ की जाए।

3. श्रेणी 2/3 के कर्मचारियों को पट्टे पर आवास प्रदान करना।

4. लम्बित पड़े मंजूरी संशोधन समझौते के प्रति श्रेणी दो, तीन और चार के प्रत्येक कर्मचारी को 10,000 रुपए की अन्तरिम राहत का भुगतान करना।

5. पोस्टल लाइफ इंश्योरेन्स के सम्बन्ध में निपटारा होने पर प्रत्येक कर्मचारी को 5,000/– रुपए की अग्रिम राशि अदा की जाए और पोस्टल लाइफ इंश्योरेन्स सम्बन्धी गणना करते समय/इसे अंतिम रूप देते समय उच्चतम सीमा को समाप्त किया जाए और श्रम शामिल न किया जाए।

6. कार्मिक नीति तैयार करना :– यद्यपि निगम ने दो वर्ष पूर्व अपनी रजत जयंती मनाई है लेकिन निगम में पदोन्नति, भर्ती, स्थानान्तरण आदि की कोई स्थाई नीति नहीं है। यह सभी कर्मचारियों के लिए एक चिन्ता का मामला है और हम प्रमुख कार्मिक नीतियाँ तत्काल तैयार करने की माँग करते हैं।

7. प्रत्येक प्रभाग/मुख्यालय के परिचालन/क्षेत्रीय कार्यालयों/ज़िला कार्यालयों/पत्तन परिचालन कार्यालयों और डिपुओं, प्रत्येक में अतिरिक्त पद की मंजूरी क्योंकि इन कार्यालयों तथा फील्ड में कार्यभार में वृद्धि हो गई है।

8. श्रेणी तीन और चार पदों में प्रवेश स्तर को बहाल करना जो एन.सी.सी. द्वारा सद्भावना ज्ञापन के ज़रिये किए गए ग़लत करार के अनुसार प्रबन्ध द्वारा समाप्त कर दिया गया था। प्रवेश स्तर पर स्टाफ के उपलब्ध न होने के कारण वरिष्ठ कर्मचारियों को अपनी उच्च ज़िम्मेदारियों के अतिरिक्त निचले स्टाफ का कार्य करना पड़ता है जोकि कार्य विवरण/भारतीय खाद्य निगम के मैनुअल के उपबन्धों के विपरीत है।

9. भारतीय खाद्य निगम के कार्य में कोई कमी न की जाए। चावल/दाल मिलें पुनः चालू की जानी चाहिएं। खाद्यान्नों, विशेष रूप से चावल/गेहूँ/चीनी का खुदरा वितरण भारतीय

खाद्य निगम के डिपुओं, भारतीय खाद्य निगम के निकासी स्थलों, सहकारी भण्डारों और सुपर बाजारों के माध्यम से किया जाए। उर्वरकों और चीनी से सम्बन्धित कार्य भारतीय खाद्य निगम के पास ही रहना चाहिए। भण्डारण/वसूली कार्य केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भण्डारण निगम को न सौंपा जाए।

10. 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के बाद शत-प्रतिशत कर्मचारियों को चयन ग्रेड दिया जाना चाहिए।

11. बड़े ज़िलों का उच्च श्रेणीकरण, जिनमें उप प्रबन्धकों को तैनात किया जाए और वे संयुक्त प्रबन्धकों के अधीन हों।

12. श्रेणी एक और दो में कोई सीधी भर्ती नहीं की जानी चाहिए और सभी पदों यहाँ तक की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित पदों को भी केवल पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए।

13. श्रेणी दो, तीन और चार में समयबद्ध पदोन्नति नीति तैयार की जाए। श्रेणी एक के अधिकारियों के मामले में की जाने वाली पदोन्नतियों के बराबर अनुपात में पदोन्नति की जानी चाहिए।

14. खाद्य निगम अधिनियम, 1965 की धारा 13 में दिए गए उपबन्धों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के कार्यों का विविधीकरण करना।

15. नियमित रूप से नियुक्ति होने तक सामान्य नियमों में ढील देकर विशेष मामले के रूप में, भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी की मृत्यु होने के एक मास की अवधि के अन्दर मृतक कर्मचारी के आश्रितों की दिहाड़ी के आधार पर भारतीय खाद्य निगम में नियुक्ति की जाए। इससे शोकसंतप्त परिवार की वित्तीय कठिनाई कम होगी। अपेक्षित औपचारिकताएँ छः मास की अवधि के अन्दर पूरी करा ली जाएँ और सभी हाई स्कूल पास भावी कर्मचारियों की श्रेणी तीन पद पर नियुक्ति करने के लिए विचार किया जाए। नियमित नियुक्ति दिहाड़ी के मज़दूरों की नियुक्ति की तारीख़ से मानी जाए।

16. कर्मचारियों की दी गई योग्यता वेतनवृद्धियाँ पदोन्नति होने पर वापस नहीं ली जानी चाहिएं और इन्हें वैयक्तिक वेतन नहीं माना जाना चाहिए।

17. कीटनाशी दवाइयों को हैंडल करने वाले तकनीकी सहायकों को गैस भत्ते को भुगतान करना।

18. सतर्कता/शिक़ायत सम्बन्धी मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए समय सीमा का निर्धारण करना और समय सीमा से ज़्यादा विलम्ब के लिए सक्षम प्राधिकारी की ज़िम्मेदारी निर्धारित करना।

यदि प्रबन्ध हमारे साथ बैठक निर्धारित न करने पर अभी भी अड़ा है तो हमारे पास मुख्यालय पर बड़ी रैली करने सहित सम्बन्धित क्षेत्रों में आन्दोलन का रास्ता अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा जिसके लिए प्रबन्ध जिम्मेदार होगा।

हमें आशा है कि प्रबन्ध – एन.सी.सी. के प्रत्येक संघटक की तुलना में हमारे समर्थकों को ध्यान में रखते हुए हमारे अनुरोध पर निश्चितरूप से विचार करेगा।

सधन्यवाद,

भवदीय,

ह./–

(वी.के. कौशल)

प्रति :

1. श्री आर. नारायणन,

   अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली

2. सचिव (खाद्य)/(श्रम) भारत सरकार, नई दिल्ली

3. श्री कल्पनाथ राय, माननीय खाद्य मंत्री, नई दिल्ली

4. अध्यक्ष, इंडियन नेशलन ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस, नई दिल्ली

5. संसद सदस्य

6. सभी संघटक।

पर्यावरण परियोजनाएं

7062. **डॉ. आर. मल्लू :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैर–सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों से कई पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं को चलाने के लिए विशेषतः उष्णकटिबंधीय वानिकी कार्यवाही कार्यक्रमों, बाघ परियोजना और भारत में ज़हरीले पदार्थों को फेंकने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). उष्णकटिबंधीय

वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम तथा बाघ परियोजना के संबंध में गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। विषाक्त अपशिष्टों के बारे में पर्यावरण और विकास संबंधी जन आयोग, भारत से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें भारत सरकार से मार्च, 1994 में जिनेवा में बेशल कंवेंशन की बैठक में सभी परिसंकटमय अपशिष्टों का ओ ई सी डी देशों से गैर–ओ ई सी डी देशों का निर्यात करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के मत का समर्थन करने का अनुरोध किया गया था।

हमारे कानूनों के अनुसार फैंकने एवं निपटान के लिए परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, इस प्रकार के अपशिष्टों के आयात की अनुमति प्रत्येक मामले की गुण दोष के आधार पर जांच करने के बाद कच्ची साभग्री के प्रसंस्करण और उसके पुनः प्रयोग के लिए दी जा सकती है।

[हिन्दी]

गेहूं का उत्पादन

7063. **श्री हरचंद सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में गेहूं के उत्पादन में गिरावट आयी है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी गिरावट आयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) पंजाब में गेहूं का उत्पादन वर्ष 1990–91, 1991–92 और 1992–93 में क्रमशः 121.55, 122.55 तथा 123.69 लाख टन था। पंजाब में 1993–94 के लिए गेहूं के उत्पादन से संबंधित अंतिम प्राक्कलन अभी प्राप्य नहीं हुए हैं। फिर भी, वर्तमान संकेतों के अनुसार ऐसी संभावना है कि 1993–94 में इसका उत्पाउन 1992–93 से कम नहीं होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में रेल पुल

7064. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के अंतर्गत गुजरात में कुल कितने रेल पुल हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन पुलों की मरम्मत में डिवीजन–वार कितना व्यय हुआ; और

(ग) 1993–94 में डिवीजन–वार कितने पुलों की मरम्मत की गई या की जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुवाहाटी स्थित रेलवे हाई स्कूल में 10+2 की कक्षाएं

7065. **श्री प्रबीन डेका : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों ने गुवाहाटी स्थित रेलवे हाईस्कूल में 10+2 की कक्षाएं आरंभ करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उक्त स्कूल में 10+2 की कक्षाएं कब से आरंभ हो जाएंगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) विद्यालय को पहले ही 10+2 प्रणाली तक अपग्रेड किया जा चुका है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान

7066. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों ने राज्यों के किसानों को बकाया गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भुगतान में देरी के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) व (ख). गत तीन चीनी मौसमों के दौरान 15 नवंबर तक किसानों को देय गन्ना मूल्य के बकाया का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग). गन्ना मूल्य के भुगतान में देरी के कई कारण हो सकते हैं जैसे चीनी मिल की कमजोर वित्तीय स्थिति, ऊंची उत्पादन लागत, राज्य द्वारा सुझाया गया अत्यधिक ऊंचा गन्ना मूल्य, अपर्याप्त बिक्री वसूली आदि।

विवरण

पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान 15 नवंबर तक किसानों को देय गन्ना मूल्य के बकाया का राज्य–वार ब्यौरा

(आंकड़े लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/क्षेत्र का नाम	1990–91 (15.11.91 को)	1991–92 (15.11.92 को)	1992–93 (15.11.93 को)
1.	पंजाब	204.12	235.35	86.97
2.	हरियाणा	11.49	115.81	9.35
3.	राजस्थान	144.94	131.15	0.87
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	624.86	4144.24	304.79
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	1335.74	5632.12	724.37
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	1761.87	6141.87	1376.34
	कुल उत्तर प्रदेश	3722.47	15918.23	2405.50
7.	मध्य प्रदेश	5.99	207.65	178.12
8.	दक्षिण गुजरात	88.72	146.45	263.17
9.	सौराष्ट्र	2.09	113.47	27.36
	कुल गुजरात	90.81	259.92	290.53
10.	दक्षिण महाराष्ट्र	36.63	348.10	234.76
11.	उत्तरी महाराष्ट्र	65.96	203.44	447.08
	कुल महाराष्ट्र	102.59	551.54	681.84
12.	उत्तरी बिहार	2764.37	3304.29	2085.74

1	2	3	4	5
13.	दक्षिण बिहार	104.87	81.63	8.35
	कुल बिहार	2069.24	3385.92	2094.09
14.	असम	0.75	0.67	0.00
15.	आन्ध्र प्रदेश	456.61	26.09	78.64
16.	कर्नाटक	219.70	330.95	672.23
17.	तमिलनाडु	208.46	5.32	336.94
18.	केरल	0.08	1.68	37.00
19.	उड़ीसा	20.88	0.26	10.04
20.	पश्चिम बंगाल	0.45	0.24	0.08
21.	नागालैंड	42.39	62.14	16.08
22.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.01
23.	गोआ	0.00	0.00	0.00
	समस्त भारत	8100.97	21232.92	6898.29

फिरोजाबाद में गोमती एक्सप्रेस का रुकना

7067. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फिरोजाबाद में गोमती एक्सप्रेस को ठहराने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). 2419/2420 गोमती एक्सप्रेस को फिरोजाबाद में ठहरने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों की विधिवत जांच की गयी है, लेकिन उसका औचित्य नहीं पाया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में चीनी मिलें

7068. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में 15 चीनी मिलों की स्थापना के लिए आशय–पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) क्या राज्य में चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1994–95 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में चीनी के कितने कारखाने स्थापित करने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) व (ग). केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश राज्य में चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कोई समिति गठित नहीं की है।

(घ) केन्द्र सरकार देश के किसी भाग में चीनी मिलें स्थापित नहीं करती है। तथापि, यह नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए उस समय लागू लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करती है।

तिलहन की उत्पादकता

7069. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के विशेषज्ञों के अनुसार तिलहन की उत्पादकता प्रति हैक्टेयर 600–800 कि. ग्राम के वर्तमान स्तर से औसतन 1,500 कि.ग्राम तक प्राप्त की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो आई.सी.ए.आर. के अन्तर्गत कार्यरत तेल अनुसंधान निदेशालय ने इस संबंध में क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इनके कार्यान्वयन के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :

(I) मृदा जांच पर आधारित उर्वरक की अनुशंसित मात्रा का इस्तेमाल करना।

(II) विभिन्न तिलहनी फसलों की अनुशंसित किस्मों का प्रयोग करना।

(III) अनुशंसित बीज दर का इस्तेमाल करना।

(IV) अनुशंसित रसायनों द्वारा मृदा तथा बीजों से पैदा होने वाले कीट/व्याधियों का उपचार करना।

(V) बढ़वार की महत्वपूर्ण अवस्था में फसल की सिंचाई करना।

(VI) पैदावार की क्षति को कम करने के लिए समेकित कीट प्रबन्ध विधियों का इस्तेमाल करना।

(VII) अनुकूलतम निवेशों का उपयोग करके लाभकारी फसल—चक्र को अपनाना।

(ग) (I) तिलहन वैज्ञानिकों द्वारा किसानों के खेतों पर प्रथम स्तर के प्रदर्शनों का आयोजन करना।

(II) तिलहनी फसलों के प्रजनक बीजों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करना।

(III) क्षेत्र दिवसों का आयोजन।

(IV) टेक्नोलॉजी बुलेटिनों का वितरण।

(V) तिलहनी फसलों की टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार विशेषज्ञों (कर्मचारियों) को प्रशिक्षित करना।

जनजातीय संस्कृति

7070. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की विविधतापूर्ण व समृद्ध जनजातीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए क्या यहां रहने वाली जनजातियों के संबंध में कोई अध्ययन या प्रलेखन कार्य प्रारंभ किया गया है;

(ख) क्या सरकार यहां के लोक नृत्यों, गीतों, धार्मिक रीति—रिवाजों, मेलों और उत्सवों आदि पर कोई वीडियो फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखती है ताकि उद्योगों की स्थापना से बढ़ते हुए शहरी हस्तक्षेप से इस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परंपरागत कलाएं

7071. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में नौटंकी तथा अन्य परंपरागत सांस्कृतिक कलाएं विलुप्त होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मनोरंजन की इन परंपरागत कलाओं को पुनः आरंभ करने तथा इन कलाओं के कलाकारों की शोचनीय दशा में सुधार करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कलाओं के प्रशिक्षण, प्रचार तथा विकास में भाग लेने वाले ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को दी जा रही सहायता राशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा संस्कृति विभाग के माध्यम से नौटंकी संगठनों सहित प्रदर्शनकारी शैक्षिक सांस्कृतिक संगठनों को प्रस्तुति अनुदानों के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि में वृद्धि कर दी गई है।

(घ) 1.4.1993 से परियोजना के लिए अनुदान की राशि 40,000/– रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 50,000/– रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।

खाद्यान्नों का आबंटन

7072. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री भीम सिंह पटेल :

श्री राम नाईक :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य द्वारा गत चार महीनों के दौरान गेहूं, चावल, चीनी तथा मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं की वस्तु–वार तथा मास–वार कितनी–कितनी मात्रा में मांग की गयी और उनकी इन राज्यों को कितनी–कितनी मात्रा में सप्लाई की गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन वस्तुओं का कम आवंटन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के आवंटन उपलब्ध स्टाक, मौसमी उपलब्धता, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सापेक्ष आवश्यकताओं, उठान के रुख और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किए जाते हैं। केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए नहीं होते हैं। आवंटित खाद्यान्नों का उठान सामान्यतया आवंटन से अपेक्षाकृत कम होता है। विवरण–I और II संलग्न हैं, जिनमें पिछले चार महीनों के दौरान चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

लेवी चीनी का आवंटन राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से प्राप्त मांग के आधार पर नहीं किया जाता है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के आवंटन 1.10.1986 को स्थिति के अनुसार परियोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमास न्यूनतम 425 ग्राम की मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के एक समान मानदण्ड के आधार पर किए जाते हैं। ये मानदण्ड 1.2.1987 से लागू हैं। तथापि, कुछेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वहा की विशेष परिस्थितियों की वजह से अधिक मात्रा में आवंटन किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार समूचे देश के लिए त्यौहार कोटा के रूप में भी प्रतिवर्ष लगभग एक लाख मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित करती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उस समय जब देश में अधिक मात्रा में चीनी उपलब्ध थी, को दृष्टि में रखकर अगस्त, 1991 से लेवी चीनी के आवंटनों में 5% की तदर्थ वृद्धि कर दी गई थी। लेकिन 1992–93 के मौसम से चीनी के उत्पादन में निरन्तर गिरावट आने के कारण अप्रैल, 1994 के लिए जब लेवी चीनी के निर्मुक्तियां की गई थीं, तब से इस तदर्थ वृद्धि को समाप्त कर दिया गया था। तदनुसार, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1994 के लिए लेवी चीनी के मासिक आवंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण –II में दिया गया है।

जहां तक मिट्टी के तेल का संबंध है, अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

जनवरी से अप्रैल, 1994 तक के दौरान चावल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) की मांग (मां), केन्द्रीय पूल से आवंटन (आ) तथा जनवरी से मार्च, 1994 तक उठान (उ) को बताने वाला ब्यौरा

(हजार मी. टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी, 1994			फरवरी, 1994			मार्च, 1994			अप्रैल, 1994		
		मांग	आ	उ	मां	आ	उ	मां	आ	उ	मां	आ	उ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	आन्ध्र प्रदेश	190.00	190.00	185.4	190.00	190.00	195.1	190.00	190.00	183.30	125.00	125.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.60	8.60	6.7	24.60	24.60	6.5	8.60	8.60	9.80	8.60	8.60	
3.	असम	38.40	38.40	35.8	38.40	38.40	21.2	38.40	38.40	27.60	38.40	38.40	
4.	बिहार	24.60	24.60	5.5	40.00	24.60	2.3	28.60	28.60	5.20	28.60	28.60	
5.	दिल्ली	20.00	20.00	13.40	20.00	20.00	8.60	20.00	20.00	6.60	20.00	20.00	
6.	गोवा	5.60	4.50	0.2	5.60	4.50	3.3	5.60	4.50	2.30	5.60	4.50	
7.	गुजरात	34.50	34.50	22.8	34.50	34.50	22.6	34.50	34.50	15.90	34.50	34.50	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.	हरियाणा	3.00	3.00	1.5	3.00	3.00	0.2	3.00	3.00	0.40	3.00	3.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	6.90	6.90	7.5	6.90	6.90	5.5	7.50	7.50	6.00	12.00	7.50	
10.	जम्मू और कश्मीर	36.20	36.20	14.1	36.20	36.20	14.1	36.20	36.20	11.60	36.20	36.20	
11.	कर्नाटक	68.50	68.50	59.6	68.50	68.50	39.7	75.00	75.00	33.30	75.00	75.00	
12.	केरल	217.00	150.00	123.7	217.00	150.00	89.7	217.00	150.00	71.50	217.00	150.00	
13.	मध्य प्रदेश	40.90	40.90	18.1	40.90	40.90	11.1	40.90	40.90	9.50	40.90	40.90	
14.	महाराष्ट्र	71.50	71.50	60.3	71.50	71.50	51.9	71.50	71.50	23.30	71.50	71.50	
15.	मणिपुर	10.00	10.00	2.5	10.00	10.00	2.7	10.00	10.00	3.20	10.00	10.00	
16.	मेघालय	10.50	10.50	9.6	20.00	10.50	6.3	20.00	10.50	11.80	20.00	10.50	
17.	मिजोरम	10.00	7.60	8.0	16.00	13.60	6.1	12.00	7.60	10.00	10.00	7.60	
18.	नागालैंड	9.00	9.00	5.0	9.00	9.00	8.3	7.50	7.50	10.50	7.50	7.50	
19.	उड़ीसा	38.70	38.70	18.2	38.70	38.70	5.0	38.70	38.70	3.80	38.70	38.70	
20.	पंजाब	1.50	1.50	.05	1.50	1.50	0.1	1.50	1.50	0.20	1.50	1.50	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
21.	राजस्थान	2.40	2.40	1.2	3.00	3.00	0.7	3.00	3.00	1.20	3.00	3.00	
22.	सिक्किम	4.50	4.50	4.1	4.50	4.50	3.4	4.50	4.50	2.30	4.50	4.50	
23.	तमिलनाडु	7.80	70.80	79.9	70.80	7080	97.6	100.00	100.00	129.70	100.00	100.00	
24.	त्रिपुरा	16.20	16.20	9.8	16.20	16.20	9.4	16.20	16.20	10.80	16.20	16.20	
25.	उत्तर प्रदेश	45.80	45.80	23.6	45.80	45.80	11.3	45.80	45.80	12.20	45.80	45.80	
26.	पश्चिम बंगाल	80.60	80.60	51.8	8060	80.60	33.7	80.60	80.60	30.50	80.60	80.60	
27.	अ.नि.द्वीप समूह												
28.	चण्डीगढ़	0.30	0.30	0.1	0.30	0.30	0.1	0.30	0.30	0.10	0.30	0.30	
29.	दादर और नगर हवेली	0.50	0.50		0.50	0.50		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
30.	दमन और दीव	0.50	0.50		0.50	0.50	0.4	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
31.	लक्षद्वीप						0.6			0.20			
32.	पांडिचेरी	2.00	2.00	0.3	2.00	2.00	0.2	2.00	2.00	0.30	0.30	2.00	
	जोड़	1069.00	998.50	769.20	1116.50	1021.10	657.72		11.90	1037.90	634.10	1055.70	972.90

विवरण-II

जनवरी से अप्रैल, 1994 तक के दौरान गेहूं (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) की मांग (मां), केन्द्रीय पूल से आवंटन (आ) तथा जनवरी से मार्च, 1994 तक उठान (उ) को बताने वाला ब्यौरा

(हजार मी. टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी, 1994			फरवरी, 1994			मार्च, 1994			अप्रैल, 1994		
		मा.	आ	उ	मां.	आ	उ	मां	आ	उ	मां	आ	उ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.00	15.00	13.3	15.00	15.00	11.1	15.00	15.00	9.30	15.00	15.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.10	0.60	0.5	0.60	0.60	0.3	1.00	0.60	0.70	2.00	0.60	
3.	असम	20.00	20.00	16.7	20.00	20.00	17.5	20.00	20.00	29.10	20.00	20.00	
4.	बिहार	51.60	51.60	47.0	80.00	51.60	23.5	61.60	61.60	42.70	61.60	61.60	
5.	दिल्ली	90.00	72.00	67.00	90.00	72.00	47.00	72.00	72.00	39.50	72.00	72.00	
6.	गोवा	4.00	3.10	0.6	4.50	3.10	2.5	4.00	3.10	1.50	4.00	3.10	
7.	गुजरात	53.50	53.50	46.0	53.50	53.50	46.0	53.50	53.50	34.10	53.50	53.50	
8.	हरियाणा	37.37	10.20	9.4	37.37	18.20	8.1	32.37	18.20	9.10	22.37	10.20	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9.	हिमाचल प्रदेश	10.00	10.00	10.5	10.00	10.00	8.0	11.00	11.00	12.50	15.00	11.00	
10.	जम्मू और कश्मीर	20.00	20.00	7.4	20.00	20.00	7.4	20.00	20.00	13.00	20.00	20.00	
11.	कर्नाटक	40.00	25.00	23.3	40.00	25.00	21.8	40.00	30.00	19.00	50.00	30.00	
12.	केरल	50.00	30.00	22.9	50.00	30.00	21.1	50.00	30.00	24.40	50.00	30.00	
13.	मध्य प्रदेश	70.00	41.00	37.8	70.00	41.00	30.6	50.00	41.00	18.00	50.00	41.00	
14.	महाराष्ट्र	100.00	80.00	72.00	100.00	80.00	68.2	100.00	80.00	41.50	100.00	80.00	
15.	मणिपुर	2.70	2.70	0.8	2.70	2.70	1.8	2.70	2.70	1.00	2.70	2.70	
16.	मेघालय	4.00	4.00	1.9	2.00	2.00	3.3	2.00	2.00	4.80	2.00	2.00	
17.	मिजोरम	3.50	3.50	1.1	2.00	1.10	3.9	1.10	1.10	1.70	2.00	1.10	
18.	नागालैंड	2.00	2.00	1.8	10.00	10.00	6.5	1.20	1.20	3.50	4.00	1.20	
19.	उड़ीसा	35.00	25.00	24.2	35.00	25.00	20.3	35.00	30.00	20.00	35.00	30.00	
20.	पंजाब	20.00	20.00	4.6	20.00	20.00	0.1	20.00	20.00	0.40	20.00	20.00	
21.	राजस्थान	116.50	96.00	93.7	126.50	116.00	81.4	146.50	146.50	65.40	146.50	146.50	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
22.	सिक्किम	0.60	0.60	0.6	0.60	0.60	0.5	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
23.	तमिलनाडु	20.00	20.00	27.2	20.00	20.00	26.0	25.00	25.00	48.40	30.00	25.00	
24.	त्रिपुरा	1.80	1.80	0.1	3.00	1.80	0.4	3.00	1.80	0.30	3.00	1.80	
25.	उत्तर प्रदेश	98.80	98.80	79.5	98.80	98.80	31.3	98.80	98.80	29.70	98.80	98.80	
26.	पश्चिम बंगाल	80.00	80.00	74.6	90.00	90.00	65.9	90.00	90.00	75.80	90.00	90,00	
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह												
28.	चण्डीगढ़	3.00	1.80	1.8	3.00	1.80		3.00	1.80		3.00	1.80	
29.	दादर और नगर हवेली	0.20	0.20		0.20	0.20		0.20	0.20		0.20	0.20	
30.	दमन और दीव	0.30	0.15		0.30	0.15		0.15	0.15		0.30	0.15	
31.	लक्षद्वीप												
32.	पांडिचेरी	0.75	0.75		0.75	0.75		0.75	0.75		0.75	0.75	
	जोड़ :	951.72	789.30	686.30	1005.82	830.90	554.50	960.47	878.60	546.00	974.32	870.60	

विवरण-III

जनवरी, 1994 से अप्रैल, 1994 के दौरान राज्यों को आवंटित की गई चीनी की मात्रा बताने वाला ब्यौरा

(मीटरी टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लेवी चीनी के रूप में चीनी का मासिक आवंटन		
		जनवरी, 94*	फरवरी और मार्च, 94*	अप्रैल, 94
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश	26545	26545	25281
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	259	259	247
3.	अरुणाचल प्रदेश	330	330	314
4.	असम	10098	10098	9617
5.	बिहार	35132	35132	33459
6.	चंडीगढ़	391	391	372
7.	दादर और नगर हवेली	54	54	51
8.	दिल्ली	10367	10357	9921
9.	गोवा	525	525	500
10.	दमन	25	25	24
11.	दीव	16	16	15
12.	गुजरात	17004	17004	16194
13.	हरियाणा	6705	6705	6386
14.	हिमाचल प्रदेश	2120	2120	2019
15.	जम्मू और कश्मीर	3028	3280	3136
16.	कर्नाटक	18657	18657	17769

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	केरल	12551	12551	11953
18.	लक्षद्वीप	75	75	71
19.	मध्य प्रदेश	26283	26283	25031
20.	महाराष्ट्र	31435	31435	29938
21.	मणिपुर	729	729	694
22.	मेघालय	695	695	662
23.	मिजोरम	274	274	261
24.	नागालैंड	447	447	426
25	उड़ीसा	13013	13013	12393
26.	पांडिचेरी	320.2	320.2	305
27.	कराईकल	76.7	76.7	73
28.	माहे	15.7	15.7	15
29.	यनम	7.4	7.4	7
30.	पंजाब	8342	8342	7146
31.	राजस्थान	17760	17760	16914
32.	सिक्किम	173	173	165
33.	तमिलनाडु	23674	23674	22547
34.	त्रिपुरा	1051	1051	1001
35.	उत्तर प्रदेश	55572	55572	52926
36.	पश्चिम बंगाल	27182	27182	25888
	जोड़ :	350932	351174	334520

(*) जनवरी, 94 से मार्च, 94 के दौरान लेवी चीनी के मासिक आवंटनों के आंकड़ों में अगस्त, 91 से मार्च, 94 तक अनुमत 5% की तदर्थ वृद्धि शामिल है।

पुश-पुल रेक

7073. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर–मैसूर सेक्शन पर दैनिक यात्री सेवाओं के लिए पुश–पुल रेक शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). 1994–95 के दौरान बेंगलूर–मैसूर खंड पर डी एम यू पुश–पुल सेवा शुरू करने का विनिश्चिय किया गया है।

सरिस्का अभयारण्य

7074. **श्री मोहन रावले :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 में सरिस्का अभयारण्य में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे और इससे कितना नुकसान हुआ;

(ग) इस आग की चपेट में आने से कितने वन्यजीव मारे गये; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आग का लगना एक दुर्घटना थी जिसका कारण लोगों की गलती अथवा लापरवाही थी। चूंकि आग सतह पर लगी थी, अतः इससे केवल सूखी घास एवं सूखी लकड़ियां ही जली थीं जिससे लगभग 7,000 रुपयों का नुकसान हुआ था। किसी जंगली पशु के इस आग में मरने की सूचना नहीं है।

(घ) भविष्य में आग लगने की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) सरिस्का बाघ परियोजना के समूचे क्षेत्र में बेतार नेटवर्क मुहैया किया गया है।

(2) उद्यान के प्रबंधन में सहयोग देने के लिए 18 वन ग्राम सुरक्षा समितियाँ बनाई गई हैं।

(3) अग्निरेखा एवं चौकसी बनाये रखने के लिए 1.45 लाख रुपये की धनराशि दी गई है।

(4) उद्यान से होकर गुजरने वाली राज्य परिवहन की नियमित बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों

की उद्यान के प्रवेश द्वारों पर जांच की जाती है तथा उन्हें किसी दुर्घटना होने वाली और ज्वलनशील सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) उद्यान में आने वाले दर्शकों की भीड़ तथा कोर क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों को ध्यान में रखकर आग लगने की घटना के निवारण के लिए रास्ते के दोनों तरफ 10–10 मीटर चौड़ी पट्टियां साफ की गई हैं।

भ्रष्टाचार के मामले

7075. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सरकार ने 1993–94 के दौरान पश्चिम और दक्षिण रेलवे के निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के कितने मामलों का पता लगाया है;

(ख) क्या भ्रष्टाचार के आरोपों की कोई जांच करायी गयी थी;

(ग) यदि हां, ता इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) कितने अधिकार दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) की गई निवारक जांचों के अलावा वर्ष 1993–94 के दौरान पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग से संबंधित भ्रष्टाचार के 6 मामले और दक्षिण रेलवे से संबंधित 5 मामले नोटिस में आए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). की गयी जांचों के परिणामस्वरूप अभी तक 9 दोषी पदाधिकारियों (राजपत्रित और अराजपत्रित) के विरुद्ध इस प्रकार कार्रवाई की जा रही है :

रेलवे	अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई		प्रशासनिक कार्रवाई	
	राजपत्रित	अराजपत्रित्त	राजपत्रित	अराजपत्रित
पश्चिम	1	3	1	2
दक्षिण	–	2	–	–

प्रदूषण

7076. **डॉ. के.वी.आर. चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में औद्योगिक और अन्य प्रकार के प्रदूषण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) 1992–93 में आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों से मंत्रालय में प्राप्त शिकायतें इस प्रकार हैं :

(1) वोल्टास लिमिटेड, पत्तनचेरू के कीटनाशक संयंत्रों द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण।

(2) आंध्र प्रदेश में सीमेंट की फैक्टरियों से होने वाला वायु प्रदूषण।

(3) विशाखापत्तनम के इर्द–गिर्द उद्योगों से होने वाला प्रदूषण।

(4) कथगुंडम ताप विद्युत केन्द्र, कथगुंडम द्वारा होने वाला प्रदूषण।

(5) रिंग रोड, हैदराबाद में आटोमोबाइल के कर्मशाला से होने वाला प्रदूषण।

(6) हैदराबाद शहर के आस–पास प्रदूषण।

(7) उप्पडा ग्राम में स्थिति कागज की मिलों से होने वाला प्रदूषण।

(8) मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा होने वाला प्रदूषण।

(9) मैसर्स विघरेसेवन ऑयल मिल्स लि., पम्बम, जिला प्रकाशम, द्वारा होने वाला प्रदूषण।

(ग) सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दो शिकायतों के बारे में रिपोर्ट मांगी और प्राप्त की। अन्य शिकायतों के बारे में आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार जांच करने और कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। सीमेंट उद्योग से होने वाले प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के मामले में राज्य सरकार ने न्यूंनतम राष्ट्रीय मानकों के बजाए अधिक सख्त मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

बालारम, पत्तनचेरू और जे.डी. मेटला के औद्योगिक एस्टेटों के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक समयबद्ध कार्यक्रम भी बनाया है जिसके अंतर्गत उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपाय करने होते हैं।

रेलवे विकास परियोजनाएं

7077. **प्रो. एम. कामसन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) रेलवे ने 1993–94 के दौरान जोन–वार और राज्य–वार किन–किन विकास परियोजनाओं का कार्य शुरू किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1994–95 और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ राज्यों में और परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) रेलों द्वारा 1993–94 के दौरान निम्नलिखित विकास परियोजनाएँ शुरू की गई थीं :

रेलवे		परियोजना का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	राज्य
मध्य	1.	अमरावती–नरखेड़ (नई लाइन)	138	महाराष्ट्र
	2.	मिरज – लातूर (आमान परिवर्तन)	359	– वही –
	3.	दौंड – बारामती (आमान परिवर्तन)	42	– वही –
पूर्व	1.	झापटेरढाल – गुसकरा (दोहरीकरण)	15.21	पश्चिम बंगाल
उत्तर	1.	रेवाडी–भटिंडा (आमान परिवर्तन)	300	हरियाणा
	2.	जोधपुर–जैसलमेर (आमान परिवर्तन)	297.44	राजस्थान
	3.	लूनी–मारवाड़ (आमान परिवर्तन)	72	– वही –

1		2	3	4
पूर्वोत्तर	1.	कर्पुरी ग्राम–सीही (दोहरीकरण)	26.16	बिहार
पूर्वोत्तर सीमा	1.	लमडिंग–डिब्रूगढ़ (सम्पर्क लाइनों सहित) (आमान परिवर्तन)	628	असम
दक्षिण मध्य	1.	पेददापल्ली–करीमनगर– निजामाबाद (नई लाइन)	177	आंध्र प्रदेश
दक्षिण पूर्व	1.	लांजीगढ़–जूनागढ़ (नई लाइन)	54	उड़ीसा
	2.	गजपतिनगरम–विजयानगरम (दोहरीकरण)	22	आंध्र प्रदेश
पश्चिम	1.	फुलेरा–मारवाड़–अहमदाबाद (आमान परिवर्तन)	572	राजस्थान गुजरात
	2.	नीमच–रतलाम (आमान परिवर्तन)	135	मध्य प्रदेश

(ख) और (ग). 1994–95 के बजट में निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल कर ली गई हैं :

रेलवे		परियोजना का नाम	लम्बाई	राज्य
पूर्व	1.	चंदनपुर–गुड़प (तीसरी लाइन)	17.24	पश्चिम बंगाल
उत्तर	1.	उधमपुर–श्रीनगर (नई लाइन)	195	जम्मू और काश्मीर
पूर्वोत्तर	1.	गोंडा–स्वामी नारायण छापिया (कहीं–कहीं दोहरी लाइन बिछाना)	47.08	उत्तर प्रदेश

1		2	3	4
दक्षिण	1.	शोरानूर–कालिकट (दोहरीकरण)	86	केरल
दक्षिण मध्य	1.	रेणिगुंटा–राछा–गुन्नेरी (दोहरीकरण)	[illegible]6.45	आंध्र प्रदेश
दक्षिण-पूर्व	1.	रजतगढ़–नेरगुंडी (दोहरीकरण)	25 कि. मी.	उड़ीसा
	2.	अकलतारा–चम्पा (शिरोपरि उपस्कर सहित तीसरी लाइन)	25.6	मध्य प्रदेश
पश्चिम	1.	राजकोट–वेरावल (आमान परिवर्तन)	185	गुजरात

आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

रेलवे भूमि

7078. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेल लाईनों के दोनों ओर लगी कुल कितनी हेक्टेयर भूमि है;

(ख) कुल भूमि में से, अनुमानित कितनी हेक्टेयर भूमि पर वन लगाया गया है; और

(ग) सरकार शेष भूमि पर वन लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) लगभग 1,09,000 हेक्टेयर।

(ख) और (ग). वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 36,000 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर पहले ही वृक्षारोपण किया जा चुका है। आगामी वर्षों में उस समय तक वृक्षारोपण कार्यक्रम जारी रहेगा जब तक कि सारी उपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण नहीं हो जाता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्पत्ति किराये पर लेना

7079. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :**

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील :

क्या **खाद्य मंत्री** 21 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3052 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने पट्टे की समाप्ति के बाद नई दिल्ली में किराये पर वैकल्पिक स्थान लेने की दिशा में क्या कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इतने लम्बे समय तक पट्टे के करार को न मानने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम ने किराये पर लिए गए स्थान को खाली करने के लिए स्वयं अपना स्थान प्राप्त करने के संबंध में सुविचारित निर्णय लिया है। गुड़गांव में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से 5 एकड़ भूमि, दिल्ली विकास प्राधिकरण से राजेन्द्र प्लेस में 11,500 वर्ग फुट और स्कोप से लक्ष्मी नगर में स्थित ट्विन टावर काम्पलैक्स में 22,000 वर्ग फुट स्थान खरीद कर इस दिशा में शुरूआत कर दी गई है। लक्ष्मी नगर में स्थित ट्विन टावर काम्पलैक्स में अतिरिक्त स्थान खरीदने से संबंधित एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम सामान्यतया पट्टा विलेखों का आदर करता है। तथापि, उपयुक्त और वैकल्पिक स्थान उपलब्ध न होने के कारण पट्टा प्रलेखों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी भारतीय खाद्य निगम ने कुछेक भवनों को अभी भी अपने पास रखा हुआ है। ऐसे मामलों में वैकल्पिक स्थान प्राप्त हो जाने के बाद भवनों को खाली कर दिया जाता है।

राष्ट्रीय बाल बोर्ड

7080. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन्** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1974 में स्थापित राष्ट्रीय बाल बोर्ड अभी कार्यरत है;

(ख) यदि हाँ, तो बोर्ड की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसके सदस्य कौन–कौन हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवराजेश्वरी) : (क) से (ग). पहली बार 03.12.1974 को गठित राष्ट्रीय बाल बोर्ड का इन दिनों पुनर्गठन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आयोजना, समीक्षा तथा समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु तथा मंच उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 22.8.1974 के राष्ट्रीय बाल नीति संकल्प के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया था। संकल्प में परिकल्पना की गई है कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय बाल बोर्ड के अध्यक्ष तथा मानव संसाधन विकास मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, श्रम मंत्री तथा शिक्षा और संस्कृति, युवा कार्य और खेल तथा महिला एवं बाल विकास विभागों के राज्य मंत्री इसके सदस्य होंगे। राज्य सरकारों के बाल कल्याण से संबंधित पाँच मंत्रियों, लोक सभा के दो सदस्यों और राज्य सभा के एक सदस्य, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, बाल कल्याण कार्यों में अनुभव-प्राप्त 10 गैर सरकारी सदस्यों, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के निदेशक को भी बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, बोर्ड की सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगी।

चीनी मिलों को बंद किया जाना

7081. **डा. साक्षीजी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कौन-कौन सी चीनी मिलें बंद हैं;

(ख) उन्हें भविष्य में फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद चीनी मिल, खलीलाबाद, जिला बस्ती इस समय बंद पड़ी है।

(ख) से (घ). मौसम में पेराई शुरू करने की जिम्मेदारी चीनी फैक्ट्री की होती है। तथापि, सरकार चीनी फैक्ट्रियों की अर्थक्षमता में सुधार के उद्देश्य से अपनी ओर से प्रत्येक वर्ष चीनी नीति की घोषणा करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया था कि प्लांट की क्षमता में विस्तार तथा वित्तीय संकट के कारण खलीलाबाद चीनी मिल पेराई शुरू नहीं कर सकी है।

समेकित कीट प्रबंधन

7082. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम कब से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज तक राज्यवार कितने जिलों में काम किया गया;

(घ) उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि दी गई; और

(ङ) कार्यक्रम आरंभ करने से लेकर अब तक प्रत्येक राज्य में इस संबंध में क्या प्रगति की गई ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारत सरकार ने एकीकृत कीट प्रबंध के क्रियान्वयन के लिए 1991 में 22 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 26 केन्द्रीय एकीकृत कीट प्रबंध केन्द्रों की स्थापना की थी। आठवीं योजना के दौरान विभिन्न फसलों में एकीकृत कीट प्रबंध कार्यक्रम को बढ़ावा देने और क्रियान्वित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

(ख) कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं –

– किसानों को कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करके अच्छी फसलें उगाने में समर्थ बनाना;

– गैर–रसायन नियंत्रण उपायों का अधिमान्य प्रयोग को अपनाना;

– कीटनाशकों का सुरक्षित, विवेकपूर्ण तथा आवश्यकता के आधार पर प्रयोग को बढ़ावा देना; और

– कीटनाशकों के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना।

(ग) से (ङ). राज्यवार कवरकिए गए जिले, दी गई राशि तथा उसमें आज तक हुई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मार्च, 1994 तक एकीकृत कीट प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कवर किए गए जिले, दी गई राशि तथा की गई प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर किए गए जिले	दी गई राशि (लाख रू.)	कीट सर्वेक्षण (लाख है.)	एकीकृत कीट प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगति: जैव नियंत्रण		एकीकृत कीट प्रबंध प्रशिक्षण	
					छोड़े गए जैव नियंत्रण एजेंट (मिलियन)	संवर्धन तथा संरक्षण के अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र (लाख है.)	एस.एम.एस.	प्रशिक्षित किसानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	19	7.32	1.81	311	0.66	140	820
2.	असम	14	2.16	0.56	6	–	110	510

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	बिहार	25	1.40	0.83	37	0.07	40	200
4.	गोवा	04	0.35	0.33	6	0.11	11	51
5.	गुजरात	13	1.05	0.93	370	0.86	32	150
6.	हरियाणा	09	1.40	1.33	277	0.64	40	200
7.	हिमाचल प्रदेश	03	0.70	0.50	93	0.21	20	100
8.	जम्मू व कश्मीर	07	0.70	0.51	411	0.28	20	100
9.	कर्नाटक	18	1.77	0.89	115	0.55	69	320
10.	केरल	14	1.07	0.31	5	–	33	228
11.	मध्य प्रदेश	18	1.75	1.56	235	0.59	47	250
12.	महाराष्ट्र	19	1.42	0.82	84	0.26	50	271
13.	मिजोरम	03	0.35	0.085	–	–	9	50
14.	नागालैंड	02	0.35	0.225	15	–	11	50
15.	उड़ीसा	13	2.14	0.96	284	0.61	80	420
16.	पंजाब	09	1.05	1.01	32	0.11	38	150
17.	राजस्थान	10	0.70	0.97	168	0.34	40	100
18.	सिक्किम	02	0.35	0.18	9	0.03	15	15
19.	तमिलनाडु	12	1.77	0.65	5	–	71	320
20.	उत्तर प्रदेश	32	2.43	2.00	285	0.53	70	350
21.	प. बंगाल	14	1.40	0.81	505	0.76	38	200
	कुल :	242	31.63	17.19	3253	6.61	984	4855

[हिन्दी]

कृषि व्यवसाय संघ

7083. **श्री गुमानमल लोढा :**

डॉ. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु कृषक कृषि–व्यवसाय संघ का मुख्यालय कहां स्थित है;

(ख) क्या उक्त कन्सोर्टियम की शाखाएं दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गई है ताकि छोटे किसानों को इसका लाभ मिल सके;

(ग) यदि हां, तो मार्च, 1994 तक किन–किन राज्यों में कितनी–कितनी शाखाएं स्थापित की गईं, और

(घ) 1996–97 के अंत तक पूरे देश में कितनी शाखाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) कमरा नं. 125

कृषि भवन

नई दिल्ली।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए।

[अनुवाद]

खेलों को प्रोत्साहन

7084. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ की सरकार खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न क्लबों और संगठनों की सहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान योजनावार कितना व्यय हुआ ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन चण्डीगढ़ ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्लबों और संगठनों को खेलों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित धनराशि प्रदान की गई है :

वर्ष	प्रदान की गई राशि
1991–92	14,112.00 रुपये
1992–93	80,611.50 रुपये
1993–94	44,885.57 रुपये
	1,39,609.07 रुपये

बिहार में रेलवे स्टेशनों में रिक्त पद

7085. **श्री राजेश कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बहुत से विभिन्न पद खाली पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर रेल यात्रियों का आवागमन

7086. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से बनकर चलने वाली और यहां आकर समाप्त होने वाली रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस स्टेशन पर इस समय आने–जाने वाले रेल यात्रियों की संख्या दिल्ली के सन् 2001 के मास्टर प्लान में परिकल्पित संख्या से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो उक्त स्टेशन पर यात्रियों के आवागमन में असामान्य वृद्धि के क्या कारण हैं और क्या इससे अधिक भीड़–भाड़ प्रदूषण और निकटवर्ती बस्तियों के निवासियों को असुविधा हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या हाल ही में निजामुद्दीन (पूर्व) के नागरिक संघ ने इस संबंध में कोई ज्ञापन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो उनके ज्ञापन का ब्यौरा और उनकी मुख्य मांगें क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) 16 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां। इसके अलावा, इस स्टेशन से 9 ई एम यू शुरू होती हैं और यहां पर ई एम यू टर्मिनेट होती हैं।

(ख) मास्टर प्लान 2001 में अलग–अलग स्टेशनों के लिए अलग से प्रक्षेपण नहीं किया गया है।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हज़रत निज़ामुद्दीन को नये स्वतंत्र पैसेंजर टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया है, यहां कोई असाधरण वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) से (च). निज़ामुद्दीन (पूर्व) आवासीय एसोसिएशन और एक व्यक्ति श्री संजीव कक्कड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट दायर की है और यह मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

कच्छ वनस्पति

7087. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्छ वनस्पति, जो समुद्र तट पर समुद्र के पानी से उगायी जाती है, उगाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस प्रयोजनार्थ गत् तीन वर्षों के दौरान तथा 1994–95 के लिए कितनी धनराशि की सहायता प्रदान की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). सरकार ने देश की कच्छ वनस्पति के संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक स्कीम शामिल की है। संरक्षण के लिए अब तक 15 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। चुने गए कच्छ वनस्पति क्षेत्रों में उत्तरी अण्डमान और निकोबार (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह), सुन्दर वन (पश्चिम बंगाल), भित्तरकणिका एवं महानदी डेल्टा (उड़ीसा), कोरिंगा, गोदावरी डेल्टा एवं कृष्णा का मुहाना (आन्ध्र प्रदेश), पिचावरम एवं पयन्ट केलिमर (तमिलनाडु), गोवा (गोवा), कच्छ की खाड़ी (गुजरात), कुन्दापुर (कर्नाटक), वेम्बनाड (केरल) और अचरा/रत्नगिरी (महाराष्ट्र) शामिल हैं।

कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण के लिए अनुकूल नीतियों, अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के निर्धारण में सरकार को सलाह देने के लिए नमभूमि, कच्छ वनस्पति तथा मूंगे की चट्टान के संबंध में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। प्रबंध कार्य योजनाओं के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर स्थायी समितियां गठित की गई हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को प्रबन्ध कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता देती है। प्रबन्ध कार्य योजनाओं के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन, प्राकृतिक पुनर्जनन, वनरोपण, नर्सरी विकास, सुरक्षा उपाय, शिक्षा एवं जागरूकता शामिल हैं।

(ग) कच्छ वनस्पति की स्कीम के तहत गत तीन वर्षों के दौरान (1991–92 से 1993–94 तक) राज्य सरकारों को 3.07 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। इस स्कीम के लिए वर्ष 1994–95 के दौरान 1.50 करोड रुपये की राशि आबंटित की गई है।

भारतीय खाद्य निगम

7088. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय बन्द कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस निर्णय का विरोध किया है;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) . (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

अनुसूचित औषधियों का विक्रय

7089. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि निरीक्षकों ने सुपर बाजार को रोगियों को अनुसूचित औषधियां न बेचने के आदेश दिए है;

(ख) क्या सुपर बाजार ने इसका विक्रय नहीं रोका है और दवाइयों पर बैच संख्या और एक्सपायरी तिथि को अंकित नहीं करता;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अनियमितताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) सुपर बाजार के दवाई बिक्री केन्द्रों से अनुसूचित दवाईयां औषध व प्रसाधन सामग्री नियमों के तहत निर्धारित प्रकिया के अनुसार बेची जा रही हैं।

(ग) व (घ). प्रश्न नही उठता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों के विरुद्ध कथित शिकायतें

7090. **श्री संतोष कुमार गंगवार** :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय विद्यालय संगठन की संयुक्त कार्यवाही समिति से कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आरोपों की जांच की है; और

(घ) यदि हा, तो इसका क्या परिणाम रहा और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). कर्मचारी संघों की संयुक्त कार्यसमिति द्वारा प्रस्तुत 25–सूत्रीय माँग पत्र में एक माँग संयुक्त आयुक्त के खिलाफ जाँच संस्थापित किए जाने की है। हालांकि यह माँग केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में स्वीकार नहीं की गई है, फिर भी इस माँग पर आगे विचार किया जा रहा है।

गैर-तकनीकी संस्थान में शुल्क ढांचा

7091. **श्री के. प्रधानी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश और शुल्क को विनियमित करने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये मार्गनिर्देश गैर तकनीकी संस्थाओं के लिए भी लागू होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). सरकार ने उन्निकृष्णन के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार केवल गैर–सरकारी व्यावसायिक गैर–सहायता वाली तकनीकी संस्थाओं में दाखिलों तथा शिक्षा शुल्कों को विनियमित करने के वास्ते अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम के अधीन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विनियमों के रूप में जारी किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बाल भवन सोसाइटी आफ इंडिया

7092. **डॉ. रमेश चन्द तोमर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल भवन सोसाइटी ऑफ इंडिया अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस सोसाइटी की आधारभूत सुविधाओं और सामान्य स्थिति में सुधार लाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हाँ।

(ख) बाल भवन सोसाइटी आफ इंडिया 5–16 आयु वर्ग के बच्चों की सृजनात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के माध्यम से कला, विज्ञान, साहित्य, खेल–कूद इत्यादि सृजनात्मक क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकलापों को आयोजित करती हैं। बाल भवन बच्चों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं तथा देश के कुशल शिल्पियों, प्रख्यात बाल लेखकों, विशेषज्ञों तथा सृजनात्मक और वैज्ञानिक क्षेत्रों के अधिकारी विद्वानों के साथ मिल कर कार्य करते हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा अग्रिम तौर पर तैयार की जाती है जिनमें राष्ट्रीय स्तर के बाल तथा शिक्षकों के कार्यक्रम भी शामिल हैं। स्कैटिंग रिंक का निर्माण, लघु मुद्रण इकाई की स्थापना तथा छात्रावास भवन के विस्तार से स्केटिंग, प्रिंटिंग तथा गृह प्रबंध (होम मैनेजमेंट) के कार्यकलापों को सुदृढ़ किया जा रहा है। "मेरा देश मेरे लोग" नामक एक प्रदर्शनी लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

मंत्रालय के कर्मचारी

7093. **श्री ललित उरॉव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार उनके मंत्रालय में प्रथम; द्वितीय; तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी कितनी है;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित हैं; और

(ग) आरक्षित पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) इस मंत्रालय में, दिनांक 31.12.1993 की स्थिति के अनुसार, श्रेणी–1, 2, 3 तथा 4 (जिन्हें अब वर्ग क,ख,ग,एवं घ में वर्गीकृत किया गया है) के संस्वीकृत पदों की संख्या निम्नानुसार है :

श्रेणी 1	293
श्रेणी 2	634

श्रेणी 3	672
श्रेणी 4	336

(ख) केन्द्रीय कर्मचारी योजना के अंतर्गत भरे जाने वाले पदों के आरक्षण संबंधी विवरण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा रखे जाते हैं। इस मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों पर की जाने वाली भर्ती भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित मानदण्डों के अनुसार की जाती है। 31.12.1993 की स्थितिनुसार इस मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों के पदों तथा जिन पदों के लिए भर्ती संबंधी कार्रवाई इस मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है। उनमें रिक्त पड़े आरक्षित पदों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

	भरे गए पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या		
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछड़े वर्ग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछड़े वर्ग
श्रेणी-1 (वर्ग क)	28	02	–	–	–	–
श्रेणी-2 (वर्ग ख)	70	07	–	10	10	–
श्रेणी-3 (वर्ग ग)	96	34	–	4	5	–
श्रेणी-4 (वर्ग घ)	119	19	1	1	1	–

(ग) आरक्षित श्रेणियों के खाली पदों को भरने के लिए अपेक्षित कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है एवं उपयुक्त उम्मीदवारों के नामांकन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सरप्लस सैल से अनुरोध किया गया है। बहरहाल, कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि अधिकांश मामलों में भर्ती संबंधी अपेक्षित कार्रवाई ऊपर उल्लिखित एजेंसियों द्वारा की जानी है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामले

7094. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्यवार 30 अप्रैल, 1994 तक लंबित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने पहले से लंबित पड़े मामलों को निपटाने तथा भविष्य में ऐसे मामले को समय पर निपटाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केन्द्रीय सरकार का नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ऐसी सूचना को तिमाही आधार पर संकलित करता है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 31.12.1993 तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर एक विवरण संकलित किया गया है जो संलग्न है।

(ख) मामले बकाया होने का मुख्य कारण उपभोक्ता न्यायालयों में दायर की जा रही शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या, जिला मंचों का अंशकालिक कार्यकरण आदि हैं।

(ग) अनेक राज्य सरकारें अंशकालिक जिला मंचों को पूर्णकालिक जिला मंचों में बदल रही हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में, कार्यभार को देखते हुए एक जिले में अतिरिक्त जिला मंचों के गठन का भी प्रावधान है। तथापि, अतिरिक्त जिला मंचों को गठित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

विवरण

31.12.1993 की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपभोक्ता न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	14,435
अरूणाचल प्रदेश	13
असम	1,404
गोवा	248
गुजरात	13,403
हरियाणा	4,647
हिमाचल प्रदेश	1,838
महाराष्ट्र	14,443

1	2
मेघालय	7
पंजाब	3,939
राजस्थान	13,681
सिक्किम	3
तमिलनाडु	7,060
त्रिपुरा	112
चण्डीगढ़	3,262
दादरा और नगर हवेली	10
दमन व दीव	8
दिल्ली	8,691
पांडिचेरी	95

बाल भवन

7095. **डॉ. रमेश चन्द्र तोमर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल भवन सोसाइटी आफ इंडिया में नियुक्तियों तथा प्रोन्नतियों के मामलों पर भर्ती के विशिष्ट नियम लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सोसाइटी में भर्ती तथा प्रोन्नति करते समय इन नियमों का पालन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कु. शैलजा): (क) और (ख). बाल भवन सोसाइटी आफ इंडिया, नई दिल्ली में नियुक्तियां और प्रोन्नतियों, बाल भवन सोसाइटी आफ इंडिया सेवा उपनियमों, बाल भवन सोसाइटी आफ इंडिया के विद्यमान भर्ती नियमों और समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए राजसहायता

7096. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) 1993–94 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण जनसाधारण के उपयोग वाले अनाज पर अनुमानतः कितनी राजसहायता दी गई;

(ख) उत्पादक तथा उपभोक्ता को अलग–अलग कितनी राजसहायता दी गई; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम को उत्पादक के क्रेता, भण्डारकर्ता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा केन्द्रों के वितरक के रूप में माध्यम की भूमिका निभाने हेतु कितनी राजसहायता दी गई ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). भारतीय खाद्य निगम को (1) खाद्यान्नों की इक्नामिक लागत और उनके निर्गम मूल्यों के बीच अन्तर अर्थात् उपभोक्ता राजसहायता; और (2) बफर स्टाक रखने की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए खाद्य राजसहायता अदा की जाती है। वर्ष 1993–94 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता के प्रति 5537 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई। मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई खाद्य राजसहायता में उत्पादकों के लिए राजसहायता का कोई अंश नहीं होता है।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठन

7097. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) केन्द्रीय सरकार तथा विदेशों से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा राज्य–वार कितनी सामाजिक, स्वयंसेवी तथा धार्मिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार को 1993–94 के दौरान ऐसे कुछ संगठनों द्वारा धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनेक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्र में ऐसे अनुदानों और इनके संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में सामान्यतया अनुदानों के ब्यौरे होते हैं। इन वार्षिक रिपोर्टों को संसद के माननीय सदस्यों के बीच परिचालित किया जाता है और संसद के पुस्तकालय में भी रखा जाता है। विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले संगठन सहायता प्राप्त करने के संबंध में विदेशी योगदान (विनिमय) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को सूचित करते हैं। अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1991–92 के दौरान 4835 संगठनों ने विदेशी सहायता प्राप्त करने की सूचना दी है। पूर्व के वर्षों के लिए श्रेणी--वार सूचना नहीं रखी गई। ऐसे संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग करने के संबंध में विशेष शिकायतें मिलने पर सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार मामले की जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के वेतनमान

7098. **श्री मुही राम सैकिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के समान केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा उनके मंत्रालय के स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सहायकों/आशुलिपिकों के वेतनमानों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान को चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों तथा इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधार पर संशोधित किया गया था। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह भी सूचित किया है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के वेतनमान में कोई और संशोधित करने के संबंध में हाल ही में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

बाल भवन सोसाइटी

7099. **डॉ. रमेश चन्द्र तोमर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाल भवन सोसाइटी के कर्मचारी 18 नवंबर, 1993 से धरने पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). बाल भवन सोसाइटी आफ इंडिया, नई दिल्ली के एक कर्मचारी को 5.11.1993 से निलम्बित किए जाने के अनुसरण में, कर्मचारियों के एक छोटे समूह ने निलम्बन आदेश को निरस्त करने की मुख्य मांग को लेकर 18.11.93 से धरना शुरू किया। बाद में वे स्वयं इस धरने से अलग हो गए। इस समय, बाल भवन के सभी कार्यक्रम और कार्यकलाप निर्बाध रूप से चल रहे हैं और उपस्थिति सामान्य है।

(ग) नियमों के प्रावधानों के अनुसार निलम्बित कर्मचारी के मामले में विभागीय जाँच की जा रही है।

नये कीटनाशक का विकास

7100. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कृषि रसायन और कीटनियंत्रण विभाग ने फसलों को एफाइड्स से बचाने के लिए हाल ही में नये कीटनाशक का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में अनुसंधान कार्य और तेज करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय के कृषि रसायन और नाशक जीव नियंत्रण विभाग ने फसलों को कीड़ों (एफिड) से बचाने के लिए नए कीटनाशक का विकास नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

खिलाड़ियों के लिए औषधों का सेवन करने पर प्रतिबंध

7101. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने लौसाने स्थित अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा मादक औषध के खतरों को विरूद्ध तैयार की गई नीति पर सहमति व्यक्त की है;

(ख) क्या इस समझौते में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी एथलीट की जांच तब भी की जाए जब कि वह अंतर्राष्ट्रीय/ओलम्पिक स्तर की स्पर्द्धा से बाहर हो;

(ग) क्या भारतीय ओलम्पिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा प्रतिबंधित किये जाने हेतु किसी औषध सूची का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). भारतीय ओलम्पिक संघ ने प्रतिबंधित औषध की किसी भी सूची का सुझाव नहीं दिया है। तथापि भारत, अंतर्राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों का अनुसरण कर रहा है जिसने प्रतिबंधित औषधों की सूची भेजी है, जो विवरण में दी गई है।

विवरण

एसबुटोलोल (बैटा – ब्लॉकर)	लियोफैनोल (नारकोटिक)
एसिटाजोलामाइड (डाइयूरेटिक)	मैक्लोफैनाक्जेट (नारकोटिक)
अल्फाप्रोडाइन (नारकोटिक)	मैफेनोरेक्स (स्टीमूलैंट)
एलेरेनोलोल (बैटा – ब्लॉकर)	मरसेलायल (डाइयूरेटिक)
एमोप्रैमोज (स्टीमूलैंट)	मैसीकार्ब (स्टीमूलैंट)
एमीटैमीनील (स्टीमूलैंट)	मसट्रोल (ए. स्टरॉयड)
एमीलोराइड (डाइयूरेटिक)	मैटनोलोन (ए. स्टारॉयड)
एमोनैपटाइन (स्टीमूलैंट)	मैथामफेटामाइन (स्टीमूलैंट).

एमीफैनजोल (स्टीमूलैंट)	मैथामफेटामाइन (स्टीमूलैंट)
एम्फैटामाइन (स्टीमूलैंट)	मैथांडाइनान (ए. स्टारॉयड)
एनोलराइडाइन (नारकोटिक)	मैथाइलफैडराइन (स्टीमूलैंट)
एटनोलोल (बैटा – ब्लाकरस)	मिथाइलफैनीडेट (स्टीमूलैंट)
बैंड्रोफ्लूमैथियाजाइड (डाइयूरेटिक)	मिथाइलटेसटोस्ट (ए. स्टरॉयड)
बैंजफैटामाइन (स्टीमूलैंट)	मैटोफ्रोलोल (बैटा – ब्लाकर)
बाइटोलटरोल (बैटा – एगोनिस्टस)	मोराजोन (स्टीमूलैंट)
बोलास्टरोन (ए. स्टारॉयड)	मौरफिन (नारकोटिक)
बोल्डनोन (ए. स्टारॉयड)	नाडोलोल (बैटा – ब्लाकर)
ब्यूमैटानाइड (डयूरेटिक)	मैलबुफाइन (नारकोटिक)
बुफरेनोरफिन (नारकोटिक)	बैंडरोलोन (ए. स्टरॉयड)
कैफफीन (स्टीमूलैंट)	मिकैथामाइड (स्टीमूलैंट)
कैनरीनोन (डाइयूरेटिक)	नोरेथैंडरोलीन (ए. स्टारॉयड)
कैथाइल (स्टीमूलैंट)	ओरल टयूरीनेबाल (ए. स्टरॉयड)
क्लोरमैरोडरिन (डाइयूरेटिक)	ओरसिफ्रेनेलाइन (बैटा – ब्लाकर)
क्लोरटालोडोन (डाइयूरेटिक)	ऑक्जैंड्रोलोन (ए. स्टारॉयड)
क्लैंबटरोल (ए. स्टारॉयड)	आक्जोमौरफिन (नारकोटिक)
क्लोबैंजोरैक्स (स्टीमूलैंट)	आक्सप्रोनोलोल (बैटा – ब्लाकर)
क्लोरपरिनैलाइन (स्टीमूलैंट)	आक्सोकोब्रेन (नारकोटिक)
क्लोस्टबॉल (ए. स्टरॉयड)	ओक्सोमैस्ट्रोन (ए. स्टरॉयड)
कोकैइन (स्टीमूलैंट)	आक्सीमैथेडन (ए. स्टरॉयड)
कोप्रोमाइड (स्टीमूलैंट)	पैगोलाइन (स्टीमूलैंट)
क्रोटेथैमाइड (स्टीमूलैंट)	पैंटेजोसाइन (नारकोटिक)

डैक्सट्रोमोरेमाइड (नारकोटिक)

डैक्सट्रोप्रोपीक्सोफेन (नारकोटिक)

डायामोरफीन (नारकोटिक)

डाइक्लोफैनामाइड (डाइयूरेटिक)

डाइ–हाइड्रोकोडीन (नारकोटिक)

डाइमैंटाफैटामाइन (स्टीमूलैंट)

डाइपोपैनीन (नारकोटिक)

इफेडराइन (स्टीमूलैंट)

ऐटाफैडराइन (स्टीमूलैंट)

ऐटामीयान (स्टीमूलैंट)

ऐथाक्राइनिक एसिड (डाइयूरेटिक)

ईथोहैपटेजाइन (नारकोटिक)

इथाइलमोरफिन (नारकोटिक)

ऐटोलैमफैटेमाइन (स्टीमूलैंट)

फैकेम्फामाइन (स्टीमूलैंट)

फैनेटिल्लीन (स्टीमूलैंट)

फैम्प्रोपोरेक्स (स्टीमूलैंट)

फैनेटिल्लीन (स्टीमूलैंट)

फैम्प्रोपोरेक्स (स्टीमूलैंट)

फ्लूऔक्सीमेस्टरोन (ए. स्टरॉयड)

फरफेनारेक्स (स्टीमूलैंट)

फ्यूरोसिमाइड (डाइयूरेटिक)

हाइड्रोकोडीन (नारकोटिक)

पैंटेट्रेजोल (स्टीमूलैंट)

पैथोडीन (नारकोटिक)

फैनेजोसाइन (नारकोटिक)

फैंडिमैट्रेजिल (स्टीमूलैंट)

फैंटरमाइन (स्टीमूलैंट)

फिनाइलप्रोपैनोलामाइन (स्टीमूलैंट)

फिनाइलप्रोपैनोलामाइन (स्टीमूलैंट)

पिंडोलोल (बैटा – ब्लाकर)

पाइरैंडरोल (स्टीमूलैंट)

प्रोलिंटेन (स्टीमूलैंट)

प्रोपैनोलोल (बैटा – ब्लाकर)

सियोडोफैडरिन (स्टीमूलैंट)

पायरोलरोन (स्टीमूलैंट)

रिमिट्रोल (बैटा – एगोनिस्टस)

सेलबुटामोल (बैटा – एगोनिस्टस)

सोटालोल (बैटा – ब्लाकर)

स्पीरोलैक्टोन (डाइयूरेटिक)

सोटालोल (बैटा – ब्लाकर)

स्पारोलैक्टोन (डाइयूरेटिक)

स्टैनोजोलोल (ए. स्टारॉयड)

स्ट्रेचनाइन (स्टीमूलैंट)

टरबुटेलाइन (बैटा – एगोनिस्टस)

टैस्टोस्टरीन (ए. स्टरॉयड)

हाइड्रोमोरफोन (नारकोटिक)	टोमोलोल (बैटा – ब्लाकर)
लेबटोलोल (बैटा – ब्लाकर)	ट्रायमटरोन (डाइयूरेटिक)
क्लोरफैनटरमाइन (स्टीमूलैंट)	ट्रोमपैरोडीन (नारकोटिक)
मैथोक्जोफैनेमाइन (स्टीमूलैंट)	हाइड्रोक्लोरोथायजाइड (डाइयूरेटिक)

और संबंधित कम्पाउंड।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की मांगें

7102. **डॉ. सुधीर राय :**

श्री मुही राम सैकिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी संघों की संयुक्त कार्य समिति की तरफ से उनकी मांगों को स्वीकार किये जाने के उनके द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन के बारे में कुछ संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबध में यदि कोई कार्रवाई की है तो वह क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा की गई मांगें, जिनको स्वीकार कर लिया गया है, संक्षेप में संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

स्वीकार की गई मांगें

1. प्राथमिक शिक्षकों, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों आदि की हाल ही में भर्ती और उनकी तैनाती।
2. तैनाती आदेशों को जारी करने से पहले सीधी भर्ती के संबंध में चयन पैनलों की घोषणा।
3. निर्धारित समय सीमा के साथ यथाशीघ्र केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्तियों का भरा जाना।
4. कार्यकाल पूरा हो जाने पर उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में सेवारत हकदार कर्मचारियों को स्थानान्तरित करना।

5. मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी शिकायत कक्षों का गठन करना।

6. वित्त की सहमति से चौकीदारों के कार्य करने के घंटों में कटौती करना।

7. उच्च पद पदोन्नति के लिए तदर्थ सेवा का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार जोड़ा जाना।

8. विद्यालय में शिक्षकों की संस्वीकृत संख्या से 'अतिरिक्त' हो गए शिक्षकों को तैनात करते समय उनकी इच्छाओं पर विचार करना।

9. सामूहिक बीमा योजना को तर्क–संगत बनाना जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू है।

10. लेखा–परीक्षा अधिकारी के पद से संबंधित भर्ती नियमों की समीक्षा करना।

11. स्टाफ संबंधी आवश्यकता का फिर से आकलन करने के लिए मुख्यालय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्य–अध्ययन आयोजित करना।

12. जहां भी जगह उपलब्ध हो, वहां केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करना।

13. तदर्थ/अंश कालिक आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की नीति को समाप्त करना। शासी बोर्ड (बी ओ जी) ने अब छुट्टी/अल्प अवधि रिक्ति पर संविदा आधार पर पूरे वेतन के साथ शिक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है।

14. ए एम ए की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली की पुनः अनुस्थापना।

15. जे.सी.एम. की बैठक बुलाना और जे.सी.एम. में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने में हो रही प्रगति को गति प्रदान करना।

16. ग्रुप 'घ' कर्मचारियों को जहां अनुमत्य हो, वहां हक के मुताबिक समयोपरि भत्ता प्रदान करना।

एन.एम.आर. तकनीक

7103. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग ने बीमारियों का निदान करने के लिए एन.एम.आर. तकनीक में उच्च चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए एक सुपर कंडक्टिविटी मैगनेट विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल और मंगला एक्सप्रैस

7104 **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल एक्सप्रैस और मंगला एक्सप्रैस के गंतव्य स्थान तक पहुंचने के समय में कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों को पुरस्कार

7105 **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने पुरस्कार विजेता कर्मचारियों को सेवा–निवृत्ति के बाद दो वर्षों का सेवा विस्तार देता है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं;

(ग) भोपाल स्थित केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मंडल कार्यालय में ऐसा सेवा–विस्तार पाए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). जी, हाँ। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को एवं दूसरों को पात्रता के आधार पर उनकी सेवा–निवृत्ति आयु के पश्चात् सेवा–विस्तार देने का प्रावधान है।

(ग) और (घ). डॉ. के.के. झा, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 1.12.92 से 30.9.93 तक सेवा-विस्तार दिया गया था।

सुपर बाजार

7106. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री जीवन शर्मा :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार द्वारा दिल्ली समाज कल्याण विभाग को सप्लाई किया जा रहा आर. टी.ई. खाद्य पदार्थ निविदा के विनिर्देशन के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत 12 महीनों के दौरान दिल्ली समाज कल्याण विभाग को सप्लाई किये गये खाद्य पदार्थ के नमूनों का प्रयोगशाला में कितनी बार परीक्षण किया गया और इसके प्रति 100 ग्राम हिस्से का क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या दिल्ली समाज कल्याण विभाग को सप्लाई किये जाने वाले स्टाकों को सुपर बाजार के स्टाक और बिक्री में दर्ज नहीं किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन मदों की बिक्री सुपर बाजार की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार दर्शायी जाती है; और

(च) यदि नहीं, तो निर्धारित प्रक्रिया से विमुख होने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के समाज कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि सुपर बाजार द्वारा सप्लाई किए जाने वाले बिस्कुटों के नमूने उनके आपूर्ति केन्द्र/आंगनबाड़ी केन्द्रों से जांच के दौरान ग्यारह बार लिए गए तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय/कल्याण मंत्रालय की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं से उनकी जांच कराई गई। 2 नमूने सख्त बनावट के कारण संतोषजनक नहीं पाए गए।

(घ) से (च). सुपर बाजार ने सूचित किया है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि जब किसी ग्राहक ने किसी वस्तु विशेष के लिए पक्का आर्डर दे दिया हो तो आपूर्तिकर्ता से कहा जाता है कि वह ग्राहक को वे वस्तुएं विनिर्दिष्ट स्थान पर सीधे ही सप्लाई कर दे। इन वस्तुओं की बिक्री कनॉट प्लेस शाखा के किराना और प्रसाधन विभागों में दर्शायी जाती हैं।

उपभोक्ता न्यायालय

7107. **डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी राज्यवार कितने उपभोक्ता न्यायालय हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन न्यायालयों को आवश्यक मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 31 उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा 455 जिला मंच कार्य कर रहे हैं। जिला मंचों की राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है :

1. आंध्र प्रदेश	23
2. अरुणाचल प्रदेश	12
3. असम	23
4. गुजरात	20
5. बिहार	39
6. गोवा	2
7. हरियाणा	16
8. हिमाचल प्रदेश	12

9. कर्नाटक	20
10. केरल	14
11. मध्य प्रदेश	45
12. महाराष्ट्र	31
13. मणिपुर	8
14. मेघालय	5
15. मिजोरम	3
16. नागालैण्ड	7
17. उड़ीसा	13
18. पंजाब	12
19. राजस्थान	30
20. सिक्किम	4
21. तमिलनाडु	23
22. त्रिपुरा	3
23. उत्तर प्रदेश	63
24. पश्चिम बंगाल	17
25. अंडमान व निकोबार द्वीप	2
26. चंडीगढ़	1
27. दादरा व नगर हवेली	1
28. दिल्ली	2
29. दमण व दीव	2
30. लक्षद्वीप	1
31. पांडिचेरी	1

यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है।

(ख) जी नहीं।

माइल्ड् स्टील पाइपों की गुणवत्ता नियंत्रण

7108. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 अप्रैल, 1994 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "बी आर एस फेल्स टू पास द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गल्वनाज्डि स्टील पाइपों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) व (ग). आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी माइल्ड स्टील टयूब्स (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर, **1978 के तहत निर्धा**रित विशिष्टयों की गैलवनीकृत मृदु इस्पात ट्यूबों का आई.एस. आई प्रमाणन अनिवार्य है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि के तहत जारी गुणता नियंत्रण आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है। भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समय समय पर अनुरोध करती रही है कि वे गुणाा नियंत्रण आदेशो का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करें। आई.एस.आई. चिन्ह के दुरुपयोग का मामल जानकारी में आने पर भारतीय मानक ब्यूरो उपयुक्त कार्यवाही करता है, जिसमें छापे मारना शामिल है। ब्यूरो अपने लाइसेंसधारकों के कार्य निष्पादन तथा उनकी वस्तुओं की प्रमाणन चिह्न योजना र तहत यथा निर्धारित गुणता पर निगरानी भी रखता है।

12.00 बजे मध्यान्ह

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज साऊथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की स्वीयरिंग–इन हो वाली है और उसके बारे में हमारे हाऊस में लीडर आफ दा हाऊस, लीडर आफ दा अपोजीशन अ लीडर्स आफ

दा पार्टीज़ अच्छे ढंग से अपने विचार प्रकट करें और हम अपनी तरफ से उन्हें बधाई दें। इसलिये आज 4.00 बजे के समय का सुझाव आया है। आप उस समय इस हाऊस में प्रेजेंट रह सकें ताकि अच्छे ढंग से विचार दे सकें। यह दोनों हाऊस में करना है।

श्री जसवंत सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, देश में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और उपभोक्ताओं के लिए 15 रू. किलो चीनी हो गयी है। साथ–साथ चीनी वितरण में, फ्री रिलीज कोटा में अव्यवस्था फैल रही है। इसके साथ गन्ना उत्पादकों की समस्या पैदा हो रही है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था फैली हुई है। सरकार ने इस समस्या के निराकरण के लिये चीनी का आयात शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिस तरीके से यह समस्या आ खड़ी हुई है और सरकार जिस तरीके से इस समस्या के निराकरण के लिये कदम उठा रही है, उसका पूरा ब्यौरा सरकार यहां दे ताकि आवश्यकता हो तो संसद में इस विषय पर विचार किया जा सके।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि कुछ दिन पहले जब इस सदन में चीनी के बारे में सवाल आया था तो मंत्री जी ने कहा था कि सरकार बाहर से कोई चीनी नहीं मंगा रही है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि एम.एम.टी.सी. और एस.टी.सी. के माध्यम से जोकि सरकारी एजेंसीज़ हैं, चीनी बाहर से मंगायी जा रही है। ये अपनी तरफ से बिना कुछ किये ही 2% कमीशन भी ले रही हैं। लोगों का कहना है कि जो चीनी पाकिस्तान से आ रही है, वह खाने योग्य नहीं है। सरकार तदर्थ रूप से चीनी मंगाने का काम कर रही है, उसके चलते न तो यहां पर चीनी सस्ती होने वाली है और न ही सब को उपलब्ध होने वाली है। जो चीनी बाहर से 410 डालर प्रति टन मंगायी जा रही है, उसका रेट यहां पर 13.50 रु. किलो से कम नहीं होने वाला है और उससे चीनी सस्ती नहीं होने वाली है। जो चीनी का उत्पादन हमारे देश में इस साल हुआ है, उससे अभी यहां पर 12 लाख टन चीनी की कमी है। अतः सरकार द्वारा चीनी मंगाने की जो तदर्थ नीति अपना रही है, उससे उपभोक्ता परेशान ही होंगे। इससे इस देश की 1000 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा बर्बाद होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले में इस मौनसून सैशन से पहले इस सदन में विचार होना चाहिये कि आप कितनी चीनी मंगाने वाले हैं और उसका क्या भाव होगा ? यह चीनी वितरण प्रणाली द्वारा किस भाव पर बेची जायेगी, इसका पूरा ब्यौरा सरकार द्वारा यहां दिया जाना चाहिये, यह मांग करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती है।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सरकार इस सम्बन्ध में कल वक्तव्य देगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान एक गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। टिहरी डैम निर्माणाधीन है और इसके संबंध में जो सैटेलाईट पिक्चर्स आये हैं और जिसे नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेंसी, हैदराबाद ने समाचार पत्रों के लिये जारी किया है। उसके हिसाब से जो टिहरी बांध का जल भंडारण क्षेत्र है, उसमें 71 जगह क्रैक्स दिखाई पड़े हैं और भू--स्खलन के चित्र आए हैं। इस परिस्थिति में मेरी समझ से जो डैम का निर्माण कार्य चल रहा है उस पर नये सिरे से विचार की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से अवगत हैं कि जब से इस परियोजना की चर्चा शुरू हुई है और इस पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से ही यह परियोजना विवादास्पद रही है। पूरी की पूरी हिमालयन रेन्ज अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और उसके संबंध में जब प्रारंभ से सफिशिएंट डाटा उपलब्ध नहीं थे तो कुछ ऐज़म्पशन्स के आधार पर उन लोगों ने डिज़ाइन तैयार किया और उसको लेकर इस देश में काफी विवाद छिड़ा है और दुनिया भर के सीस्मोलोजिस्ट्स ने ऐतराज़ किया है और पहले ही चेतावनी दी है कि इसका डिज़ाइन ठीक तैयार नहीं किया गया है। अमूमन तो वह इलाका ही इतने बड़े डैम के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है लेकिन सरकार ने न सिर्फ उनकी राय की अनदेखी की बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ ऐनवॉयरमेंट की ऐनवॉयरमेंट अप्रेज़ल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि --

[अनुवाद]

"अतः परियोजना की भूगर्भीय और भूकम्पीय परिस्थितियों, खतरों और जोखिमों, परिस्थितिकीय और सामाजिक प्रभावों, लागत तथा अपेक्षित लाभों सम्बन्धी पहलुओं पर विचार करते......"

अध्यक्ष महोदय : आप क्या उद्धृत कर रहे हैं ?

श्री नीतीश कुमार : मैं आपकी अनुमति से पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की पर्यावरण मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट उद्धृत कर रहा हूं।

"...उपलब्ध जानकारी तथा आंकड़ों के सावधानीपूर्वक अध्ययन के पश्चात् समिति इस सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुँची है कि टिहरी बांध परियोजना, यथा प्रस्तावित पर आगे कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के योग्य नहीं है।"

[हिन्दी]

इसके बाद उत्तरकाशी पर भूकंप आया। तब वहां के श्री सुन्दरलाल बहुगुणा अनशन पर बैठे

और तब प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था जब जॉर्ज फर्नान्डीज़ बीच में पड़े थे कि उन लोगों की राय भी ली जाएगी जिनका इससे संबंध है, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी से राय नहीं ली गई है और इस बात की चर्चा है कि कैबिनेट कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया है लेकिन इसके जो खतरनाक पक्ष हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। हम आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री के लिए नोट तैयार किया गया था कि क्या क्या डैम के खतरे हैं, वह एक एक खतरे गिनाए हैं कि ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, हापुड़ और बुलंदशहर तक भयानक स्थिति होगी और भयानक प्रलय होगी और इसके लिए जो मापदंड अपनाए गए हैं वह बहुत ही इनराफिशिएंट हैं।

मैं आपको अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि जो रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक का मैगनीट्यूड है उसका आकलन इन्होंने उस क्षेत्र के लिए 6 किया है जबकि उस इलाके में कम से कम 8 से अधिक रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक का मेगनीट्यूड होगा। उस हालत में पूरा का पूरा बांध टूटेगा और भयानक स्थिति होगी और जो पीक ग्राउंड ऐक्सलियरेशन है उसका इन्होंने डिज़ाइन तैयार किया है .22 जी का और कम से कम 8 से अधिक के स्केल पर मैगनीट्यूड की हम रिक्टर स्केल पर जांच करेंगे तो यह आएगा पीक ग्राउंट ऐक्सलियरेशन के हिसाब से 1जी का। तो ऐसी स्थिति में भयानक स्थिति उत्पन्न होगी और केबिनेट ने क्लियर कर दिया है इस बात की चर्चा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इस पूरी स्थिति पर ऐनवॉयरमेंट आस्पैक्ट पर विचार किये बगैर कोई निर्णय नहीं लिया जाए और इसकी क्या अद्यतन स्थिति है इसके बारे में सरकार सदन को सूचित करे। खासकर यह ऐनर्जी मिनिस्ट्री से संबंधित है तो नायडू साहब यहां बैठे हैं। जो समाचार सैटेलाइट इमेजरी का आया था कि 71 क्रैक्स दिखाई पड़े हैं, वैसी स्थिति में जो परिस्थिति पैदा हुई है, हम आग्रह करेंगे कि सरकार इस पर एक वक्तव्य दे ताकि लोगों के मन में जो भयानक संशय की स्थति पैदा हुई है वह दूर हो। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर प्रश्न क्यों नहीं पूछते ? आपको प्रश्न पूछने से कौन रोकता है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह प्रश्न का मामला नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार आखिरी क्षण में आप यह मुद्दा उठाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरे विचार में सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान) यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात समझता हूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उन्होंने इस मामले को पूरी तरह प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए, आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मेरा भी यही विचार है कि अगर लोग यह समझते हैं कि वहां दरारें आ गई हैं, तो अगर मंत्री महोदय इस सदन तथा लोगों को इस सम्बन्ध में जानकारी देना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, इस मामले पर बिना तैयारी के उत्तर देने की बजाय आप लिखित वक्तव्य बना कर दे सकते हैं। आप इस पर ठीक से विचार करके कल वक्तव्य दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) **:** महोदय, पैट्रोलियम मंत्री महोदय ने अति चर्चित 'साऊदर्न गैस ग्रिड' के लिए मंत्रालय की अनुदान मांगों अथवा तेल कम्पनियों के वार्षिक बजट में कोई भी राशि आबंटित नहीं की है। केन्द्र ने सभी पांच दक्षिणी राज्यों को वंचित रखा है। माननीय पैट्रोलियम मंत्री, कैप्टन सतीश कुमार शर्मा ने सदन के भीतर तथा सदन के बाहर दोनों स्थानों पर यह आश्वासन दिया था कि सरकार शीघ्र ही 'साऊदर्न गैस ग्रिड' स्थापित करेगी। पिछले दो सालों से यह आश्वासन केवल पेपर पर ही है। मंत्री महोदय 'साऊदर्न गैस ग्रिड' के लिए ईरानियन तथा ओमान गैस को आश्वासन दे रहे हैं। मंत्री महोदय के आश्वासन का हास्यास्पद पक्ष यह है कि अगर ओमान गैस की आपूर्ति भारत में की जाती है तो इस पर घरेलू गैस से पांच गुणा अधिक लागत आएगी। ओमान द्वारा आपूर्ति की जाने वाली गैस के मूल्य के सम्बन्ध में भारत और ओमान के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। ईरान गैस परियोजना पर अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। व्यवहारिकता सम्बन्धी अध्ययन के लिए राशि उपलब्ध कराने के बारे में भी कोई समझौता नहीं हुआ है। इस प्रकार दक्षिण भारत के लोगों को यह बहुचर्चित 'साऊदर्न गैस ग्रिड' कभी भी नहीं मिल पाएगा। दक्षिण भारत के लिए

यह तीन धारियों वाला तिलक है जिसे क्षेत्रीय भाषा में हम 'पट्टाई नामम' कहते हैं। दक्षिण भारत को यह 'पट्टाई नामम' मिला है।

इसलिए, पैट्रोलियम मंत्री महोदय से मैं यह मांग करता हूँ कि एच.बी.जे. पाईप लाईन जिससे कि बम्बई हाई से उत्तर भारत में गैस पहुँचती है, उसे दक्षिणी राज्यों की ओर मोड़ा जाये। उत्तर भारत जोकि पहले ही कोयला का प्रचुर भण्डार है, उसे विद्युत उत्पादन के लिए गैस की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण में कोयले के भण्डार नहीं हैं तथा यहां पर जल विद्युत करने की समस्त क्षमता समाप्त हो चुकी है। इसलिए मैं मंत्री महोदय, से पुनः निवेदन करता हूँ कि अगर वे इस पाईप लाईन को मोड़ नहीं सकते तो 'साऊदर्न गैस ग्रिड' के कार्य को तेज़ी से पूरा करने की ओर ध्यान दें।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बराड़ (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। वैसे बार–बार यदि किसी मामले को सदन में उठाया जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद रिपीटीशन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे प्रश्न क्वश्चन के रूप में भी उठाए जा सकते हैं।

श्री जगमीत सिंह बराड़ : अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं 1984 के दिल्ली में हुए दंगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि उनमें अभी तक कई ऐसे एफीडेविट और केसेस हैं जो पुलिस ने रजिस्टर्ड नहीं किए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के पुराने सांसद श्री मदन लाल खुराना जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली के दंगों के सम्बन्ध में, जिन केसेस को सी.बी.आई. ने पिछले 9 वर्ष से रजिस्टर्ड नहीं किया था, उनके बारे में उन्होंने अपना ध्यान देकर, लैफ्टीनेंट गवर्नर के माध्यम से, जिनमें अनेक महिलाओं के हस्बैंड और बच्चे कत्ल हुए थे, उनके केसेस दर्ज करवाए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि 4 ऐसे एफीडेविट जिनमें लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने माब वायलेंस में हिस्सा लिया था, उन 4 केसेस को जनकपुरी थाने में रजिस्टर्ड करने के लिए भेजा था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक केस जो डायल्यूटेड एफीडेविट था, सिर्फ वही रजिस्टर्ड किया गया है बाकी 3 केस थाने में रिजस्टर्ड नहीं किए गए हैं। उनमें एक केस अनवर कौर का है जिसका पति एवं बच्चे उस दंगे के दौरान मारे गए थे, उसका केस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है।

मैं इस संबंध में देश के होम मिनिस्टर और हुकुमत से गुजारिश करना चाहता हूं कि जब लेफ्टिनैंट गवर्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को केसेस रजिस्टर करने के लिए कह दिया तो ये इनवैस्टीगेशन तीन

महीने में मुकम्मल होने चाहिएं क्योंकि विडोज़ और दूसरे तमाम लोग नौ साल से इंतज़ार कर रहे हैं। जलियांवाला बाग और 1962 की जंग में भी इतने लोग नहीं मारे गए जितना मैसैकर दिल्ली में हुआ। दुनिया में बसने वाले ढाई करोड़ से ज्यादा सिख अवाम इस इंतजार में हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं।

आखिर में मैं आपकी इज़ाजत से सरकार से कहना चाहूंगा, होम मिनिस्टर से पास एक केस तीन साल से पैंडिंग पड़ा है। सी.बी.आई. ने उसमें चार्जशीट दे दी है लेकिन अंडर सैक्शन 153 ऑफ आई.पी.सी., मौब को लीड करने के लिए मंत्री जी ने वह केस क्लीयर नहीं किया है। यदि वे उसे अंडर सैक्शन 153 ऑफ आई.पी.सी. रिजैक्ट भी करते हैं, उनके खिलाफ अंडर सैक्शन 302, मर्डर के मुकदमें दर्ज होने चाहिएं।

सदन में होम मिनिस्टर की तरफ से आश्वासन दिया गया कि सातों कमिशन्स की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएंगी। 1993 में श्री राजेश पायलट ने सदन में कहा कि हम अगले सैशन में उन तमाम रिपोर्टस को सदन में रखेंगे लेकिन जैन–अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ डैरीलिक्शन ऑफ ड्यूटी, नैगलीजैंस ऑफ ड्यूटी और जो तमाम केसेस थे, वे अभी तक यहां नहीं रखी गई है। मैं सरकार और होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि सातों कमिशन्स की रिपोर्ट, जिसमें इम्पौर्टैन्ट डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फौर्मर जजेस के बयानात हैं, बयान देने के बावजूद, आश्वासन देने के बावजूद, सदन में नहीं रखी गई है।

मैं विनती करना चाहता हूं, क्योंकि होम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जानी चाहिए। और इससे लोगों में यह बात आ जाए कि गांधी जी के देश में जिन लोगों पर इतने जुल्म हुए, उनको इंसाफ मिल पाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, इस तथ्य के बावजूद कि यह मुद्दा अन्यत्र उठाया जा चुका है, तथापि सरकार द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण से न तो हम ही सन्तुष्ट हैं और न ही अधिकतर लोग संतुष्ट हैं। मैं पृथ्वी की परीक्षण उड़ान को स्थगित करने सम्बन्धी मुद्दे का उल्लेख कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को लिखे गये पत्र के अन्तर्गत ऐसा किया गया तथा अमरीकी सरकार के दबाव में आ कर यह कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री की उस देश की यात्रा से पहले यह स्थिति थी। अब इस परियोजना को बन्द करने का खण्डन किया गया है, परन्तु सूचना यह मिली थी कि इसे स्थगित किया जा रहा है।

सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है; मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है जिससे भ्रांतियां पैदा हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह टेलीविजन पर आ चुका है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ठीक उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि इसे स्थगित करने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा गया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उनका कहना है कि इसे बंद करने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या हम टेलीविज़न अथवा समाचार पत्रों पर ही विश्वास करें ? **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया था। यह रिपोर्ट समाचारपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा सरकार ने इसका उत्तर दिया है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह अत्यंत चिन्ता का विषय है । यह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस सम्बंध में प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया जानने के लिए क्या हमें समाचारपत्रों पर निर्भर होना पड़ेगा ? जब सदन का सत्र चल रहा हो, तो क्या सरकार का कर्त्तव्य नहीं बनता कि वह स्वतः वक्तव्य दे कि ऐसी झूठी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, तथा हमें वास्तविकता की जानकारी दे ? क्या हम टेलीविजन तथा समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों पर निर्भर रहें ? **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : इस सम्बन्ध में सरकार स्पष्ट वक्तव्य क्यों नहीं दे सकती ?

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : स्पष्ट वक्तव्य देने की बजाय सरकार चुपचाप बैठी है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुद्दे को उचित ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें अन्य सदस्यों को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। जब आप चार सदस्य खड़े हो कर बात करते हैं तो इससे अस्तव्यस्तता फैलती है तथा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाता। आप नियमों का अनुपालन क्यों नहीं करते ?

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, मध्यम दूरी के पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'पृथ्वी' की तेरहवीं परीक्षण उड़ान कथित रूप से स्थगित कर दी गई है। ऐसा कहा गया है कि प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा को समक्ष रखते हुए 14 मई को निर्धारित यह महत्त्वपूर्ण 'यूसर ट्रायल' (प्रयोक्ता परीक्षण) स्थगित कर दिया गया है। इस विलम्ब के कारण इन प्रक्षेपास्त्रों को इस वर्ष के अन्त तक भारत की पश्चिमी सीमा पर लगाना खटाई में पड़ गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव श्री प्रभाकर मेनन ने 'रक्षामंत्री' के तकनीकी सलाहकार डॉ. कलाम को एक पत्र लिख कर यह कहा है कि प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा को ध्यान में रखते हुए परीक्षण उड़ानों को अगले सप्ताह के अन्त तक स्थगित कर दिया जाये। यह महत्त्वपूर्ण परीक्षण उड़ान सेना के अधिकारियों द्वारा की जानी थी जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करनी पड़ती है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य दें।

जल संसाधन मंत्री और ससंदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह मामला समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता द्वारा सरकारी तौर पर यह स्पष्ट किया गया था कि सरकार द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : पत्र के बारे में क्या बात है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दें। लेकिन माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त चिन्ता के बारे में .... (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं सरकार से जानकारी एकत्र करूंगा और महोदय यदि आवश्यक हुआ, आपके परामर्श से हम वक्तव्य देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : कब।

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम अध्यक्ष महोदय से परामर्श करेंगे और जैसा वह निर्देश देंगे वैसा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब इस मामले को सभा में उठाया गया, हो सकता है कल ही आपको अपना वक्तव्य देना पड़े।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय आपने वक्तव्य देने का निर्देश देकर अच्छा किया। यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि क्या प्रधानमंत्री के सचिवालय से इस सम्बन्ध में कोई पत्र लिखा गया या नहीं लिखा गया ? केवल इन्कार करना काफी नहीं है। अफसरों का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से पत्र लिखा गया। अध्यक्ष महोदय, अफसर तो खंडन नहीं कर सकते हैं। जो स्थिति है, वह सरकार को बतानी है। इस सम्बन्ध में पूरा वक्तव्य आना चाहिये।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अमरीका के उपराजदूत अधिकारी ने चिट्ठी लिखी है जिस को इन्होंने नॉन पेपर कहा है। वक्तव्य में सारी बातें आनी चाहियें। उसे करटेल नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपके मन में जो आता है, वही बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं। क्या आपको ही सब कुछ बोलने की इजाजत है, दूसरों को नहीं है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार से श्री सैफुद्दीन चौधरी, श्री जोशी, श्री वाजपेयी और सोमनाथ चटर्जी द्वारा दिए गए वक्तव्य को सावधानी पूर्वक अध्ययन करने और इन वक्तव्यों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने को कहा है।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि भारत के प्रधानमंत्री जो देश के मुख्य नेता हैं। दूसरे देश में जा रहे हैं। ऐसे मौके पर हम समाचार पत्रों में प्रकाशित मामले पर चर्चा कर रहे हैं। हमें इस पर चर्चा करने का अधिकार है। आप अपने दायरे के अन्दर इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमें इस मामले पर चर्चा इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि यह हर तरीके से निरर्थक ही साबित हो।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार को स्वतः ही आगे आकर इस वक्तव्य का खण्डन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी जी मेरा कहना यह है कि सभा के नेताओं का रवैया बहुत जिम्मेदारी पूर्ण रहा है। हम इस बात की प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमे इस मामले को इस तरह नहीं निपटाना चाहिए कि यह एक निरर्थक मुद्दा बन जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कहूंगा कि कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किए गए प्रत्येक वक्तव्य पर विचार किया जाएगा, इसका अध्ययन किया जाएगा और तत्पश्चात् सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। और यही बात आपके वक्तव्य के साथ भी होगी।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : यह मेरे वक्तव्य का सवाल नहीं है। एक मुद्दा उठाया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यदि मै आपसे कहू कि आप इसे बहुत हल्के--फुल्के ढंग से ले रहें हैं तो आपको दुख होगा।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हू कि जो कुछ श्री नीतीश कुमार ने कहा ....

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार को स्वयं कहने दें। उनके लिए आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? मेरी समझ में नहीं आता कि आप ऐसी बातों का श्रेय क्यों लेते है ?

श्री श्रीकांत जेना : इस बात को भी स्पष्ट होने दो।

श्री नीतीश कुमार : उन्होंने पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार मैं आपको इन मामलों को समुचित तरीके से उठाने की अनुमति दे रहा हूं। आपको हल्के तरीके से व हल्के मामले में अपना समय बरबाद नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अगर आप हमको एलाऊ नहीं भी करेंगे तो भी हम थेंकफुल रहेंगे, सर। आपका आदेश शिरोधार्य है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह नेशनल प्राइड के खिलाफ है। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि आने की कोई जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको केवल यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप मुद्दे के प्रति हल्का फुल्का रवैया अपनाने का प्रयास न करें जिस ढंग से आप सभापटल पर बात कर रहे हैं यह कोई जिम्मेदारी पूर्ण रवैया नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं इस मामले में एक बात कहना चाहूंगा कि कल जब वह बयान देंगे या आज देंगे तो उसमें एक निगेटिव लिस्ट आनी चाहिए कि वहां जाने पर क्या नहीं किया जायेगा। बाकी वह क्या करेंगे, वह हम जानते हैं लेकिन क्या नहीं किया जायेगा, वह सदन को बताने की कृपा करें, वह हम जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार में रहे हैं। आप जानते हैं कि सभा पटल पर चर्चाएँ व बातचीत कैसे होती है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जैसे पृथ्वी को कैप नहीं किया जायेगा, अग्नि को रोका नहीं जायेगा, यह निगेटिव लिस्ट हमें चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं एक ऐसे मामले को यहां पर उठा रहा हूं जिसको एक बार साल, डेढ़ साल पहले, जब वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच चला था, तब भी हमने उठाया था। यह मामला दूरदर्शन से सम्बन्धित है। मुझे बहुत अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि 1996 में जो वर्ल्ड कप मैच होने

हैं, उनके ट्रांसमीशन का टेलीविजन राइट फिर किसी अमेरिकी कम्पनी को जा रहा है और यह देने वाली जो जमात है, उसके अन्दर जो बोर्ड आफ कण्ट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और अन्य जो भी इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, यह लोग हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत परेशानी होती है कि एक तरफ हम लोगों के ऊपर विदेशी टेलीविजन, रेडियो का हमला तो लगातार चल रहा है, वहीं दूसरी ओर अपने ही देश में, अपने ही लोग दूरदर्शन को खत्म करने का जब काम करते हैं और उससे दुनिया के सामने भी जो नीचे गिराने का काम करते हैं, तो बर्दाश्त के बाहर यह मामला होने जा रहा है इसलिए इसको नहीं होने देना चाहिए।

यह वर्ल्ड कप 1996 के मैच जो होने हैं, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन तीन राष्ट्रों में खेलने का इन्तजाम किया गया है। श्रीलंका एक बहुत छोटा सा देश है, हमसे ज्यादा परेशानी में फंसा हुआ देश है लेकिन श्रीलंका में उस राष्ट्र का टेलीविजन उसको अपने देश में दिखाने का काम कर रहा है, जबकि दूरदर्शन अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को निभाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसे दबाने की बात आज कई स्तरों पर हो रही है। सरकार को इसमें जितना दखल देना चाहिए, वह नहीं दे रही है इसलिए सरकार से एक बात को बहुत स्पष्ट जानना चाहेंगे कि 1996 में होने वाले वर्ल्ड कप में दूरदर्शन की क्या जिम्मेदारी रहेगी, वह किस जिम्मेदारी को निभाएगा, इसके बारे में सदन को विश्वास में लेकर बात बताने का काम करेगी ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सूचना और प्रसारण मंत्री जी को इस बारे में पत्र लिखता रहा हूं कि दूरदर्शन को वर्ल्ड कप फुटबाल मैच भी दिखाना चाहिए क्योंकि यह बहुत लोकप्रिय खेल है। जैसाकि आप जानते हैं कि हम फाइनल में नहीं खेल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि श्री सन्तोष मोहन देव इस मामले में मेरा साथ देंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में — विशेषकर कुछ शहरों में, शहरी क्षेत्रों में केबल टी. वी. हो सकता है, वहां के लोग इसे देख सकते हैं — मैच देखने में बड़ी रुचि होती है। टी.वी. प्रत्येक गांव में उपलब्ध है लेकिन केबल टी.वी. नहीं है। इसलिए मैंने एक पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि वे यह मैच दिखाने की व्यवस्था करें। लेकिन सरकार की ओर से प्रधानमंत्री की ओर इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी है। मौनी बाबा का यह रवैया अब सभी पर लागू हो रहा है। यह एक समस्या बन गई है। कोई भी किसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। कोई निर्णय नहीं लेता।

[हिन्दी]

आदमी के लिए कुछ कीजिए न। नाच गाना नहीं देखकर अच्छा खेल देखेगा तो उसमें खराब क्या है।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आधा घन्टे का समय बीत गया है। श्री गुमान मल लोढ़ा आप कल बोल सकते हैं।

12.31 बजे म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के कार्यकरण पर वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं पुनरीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : श्री कमल नाथ की ओर से मैं सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1992-93 कि वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5863/94]

(3) (एक) पदमजा नायडु हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) पदमजा नायडु हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1991–92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 5864/94]

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : श्री कमालुद्दीन अहमद की ओर से मैं सभा पटल पर रखती हूं :

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) संशोधन नियम, 1994 जो 12 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 314 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 5865/94]

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासनिक, वित्त और अन्य पदों के लिए भर्ती) संशोधन विनियम, 1994, जो 14 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीआईएस/ईसी/आरईजी/9 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 5866/94]

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन--संघ सरकार (1994 का संख्या 4) (राजस्व प्राप्तियाँ--अप्रत्यक्ष कर)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ --

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक--एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत के नियंत्रक--महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन--संघ सरकार (1994 का संख्या 4) (राजस्व प्राप्तियां--अप्रत्यक्ष कर)

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 5867/94]

(दो) भारत के नियंत्रक--महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन--संघ सरकार (1994 का संख्या 7) (डाक और दूर संचार)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 5868/94]

(तीन) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन–संघ सरकार (1994 का संख्या 10) (रेल)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 5869/94]

(चार) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन–संघ सरकार (1994 का संख्या 1) (सिविल)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 5870/94]

(पांच) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन–संघ सरकार (1994 का संख्या 5) (राजस्व प्राप्तियां–प्रत्यक्ष कर)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 5871/94]

(छः) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन–संघ सरकार (1994 का संख्या 6) (वैज्ञानिक विभाग)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 5872/94]

(2) संघ सरकार, वर्ष 1992-93 के विनियोग लेखाओं (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 5873/94]

(3) संघ सरकार, वर्ष 1992–93 के वित्त लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 5874/94]

भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :

(1) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रो को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5875/94]

(3) (एक) भारतीय प्रबंध सस्थान, लखनऊ के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1992--93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5876/94]

(5) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने पर हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5877/94]

(7) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1991–92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5878/94]

(9) (एक) भारतीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5879/94]

(11) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 5880/94]

(13) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5881/94]

(15) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी के संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5882/94]

(17) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1991–92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5883/94]

12.33 बजे म. प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 5 मई, 1994 को हुई अपनी बैठक में पारित यान–हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1994 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 5 मई, 1994 को हुई अपनी बैठक में पारित सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक, 1994 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

12.33½ बजे म.प.

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं 5 मई 1994 को राज्य सभा द्वारा पारित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) यान–हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1994

(2) सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक, 1994

12.34 बजे म. प.

कृषि संबंधी समिति

बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, मैं कृषि मंत्रालय के प्रारूप कृषि नीति संकल्प–1992 के संबंध में कृषि संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ।

12.34½ बजे म.प.

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

पांचवाँ प्रतिवेदन

श्री एच.डी. देवगौड़ा (हसन) : महोदय, मैं वाणिज्य विभाग की अनुदानों की मांगों (1994–95) के संबंध में वाणिज्य संबंधी विभागीय स्थायी संसदीय समिति के पांचवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.35 बजे म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक)　आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला खानों में खानकर्मियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की योजना के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता

श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी (आदिलाबाद) : आदिलाबाद आंध्र प्रदेश में बेलमपल्ली और आसपास के गांवों जैसे मंडमनी, रामकृष्ण पुरम, श्री रेनपुर में बड़ी संख्या में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के अतिरिक्त सिंगरेनी कोयला

खदानों में तीन से चार लाख तक मजदूर कार्य करते हैं। हर साल, वहाँ पेय जल के अभाव के कारण इन लोगों के लिए गर्मी के महीने मानों एक दुःस्वप्न हो जाते हैं। यहाँ जो पेय जल उपलब्ध है वह स्वास्थ्य दृष्टि से हानिकारक है क्योंकि उस क्षेत्र में कई कोयला खदानें हैं। भूगर्भीय जल पीने के लिए ठीक नहीं है। वहाँ के लोग काफी समय से यह मांग कर रहे हैं कि गोदावरी नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जाए। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र में पेय जल उपलब्ध कराने की इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च आएगा।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सिंगरेनी कोयला खान के अधिकारी आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय योगदान दें ताकि उपरोक्त पेय जल योजना शीघ्र कार्यान्वित की जा सके। यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इस योजना से सिंगरेनी कोयला खान क्षेत्र श्रमिक बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे।

[अनुवाद]

(दो) **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को अपनी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता**

श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.), बंगलौर जिसे राष्ट्र की 'अमूल्य निधियों में एक' माना जाता था और जिसका उद्घाटन 42 वर्ष पहले हमारे भूतपूर्व प्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू जी ने किया था। गत चार दशकों के दौरान एच. एम.टी. ने राष्ट्रनिर्माण में अत्यधिक सहयोग दिया है। यह रक्षा, विमानन, रेलवे, आटोमोबाईल, सामान्य इंजीनियरिंग इत्यादि जैसे अनेक क्षेत्रों के लिए आदर्श (नोडल) उद्योग हे। इसके उत्पादों में मशीन टूल्स, घड़ियाँ, लैम्प बेयरिंग, ट्रैक्टर, प्रिटिंग मशीन आदि शामिल हैं।

दुर्भाग्यवश, पिछले दो वर्षों के दौरान, एच.एम.टी. को समुचित प्रबंधन की कमी तथा सरकार द्वारा भूतकाल एवं वर्तमान में लिये गये निर्णयों के कारण अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी है। 28–2–94 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान एच.एम.टी. को 110 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। यह एक गम्भीर बात है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों एवं 2600 परिवारों पर असर पड़ेगा। इसकी सभी शाखाएँ घाटे में चल रही हैं।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि एच.एम.टी. का पुनरुद्धार करने के लिए तुरन्त कदम उठाये तथा इसे वित्तीय सहायता एवं कार्यकारी पूंजी के लिए उदार ऋण जुटाने के लिए तीन वर्षों का समय और प्रदान करें।

(तीन) **वर्तमान वर्ष में छोटा उदयपुर दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता को बढ़ाने के लिए धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री एन. जे. राठवा (छोटा उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजीव गांधी जी के शासन काल के दौरान गुजरात के छोटा उदयपुर कस्बे में लो–पावर दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि इस आदिवासी क्षेत्र की जनता दूरदर्शन के लाभप्रद एवं शिक्षाप्रद कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सके किन्तु यह बड़े दुःख का विषय है कि जब से इस केन्द्र की स्थापना की गई है, तकनीकी गड़बड़ी के कारण इस केन्द्र से प्रसारण ठीक नहीं हो पा रहा है। यह दूरदर्शन केन्द्र आदिवासी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है।

रूरल ब्रॉडकास्टिंग योजना के अन्तर्गत सभी पंचायतों एवं स्कूलों को टी.वी. उपलब्ध कराए गए हैं, किन्तु प्रसारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण इसका समुचित लाभ स्थानीय जनता नहीं उठा पा रही है। स्थानीय जनता एवं विधायक द्वारा इस बात की लगातार मांग की जा रही है कि छोटा उदयपुर में स्थित लो–पावर दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता को तुरन्त बढ़ाया जाए, ताकि इस क्षेत्र की जनता को दूरदर्शन के कार्यक्रम ठीक तरह से दिखायी दें और सरकार द्वारा रुरल ब्राडकास्टिंग योजना के अधीन जो टी.वी. पंचायतों एवं स्कूलों को उपलब्ध कराए गए हैं, उनका फायदा भी वहां की जनता उठा सके।

अतः ऐसी परिस्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि छोटा उदयपुर दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता को तुरन्त बढ़ाए जाने हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाए और इसी वर्ष में यह कार्य सम्पन्न कराए जाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(चार) **राज्य में पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार के पास लंबित चार परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है। राज्य सरकार इस समस्या के समाधान हेतु अपने साधनों पर समस्या का हल करने के लिए प्रयत्नशील है । राजस्थान के 11 जिले रेगिस्तानी हैं और इनमे पेयजल का संकट गहन होता

जा रहा है । गर्मी का मौसम प्रारम्भ हो जाने के कारण समस्त राज्य मे पेयजल संकट उत्पन्न होने लगा है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पेयजल संकट के निवारण हेतु केन्द्र सरकार को करीब 1645 करोड़ रुपयो की चार योजनायें स्वीकृति के लिए भेजी हुई हैं। इसकी स्वीकृति होते ही इन पर कार्य किया जा सकेगा। केन्द्र इसकी स्वीकृति शीघ्र दे।

[अनुवाद]

(पाँच) मुरादाबाद, उत्तर-प्रदेश के व्यापारी समुदाय के लाभ के लिए पर्याप्त माल डिब्बे उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : महोदय, मुरादाबाद जो कि ब्रॉन्च सिटी ऑफ इण्डिया के नाम से प्रसिद्ध है जिसका वार्षिक टर्न ओवर 700 करोड़ से भी अधिक राशि का है। यह राशि विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित की जाती है। परन्तु खेद है कि मुरादाबाद में जो कन्टेनर डिपो है वह बहुत कम क्षमता वाला है। अतः यहां व्यापारी वर्ग की एक अरसे से यह मांग रही है कि मुरादाबाद में एक रेलवे साइडिंग स्थापित कर दिया जाये जिससे यहां के 650 से भी अधिक एक्सपोर्टस लाभान्वित हो सकें। इससे भारतीय रेल को किराये के रूप में अधिक धन तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ व्यापारी वर्ग को भी संतोषजनक राहत मिलेगी।

मुरादाबाद में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 कन्टेनरों की आवाजाही होती है जबकि जगह की कमी की वजह से मुरादाबाद स्थित कन्टेनर डिपो में केवल 40 से 50 कन्टेनर प्रतिमाह का लदान--उतरान किया गया है। यह इंलैंड कन्टेनर डिपो सड़क परिवहन से सम्बद्ध है। निर्यातकों को परिवहन कम्पनियों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए यह इंलैंड कन्टेनर डिपो अधिक सफल नहीं है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मुरादाबाद के व्यापारिक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कन्टेनरों की संख्या में समुचित बढ़ोतरी करने के संबंध में कारगर एवं प्रभावी कदम उठाएं।

[अनुवाद]

(छः) मुसलमानों के विकास के लिए उन्हें सरकारी सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : महोदय, सामाजिक न्याय एवं अन्य जातियों के विकास के लिए जिस तरह से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण एवं हाल

में पिछड़े वर्ग के विकास के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण किये जाने के प्रावधान इन जातियों के विकास में काफी सहायक रहे हैं और रहेंगे, जो उचित भी हैं। यह बात जग–जाहिर है कि भारत में मुस्लिमों की संख्या 15 प्रतिशत से भी ज्यादा है और उन लोगों को दशा इन उपरोक्त जातियों से काफी बदतर है। उनके आरक्षण के अभाव में इन लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दशा नीचे गिरती जा रही है और यह लोग अपने हाथ की कारीगरी के माध्यम से रोजी रोटी जुटा रहे हैं। समाज में इनका स्तर काफी नीचे हो गया है। सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिशत काफी कम है।

मुसलमानों के विकास के लिए अब यह जरूरी है कि उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाये और इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए अगर संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो तो किया जाये। सदन में इसके लिए अन्य सांसदों से भी समर्थन मिलेगा।

[अनुवाद]

(सात) **रक्षा सेवाओं के अधीन कार्यरत असैनिक कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता**

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : मैं सरकार का ध्यान रक्षा सेवाओं के अधीन कार्यरत असैनिक कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। रक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारियों को चालक, लिपिक, कैम्प गार्ड, क्लीनर, कुक तथा सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना पड़ता है। इन्हें रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि जब कभी इन कर्मचारियों की सांविधिक पात्रताओं का प्रश्न आता है, तो संबंधित अधिकारी असैनिक नियमों का अनुसरण करते हैं तथा दण्ड देने के मामले में सेना अधिनियम, 1950 को अमल में लाते हैं। असैनिक कर्मचारियों पर असैनिक एवं सेना के नियमों को लागू करने की इस दोहरी नीति के कारण इन कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कर्मचारियों पर एक समान सेवा शर्तें लागू होनी चाहियें

अतः, मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह इस मुद्दे की ओर ध्यान दे तथा इन कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, यह अत्यंत रोचक विषय है तथा आपको इसकी जानकारी अवश्य होगी। असैनिक नियमों में इनके लिए पुरस्कार है तथा रक्षा नियमों में इनके लिए दण्ड का विधान है। महोदय, किसी समय आप भी रक्षा मंत्रालय में हुआ करते थे। अतः, आपको उन्हें इन नियमों को मानकीकरण अथवा तर्कसंगत बनाने के बारे में बताने में सक्षम होना चाहिए।

(आठ) उड़ीसा में राउरकेला में मलेरिया अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : यह अत्यंत चिन्ता की बात है कि हमारे देश में सुदूर हिस्सों में रह रहे लोगों के लिए मलेरिया लगातार खतरा पैदा कर रहा है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य मलेरिया फैलने के मामले में अधिक संवेदनशील हो गये हैं क्योंकि इससे अनेक लोगों के मारे जाने की खबर है। उन राज्यों में रह रहे आदिवासी इस बीमारी की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। मलेरिया फैलने का यह प्रकोप गांवों के चारों ओर फैली गन्दगी तथा चल रहे निर्माण कार्यों के परिणामस्वरूप पानी का बहाव रुक जाने से तथा रुके हुये पानी के प्रदूषित हो जाने से मच्छर पैदा हो जाते हैं। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से भी इस दिशा में अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं।

जब तक मलेरिया के प्रकोप के उन्मूलन हेतु तुरंत कदम नहीं उठाये जाते, इन राज्यों के लोगों और विशेष तौर पर उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उन सुदूर इलाकों में अभी तक चिकित्सा सहायता नहीं पहुँच पाई है। उड़ीसा राज्य में सुन्दरगढ़ जिला मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र है। मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वह राउरकेला में एक मलेरिया उन्मूलन संस्थान की स्थापना करें।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 11 पर चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिलिप्यधिकार विधेयक — जो इस सभा में 1992 में पुरःस्थापित किया गया था तथा जिसे संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया था — अब संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन सहित प्राप्त हो गया है। सरकार संयुक्त प्रवर समिति की अधिकतर सिफारिशें मानने का विचार रखती है। इस विषय में कुछ शीघ्रता करने की जरूरत है। महोदय, मुझे खेद है कि यह बात आपके अथवा लोग सभा सचिवालय के ध्यान में पहले नहीं लाई गयी। लेकिन, महोदय, अगर यह सभा तथा आप इसमें कुछ रुचि दिखायें, तो हम इसे प्रतिलिप्यधिकार विधेयक को कार्य–सूची की पहली मद के रूप में चर्चा हेतु ले सकते हैं तथा इसके बाद रबड़ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा की क्या मंशा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रतिलिप्यधिकार विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया था तथा इसने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की संयुक्त प्रवर समिति की अधिकतर सिफारिशें स्वीकर करने की इच्छा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या इस पर इस समय चर्चा करना उचित होगा ?

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज़फ्फरपुर) : संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशें कहाँ हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से रोज एजेंडा आर्डर बदल जाता है। ...(व्यवधान)...

श्री अन्ना जोशी(पुणे) : अध्यक्ष महोदय, आज हम दूसरे बिल की तैयारी कर के आए हैं, ऐसा मत होने दीजिए। कल भी यही किया गया था। ...(व्यवधान)...

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : कल भी एक महत्वपूर्ण बिल को वापिस ले लिया गया। रोजाना आप अपनी मर्जी से सदन को चलाना चाहते हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यदि इंट्रोडक्शन की बात है तो हमने तो अभी यह बिल देखा भी नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक इस सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है तथा इसे संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमको इसकी रिपोर्ट भी नहीं मिली है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह रिपोर्ट पहले ही परिचालित की जा चुकी है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : रिपोर्ट परिचालित की जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह ज्वाईंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है लेकिन आज इसको रखने से परेशानी जरूर है। इसको लिस्ट आफ बिजनैस में डालकर प्रापर नोटिस आता तो मैम्बर्स तैयारी करके आते।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी : इस सभा की चर्चा को इतने हल्के–फुल्के ढंग से नहीं लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह तो मात्र आपके समक्ष ऐसा प्रस्ताव कर रहे हैं। यह सभा के विचारार्थ हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि सदस्यगण ऐसा महसूस करते हैं कि रबड़ (संशोधन) विधेयक को चर्चा हेतु पहले लिया जाना चाहिए, तो इस विषय को रबड़ (संशोधन) विधेयक के बाद अगले विषय के रूप में चर्चा हेतु लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : कल के लिए रख दें जिससे हम लोग तैयार होकर आ जाएं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : दूसरे इम्पार्टमेंट मैटर हाऊस के सामने लाने की कोशिश है जिसके ऊपर आप डिसकस कर सकेंगे। आप स्ट्रांगली फील करते हैं तो रबड़ अमेंडमेंट बिल लेते हैं, उसके बाद दूसरा बिल ले लेंगे। यह बिल ज्वाईंट सिलेक्टी कमेटी के पास भेजा गया था, लेकिन इसको डिसकस करने के लिए आपके पास टाईम है।

[अनुवाद]

इस विषय पर हम कल चर्चा करेंगे तथा यदि आवश्यक हुआ तो हम इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए कल रात देर तक बैठने की कोशिश करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : कल रखने में क्या प्राबलम है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : समय की आपत्ति नहीं है, देर तक बैठ सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे हम कल चर्चा हेतु ले लेंगे।

अब हम मद संख्या 11 को लेते हैं।

12.48 बजे म.प.

रबड़ (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक की जांच वाणिज्य मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय स्थाई समिति द्वारा की गई थी। उन्होंने भी प्रस्तावित संशोधन की जांच की है। धारा 12 में संशोधन करने से संबंधित यह अत्यंत साधारण एवं अहानिकर संशोधन है, जिसके अंतर्गत हम यह सुझाव दे रहे हैं कि रबड़ उपकर जोकि इस समय 50 पैसे की दर से एकत्रित किया जा रहा है – को बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किलो कर देना चाहिए।

जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित ही है कि रबड़ बोर्ड की गतिविधियों में व्यापक विस्तार हुआ है। यह विधेयक 1947 में तैयार किया गया था तथा 1947 के बाद रबड़ के प्रति किलो उपकर में कुछ वृद्धि हुई है। लेकिन पिछले काफी समय से व्यावहारिक रूप से पचासवें दशक के मध्य से इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। दूसरी तरफ, रबड़ बोर्ड की गतिविधियों में अत्यधिक विस्तार हुआ है। रबड़ के अंतर्गत बोये जाने वाले एकड़ क्षेत्र में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। रबड़ का उत्पादन 15000 टन से बढ़कर लगभग 400 हजार टन से भी अधिक हो गया है। वास्तव में, वर्ष 1950–51 में, रबड़ के अंतर्गत बोया जाने वाला कुल क्षेत्र 74915 हेक्टेयर था तथा इसका कुल उत्पादन 15830 टन था। रबड़ की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 284 किलो थी। वर्ष 1993 में 510 हजार हेक्टेयर

क्षेत्र रबड़ उत्पादन के अंतर्गत आ गया है तथा इसका उत्पादन 435 हज़ार टन हो गया है तथा इसकी उत्पादकता भी 284 किलो. प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1200 किलो प्रति हेक्टेयर हो . गई है। इस क्षेत्र में बहुत से विकास एवं अनुसंधान कार्य किये गये हैं। जो निर्यातक प्राकृतिक रबड़ का उपयोग कर रहे हैं; उन्हें इस निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस सहायता राशि में से दो प्रतिशत राशि संग्रहण लागत के रूप में काट ली जाती है और शेष राशि भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इस निधि से हम इस क्षेत्र को सहायता प्रदान कर रहे हैं। 80 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों तक, रबड़ उपकर से एकत्रित की जाने वाली राशि रबड़ बोर्ड के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन काफी समय से, उपकर के रूप में एकत्रित की जाने वाली राशि में अत्यधिक अन्तर चल रहा है। वास्तव में, अब पचास प्रतिशत लागत इसी उपकर के माध्यम से पूरी की जा रही है। इसी वजह से रबड़ उपकर की दर 50 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये प्रतिकिलो करने के बारे में सोचा गया था।

स्थायी समिति ने इसकी जांच की है और उन्होंने यह सुझाव दिया है कि दो रुपये के स्थान पर इसे एक रुपया मान लिया जाए। इसे स्वीकार करते हुए मैंने अपने पत्र के माध्यम से आपसे भी अनुरोध किया है कि औपचारिक संशोधन लाने के स्थान पर मैं इस अवसर पर इस सभा को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं संसदीय स्थायी समिति द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के विपरीत जाकर उपकर को एक रुपये से अधिक नहीं बढ़ाना चाहूंगा। अन्य मामलों में वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि संसाधनों में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।

एक और दिलचस्प बात यह है कि पूर्वोत्तर और कतिपय अन्य क्षेत्रों जैसे गैर–पारम्परिक क्षेत्रों में, हमने इनमें विस्तार किया है। रबड़ की खेती का विस्तार किये जाने के लिये कुछेक विश्व बैंक परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। इन सभी बातों के लिये अर्थात् पुनः वृक्षारोपण तथा अनुसंधान और विकास की कीमत के लिये इस बात की आवश्यकता होगी कि रबड़ बोर्ड के क्रियाकलापों के लिये अधिक धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिये। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस सभा से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को समर्थन प्रदान किया जाये। यह अनुपघातक है और संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों में तथा जो कुछ मैं कह रहा हूं, उसमें कोई मूल अन्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि यह एक बहुत ही साधारण विधेयक है। सरकार इस विधेयक में "पचास नये पैसे" को बढ़ाकर "दो रुपये" करने का अनुरोध कर रही है।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, यह अधिकतम सीमा है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, माननीय मंत्री जी ने मुझे जो पत्र लिखा है, जिसका उन्होंने अभी अभी हवाला दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इसे एक रुपया तक बढ़ाया जा सकता है, एक रुपया

से अधिक नहीं। यह एक साधारण विधेयक है। अतः हम सदस्यों को इस पर बोलने की अनुमति प्रदान करेंगे। लेकिन केवल इसी बात पर बोला जा सकता है। जब संशोधन विधेयक रखा जाता है तो हम पूरे विषय पर चर्चा नहीं करते बल्कि हम केवल संशोधन पर ही चर्चा करते हैं। अतः, यदि हम इस पद्धति का अनुकरण करते हैं, तभी हम इस विधेयक को मध्यान्ह भोजन से पूर्व पारित कर सकेंगे।

अब प्रस्ताव प्रस्तुत होता है :—

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको समूचे रबड़ वृक्षारोपण, अनुसंधान विपणन और इन सभी बातों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिये; आपको केवल उत्पाद–शुल्क पर बात करनी चाहिये।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : जी हां, मैं अपने भाषण को संक्षिप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : संक्षिप्त नहीं, बल्कि विषय संगत कीजिये।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : यह विधेयक इस सभा के समक्ष रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उप धारा (1) में "पचास नये पैसे" के स्थान पर "दो रुपये" प्रतिस्थापित करने के लिये लाया गया है। जैसाकि उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया गया है, इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता इसलिये महसूस की गई है क्योंकि योजना और गैर–योजना क्षेत्रों में रबड़ बोर्ड के क्रियाकलापों में वृद्धि होने के कारण इसके खर्चों में व्यापक वृद्धि हुई है। जैसाकि उल्लेख किया गया है कि बोर्ड ने रबड़ वृक्षारोपण विकास कार्यक्रम, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में रबड़ विकास, और रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिये अनुसंधान कार्यक्रम आदि जैसे अनेकों नयी योजनायें आरम्भ की हैं और इसलिये इस रबड़ के लिये अधिकतम सीमा को 50 पैसे से बढ़ाकर 2 रु. प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव रखा गया है।

12.54 बजे म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन अनिवार्य है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह कहा गया है कि सरकार ने कई योजनाएं और कार्यक्रम

शुरू किये हैं और इसके परिणामस्वरूप बोर्ड का खर्च कई गुना बढ़ गया है। मुझे यह कहना है कि अब हमारे देश में रबड़ उद्योग वास्तव में प्रगति कर रहा है।

आंकड़ों से ऐसा देखने को मिलता है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है, निर्यात में वृद्धि हो रही है, प्रत्येक चीज में वृद्धि हो रही है और सरकार की उदारीकरण की नीति के परिणामस्वरूप इसमें और भी वृद्धि हो सकती है। विकास और उत्पादन में वृद्धि आदि के प्रयोजन से सरकार ने अनेकों योजनाएं आरम्भ की हैं और रबड़ बोर्ड ऊपर निगरानी रखने की कोशिश कर रहा है।

इस संबंध में मैं यह कहूंगा कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जोकि इस विधेयक में उठायी जा सकती हैं। लेकिन मैं उन सभी बातों को यहां पर नहीं कहूंगा।

इस विधेयक में, रबड़ उत्पादन को लेकर भूमि का प्रश्न भी पैदा होता है। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों जैसे गैर–परम्परागत क्षेत्रों में, यह भी कहा गया है कि इसका विस्तार किया जा रहा है। इसकी हमें खुशी है। लेकिन, विस्तार के मामले में मैं यहां पर मात्र यह कहना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से अनुरोध भी करूंगा कि तथ्यों को देखें कि काफी भूमि खाली पड़ी हुई है जो रबड़ के उत्पादन के लिये उपयोगी है। लेकिन बहुत से मामलों में इस भूमि को उन लोगों को सौंपने के प्रयास नहीं किये गये जो लोग रबड़ का उत्पादन करते हैं। उन्हें रबड़ के उत्पादन का अवसर ही नहीं मिलता। अतः, कुछ तथ्य अपनी भूमिका अदा करते हैं और उसके परिणामस्वरूप कई बार हमें यह देखने को मिलता है कि सरकारी तन्त्र भी रबड़ एजेंसी के साथ न्याय नहीं करता। और यह तन्त्र भी रबड़ उत्पादन की वृद्धि में बाधा का काम करता है।

इस मामले में, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया देखें कि पूरे देश में रबड़ उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिये और इस प्रयोजन के लिये सरकारी सहायता तथा अन्य आवश्यक सहायता उचित ढंग से प्रदान की जानी चाहिये। सरकार को भी यह देखना चाहिये कि सही एजेन्सियां रबड़ उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसरों से वंचित न हो पायें।

इस बढ़ाये गये उपकर के बारे में बात करते हुए मुझे यह कहना है कि जब मुझे यह बताया गया था कि रबड़ उद्योग प्रगति कर रहा है, तो मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह कोई ठोस कदम नहीं है और फिर भी यह प्रगति कर रही है। फिर भी, हमें देश में निर्यात हेतु माल तैयार करने के लिये रबड़ का आयात करना पड़ता है। वर्ष 1992 और 1993 में बाहर से प्राकृतिक रबड़ का आयात किया गया था और यह कहा गया था कि निर्यात के माल में वृद्धि किये जाने के लिये रबड़ का आयात किया गया है। यह भी देखा जाना है कि बाहर से किये जाने वाले इस आयात में वृद्धि नहीं होनी चाहिये और हमें देश में ही अपनी क्षमता तैयार करनी चाहिये ताकि आयात की आवश्यकता न हो।

इस संबंध में, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि 50 पैसे से एकदम 2 रुपये किया जाना बहुत अधिक है। जब यह विकास के चरण में है, तो मैं सोचता हूं कि यह वृद्धि बहुत अधिक ही होगी। अतः यदि ऐसा किया ही जाता है, तो स्वाभाविक है कि इस उपकर का भार उत्पादकों को वहन करना पड़ेगा और उन्हें कुछ असुविधा, कुछ निराशा हो सकती है और इसलिये इससे देश में रबड़ के उत्पादन में अड़चन आ सकती है।

अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि इस उपकर को 50 पैसे से बढ़ाकर एकदम 2 रुपये नहीं करना चाहिये।

1.00 बजे म.प.

माननीय मंत्री जी ने भी अभी-अभी यह कहा है कि उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखा है कि अब इसे 1/- रुपया किया जा रहा है। हम उपकर में वृद्धि का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा रबड़ उद्योग की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए। सरकार को यह देखना है कि रबड़ उद्योग से जुड़े लोग इस वृद्धि के बारे में कैसा महसूस करते हैं और क्या यह उनके लिये और सरकार के लिये लाभकारी होगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ऐसा किया जाना चाहिए।

श्री थाइल जॉन अंजलोज़ (अलेप्पी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रबड़ अधिनियम, 1947 में संशोधन करने वाले विधेयक का विरोध करता हूं। मंत्री जी ने रबड़ पर उपकर को 50 पैसे प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 1/- रुपया प्रति किलोग्राम किये जाने के बारे में इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। मंत्री जी ने इसका कारण जो बताया है वह यह है कि बढ़ी हुई राशि का रबड़ बोर्ड के क्रिया कलापों के लिये उपयोग किया जाएगा। 1/- रुपया उपकर निर्माताओं पर लगाया जाना है और मंत्री जी यह दावा कर सकते हैं कि इससे किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वास्तविकता यह है कि निर्माता इस भार को व्यापारियों पर डाल देंगे और फिर संयोगवश यह किसानों पर ही आ पड़ेगा। जैसाकि पूरी सभा जानती है कि मूल्यों में गिरावट आने के कारण रबड़ का उत्पादन करने वाले किसानों को भारी कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ रहा है।

जबकि कृषि पर होने वाले व्यय में कई गुना वृद्धि हुई है, उत्पादन की कीमत में कमी आई है। हमारी सरकार जोकि किसानों का बचाव करने के लिये हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं रखती, वही अब इस संशोधन को ला रही है। इससे स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। सरकार को तो केवल यह करना चाहिये कि किसानों की इस तरह से मदद की जाये कि उत्पादन में वृद्धि हो सके और इससे, एक प्रकार से, सरकार को भी अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

महोदय, मैं यह कहूंगा कि सरकार द्वारा हाल ही में की गई कार्यवाही केरल के किसानों के हितों के प्रतिकूल सिद्ध हुई है। रबड़ और नारियल की खेती करने वाले किसानों को मुसीबत का

सामना करना पड़ रहा है और इससे केरल की अर्थव्यवस्था छिन्न–भिन्न हो गई है। यद्यपि सरकार रबड़ का आयात नहीं कर रही है, फिर भी सरकार की नई नीति के कारण निर्यातक जितनी भी रबड़ चाहें मंगवा सकते हैं। नारियल के मामले में भी यही हालत है।

महोदय, हमने अनेक बार सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं कि रबड़ और नारियल की कीमतों में स्थिरता लाने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये। हमारी सरकार, जोकि पहले बाजार में हस्तक्षेप किया करती थी, वह भी अब ऐसा नहीं कर रही है जिससे बाजारी शक्तियां उन्मुक्त हो रही हैं। केरल में रबड़ की कीमतों में अभूतपूर्व गिरावट आयी है और यहां तक कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से भी कम हो कर रह गई हैं। यह बड़ी हैरानी की बात है कि हमारी सरकार जो गेहूं और चावल की कीमतें बढ़ाने में काफी इच्छुक है और यहां तक की किसानों के लिये बोनस की घोषणा भी करती है, वह नकदी फसलें उगाने वालों और नारियल की खेती करने वालों से अपना मुंह मोड़ रही है। उत्पादन की लागत और कीमत में कोई तालमेल नहीं है और जहां तक केरल के कृषक समुदाय का संबंध है, ऐसा होना किसानों के सर्वथा विपरीत है।

अतः, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे विधेयक को न लायें जिससे किसानों पर पड़ने वाले भार में और अधिक वृद्धि हो और उनसे यह अनुरोध करूंगा कि केरल के किसानों के मामले में कुछ न कुछ रुचि दर्शायें।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेंद्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा में प्रस्तुत रबड़ (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक उत्पाद शुल्क पर निर्धारित उच्चतम मूल्य में वृद्धि करने के सीमित उद्देश्य से पुरःस्थापित किया गया है। इस समय यह 50 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित है। यद्यपि यह 1947 में निर्धारित किया गया था और यह 1984 में पहले ही उच्चतम पर पहुंच गया है और पिछले 10 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

महोदय, निधि मुख्यतः रबड़ बोर्ड के व्यय पर खर्च की जाती है और मैं माननीय मंत्री जी से पूरी तरह से सहमत हूं क्योंकि रबड़ बोर्ड प्रसंशनीय कार्य कर रहा है। मैं इस संबंध में अपने माननीय मित्र जी अंजलोज से सहमत नहीं हूं। मैं उनसे कह सकता हूं कि केरल में 80 प्रतिशत रबड़ उत्पादक दो एकड़ से कम भूमि वाले छोटे और सीमान्त किसान हैं। अतः, मेरी चिन्ता का विषय यह है कि इन छोटे और सीमान्त किसानों को सहारा देना होगा।

रबड़ बोर्ड सराहनीय कार्य कर रहा है। उसके अपने अनुसंधान और विकास कार्यक्रम हैं। उसके पास रबड़ के पौध की नवीनतम किस्में हैं और इन छोटे तथा सीमान्त किसानों को पौध रियायती दर पर दी जाती है। पौधों से रबड़ प्राप्त करने में कम से कम सात वर्ष लगेंगे और इन सात वर्षों में इन छोटे और सीमान्त किसानों को इनकी देखभाल के कार्यक्रम के लिए भी राजसहायता दी जाती है।

अतः, चिन्ता का विषय है विपणन। केरल में नारियल के बाद रबड़ लोगों के लिए अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। जब हम रबड़ की बात करते हैं तो ऐसी भावना होती है कि यह एकाधिकार वाले लोगों की कृषि है। यह बात पूरी तरह गलत है। 80 प्रतिशत से अधिक छोटे उत्पादक हैं और उनके पास आधा एकड़ जमीन है जिसमें 50 से 100 पेड़ हैं। परिवार का एक सदस्य रबड़ निकालता है, रबड़ का दूध इकट्ठा करता है, दूसरा रबड़ की सीटें तैयार करता है और इसे बेचने के लिए बाजार में ले जाता है। हर रोज ऐसा हो रहा है। यदि रबड़ की लागत प्रभावित होती है, तो उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुर्भाग्य से पिछले एक वर्ष में अन्य चीजों की भांति रबड़ की कीमत कम हो गई है। रबड़ बोर्ड ने भी 30 पैसे प्रति किलोग्राम मूल्य की सिफारिश की है। राज्य व्यापार निगम ने उसे स्वीकार नहीं किया। मेरा अनुरोध है कि समर्थन मूल्य होना चाहिए। कम से कम छोटे उत्पादकों और बड़े उत्पादकों द्वारा बनाए गए उत्पादों के बीच किसी तरह का अन्तर होना चाहिए। उपकरों में यह वृद्धि छोटे उत्पादकों के लिए पारित नहीं की जानी चाहिए। उन्हें किसी तरह से संरक्षण देना होगा। रबड़ बोर्ड ने हाल में समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। रबड़ की वर्तमान कीमत भी खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उर्वरकों की लागत बढ़ गई है। मजदूरी की लागत बढ़ गई है। सभी आदान लागतें बढ़ गई हैं। लेकिन रबड़ की कीमत में न्यूनतम वृद्धि भी नहीं हुई है। रबड़ की कीमत कम से कम 30 रुपया प्रति किलोग्राम होनी चाहिए। केवल तभी छोटे और सीमान्त किसान जिन्दा रह सकेंगे। मेरा अनुरोध है कि इस पहलू पर भी गौर किया जाये।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसे एक बार में ही दो रुपए तक नहीं बढ़ाया जाएगा। इसे केवल एक रुपए तक ही बढ़ाया जाएगा। लेकिन यदि पांच वर्षों के बाद अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, यदि जरूरत हुई तो इसमें एक रुपए से अधिक लेकिन दो रुपए तक वृद्धि हो सकती है। हम दो रुपए तक के लिए शक्ति प्रदत्त कर रहे हैं। एक स्पष्ट आश्वासन है कि फिलहाल उपकर एक रुपए से अधिक नहीं होगा। मुझे प्रसन्नता है कि यह आश्वासन दिया गया है।

मैं एक बार फिर कहता हूं कि छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और रबड़ बोर्ड को निदेश दिया जाना चाहिए कि समर्थन मूल्य हमेशा घोषित होना चाहिए और समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय वास्तविक लागत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके।

इसी के साथ, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं क्योंकि यह रबड़ बागान अर्थव्यवस्था और लोगों के हित में है। मैं श्री अंजलोज से पूरी तरह से असहमत हूं क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि वह चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। केवल विरोध के लिए किसी विधेयक का विरोध करने से लोगों की सहायता नहीं होगी। हमें देश का, लोगों का और रबड़ उत्पादकों का ध्यान रखना होगा। इस विधेयक का उद्देश्य यही है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री पी.सी. थॉमस (मुक्तपुजा) : जैसाकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक हानिकारक नहीं है चूंकि उपकर की राशि 50 पैसे से 2 रुपये तक बढ़ाया जाना है। जैसाकि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, मैं समझता हूं कि यद्यपि एक औपचारिक संशोधन प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए उपकर केवल एक रुपया निर्धारित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यही आश्वासन दिया गया है।

जैसाकि मंत्री महोदय ने कहा है कि उपकर में वृद्धि करने का उद्देश्य रबड़ बोर्ड के माध्यम से रबड़ बागान के लिए अनुसंधान और विकास कार्य करना है। संगत प्रश्न यह है कि रबड़ बागान और रबड़ उत्पादकों की किस तरह से अधिक से अधिक सहायता की जा सके। माननीय वाणिज्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि रबड़ बागान में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

जैसाकि माननीय वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि 1950–51 में 74,950 हेक्टेयर भूमि पर रबड़ की खेती की गई थी और उत्पादन 15,830 टन था। यह बात भी स्पष्ट है कि जैसे–जैसे वर्ष बीतते गए 1961–62 में रबड़ की खेती के अन्तर्गत 1,43,905 हेक्टेअर भू क्षेत्र 1971 में बढ़कर 2,17,188 हेक्टेयर और 1991–92 में 4,66,000 हेक्टेअर हो गया। लेकिन यह केवल रबड़ बोर्ड के प्रयासों से ही नहीं हुआ। यह मुख्यतः किसानों के प्रयासों से हुआ। किसानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं जो पहले ही यह बोल चुके हैं कि जो किसान रबड़ की खेती के तहत भू–क्षेत्र को इस सीमा अर्थात् 74,000 से 4,66,000 हेक्टेअर तक लाए हैं, वे अधिकतर छोटे किसान हैं। किसानों के प्रयासों से रबड़ बागान के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उत्पादन जो 15,830 टन था उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है। 1991–92 में रबड़ का उत्पादन 3,66,745 टन पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि 42 साल के अन्तर्गत् रबड़ बागान के क्षेत्रफल में छह गुना वृद्धि हुई है और रबड़ उत्पादन में चौबीस गुणा वृद्धि हुई है। हम देख सकते हैं कि छोटे किसानों ने बहुत प्रयास किए हैं। बड़े किसानों के पास रबड़ की खेती का क्षेत्रफल दस प्रतिशत से कम है। नब्बे प्रतिशत रबड़ की खेती छोटे किसानों द्वारा की जाती है। रबड़ की खेती तब तक कैसे उन्नति कर सकती है, जब तक कि छोटे किसानों की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया जाए ? छोटे किसानों की तरफ केवल तभी उचित ध्यान दिया जा सकता है जबकि मूल्यों में स्थिरता बनाए रखी जा सके। जब तक छोटे किसान को उचित मूल्य नहीं दिया जाता है, जब तक उसे यह आश्वासन नहीं दिया जाता है कि जो रबड़ वह उत्पन्न कर रहा है, उसे उसका उचित मूल्य मिलेगा, तब तक वह इसकी खेती नहीं करेगा। इस रबड़ बागान जिसमें भारत कह सकता है कि हम रबड़ उत्पादन में विश्व में दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर हैं। वह 90 प्रतिशत छोटे किसानों के कारण है जिन्होंने थोड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए एक एकड़, दो एकड़, पांच एकड़ पर रबड़ की खेती की है। वे इस कृषि का आधार हैं।

मैं सभा का ध्यान मूल्य स्थिति की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। हम केवल तभी यह कह सकते हैं कि रबड़ के छोटे किसानों के साथ उचित न्याय किया गया है। यह देखा जा सकता

है कि 1981–82 में एक क्विंटल का मूल्य 1460/– रु. था जबकि 1991 में, यद्यपि पलांटेशन में वृद्धि हुई है किलोग्राम के हिसाब से उत्पादन में वृद्धि हुई है, मूल्य केवल 2129/– रु. तक बढ़ा है। कीमतें अब भी उम्मीद के अनुरूप नहीं है। प्रतिशत के हिसाब से पिछले दस वर्षों में मूल्य में 40% वृद्धि हुई है। यह इस देश में अन्य सभी चीजों के मूल्यों में हुई वृद्धि की तुलना में बहुत कम है। कृषि की लागत क्या है ? अब देख सकते हैं कि 1981–82 में एक हेक्टेअर भूमि की कृषि लागत, रबर बोर्ड में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 16,000/– रु. प्रति हेक्टेअर थी।

यह रबर बोर्ड के आंकड़ें हैं। 1990–91 दस वर्षों की अवधि में रबर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कृषि लागत 37,000/– रु. तक पहुंच गई है। मैं इस आंकड़ें से सहमत नहीं हूं क्योंकि यह सही नहीं है। सही आंकड़ा बहुत अधिक है। उत्पादन भी बहुत अधिक है। इस तथ्य के कारण कि वे छोटे किसान हैं हमें सही आंकड़ें नहीं मिलते हैं। सही आंकड़ें प्राप्त नहीं किये जाते हैं। कृषि के सही क्षेत्रफल के बारे में आँकड़ें, और उत्पादन किए गए रबड़ की सही मात्रा के बारे में आंकड़ें स्पष्ट रुप से उपलब्ध नहीं हैं। कृषि की लागत भी सही नहीं है। जैसाकि रबड़ बोर्ड ने भी स्वीकार किया है कि 1980 से 1990 की अवधि के दौरान मूल्य–वृद्धि की तुलना में कृषि लागत 131% तक बढ़ गई है। हमें इस बात पर गंभीरता से ध्यान देना होगा कि क्या हम वास्तव में किसानों की सहायता कर रहे हैं ? क्या हम वास्तव में छोटे किसानों के साथ न्याय कर रहे हैं ?

महोदय, टायर रबड़ का एक उत्पाद है। थोक मूल्य सूचकांक के सम्बन्ध में वास्तव में प्राथमिक उत्पादक और अंत में निर्माता को मिलने वाले लाभ में कोई तुलना नहीं हो सकती। टायर और टयूबों के मामले में थोक मूल्य सूचकांक बढ़ गया है। वर्ष 1970–71 को आधार मानते हुए अगर 100 रुपये लें तो वर्ष 1981–82 में यह 291 पाइन्ट था और वर्ष 1981 से 1988 के बीच सात वर्षों में यह बढ़कर 424 हो गया अर्थात् इसमें 45.7 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। कृत्रिम रबड़ के मामले में भी अगर गणना की जाये तो यह वृद्धि 109.4 बैठती है जबकि प्राकृतिक रबड़ के मामले में यह 26 प्रतिशत बढ़ गई। थोक मूल्य सूचकांक 26.1 प्रतिशत आता है। यह वास्तविकता है। जबकि सामान्य औसत लें तो थोक मूल्य सूचकांक 54.8 पाइन्ट बढ़ गया है। अतः, छोटे रबड़ उत्पादक मुश्किल में हैं। अन्य कृषि उत्पादों के मामले में जैसे चावल के लिए यह वर्ष 1981–92 में 226.1 था जबकि वर्ष 1988–89 में यह बढ़कर 363.7 हो गया है। लगभग 60.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चीनी के लिए यह 48.6 है। गेहूं में यह 47.6 है जबकि रबड़ में यह केवल 26 ही है। ये विवरण आंकड़ों के बगैर ही नहीं है। बल्कि ये सभी विवरण भारत सरकार के आर्थिक सलाहकारों के अध्ययन से लिये गये हैं। इसका स्रोत स्वयं भारत सरकार ही है। चाहे वह पौध रोपण का विस्तार करने में सफल हो भी जाये तो भी बोर्ड किसान् को लाभकारी मूल्य देने में असफल रहा है। अगर किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता है तो भारत को बहुत अधिक मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। वर्ष 1985–86 में भारत का उपभोग 2,37,440 टन था। वर्ष 1991–92 में यह बढ़कर 3,80,150 टन हो गया और वर्ष 1992–93 में यह बढ़कर 4,00,000 टन हो गया। ऐसा अनुमान है कि 2000 ईसवीं सन् में भारत की रबड़ की आवश्यकता बढ़कर 680,000

टन हो जायेगी। और 2010 ईसवी सन् में यह बढ़कर एक मिलियन टन हो जायेगी। अगर किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता तो हम एक मिलियन टन का उत्पादन किस प्रकार कर पायेंगे ? जब हम रबड़ उगाने पर विचार करते हैं, तो यह समस्या का मुख्य मुद्दा होना चाहिये। जब हम उपकर बढ़ाने पर विचार करते हैं, तो यह वृद्धि प्रति किलो पर पचास पैसे होती है। यह बढ़कर प्रति किलो पर एक रुपया होने जा रही है। मेरे विचार में कृषक या उत्पादक या इससे जुड़े कोई व्यक्ति सरकार, बोर्ड या भारत की संचित निधि में इसका भुगतान करेंगे तो उन्हें दुगुनी राशि देनी पड़ेगी। क्या वह बढ़े हुए मूल्य पाने का हकदार नहीं है ? लेकिन स्थिति बहुत खराब है क्योंकि अब मैं यह नहीं जानता कि यह नई नीति के कारण ही हुआ है। उदारीकरण की नीति आने के बाद असीमित रूप से आयात किये गये। अब अग्रिम लाइसेंस योजना एक ऐसी योजना है जिसमें आयातों पर समुचित रूप से निगरानी नहीं रखी जाती है। इस देश में बहुत से लोग इस तथ्य के बावजूद भी कि वे जो चाहते हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, जिनके पास अग्रिम लाइसेंस है, रबड़ का आयात कर रहे हैं। लेकिन वह आयात कर रहे हैं इसलिए इसका सीधा प्रभाव कृषकों पर होता है। स्थिति यह है। अतः, हम जब तक कृषक की सहायता नहीं करते तब तक हमें जो भी सारी सफलता मिली है, वह बेकार हो जायेगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। रबड़ की कीमतों के बारे में सरकार क्या आश्वासन दे सकती है ? सरकार को आश्वासन अवश्य देना चाहिये जैसे कि अन्य किसानों को दिया जाता है कि अगर कीमत कम हो तो उनकी सहायता की जाये। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये। मुझे आशंका है कि सरकार अथवा सरकारी एजेंसी की ओर से जो नई नीति अथवा नया वक्तव्य आ रहा है, वह यही बताने के लिए है कि अब के बाद सरकार समर्थन मूल्य योजना को बनाये नहीं रखेगी। रबड़ के लिए कोई समर्थन मूल्य योजना नहीं है। विशेष मूल्य की घोषणा की जायेगी। अगर ऐसी घोषणा नहीं की जाती है और जब कीमतें कम होती है और सरकार बाजार में हस्तक्षेप नहीं करती तो फिर किसान क्या करेंगे ? यह तथ्य है कि छोटे उत्पादक लम्बे समय तक रबड़ को नहीं रख सकते। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : थॉमस जी, इस विषय के लिए एक घंटे का समय दिया गया है और यह प्रश्न केवल पचास पैसे से एक रुपये की वृद्धि के बारे में है। मेरे विचार से आपको उस पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। अगर आप कृषि और अन्य बातों के बारे में बोलना शुरू कर देंगे तो इससे बड़ी मुश्किल हो जायेगी। हमें यह विषय मध्याह्न भोजन से पहले निपटाना है।

श्री पी.सी. थॉमस : सरकार को समर्थन मूल्य योजना को समाप्त नहीं करना चाहिये। समर्थन मूल्य होना ही चाहिये। जब मूल्य गिरते हों तो इसकी घोषणा की जानी चाहिये। निर्माता एक चीज कर सकते हैं। वे समवेत रूप से आ सकते हैं और बाजार से कुछ समय के लिए हट सकते हैं। यह हर बार किया जा रहा है। जब वे बाजार से हट जाते हैं तो कीमतें कम हो जाती हैं। वे इसके

बारे में भली प्रकार जानते हैं। रबड़ उत्पादन में 90 प्रतिशत छोटे उत्पादक हैं और उन्हें अपनी रबड़ बाजार में लानी ही पड़ेगी और तभी केवल उन्हें उससे फायदा होगा। और सामान्य रूप से उन्हें उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। अतः, जब सरकार पचास पैसे और चाहती है तो फिर सरकार को उस समय जब कीमतें गिरती हैं अथवा जब निर्माता बाजार से हटकर किसानों को बाध्य कर देते हैं तो आगे आकर समर्थन मूल्य देने की व्यवस्था करनी चाहिये। सरकारी एजेंसियों को बाजार में प्रवेश करके, रबड़ लेकर उसका बफर स्टॉक बनाना चाहिये। लेकिन मेरे विचार से बफर स्टॉक की योजना उसमें नहीं है और पिछले वर्ष भी इस विचार को छोड़ दिया गया था।

मेरा माननीय वाणिज्य मंत्री से अनुरोध है कि वह इस चर्चा का जवाब देते समय इस सभा में इस संबंध में एक आश्वासन अथवा स्पष्टीकरण दें क्योंकि केरल तथा अन्य स्थानों पर, जहां रबड़ का उत्पादन किया जाता है, निर्धन और छोटे उत्पादकों में एक भावना घर कर गई है कि सरकार इन किसानों को बचाने के अपने कर्तव्य से मुकर रही है। यही मेरा अनुरोध है। जैसा कि पहले भी कहा गया है, मैं अन्य बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता।

हाल ही में स्टार टी.वी. पर एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने रबड़ के प्रयोग के बारे में दिखाया था। भारत में रबड़ का प्रति व्यक्ति उपयोग 3.6 प्रतिशत है। लेकिन एक विकसित देश में प्रति व्यक्ति रबड़ का उपयोग 12 प्रतिशत है।

हम विकास कर रहे हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिये कि रबड़ का प्रति व्यक्ति उपयोग बढ़ेगा। मेरे विचार में यह कार्य केवल किसानों की सहायता करके ही किया जा सकता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसान को सहायता दी जाये। बस यही मुझे निवेदन करना है। और समय के अभाव के कारण मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय इस बात के लिए सहमत हो गये हैं कि उत्पाद–शुल्क में एकाएक 2 रुपये की वृद्धि नहीं की जायेगी, बल्कि उसमें मात्र एक रुपये की वृद्धि की जायेगी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

महोदय, रबड़ की खेती के विभिन्न पहलुओं पर काफी प्रकाश डाला गया है। मेरे विचार से सदन में सरकार के लिये एक बेहतरीन आधार उपलब्ध करा दिया गया है कि वह विपणन–हस्तक्षेप की नीति का अनुकरण करें और विशेषतौर पर जब कच्ची रबड़ की कीमतें समर्थन मूल्य से कम हो जायें तो इन कीमतों को रबड़ बोर्ड द्वारा नियत किया जाये। मैं सभापटल पर प्रस्तुत किये गय सुझाव का समर्थन करता हूं।

महोदय, मंत्री महोदय ने हमें जो आंकड़े दिये हैं, उनसे यह प्रदर्शित होता है कि रबड़ की खेती के अंतर्गत बोई जाने वाली एकड़ जमीन, इसके उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है। मैं यह

चाहता था कि मंत्री महोदय हमें यह बताते कि भारत एवं विदेशों में रबड़ की उत्पादन लागत कितनी है क्योंकि इसी वस्तु को हम वास्तविक रूप से आयात करते हैं तथा इसी वस्तु के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। और निश्चय ही हम चाहते हैं कि हमारी रबड़ की उत्पादकता बढ़े तथा इसकी उत्पादन लागत में इस स्तर तक कमा आये कि हम रबड़ निर्यात करने वाले देशों के साथ बराबर की स्पर्धा कर सकें। मुझ इस बात का अंतर भी मालूम है कि विदेशों में रबड़ के पौधों की रोपाई बड़े पैमाने पर होती है, जबकि हम अपने देश में इसका उत्पादन प्रमुख तौर पर छोटे एवं सीमान्त किसानों से करवा रहे हैं। लेकिन उत्पादन के पैमाने के बावजूद, राष्ट्रीय दृष्टि से, यह अनिवार्य है कि आयातित एवं स्वदेशी रबड़ की कीमत एक–दूसरे के बराबर होनी चाहिये ताकि किसी न किसी स्तर पर हम बिल्कुल आत्म–निर्भर हो पायें।

दूसरे भाग में, जहां मैंने कुछ कमी अनुभव की है और मुझे उम्मीद है कि वाणिज्य मंत्री महोदय इस कमी को दूर कर देंगे, वह कमी रबड़ बोर्ड द्वारा विकासात्मक गतिविधियों पर किये जाने वाले व्यय तथा रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ के पौधा–रोपण के विकास पर खर्च किये जाने वाले अतिरिक्त परिव्यय के बारे में है, जिसे हम इस उत्पाद–शुल्क में वृद्धि करने के लिए एक बार सहमत हो गये हैं।

मुझे जो अंतिम बात कहनी है, वह उपभोक्ता से संबंधित है यह सही है कि उत्पादक के हितों का अवश्य ही ध्यान रखा जाना चाहिये तथा यह भी सही है कि रबड़ उद्योग को कारगर ढंग से कार्य करना है, क्योंकि आखिरकार मुझे भय है कि कहीं उत्पाद–शुल्क में इस वृद्धि का रबड़–उत्पादक अपने लाभांशों में वृद्धि करने के बहाने के रूप में उपयोग न कर ले और इस प्रकार रबड़ उपभोक्ताओं पर इसका बोझ न पड़ जाये। अतः, मैं वाणिज्य मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह हमें यह आश्वासन दें कि इस शुल्क का जोकि रबड़ उत्पादकों के उत्थान के लिये है, रबड़ उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को लूटने के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसी बारे में मैं मंत्री महोदय से आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूँ।

महोदय, इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूँ तथा मैं यह उम्मीद करता हूँ कि इस आवश्यक तथा महत्वपूर्ण वस्तु के मामल में रबड़ पौधा–रोपण विकास में अतिरिक्त निवेश करके भविष्य में हम आत्म–निर्भरता के स्तर तक पहुँचने में सक्षम होंगे।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, मैं वाणिज्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समथन करता हूँ। इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है। रबड़ पर उत्पाद–शुल्क को पचास पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने इसे कम करके एक रुपया करने की कृपा की है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश जी, आप अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात् जारी रख सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं मात्र दो या तीन मिनट का समय लूंगा। उत्पाद–शुल्क में केवल एक रुपये की वृद्धि की जा रही है। यदि जरूरी हो, तो इसे दो रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इस विधेयक का पूर्ण उद्देश्य रबड़ बोर्ड को और अधिक वित्तीय समर्थन प्रदान करना है। यह सही है कि इस समय रबड़ बोर्ड ने बहुत से कार्यों को अपने हाथ में लिया है । इन गतिविधियों से निर्धन, छोटे एवं सीमान्त किसानों को फायदा हो रहा है। रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में मैं भली प्रकार यह कह सकता हूं कि रबड़ बोर्ड द्वारा किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्यों का न केवल परम्परागत क्षेत्रों में ही व्यापक स्वागत किया गया है, बल्कि गैर–परम्परागत क्षेत्रों में भी इनका स्वागत किया गया है। मंत्री महोदय ने यह सही कहा है कि अब रबड़ के अंतर्गत बोये जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि हो गई है तथा इसकी उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। अतः, हम भली प्रकार यह कह सकते हैं कि रबड़ बोर्ड तथा गरीब एवं छोटे किसानों के जिन्होनें रबड़ की बेहतर खेती करने की ओर ध्यान केन्द्रित किया है के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप ही ऐसा सम्भव हो पाया है।

इसके तीन अथवा चार पहलू हैं। इसका सबसे पहला एवं महत्त्वपूर्ण पहलू कीमत है। इस माननीय सभा में, सदस्यगण दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बार–बार सरकार से रबड़ का लाभप्रद मूल्य देने के बारे में अनुरोध करते रहे हैं। हमें यह देखना है कि किसानों को रबड़ का लाभप्रद मूल्य मिल रहा.है अथवा नहीं। यदि आप रबड़ बोर्ड के अभिलेखों अथवा उसके द्वारा दिये गये सुझावों का अध्ययन करें, तो हम यह देख सकते हैं कि रबड़ बोर्ड द्वारा दिये गये प्रस्ताव को मंत्रालय ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है। इस मामले में न केवल वाणिज्य मंत्रालय ही शामिल है, बल्कि उद्योग एवं वित्त मंत्रालय भी इसमें शामिल हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि किसानों के लिए लाभप्रद मूल्य तय करने वाला सरकारी तंत्र इतना दोषपूर्ण क्यों है। इस संबंध में कुछ किया ही जाना चाहिये। हर वर्ष किसान, संसद सदस्य तथा रबड़ उत्पादक क्षेत्रों के राजनैतिक दलों की ओर से यही मांग की जाती है। हम समर्थन–मूल्य के संशोधन हेतु बार–बार कहते रहते हैं तथा किसान इसके लिए आन्दोलन करते हैं। सीज़न शुरू होने से पहले ही लाभप्रद मूल्य घोषित करने के लिए एक नियमित प्रणाली अवश्य होनी चाहिये। प्रमुख बात यही है।

वास्तव में हो क्या रहा है ? वह यह है कि सीज़न के बाद जब फसल संबंधी सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं, तब रबड़ का समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होता। मेरा सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण अनुरोध यह है कि सरकार को रबड़ का समर्थन मूल्य फसल से काफी समय पहले घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहियें, ताकि इससे किसानों को लाभ हो।

दूसरे रबड़ का समर्थन मूल्य उत्पादन–लागत को समुचित रूप से ध्यान में रखने के बाद घोषित किया जाना चाहिए। मुझे मालूम नहीं है कि रबड़ की उत्पादन–लागत वे कैसे आंक रहे हैं। उर्वरकों एवं खादों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है तथा मजदूरी की दरों में भी वृद्धि हो रही है। विशेषतौर पर छोटे एवं सीमान्त किसान काफी हानि उठा रहे हैं। उत्पादन लागत की गणना भी बिल्कुल त्रुटिपूर्ण

है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह वर्तमान प्रणाली की जो पूर्णतयाः त्रुटिपूर्ण है जांच करें तथा हमारे छोटे एवं सीमान्त किसानों जोकि उत्पादन बढ़ाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं – को लाभप्रद मूल्य प्रदान करने हेतु कोई नई योजना प्रस्तुत करें।

इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने लाभप्रद मूल्य के बारे में उल्लेख किया था। आज जो मूल्य निर्धारित एवं घोषित किया जाता है, वह अपर्याप्त है। किसान रबड़ का मूल्य कम से कम 30 रुपये प्रति किलो निर्धारित किये जाने की मांग कर रहे हैं। तभी वे अधिक मात्रा में रबड़ का उत्पादन कर सकते हैं।

रबड़ का आयात करने के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि बार–बार रबड़ का आयात किया जाता था तथा टायर उद्योग तथा अन्य लोग भी इसके आयात की मांग करते रहे हैं। आयात हेतु अग्रिम लाईसेंस प्रदान करने की योजना भी है। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लाईसेंस जारी किये गये थे तथा काफी मात्रा में रबड़ का आयात किया जा रहा है। इससे छोटे एवं मझौले स्तर के किसानों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस संबध में विभाग द्वारा दिया गया सूत्र सही नहीं है। रबड़ की कुल उपलब्धतता पंजीकृत पौधारोपण क्षेत्रों के आधार पर आंकी जा रही है। गैर–पंजीकृत क्षेत्र भी हैं। छोटी जोत एवं छोटे किसान अपने खेतों में रबड़ उगा रहे हैं।

यह रिकार्ड में नहीं आ रहा है। वास्तव में देश में रबड़ का उत्पादन रबड़ बोर्ड अथवा किसी अन्य ऐजेन्सी द्वारा किए गये आकलन से कहीं अधिक है। वे केवल पंजीकृत पेड़ों को ही लेते हैं, जबकि अपंजीकृत रूप में भी पेड़ लगाये जाते हैं, जिन्हें आकलन करते समय शामिल किया जाना चाहिए।

वास्तव में देश में रबड़ का उत्पादन रबड़ बोर्ड अथवा किसी अन्य ऐजेन्सीयों द्वारा किए गये आकलन से कहीं अधिक है। इसलिए मेरा यह कहना है कि देश में रबड़ के आयात की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम रबड़ का निर्यात कर सकेंगे तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में हम अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम होंगे। भारत में उत्पादित रबड़ अन्य देशों में उत्पादित रबड़ के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। अन्य देशों को रबड़ के निर्यात हेतु हमारे विभाग तथा मंत्रालय को सतत् प्रयास करने होंगे।

हमें इसके लिए बाज़ार ढूंढना होगा तथा हमें अपने यहां उत्पादित रबड़ को अधिक मात्रा में अन्य देशों में बेचने का प्रयास करना होगा।

जैसा कि श्री थॉमस ने कहा जो ठीक भी है कि बाज़ार हस्तक्षेप को लेकर केरल के लोगों के मन में अत्यधिक आशंका है। 'बफर स्टॉक' योजना के सम्बन्ध में मंत्रालय की ओर से समाचार पत्रों में जो घोषणा प्रकाशित हुई है; कि इसे समाप्त कर दिया जायेगा उससे रबड़ उत्पादक काफी चिंतित हैं। जब कीमतें कम हो जाती हैं तो सरकार राज्य व्यापार निगम अथवा किसी ऐसी ऐजेंसी

बाज़ार में हस्तक्षेप करने के लिए कहती है ताकि किसानों को संरक्षण दिया जा सके। अब यह क्षण समाप्त हो जायेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। एक तरफ रबड़ बोर्ड की सहायता कर रहे हैं, हम रबड़ बोर्ड को और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं कि वह गरीब तथा छोटे रबड़ उत्पादकों की सहायता के लिए कार्य करता रहे तथा दूसरी ओर 'वफर स्टॉक' योंजना को समाप्त कर रहे हैं जिससे रबड़ उत्पादकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लिए, महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इस सदन में अपील करता हूं कि वे हमारे के रबड़ उत्पादकों को यह आश्वासन दें कि 'वफर स्टॉक' योजना को वापिस नहीं लिया जायेगा। उत्पादक पहले ही परेशान हैं। इस योजना तथा सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता को पिस ले कर और बाज़ार में हस्तक्षेप की प्रणाली को वापिस लिये जाने से किसानों की स्थिति और ख़राब हो जायेगी। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस सदन को था देश के रबड़ काश्तकारों को यह आश्वासन दें कि 'बफ़र स्टॉक' योजना जारी रहेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, जैसा कि विधेयक में कहा गया था कि इसमें केवल एक पए की वृद्धि करने जा रहे हैं तथा जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं ही ऐसा बहुत कुछ कह दिया है जो कि माननीय सदस्य कह सकते हैं तो ऐसे में हमारे लिए कहने को कुछ खास नहीं रह जाता है।

जहां तक बोर्ड के कार्यकरण का सम्बन्ध है, तो बोर्ड को और अधिक कार्यकुशल तथा प्रभावी होना चाहिए। रबड़ की उत्पादकता के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। किसी भी उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य अवश्य ही मिलना चाहिए तथा यह बात मानकर चलना चाहिए। परन्तु, अगर ऐसा किया जाता है तथा अगर उत्पादन में भी वृद्धि होती है तो यह भारत जैसे देश के लिए काफी सहायक होगा जहां कि जनसंख्या बहुत अधिक है। इसलिए रबड़ की उत्पादकता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। जब मंत्री महोदय उत्तर दें तो हम उनसे यह सुनना चाहेंगे कि रबड़ की काश्तकारी को आधुनिक बनाने तथा रबड़ का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन-कौन से विशेष प्रयास वे कर रहे हैं ताकि विश्व के अन्य देशों में उत्पादित रबड़ के समक्ष हमारी रबड़ प्रतिस्पर्धा में ठहर सके।

दूसरे, अब हमारी अन्य देशों में उत्पादित रबड़ से ही प्रतिस्पर्धा नहीं है बल्कि अन्य प्रकार की वस्तुओं जैसे कि सिन्थैटिक रबड़ तथा अन्य अनेक चीज़ों से प्रतिस्पर्धा होगी ताकि रबड़ की खेती इन्डिगो की भांति ओझल न हो जाये जो कि आधी शताब्दी पहले ओझल हो गई थी। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि विकासशील विश्व में अन्य समान तत्त्वों की अपेक्षा रबड़ को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाना चाहिए। तो जैसे कि मेरे साथियों ने कहा है, प्रश्न उत्पादकता तथा लाभकारी मूल्यों का है। उन्हें भारतीय कृषि की प्रकृति को अवश्य ही मद्देनज़र रखना चाहिए जहां कि बड़ी संख्या में सीमांत तथा छोटे किसान हैं।

रबड़ उत्पादन के लिए प्रयुक्त कुल भूमि का 87 प्रतिशत से अधिक भाग केरल राज्य में है। श्रम के मामले में भी यही स्थिति है। इस तथ्य के मद्देनज़र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य उत्पादकों की भांति रबड़ के मूल उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले। अन्यथा दलाल सारा लाभ ले जायेंगे। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सकें, इसके लिए सरकार की ओर से हस्तक्षेप ज़रूरी है।

मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूँगा कि सरकार को कच्ची रबड़ के निर्यात की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें कच्चे रबड़ के समस्त उत्पादन का उपयोग करने की स्थिति में होना चाहिए तथा तैयार माल का निर्यात्त करना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक नीति तैयार करनी चाहिए। इसके साथ–साथ रबड़ के आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अन्यथा देश में उत्पादित रबड़ के मूल्य गिर जायेंगे जिससे हमारे उद्योग को आघात लगेगा।

मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार की नई आर्थिक नीति उत्पाद शुल्क बढ़ाते जाने और आयात शुल्क कम करते जाने की है। सरकार की यह नीति हमारे राष्ट्रीय हि‌त के विरुद्ध है। ऐसा धीरे–धीरे किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे आयातित रबड़ पर आयात शुल्क बढ़ाने जा रहे हैं। सरकार को तैयार रबड़ अथवा कच्ची रबड़ पर आयात शुल्क नहीं बढ़ाना चाहिए। बेशक ये बात विधेयक का अंग नहीं बन सकती फिर भी इस सम्बन्ध में हमें सरकार के दृष्टिकोण की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इससे रबड़ उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा।

अन्ततः, मैं यह कहूँगा कि मूल उत्पादकों, निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकार तथा रबड़ बोर्ड एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इन शब्दों के साथ ही मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कुछ बातें कहने का मुझे अवसर प्रदान किया।

श्री प्रणव मुखर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद–विवाद में भाग लिया और इस विधेयक के प्रावधानों का समर्थन किया। सदस्यों ने विधेयक से संबंधित कतिपय अन्य मुद्दे भी उठाए हैं।

सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार उन उत्पादकों की सहायता करना चाहती है जो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को उस स्तर पर ले आए हैं जिसे मैं आयात के प्रतिस्थापन की सफलता का उदाहरण कह सकता हूं। 14–15 वर्ष पहले भी जब मैं वाणिज्य मंत्री था उस समय हमें हर वर्ष 50,000 से 60,000 टन प्राकृतिक रबड़ का आयात करना पड़ता था। वर्ष 1993–94 में हमें 4131 टन रबड़ का आयात करना पड़ा था क्योंकि हमारी मांग 4,51,000 टन की थी और हमारा उत्पादन 4,46,000 टन से अधिक था। कुछ रबड़ निर्यात संबंधी आयात लाइसेंस के माध्यम से भी मंगाया जा रहा है लेकिन उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं है यह केवल 14,000 से

15000 टन तक है। किसी तरह की आयात बाध्यता के कारण हमें रबड़ उत्पादों को विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए रबड़ की कुछ किस्मों का आयात करना पड़ता है।

श्री शहाबुद्दीन और श्री झा दोनों ने ही इस बात उल्लेख किया है कि रबड़ का समस्तर विस्तार करने तथा और अधिक भूमि पर रबड़ की खेती करने की इसकी उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हमने अपनी उत्पादकता 284 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेअर तक बढ़ाई है। हम अपने वैज्ञानिकों किसानों और रबड़ बोर्ड का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसी के अनुसंधान और विकास प्रयासों से हम यह स्तर प्राप्त कर सके हैं।

आज जहां तक उत्पादकता का संबंध है हमारा देश विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मुझे आशा है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पायेंगे। यहां पर संगत प्रश्न जिसका श्री झा जी ने उल्लेख किया था वह यह है कि आज हमारे उपभोग का लगभग 75 से 78 प्रतिशत तक प्राकृतिक रबड़ के क्षेत्र से आता है। इससे उत्पादकों को सहायता मिल रही है। इससे उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता मिल रही है।

जहां तक रबड़ का संबंध है, यदि इसकी लागत निषेधात्मक हो जाती है तो सिंथेटिक रबड़ इसका स्थान ले लेगा। अतः यह हमारी बाजार व्यवस्था है। हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसमें किसानों, उपभोक्ताओं और रबड़ का इस्तेमाल करने वालों के हितों पर समन्वित ढंग से ध्यान दिया जा सके।

श्री शहाबुद्दीन ने पूछा है कि हमारी गतिविधियां क्या हैं और उन गतिविधियां की जरूरत क्या है। 1980–81 तक जो उपकर वसूल किया जा रहा था वह ठीक था और हम अपने खर्च को पूरा कर पा रहे थे। वर्ष 1991 में खर्च 34 करोड़ से अधिक था लेकिन रबड़ बोर्ड की मौजूदा गतिविधियों के समर्थन के लिए उपकर से वसूली 16 करोड़ रुपए थी। अतः इस अन्तर को समाप्त करना होगा।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विकास खर्च के बारे में बात कर रहा था।

श्री प्रणव मुखर्जी : विकास खर्च के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हम वृक्षारोपण के लिए राजसहायता देते हैं। इसका कारण यह है कि पुनः वृक्षारोपण की आवश्यकता है। यह बात केवल रबड़ पर ही लागू नहीं होती है बल्कि यह लगभग सभी तरह के वृक्षारोपण पर भी लागू होती है। यह उन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है जिनमें हम आधुनिकीकरण नहीं कर पाए हैं। हम समय पर पर्याप्त पुनःरोपण नहीं कर सके हैं। उदाहरण के लिए रबड़ बागान से अधिक उपज सात से आठ वर्ष के बाद प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद तीन या चार वर्ष तक अधिकतम उपज प्राप्त की जा सकती

है। काल्पनिक रूप से आप यह कह सकते हैं कि इसका जीवन 30 वर्ष तक बढ़ जाएगा। यदि आप उन्हें फिर से नहीं रोपित करते हैं या उनकी जगह और वृक्ष नहीं लगाते हैं। तो आपको अधिकतम उपज प्राप्त नहीं हो सकती है।

दूसरी समस्या जो सामने आ रही है और जिसका हमें ध्यान रखना होगा वह यही है। जब हम इन क्षेत्रों का विस्तार कर रहे हैं, विशेष रूप से पूर्वोत्तर केरल के अलावा और गैर–परंपरागत क्षेत्रों का विस्तार कर रहे हैं हमारे पास विश्व बैंक की योजना भी है, हमने उन क्षेत्रों में बागान के लिए राज सहायता प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए तक कर दी है।

जहां तक रबड़ बोर्ड के विकास खर्च का संबंध है, वर्ष 1994–95 के लिए यह राशि 21,29,00,000 रुपए रखी गई है। इतनी अधिक राशि पर्याप्त है। जहां तक विश्व बैंक परियोजना का संबंध है, यद्यपि इसमें स्वदेशी संघटक भी शामिल हैं। हम अनुसंधान और विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में विकास कार्यों और पुनःरोपण के लिए सहायता को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हम इसका बहुत तेजी से विस्तार कर रहे हैं और हम त्रिपुरा सरकार के परामर्श से एक 6 योजना बना रहे हैं ताकि जनजातीय लोगों को इससे अधिकतम लाभ मिल सके।

अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य उत्पादकों को, किसानों को सहायता देना है और जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमारी सफलता का एक उदाहरण यह भी है।

जहां तक आयात प्रतिस्थापन का संबंध है, आजकल लोग इसमें अधिक रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन खाद्य तेल और प्राकृतिक रबड़ के मामले में हमने वास्तव में प्रगति की है।

जहां तक आयात का संबंध है, आयात को कम से कम रखना मेरे अपने ही हित में होगा। मैं यह आश्वासन देता हूं कि जब तक नितान्त रूप से आवश्यक नहीं होगा हम आयात नहीं करेंगे। निश्चय ही, रबड़ उत्पादकों का समर्थन करने की आवश्यकता के बारे में जानकारी केवल इस सभा में ही नहीं बल्कि सलाहकार समिति तथा केरल के सदस्यों के साथ परस्पर बातचीत के दौरान भी मिल रही है।

यह सच है कि इसको बाजार के हस्तक्षेप से बाहर निकालने का निर्णय लिया गया था। लेकिन निश्चित रूप से हम यह देखना चाहते हैं कि किसानों को कठिनाई नहीं हो। इसका कारण यह है कि हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उस स्थिति में वह समाप्त हो जाएंगी। हम स्थिति पर निगरानी रखना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

श्री भोगेन्द्र झा : लेकिन कैसे ? छोटे किसानों की भण्डार को लम्बे समय तक रोके रखने की क्षमता नहीं है। जब तक आप हस्तक्षेप न करें वह ऐसा कैसे कर सकते हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह सभी योजनाएं मुख्यतः छोटे किसानों के लिए हैं और जो हस्तक्षेप हो रहा है वह उन्हें बचाने के लिए है। श्री झा जी मुझे खेद है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन पुरानी परंपरागत धारणा है कि सरकार केवल हस्तक्षेप और समर्थन कर सकती है। अन्यथा हमें कठिनाई उठानी पड़ेगी, जिस कठिनाई में कि हम आज हैं।

अतः हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए और न ही पूरी नीति मानदण्ड पर इस प्रयोजन से चर्चा करनी है। यदि हमारे पास यह क्षमता होतीं तो शायद आज हम इस समस्या में नहीं फंसे होते। लेकिन वह कुल मिलाकर एक अलग बात है।

श्री भोगेन्द्र झा : आप देश के बाहर मास्टर हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : केवल आप ही बाहर का मास्टर समझते हैं क्योंकि आपने अपनी नीति हमेशा दूसरे देशों को ध्यान में रखकर तैयार की है। हमें उनकी चिन्ता नहीं है। अतः कृपया उनके बारे में बात मत कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : आपको कम से कम अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : हो सकता है विदेश में आपके कुछ मास्टर हों। हमारा विदेश में कोई मास्टर नहीं है केवल आप ही मास्टर हैं। मैं अपने मास्टर के समक्ष पेश हो रहा हूं। इस सभा के अलावा मेरा संयुक्त राज्य में कोई मास्टर नहीं है। आपका कोई हो सकता है। अतः मैं नहीं समझता हूं कि इन मुद्दों में कोई पर्याप्त सार है।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सहयोग दिया। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं है। वास्तव में 50 पैसे 37 वर्ष अर्थात् 1947 से 1984 तक चला है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि 1980–81 तक हमारी गतिविधियां इतनी व्यापक नहीं थी, हमारे पास जो कुछ भी था हमने वह कर दिया होता लेकिन अनुसंधान और विकास पर पर्याप्त निवेश, पुनःवृक्षारोपण के लिए राज सहायता, नए क्षेत्रों को कृषि के अन्तर्गत लाना, उत्पादकता बढ़ाकर चहुंमुखी विकास की आवश्यकता है, इन सभी गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : स्वदेशी रबड़ और आयातित कच्चे रबड़ के मूल्य में क्या अन्तर है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : आयातित रबड़ हमारे रबड़ की तुलना में कुछ सस्ता है। लेकिन हम इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम उत्पादकता को जितना अधिक उस सीमा तक ले जाएंगे हमारी उत्पादन लागत उतनी ही कम है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड-2 – धारा 12 में संशोधन

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति,

"दो रुपये" के स्थान पर "पचहत्तर पैसे" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 सभा के मतदान के लिये रखूंगा :

संशोधन संख्या 3 रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,

"1992" के स्थान पर "1994" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(श्री प्रणव मुखर्जी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 1, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड I, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ I, पंक्ति I

"तैंतालीसवां" के स्थान पर "चवालीसवा" प्रतिस्थापित किया जाये। (1)

(श्री प्रणव मुखर्जी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अब यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक माननीय सदस्यों ने विधेयक पर अपने विचार रखे हैं और उन्होंने सरकार को बहुत ही संगत सुझाव दिये हैं। श्री भोगेन्द्र झा ने पांच मिनट में ही सभी संगत बातें कही हैं। अतः इस विधेयक को पर्याप्त समय दिया गया है।

आपका बहुत बहुत धंन्यवाद।

अब यह सभा 3.00 बजे म.प. पर पुनः समवेत होने के लिये मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती है।

01.57 बजे म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 3.00 बजे म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

3.04 बजे म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.04 बजे म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे। श्री पी.ए. संगमा कृपया अपने विचार रखें।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत कारखानों, खानों, पौधारोपण, तेल क्षेत्रों, बन्दरगाहों, रेलवे कम्पनियों, दुकानों और कतिपय अन्य

प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को उपदान की संदायगी करने और इससे जुड़े मामलों के संबंध में एक योजना का पावधान किया गया है। उपदान की संदायगी वर्तमान समय में केवल उन कर्मचारियों तक ही सीमित है जोकि 3500 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने, सेवानिवृत्त होने अथवा त्यागपत्र देने पर उपदान राशि की संदायगी की जाती है। बशर्ते उसका पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा हो गया हो। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा वह विकलांग हो जाता है और वह रोजगार में नहीं रहता तो पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा करने की शर्त लागू नहीं होती। नान–सीज़नल प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारी प्रत्येक एक साल की सेवा अथवा इसके किसी अंश के पीछे जोकि 6 माह की अवधि से अधिक हो, 15 दिन की मजदूरी की दर से उपदान की संदायगी के हकदार हो जाते हैं। जबकि सीज़नल प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी प्रत्येक सीज़न के लिये 7 दिन की मजदूरी की दर से उपदान की संदायगी के अधिकारी हो जाते हैं। उपदान की संदायगी की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है। मजदूर संघों से भी मजदूरी की सीमा को हटाने और उपदान की अधिकतम राशि की सीमा को उचित हद तक बढ़ाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

अनेकों सुझावों और सिफारिशों पर विचार किया गया है और अब यह प्रस्ताव किया गया है कि अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किये जाने चाहिये :

(i) इस अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ के लिये मजदूरी की सीमा को हटाया जा रहा है। इससे सभी कर्मचारियों को, उनकी मजदूरी पर ध्यान न देते हुए, उपदान राशि के लिये कानूनीतौर पर हकदार बनाया जायेगा।

(ii) उपदान की अधिकतम सीमा को 50,000/– रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपया किया जा रहा है।

संक्षेप में, ये बातें इस विधेयक में किये जाने वाले महत्वपूर्ण संशोधन हैं। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत करेंगे जोकि गैर विवादास्पद प्रकृति के हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा द्वारा विचार किये जाने के लिए इस विधेयक की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विषय के लिये दो घंटे का समय निर्धारित है और मैं राजनैतिक दलों के 'विह्पस' से अनुरोध करता हूं कि सदस्यों के नाम भेज दें ताकि अध्यक्ष को व्यक्तिगत पर्चियां देकर परेशान न किया जाये।

श्री पी.ए. संगमा : महोदय, वास्तव में यह विधेयक तो इतना गैर–विवादास्पद है कि इसे तो बिना किसी चर्चा के भी पारित किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : जी नहीं महोदय, परिचर्चा अनिवार्य है।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रैच्युटी बिल, 1993 लाया गया है, यह 1972 में उनके लिए बना था जो कारखानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, रेल कम्पनियों, दुकानों आदि में काम करने वाले लोग थे। जीवन में 25–30 साल तक काम करने के बाद सरकार की ओर से कुछ मिले, इसलिए इसे बनाया गया था। उस समय मजदूरी की सीमा 2500 रूपये थी। बाद में सरकार ने इस पर विचार किया, लोगों ने भी सलाह दी कि इस रकम की सीमा को बढ़ाया जाए। फिर इसे 3500 रुपये कर दिया गया। उसके बाद कई चर्चाएं होती रहीं कि ग्रैच्युटी की पेमैंट की राशि 50 हजार रुपये बहुत कम है क्योंकि आज बहुत सी चीजों के दाम बीस गुना बढ़ गए हैं और यह रकम आज से बीस साल पहले तय की गई थी। आज की परिस्थिति में कामगार लोगों को इससे जितना लाभ मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है।

इस संबंध में 1983 में श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें उन्होंनें कहा था कि जो वेज लिमिट 3500 रुपये है, उसे खत्म कर दिया जाए और ग्रेच्युटी की रकम 50 हजार है, उसे बढ़ाया जाए।

सरकार आज एक अमैंडमैंट लेकर आई है। देर आयद दुरुस्त आयद। यह कदम सराहनीय है, लेकिन मंहगाई और आवश्यक चीजों के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए 50 हजार से एक लाख तक की सीमा नाकाफी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस राशि को और बढ़ायें।

सरकार बहुत सी योजनायें और कानून मजदूरों और कर्मचारियों के लिये बनाती है लेकिन मजदूरों और कर्मचारियों को उनका अपने जीवन काल में लाभ नहीं मिल पाता है। इससे वे समय पर उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह एक कानून लाकर उसमें ऐसा प्रावधान करे जिससे मजदूरों को उसका पूरा लाभ मिल सके। जिन लोगों के लिये सरकार कानून पास करने जा रही है उनको उचित समय पर पैसा मिलना ही चाहिये।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूँ। इसका एक सीमित पहलू है। पहला यह कि वर्तमान विनियम के अधीन केवल 2500 रुपये

तक प्रतिमाह प्राप्त करने वाले कर्मचारी ही उपदान की राशि के लिये पात्र माने गये हैं। अब इस सीमा कों इस विधेयक के माध्यम से समाप्त किया जा रहा है ताकि संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को उपदान का लाभ मिल सके। यह परिवर्तन स्वागत योग्य है। दूसरा यह कि उपदान की अधिकतम राशि जो किसी कर्मचारी को मिलती वह इससे पहले 50 हजार रुपये निर्धारित की गयी थी, उसे इस विधेयक के माध्यम से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कियां जा रहा है। वर्तमान अर्थव्यवस्था, रुपये के अवमूल्यन और बढ़ती मंहगाई को देखते हुए यह पूर्णतः उचित है। आखिरकार इसे दुगुना कर दिया गया है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ ताकि वह कर्मचारी जिसने पूरी ज़िन्दगी एक संगठन में लगा दी, उसे अपनी सेवानिवृत्ति होने पर एक लाख रुपया मिले, जबकि वह किसी पर निर्भर नहीं रह सकता। यह दो स्वागत योग्य परिवर्तन हैं।

लेकिन इस संबंध में मैं इस विधेयक की एक–दो मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना चाहूँगा। इस विधेयक में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह एक लाख रु. की राशि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय दी जाएगी। मैं ऐसे अनेक उदाहरणों के बारे में जानता हूँ जहाँ कर्मचारियों को किसी एक अथवा अन्य कारण से वर्षों तक इन्तजार करना पड़ा है। यदि किसी उच्चाधिकारी को किसी कर्मचारी के विरुद्ध द्वेष है तो वह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि यह उपदान की राशि उस तक एक अथवा दो अथवा तीन अथवा चार वर्षों तक नहीं पहुँच पाती। इस बारे में अनेक शिकायतें आई हैं। उस स्थिति में वे हमारे पास आते हैं। यदि हम नौकरशाही के पास जाते हैं तो यह राजनीतिक हस्तक्षेप माना जाता है। जब कोई अन्याय होता है तो हम सामने आते हैं। केवल इसी कारण से हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है।

मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूँगा कि वे इस पहलू पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि निश्चित समय सीमा के भीतर सेवानिवृत्ति के कम से कम तीन महीने के भीतर प्रत्येक कर्मचारी को यह न्यूनतम लाभ मिल जाना चाहिए।

हमने हाल ही में एक विधान – लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदायों पर ब्याज विधेयक पारित किया है। जब किसी अदायगी में देरी हो जाती है तो ब्याज अदा करना होता है। यद्यपि हमने वह विधेयक पारित कर दिया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि किसी को कुछ मिला है अथवा नहीं क्योंकि जब कोई व्यक्ति इसे प्राप्त करने हेतु न्यायालय चला जाता है तो पूरा मामला समाप्त हो जाएगा। और वे उसकी अदायगी नहीं करेंगें। ये सब जीवन की वास्तविकताएं हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में विधान तो है। इसलिए, मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्रीजी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात् एक सीमित अवधि के भीतर यह लाभ मिलना चाहिए और इसके बाद यदि उसकी अदायगी में देरी होती है तो उसे बैंक द्वारा अदा की जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर अदा की जानी होगी। यदि ऐसा कोई प्रावधान किया जाता है तो संगठन इस बात के प्रति अत्यंत सजग होगा कि सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को वास्तव में लाभ मिले। यदि वह नहीं

तो उसके उत्तराधिकारी अथवा उसके वंशज को लाभ मिलेगा। लेकिन उसे अदायगी में देरी हो जाने के कारण व्यर्थ की कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है यह इसका एक पक्ष है।

महोदय, आज इस देश की औद्योगिक स्थिति क्या है ? एक कहावत है कि कमज़ोर कड़ी की मज़बूती ही शृंखला की मज़बूती है। किसी संगठन में ऊपर से नीचे तक एक शृंखला बनी हुई है और यदि एक भी कड़ी कमज़ोर है तो पूरी शृंखला कमज़ोर हो जाती है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को यह महसूस करना चाहिए कि वह अपने लिए कार्य नहीं कर रहा है, न ही केवल अपने परिवार के लिए कार्य कर रहा है बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है।

महोदय, उत्पादकता क्या है ? हम कितना उत्पादन गंवा रहे हैं ? हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में काफी बात करते हैं और इन दिनों दूसरे विपक्ष में बैठे मेरे मित्र कहते हैं कि हम अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता को उन्हें समर्पित कर रहे हैं, हम अपने देश को बेच रहे हैं और हम हर चीज़ को बेच रहे है। मैं इन सब परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता। लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के कारण हमारी और भी रुकावटें हैं। हमें कुछ नीतियों में परिवर्तन करना है लेकिन परिवर्तन अनवरत प्रक्रिया है। मैं उस पर विस्तारपूर्वक नहीं बोल रहा हूं। इस देश की कार्य–संस्कृति क्या है ? यह बहुत दुःख की बात है कि छोटी–छोटी बातों के लिए भी आजकल हड़तालें हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कल कोई बोल रहा था तो कुछ माननीय सदस्यों ने बड़े गर्व के साथ कहा कि इस महीने की 11 तारीख को अर्थात् कल पूरा बैंकिंग क्षेत्र ठप्प रहेगा और देश हिल जाएगा। बैंक कर्मचारी उस वर्ग में आते हैं जिनको बहुत अच्छे वेतन दिए जाते हैं। लेकिन हम आम आदमी की परवाह नहीं करते।

महोदय, भारत के संविधान में इस बात का उपबंध है कि 14 वर्ष से उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने की अनुमति नहीं होगी। यह मामला भी श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत आ रहा है। यह वास्तव में बहुत दुःख की बात है कि इस देश में 14 वर्ष से कम उम्र के 5.5 करोड़ बच्चे खतरनाक व्यवसायों में लगे हुए हैं और उसमें से 11 करोड़ बच्चे गलियों में घूमते रहते हैं। वे बेसहारा बच्चे हैं। मैंने हाल ही में इस बारे में एक लेख पढ़ा है। वे नहीं जानते कि उनके मां–बाप कौन हैं और कि उन्हें कहां रहना है। वे खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर रहते हैं। जब हमारे देश की स्थिति इतनी दुःखदायी है तो हमारे संगठन कैसे कार्य कर रहे हैं ? हम सब जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सफेद हाथी की तरह हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : उसके लिए कौन जिम्मेवार हैं ?

श्री ए. चार्ल्स : हम सब इसके लिए जिम्मेवार हैं। मैं जिम्मेवार हूं। एक कर्त्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में मैं सच्चाई से कह रहा हूं। कृपया मुझे गलत नहीं समझिए। मैं कांग्रेस दल के सदस्य तथा एक राजनीतिज्ञ के रूप में बोल रहा हूं।

महोदय, दसवीं लोक सभा के चुनावों के बाद, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपतिजी ने अपने संदेश में एक मर्मस्पर्शी अपील की थी कि हड़तालों, बंद और सभी तरह की तालाबन्दी पर प्रतिबंध होगा। लेकिन इस अपील को कांग्रेस (ई) की ट्रेड यूनियन सहित सभी दलों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। मैं यहां राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। हमें बदलना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जहाँ हर कर्मचारी यह महसूस करे कि देश के लिए काम करना उसका कर्त्तव्य है।

महोदय, आठवीं लोक सभा में मुझे आकलन समिति का सदस्य बनने का अवसर मिला था। केवल कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण पर ही 750 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं क्योंकि कपड़ा मिलें हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र हैं। हमने अनेक कपड़ा मिलों का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में हमने एक रुग्ण मिल का दौरा किया, हमने वहाँ चर्चा की और अन्त में वहाँ अधिकारी आए। उस समय कपड़ा मिलों के कार्यकरण के बारे में मुझे बहुत कम जानकारी थी। केरल में हथकरघा क्षेत्र हैं जो कि वहाँ काफी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद वहाँ विद्युत करघा भी हैं। लेकिन मैंने एक कर्मचारी को चार करघों का निरीक्षण करते देखा है। लेकिन जब मैंने उस मिल का दौरा किया तो पाया कि एक कर्मचारी दो करघों का निरीक्षण कर रहा है। मैंने अधिकारी से पूछा कि "एक कर्मचारी को कितने करघों का निरीक्षण करना चाहिए, क्या इस संबंध में कोई दिशा निर्देश है।" वे चुप थे। फिर उन्होंने कहा कि "दो वर्ष पहले एक कर्मचारी चार करघों का निरीक्षण करता था।" लेकिन बाद में विद्रोह हुआ और यूनियन ने माँग की क्योंकि एक कर्मचारी द्वारा चार करघों का निरीक्षण करना कठिन है। कुछ समय तक हड़ताल रही। हड़ताल चलती रही। तत्पश्चात् श्रम मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया और एक समझौता करने के लिए बैठक की गयी। श्रम विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में इस बात पर सहमति हुई कि एक कर्मचारी केवल दो करघों का निरीक्षण करेगा। उन्होंने कहा "हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं।" इसलिए, कर्मचारियों की संख्या दोगुनी कर दी गयी है। कर्मचारियों को वेतन कौन देगा ? ऐसे मामलों में आधुनिकीकरण कहां तक मदद करेगा ? आधुनिकीकरण का लक्ष्य है कार्यकुशलता बढ़ाना और कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना है। मैं यह कहूँगा कि इस देश में कार्य संस्कृति का भी सृजन होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल द्वारा ट्रेड यूनियन विधेयक पारित कर दिया गया था और हमारा यह विचार था कि यह विधेयक संसद के इस सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन कल, जो सूचना हमें दी गई है, उससे यह लगता है कि इसे किसी समिति को भेज दिया गया है। अब कितना समय लगेगा, हम नहीं जानते। यदि किसी संगठन के सात कर्मचारी आपस में मिल जायें और पंजीकरण करवा लें तो वे हज़ार कर्मचारियों के किसी संगठन को बंद कर अपंग बना सकते हैं। यह दुःखदायी स्थिति है। केरल में, यह स्थिति है। अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एक दल में चार यूनियन हो सकती हैं। लगभग 15 वर्ष पहले हमारे राज्य का नारा था कि "एक उद्योग—एक

यूनियन"। तत्पश्चात् यह एक दल एक यूनियन हो गया। अब एक दल की आधा दर्जन यूनियन हैं क्योंकि यूनियन नेताओं के लिए है कि कर्मचारियों के लिए।

मैं माननीय मंत्रीजी के प्रति पूरे आदर के साथ एक घटना का उल्लेख कर रहा हूँ जो कि वे जनता के सामने बता रहे थे। मैंने उसे सुना। उन्हें एक बैठक में निमंत्रित किया था। उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसी दिन संसद में उनके प्रश्न का दिन था। लेकिन अन्ततः यूनियन के नेताओं ने उन पर ज़ोर डाला कि उन्हें उसमें अवश्य जाना चाहिए।

यह स्वर्ण जयन्ती समारोह था। उन्होंने कहा, "अगर आप नहीं आये तो उसमें स्वर्ण नहीं होगा।" संघ के नेता ने अंत में कहा, "हम एक विमान किराये में ले लेंगे। एक तरफ का 15 मिनट का रास्ता है; 15 मिनट वहां रुकने के लिए चाहिये; और 15 मिनट वापिस जाने के लिए। इस प्रकार आप 9 बजे तक यहां वापिस आ सकते हैं।" उसके बाद उन्होंने मज़ाक में कहा : "आप विमान किराये पर ले सकते हैं। लेकिन उस विमान का किराया कौन देगा ? उन्होंने कहा, "महोदय, चिन्ता मत कीजिये। हम उसका किराया देंगे।" उसके बाद मंत्री महोदय ने कहा, "आप एक चीज कर सकते हैं। मैं उद्घाटन करने के लिए आने का इच्छुक हूं लेकिन एक शर्त के साथ। उद्घाटन के तुरन्त बाद मुझे संघ का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिये और मैं मंत्रिपद् से त्याग पत्र दे दूंगा क्योंकि इस महान देश का मंत्री होने के मुकाबले संघ का अध्यक्ष होना ज्यादा बेहतर है।" यह व्यापार संघों की कार्यप्रणाली को दर्शाता है।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि इस देश में कार्य सभ्यता होनी चाहिये। (व्यवधान) कई बार सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। (व्यवधान) आखिरकार, आप एक बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आप गलत दल में हैं। (व्यवधान) सरकारी क्षेत्र के अधिकांश संस्थान घाटे में चल रहे हैं। इन संस्थानों के मामले में भी उच्च अधिकारी पांच—सितारा होटलों में ठहरा करते थे। दसवीं लोक सभा में, प्राक्कलन समिति में श्री मनोरंजन भक्त हमारे अध्यक्ष थे। पहली बैठक में मैंने कहा था कि आज के आर्थिक संकट को देखते हुए हमें कुछ मितव्ययता के उदाहरण पेश करने चाहिये। अतः, दसवीं लोक सभा को प्राक्कलन समिति ने यह निर्णय किया कि जब हम दौरे पर हों तो लोक सभा के सदस्यों को पांच—सितारा होटलों में नहीं ठहरना चाहिये। दौरे पर जाने वाले प्रत्येक सांसद को उनके उपयोग के लिए कार भी दी जाती है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आपको हड़तालों के संबंध में बोलना चाहिये।

श्री ए. चार्ल्स : इसका श्रम संबंधी मुद्दों से अधिक संबंध है। आप इसे समझ नहीं सकते क्योंकि आपका श्रम या उद्योग के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैं कहूंगा वह उसकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि वह कई वर्षों से श्रम के क्षेत्र में थे। मैं जो कहूं वह उसका खंडन कर सकते हैं। लेकिन मितव्ययता होनी चाहिये।

सरकारी संस्थानों को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिये। संसद सदस्यों को ऐसे उदाहरण देने चाहिये। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना का एक विषय लाया गया था और उस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए घरों का निर्माण करने हेतु 10,000 रुपये दिये गये थे। एक दल में लोक सभा के 15 सदस्य होंगे। हमने यह सत्यापित करने के लिए राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और केरल का दौरा किया कि इस धनराशि का समुचित रूप से खर्च किया जाये। कल्पना कीजिये कि 15 सदस्य 15 अम्बेसडर कारों में और अन्य 15 कारें अधिकारियों की एक साथ यह सत्यापित करने जा रही हों कि अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए घरों का निर्माण करने के लिए दिये गये 10,000 रुपये समुचित रूप से खर्च किए गये हैं अथवा नहीं। अतः, हमने निर्णय किया कि हम ऐसे दौरों पर मिनीबस में जायेंगे। सभी चार राज्यों में हमने मिनी बसों में यात्रा की। यह बहुत खुशी का अवसर था कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सभी सदस्य एक ही बस में सफर कर रहे थे। यह सौहार्दता का बहुत अच्छा अवसर था और हमें एक दूसरे को और अधिक जानने का अवसर मिला। हमें एक उदाहरण रखना था। (व्यवधान) मुझे यह कहना है कि श्रमिकों को एक लाख रुपये उपदान के रूप में देने के लिए सरकार के पास पैसा होना चाहिये। हम जाली नोट नहीं छाप सकते। हमें देखना है कि देश की उत्पादकता बढ़े (व्यवधान) इस बारे में हम ज्यादा चिंतित हैं। हमारे अंदर जिम्मेदारी का भावना है। (व्यवधान) नारे लगाना आसान है। आखिरकार नारे लगाने में क्या रखा है ? एक नारा लगाया जाता है कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिये जैसे कि काम के अवसर इसीलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। यह एक खोखला नारा है क्योंकि अगर काम के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल कर लेने मात्र से काम के अवसर सृजित नहीं हो जायेंगे। हम पर्याप्त रोजगार के अवसर चाहते हैं। हम कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं। हमें पैसा कमाना होगा। उद्योगों का अस्तित्व बनाये रखा जाना चाहिये।

3.30 बजे म.प.

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

निजी क्षेत्र के बारे में क्या विचार है ? यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में भी धनराशि का 75 से 80 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण के रूप में दिया जा रहा है। पुनः, आम आदमी का पैसा ही लूटा जा रहा है। मुझे निजी और सरकारी क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं लगता। अन्तर केवल यह है कि कौन लूट रहा है ? क्या निजी क्षेत्र लूट रहा है या सरकारी क्षेत्र लूट रहा है ? इसे रोका जाना चाहिये। इसमें जवाबदेही होनी चाहिये। हमें उत्पादकता में सुधार करना पड़ेगा। हमें रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे। उसके पश्चात् कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। कैरियर के अंत में कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए माननीय मंत्री ने एक उपाय यह पेश किया है। प्रत्येक का कहना

है कि केवल विधेयक पारित कर देने से ही उनमें से अधिकांश लोगों को फायदा नहीं होगा क्योंकि उनमें बहुत से मामले विलम्ब से भुगतान किये जाने से संबंधित हैं। देर से न्याय करना न्याय देने से इंकार करना है। जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है तो उसे लाभ मिलना चाहिये। अतः, मेरा *माननीय मंत्री से अनुरोध है कि जब अधीनस्थ विधान तैयार किया जाये अथवा निर्देश जारी किये जायें तो कठोर दिशानिर्देश जारी किये जाने चाहिये कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें* यह धनराशि तत्काल दी जानी चाहिये। किन्हीं भी परिस्थितियों में इसमें तीन महीने से अधिक का विलम्ब नहीं होना चाहिये। अगर कोई विलम्ब हो तो तीन महीने के पश्चात् जब इसे दिया जाये तो बैंक ब्याज के साथ दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं, इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री को ये विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं जिससे सेवानिवृत्ति पर श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने में काफी हद तक मदद मिलेगी। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, यह विधेयक श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के तहत लाया गया है। मंत्री जी ने इसके अंदर बताया है कि श्रम मंत्रियों का जो सम्मेलन 1983 में हुआ था, उसके अंदर यह निर्णय लिया गया था कि 2500 रुपए वेतन की सीमा को हटा देना चाहिए। केंन्द्र सरकार के श्रम मंत्री की सदारत में राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन होता है और इन सब के सामूहिक निर्णय को अमल में लाने में 11 साल लग गएं, यह किस चीज का द्योतक है, यह मंत्री जी बताने का कष्ट करें। मैं जानता हूं कि बीच में 10–11 महीने एक और भी सरकार रही और मुझको बहुत परेशानी होती है, जब इस बात का सवाल उठाए जाते हैं कि इतना समय क्यों लग गया तो इनको 10 महीने का समय दिखाई देता है, 10 साल का समय दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं यहां पर किसी एक सरकार के बारे में कि उसने काम नहीं किया, इस बात को छेड़ने नहीं जा रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि गरीबों और शोषितों को राहत देने के लिए जो कानून होता है, उसको अमल में लाने में इतना समय क्यों लग जाता है, जबकि विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में लाने के लिए और उनको सुविधाएं देने के लिए आप एक क्षण में फैसले ले लेते हैं। एक तो मैं यह जानना जरूरी समझता हूं कि मंत्री जी इसके बारे में हमको कुछ बताएं।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि 50000 रुपए की सीमा को बढ़ा कर 100000 रुपए कर दिया है तो इस बात की बड़ी तारीफ हो रही है, लेकिन ये 50000 रुपए की सीमा 1987 में रखी गई थी और मुद्रास्फीति के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 5 सालों में चीजों की कीमतें दुगनी हो गई हैं और इस हिसाब से अब 1994 में यानी 7 वर्ष के बाद तो कीमतें चौगुनी हो गई हैं, तो यह जो 50000 रुपए की सीमा आप बढ़ा रहे हैं तो यह कोई आप राहत नहीं दे रहे हैं। यह

तो जो आपने गरीब आदमी को रसातल में पहुंचाने का काम किया था, वहां से थोड़ा सा निकालने का काम कर रहे हैं, इससे बढ़कर कोई बड़ी राहत देने वाली बात इस कानून के जरिए आप नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए इस कानून का अभिनंदन करना या सारी दुनिया के श्रम आंदोलन की यहां पर बात करना, मैं समझता हूं कि यह एक-दूसरे का अभिनंदन करना है, एक-दूसरे को चढ़ाने वाली बात है, लेकिन जिसके लिए यह कानून बनाया गया है, उसके मुंह से इसका अभिनंदन करने वाली कोई बात निकलेगी, ऐसा मुझको नहीं लगता है।

इसके साथ दो-तीन बातें और आ जाती हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, आपने रेल स्टेशन पर ठेकेदारों के हाथ में देने का काम किया है चूंकि निजीकरण का सिलसिला बना है। जब तक कर्मचारी रेलवे में रहा तो उसको कई किस्म की सुविधाएं मिलती थीं और ग्रेच्युटी भी मिलती थी। जहां पर स्थाई नौकरी है और स्थाई उद्योग हैं तो वहां पर कानून लागू हो जाते हैं। वहां पर लोगों को कानून से कुछ राहत मिल जाती है। स्थाई उद्योग विशेषकर सरकारी क्षेत्र का स्थाई उद्योग आज आप ठेकेदारों के हाथ में देते हैं। बंबई के बान्द्रा रेलवे स्टेशन पर ठेकेदारों के हाथ में दिए हुए दो साल हो गए हैं और 83 रेलवे स्टेशन पर ठेकेदारों के हाथ में देने के लिए टेन्डर निकालने का काम किया गया है। इसके लिए उदाहरण देने की जरूरत नहीं चूंकि हम लोग रोज पढ़ रहे हैं कि जब ठेकेदारों के हाथ में काम आ जाता है तो फिर ग्रेच्युटी जैसी मिलने वाली सुविधाओं का संरक्षक कहां है ? इनकी नीतियां मुझे मंजूर नहीं हैं। उन नीतियों के चलते किसी दूसरे हाथ में काम देते हैं तो कम से कम उस कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, मंहगाई भत्ता, बोनस और ग्रेच्युटी को सुरक्षित रखने का कोई कानून होना चाहिए, मगर वह नहीं है। आप जब ग्रेच्युटी के बारे में कानून ला रहे हो तो इस पर कोई तत्काल कानून सदन के सामने आना चाहिए। जो कानून आज है उसमें कोई संशोधन इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें निजीकरण का मतलब नहीं हो सकता है कि जो कर्मचारी 1500 रुपए ले रहा था उसको 500 रुपए दोगे तो उसकी ज़िंदगी को मिटाने का काम करोगे या उसके भविष्य को अंधकार में डालने का काम करोगे, तो इस स्थिति के लिए संशोधन लाना चाहिए था।

आज आप एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हैं। यह कानून आ गया है और इससे अच्छा काम होना है। निजीकरण के मामले को लेकर नयी स्थिति देश में शुरु हो गई है। वह यह है कि निजी क्षेत्र में इसके पहले कंपनी ला के अंतर्गत बड़े लोगों की तनख्वाह क्या होनी चाहिए, इस पर सरकार का कुछ नियंत्रण रहता था। आज वह नियंत्रण आपने हटा दिया है। कुछ दिनों पहले अखबार में यह खबर छपी थी कि इनस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट से जो लड़के बाहर आते हैं तो उनको बीस हजार रुपए महीने पर लोग अपनी कंपनी में ले जाने की कोशिश करते हैं। उस तनख्वाह पर सीमा नहीं रह गई है तो बड़े लोगों को कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, कितना बोनस मिलेगा और मुनाफे में कितना हिस्सा मिलेगा ? लेकिन इन सारी चीजों पर आपका कोई कानून लागू नहीं रहेगा बोनस कानून अभी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए नहीं है। आज आपने हिंदुस्तान में यह छूट दी है कि अगर कंपनी का

मुनाफा एक करोड़ रुपए का हो गया है तो उसमें से मैनेजिंग डायरेक्टर दस प्रतिशत अपने घर ले जा सकता है। अमेरिका में यह चीज है और ग्लोबलाईजेशन में आपने यह चीज लाने का काम किया है। आपने ऐसी स्थिति बना दी है कि बड़े लोगों की तन्ख्वाह पर और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं की कोई सीमा नहीं रहेगी, घुमा–फिराकर आप आंकड़ों का खेल करेंगे। आपने एक लाख रुपए की सीमा कर दी है। बीस साल की उम्र में भर्ती होने पर 38 साल बाद 58 की उम्र में कर्मचारी रिटायर हो जाता है। मान लीजिए तीस साल बाद ग्रेच्युटी के एक लाख रुपए मिलते हैं तो एक साल में उसको 3300 रुपए मिलेंगे। आपने 3500 रुपए तन्ख्वाह की सीमा को घटाने का काम किया है तो क्या फर्क पड़ा है ?

कर्मचारी बोलेंगे कि हम सब के लिये ग्रेच्युटी लागू हो गयी है लेकिन उसकी सर्विस 30 साल की भी हो गयी हो तो प्रति साल के पीछे एक माह की ग्रेच्युटी मिलेगी और वह 3333 रुपए होगी। कारण यह है कि एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन आप तो हमें पीछे धकेल देने का काम कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में निजी लोगों को, निजी उद्योगों को सीमा से हटाकर उनको चाहे जिस रफ्तार से वे पैसा कमा सकते हैं, इस बात की छूट दे रहे हैं। इससे देश के अंदर और असंतोष पैदा होगा। यह शिकायत करना बेकार है कि हम लोग हड़ताल करवाते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मज़दूर हड़ताल करते हैं और आप नेताओं के लिये कहते हैं कि वे करवाते हैं। वे केवल नेतृत्व प्रदान करते हैं। आपकी आर्थिक नीति के कारण जो देश में असंतोष का दौर चल रहा है, उससे तो यह बुरी दिशा में ले जाने का काम करेगा। जब आप यह कानून लाये हैं तो इसमें ये सारे मुद्दे खड़े कर रहे हैं जबकि आपको इन समस्याओं के समाधान का रास्ता खोजना चाहिये था और जो विधेयक में संशोधन करने की जरूरत हो तो सदन के सामने लाना चाहिये था।

सभापति महोदया, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ इलाका जहां पर आज भी मजदूर रोजाना 10–12 रुपये की मजदूरी कर रहा है चूंकि वहां पर ठेका प्रथा है, इसलिये मजदूर के लिये कोई ग्रेच्यूटी नहीं है और न कोई और सुविधा दी गयी है। इसके पीछे भी एक कारण यह है कि वहां के मजदूरों ने अपने नेता शंकर नियोगी के नेतृत्व में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये आन्दोलन किया और अपनी तन्ख्वाहें बढ़ाने पर जोर दिया तो उसकी हत्या हो गयी जिसे सितम्बर में 3 साल हो जायेंगे। हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गये और न ही वहां के कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई राहत प्रदान की गयी। आज भी वहां के 8 हज़ार मजदूर हड़ताल करके सड़कों पर बैठे हुये हैं। इन मजदूरों को पिछले तीन साल से रोज़गार नहीं मिला है। यह मामला श्रम मंत्री के पास है और देश के प्रधानमंत्री के हाथों में है। यह मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में भी है। मैं श्रम मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ इलाके में गरीब आदिवासी लोग रहते हैं जो रोजाना 10–12 रुपये कमाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, वे भी आपकी और हमारी तरह से इन्सान हैं, यह पहचान करके उनके मसले को हल करने के लिये कार्यवाही करेंगे

तो आप धन्यवाद के पात्र हैं वरना इस कानून को लेकर आये हैं तो हम इसका धन्यवाद नहीं करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : महोदया, इस विधेयक का उद्देश्य अत्यंत सीमित है, लेकिन कर्मचारियों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जरूरी है। मेरे विचार से यह विधेयक बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। इस विधेयक को लाने में हुए विलम्ब के कारण वास्तव में हजारों कर्मचारियों को अनेक वर्षों से इस सुविधा से वंचित रखा गया है। जो भी हो, कम से कम, अब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक में दो संशोधन--प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। एक संशोधन प्रस्ताव पात्रता की सीमा को हटाया जाना है। यह एक अत्यंत अच्छा एवं स्वागत--योग्य कदम है। मजदूर संघ इस सीमा को समाप्त किये जाने के लिए अनेक वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और अब आपने इसे स्वीकार कर लिया है। यह अच्छी बात है। लेकिन किसी कर्मचारी को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की सीमा को 50000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किये जाने का प्रस्तावित संशोधन बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। अभी--अभी श्री फर्नान्डीज़ जी जो कह रहे थे, मैं भी उसे दोहराना चाहता हूं कि वर्ष 1987 में अनुग्रह राशि 50000 रुपये निर्धारित की गई थी; अब वर्ष 1994 चल रहा है तथा अब 50000 रुपये का वास्तविक मूल्य एक लाख रुपये से अधिक है। अतः मजदूर संघों की यह मांग कि या तो आप इस सीमा को हटा दें अथवा आप इसमें आगे और वृद्धि कर दें, मान ली जानी चाहिए। एक लाख रुपये की धनराशि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। यदि आप कामगारों के वर्गों को इस योजना में अधिकाधिक संख्या में शामिल करना चाहते हैं, तो आपको इस सीमा में आगे और वृद्धि करनी पड़ेगी। या तो आप इस सीमा को समाप्त कर दीजिए अथवा इसे कम से कम 2 लाख रुपये नियत कीजिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। देय अनुग्रह राशि सेवा के पूर्ण किये प्रत्येक वर्ष अथवा छह महीने से अधिक की गई सेवा के लिए अंत में ली जा रही मजदूरी की दर से 15 दिन की मजदूरी होती है, जोकि अधिकतम बीस माह की मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप हिसाब लगायें, तो आप देखेंगे कि यदि आप एक लाख रुपये की सीमा लगायेंगे तो कोई कर्मचारी अथवा कोई कामगार, जोकि अब प्रतिमाह 5000 रुपये से अधिक वेतन ले रहा है, उसके बीस माह की मजदूरी अनुग्रह राशि के रूप में नहीं मिल पायेगी। उसे यह लाभ देने से मना कर दिया जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण तथा अनेक बार वेतनमानों में संशोधन किये जाने के बाद, एक तृतीय श्रेणी का कर्मचारी एक लिपिक 5000 रुपये से अधिक प्रतिमाह वेतन ले रहा है। अतः इस विधेयक के अनुसार उसे 20 महीने का वेतन अनुग्रह राशि के रूप में नहीं मिल पायेगा।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में अनुग्रह राशि दिये जाने के लिए पात्रता की शर्त कम से कम पाँच वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित की गई है। अनुग्रह राशि के लिए पात्रता पांच वर्ष की सेवा अवधि नियत की गई है। लेकिन आपकी नीति के कारण, कारखानों एवं अन्य संस्थाओं को जब तब बंद किया जा रहा है तथा ऐसी स्थिति में यदि आप अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा अवधि पर ही अड़े रहेंगे तो, आप अन्याय करेंगे। मेरे विचार से न्यूनतम सेवा अवधि को भी कम किया जाना चाहिए।

अन्ततः, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अधिनियम सन् 1972 में पारित किया गया था; वर्तमान अधिनियम के समूचे उपबंधों की समीक्षा करने का यही उचित समय है; इसके बाद, आपको इस देश के कामकाजी वर्ग के साथ न्याय करने के वास्ते एक विस्तृत विधेयक लाना चाहिए।

एक बात पर मैं श्री चार्ल्स जी से सहमत हूं। वह यह बता रहे थे कि हम ये कानून बना रहे हैं। लेकिन, अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जहां कि नियोक्ता बनाये गये इन कानूनों की परवाह नहीं करते। वे कर्मचारियों की देय अनुग्रह राशि प्रदान नहीं करते। वे उनको देय पी.एफ. और ई.एस.आई. की धनराशि जमा नहीं कराते। देश में ऐसे अनेक नियोक्ता हैं जिन्होंने यह देय राशियाँ कर्मचारियों के ऐसे खातों में जमा नहीं कराई हैं। यह एक सामाजिक अपराध है। ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं, जहां कि नियोक्ता अपने कामगारों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अनुग्रह राशि नहीं देते। अतः, इस बारे में अवश्य कुछ किया जाना चाहिए। वर्तमान कानूनों में ऐसे सांविधिक उपबंध हैं, जिनके अंतर्गत उन्हें दण्डित किया जा सकता है, लेकिन उन्हें दण्डित नहीं किया जा रहा है। वास्तव में कामगारों को दण्डित किया जा रहा है। अतः, इस चूक को इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस अधिनियम को संशोधित किये जाने के बाद, आपको यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका समुचित पालन किया जाए तथा निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के नियोक्ता इन उपबंधों का पालन करें। यदि जरूरी हो, तो कानून में भी कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे।

इन आपत्तियों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस विधेयक में मेरे द्वारा प्रस्तुत सीमा को समाप्त करने अथवा सीमा को बढाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायेगा। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, सदन में प्रस्तुत उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1993 का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को लाकर मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो विधेयक हमारे समक्ष है, उसमें मजदूरों

को ग्रेच्युटी के लिये प्रावधान किया गया है जो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि आज हमारे कई मजदूर इस तरह के हैं कि उनकी जिन्दगी खत्म हो जाती है। वे किसी भी तरह से ग्रेच्युटी हासिल नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदया, बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जो हमारे लेबर विभाग में और प्राइवेट कम्पनियों में और हर जगह में कारखानों में जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पास पड़े होते हैं। वे ग्रेच्युटी का पैसा भी खा जाते हैं और उनको ऐसा करने से रोकने के लिए हमने कोई सख्त कदम नहीं उठाए हैं।

महोदया जहां तक मजदूरों का सवाल है, उन्होंने इस देश का निर्माण किया है। हमारे देश को बनांने वाले मज़दूरों को इस देश में आगे बढ़ने के बहुत मौके हैं, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनमें एकता नहीं है। उनकी मुख्तलिफ यूनियनें हैं जिनमें वे बंटे हुए हैं जिसके कारण वे अपनी आवाज ठीक प्रकार से नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए मजदूर पिसते हैं।

महोदया हिन्दुस्तान में जितने भी मजदूर हैं उनके भले के लिए यह विधेयक लाया गया है क्योंकि पहले जो 50 हजार रुपए की लिमिट थी उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि कई लोगों के कई प्रकार के विचार मजदूरों के बारे में हो सकते हैं। मजदूर चाहे रेल के हों, चाहे कारखानों के हों और चाहे बागवानी में काम करने वाले हों, उनकी सभी सराहना करते हैं। मजदूरों के बारे में जो काम हमारी सरकार ने किया है वह सराहनीय है। मैं समझता हूं कि जो अधिकार हमारे मजदूरों को अभी तक प्राप्त नहीं है वे इस बिल के पास होने के बाद उनको प्राप्त हो जाएंगे।

3.57 बजे म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, उनके लिए हमारे मंत्री महोदय, सख्त कदम उठाएं यह मेरा उनसे निवेदन है ताकि ग़रीब मजदूरों का शोषण बन्द हो और जो ग्रेच्युटी है वह उनको ठीक प्रकार की प्राप्त हो। हमारे देश में जो छोटे-छोटे मजदूर हैं, जो कारखाने या होटल या घरों में काम करते हैं, वे भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, हालांकि मेरे पास उनके यहां आंकड़े नहीं हैं, लेकिन वे सभी काफी संख्या में हैं, उनके साथ भी अन्याय होता है। उनके साथ हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए भी कोई कारगर कदम उठाए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, उस तरफ के लोग अक्सर यह कहते हैं कि सरकार अच्छे काम नहीं कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि जितने भी अच्छे कार्य होते हैं वह कांग्रेस पार्टी के समय में ही होते हैं। अभी उधर से कहा गया कि 11 साल में कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ यहां आलोचना ही करते हैं। जब उनकी सरकार सत्ता में आई, तब मजदूरों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया गया। जितने भी मजदूरों के मूवमेंट हुए हैं, उस सब में फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका साथ दिया है। ये जो विरोध पक्ष के लोग हैं, ये हमेशा एजीटेशन कराते हैं, बाजार बन्द करते हैं, सड़कें बन्द करते हैं, रेल रोकते हैं और हमेशा इन्होंने मजदूरों को भड़का कर उनसे हड़तालें और अन्य कई प्रकार के काम करवाए हैं, जो उनके हित में नहीं कहे जा सकते हैं। उनके ऐसे कामों से देश की करोड़ों रुपए की सम्पत्ति नष्ट हुई है। इससे देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है। इसके लिए विरोधी पक्ष वाले कांग्रसे को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर हमें देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो हम सब का फर्ज यही बनता है कि जो देश के गरीब लोग हैं, हम उनकी मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं जिससे जो हमारे गरीब मजदूर हैं उनको ग्रेच्युटी भी प्राप्त हो और अन्य सुविधाएं भी मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बड़े कारखाने वालों के खिलाफ बात करता है, तो उधर से रोक लगाने का काम होता है, जो सरासर अन्याय है। बड़े-बड़े कारखानों में भी तो मजदूर ही माल को ढोते हैं। ब्लैक मार्केट में जो माल आता है, उसको भी तो मजदूर ही ढोते हैं और बाहर से भीतर उठाकर रखते हैं। उस माल को कोई कारखानेदार नहीं ढोता है। इसलिए अगर मजदूरों में एकता है, संगठन है और उनको अपने राइट समझ में आ जाएं, तो वह उस ब्लैक के माल को पकड़वा सकते है। वे अधिकारियों को बता सकते हैं कि ब्लैक का माल यहां रखा है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हमेशा मजदूरों के साथ रही है। यह बिल तो बहुत छोटा है। इसको तो सरकार कर ही रही है और हम सब लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। एक भाई ने तो विपक्ष में रहते हुए भी इस बिल का समर्थन किया है। जितने पक्ष के लोग हैं; वे तो इसका समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष के भाईयों से मेरा निवेदन है कि वे भी इसका समर्थन करें क्योंकि यह मजदूरों की भलाई की बात है।

हमारे मंत्री जी इसको लाए हैं, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस बिल के पास हो जाने के बाद कानून पर अमल में देरी नहीं होगी। मेरा यह भी निवेदन है कि जहां-जहां कानूनों में कमियां हैं उनको दूर करने के लिए मंत्री जी आवश्यक कदम उठाएं जिससे मजदूर लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

4.00 बजे म.प.

[अनुवाद]

बहु-जातीय निर्वाचित सरकार के गठन के उपलक्ष्य में दक्षिण अफ्रीका की जनता और उनके नए निर्वाचित राष्ट्रपति नेल्सन रोहलिह्लाला मंडेला को बधाई

अध्यक्ष महोदय : जैसाकि सहमति हुई है, अब हम उन ऐतिहासिक घटनाओं पर जो दक्षिण अफ्रीका में घटित हुई हैं, अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने विचार प्रकट करें।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, आज का दिन दक्षिण अफ्रीका और सम्पूर्ण विश्व के लिए महत्त्वपूर्ण दिन है। एक नई सरकार जो पहली बार बहुजातीय चुनावों के आधार पर निर्वाचित हुई है, उसने दक्षिण अफ्रीका में आज अपना कार्यभार सम्भाला है और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीकी लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की जनता स्वतंत्रता के उदय को एक उत्सव के रूप में मान रही है, तो हम भारत के लोग उनकी इस उपलब्धि पर अपनी खुशी और प्रसन्नता संप्रेषित करते हैं क्योंकि उनकी यह उपलब्धि मानवता की उपलब्धि है।

दक्षिण अफ्रीका की जनता मानव मस्तिष्क के उस काले पहलू पर आधारित दशकों पुराने ऐसे शासन और शोषण को उखाड़ फेंकने में सफल हुई है जिसका यह विश्वास रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी चमड़ी के रंग के कारण श्रेष्ठ है और इसलिए वह अपनी इच्छा बहुसंख्यक लोगों पर थोप सकता है। यह सभी बातें अब इतिहास के पन्नों में समा गई हैं।

दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने वह चीज प्राप्त कर ली है जिसे प्राप्त करना उनका अधिकार था – एक ऐसा देश जो उसमें निवास करने वाले सभी लोगों का है और एक ऐसी सरकार जो जनता की इच्छा पर आधारित है और जिसे वे अपनी सरकार कहने का दावा कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष यह दर्शाता है कि मानव उत्साह की शक्ति, नैतिक विश्वास के मूल्य नया शासन और शोषण के विरुद्ध अटल संघर्ष की भावनाएँ परिवर्तन लाने के लिए निस्संदेह प्रबल शक्तियाँ हैं।

दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष की उपलब्धियाँ महात्मा गाँधी के प्रति श्रद्धांजलि है। राष्ट्रपिता ने आज से एक सौ एक वर्ष पहले अपने देश के स्वतन्त्रता संघर्ष और दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संघर्ष के बीच एक सामंजस्य देखा था। गाँधी जी ने कहा था और मैं उद्‌धृत करता हूँ :

> "सच बोल रहा हूँ कि जो मैं आज हूँ वह मैं दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद ही बना हूँ। दक्षिण अफ्रीका के प्रति मेरा प्यार और उनकी समस्याओं के प्रति मेरी चिंता भारत से कम नहीं है।"

इतिहास के अनुसार भारतीय मूल के लगभग दस लाख लोग परिस्थितिवश अथक स्वेच्छा से अभी वहाँ रह रहे हैं। उनमें स अधिकांश लोग पीढ़ियों से रहते आए हैं। जिन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीकी हमवतनों के साथ कठिन परिश्रम किया है और उस देश की समृद्धि के लिए योगदान दिया है। अनेक लोगों ने अल्पसंख्यक जातिवादी शासन के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष भी किया है। आज वे दक्षिण अफ्रीका के लोगों के परिवार का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गए हैं। हम उनके साथ और दक्षिण अफ्रीका में सभी जातियों के लोगों के साथ निकट सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

हम अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य हेतु रंगभेद की समाप्ति के बाद के दक्षिण अफ्रीका का स्वागत करते हैं।

दक्षिण अफ्रीका की जनता के साहसपूर्ण संघर्ष के विकास को मान्यता देते हुए हमने पहले ही उस देश में एक दूतावास, एक सांस्कृतिक केन्द्र और एक वाणिज्य दूतावास स्थापित कर दिया है और द्विपक्षीय व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए वायु–मार्ग स्थापित किया है। रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष की पहली पंक्ति में काफी वर्षों तक रहने से जो संबंध हमने स्थापित किए हैं, वे आपसी सहयोग विकसित करने में उपयोगी सिद्ध होंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम इस मामले को उठाने और रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष में अग्रसर था और हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हमने इसे अपना आन्दोलन महसूस किया था न कि दूरस्थ पड़ोसी का।

इस खुशी के अवसर पर हम अपनी बधाइयाँ और अभिनन्दन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को देना चाहते हैं जिन्हें हमने वर्ष 1979 में अन्तर्राष्ट्रीय सूझ–बूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया और वर्ष 1990 में भारत रत्न से सुशोभित किया जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राज्याध्यक्ष के रूप में उत्तरदायित्व ग्रहण किया। हम एक महान राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी भूमिका की सराहना करते हैं और दक्षिण अफ्रीका को एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने के लिए उनकी सफलता की कामना करते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आज सारे विश्व के लिये बड़े आनन्द का दिन है। विश्व के मानचित्र में स्वतंत्र, लोकतंत्रात्मक और रंग भेद से रहित दक्षिण अफ्रीका का उदय मानवता के मुक्ति का संग्राम का एक महापर्व है। उपनिवेशवाद का भग्नावशेष भी आज ध्वस्त हो गया, रंग भेद का गढ़ ढह गया। जैसाकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चमड़े के रंग के आधार पर मानव का मूल्यांकन करने वाली बर्बर व्यवस्था आज पराजित हो गई।

1662 से अफ्रीका के निवासी पराधीनता और रंग भेद के पाटों में पिसते रहे और पीढ़ियों से जूझते रहे। हज़ारों का बलिदान हुआ और लाखों ने यातनायें सहीं। उनका बलिदान रंग लाया है और उनका कष्ट सहना फलीभूत हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, दक्षिण अफ्रीका में सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन, रंग भेद की घिनौनी व्यवस्था का अपने आप हथियार डालना; यह एक चमत्कारिक घटना है। यह बदले हुए विश्व का भी परिचय देता है। दशकों पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का जो बीज बोया था, वह आज पुष्पित और पल्लवित होकर दक्षिण अफ्रीका की जनता को स्नेह और समता का संदेश दे रहा है, दक्षिण अफ्रीका की जनता बधाई की पात्र है और डॉ. मंडेला अभिनन्दन के अधिकारी हैं। उनका सारा जीवन जूझते हुए बीता। उन्होंने जवानी जेल में काटी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आततायियों से समझौता नहीं किया। पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहे। आज वह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गये हैं। हम उनका अभिनन्दन करते हैं और उन्हें शुभकामनायें देते हैं। हम खुद पराधीनता के पाप को भोग चुके हैं। हमारे देश में भी काफी भेदभाव प्रचलित है। जो उसके शिकार होते हैं, वे इसकी पीड़ा को जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र होकर समृद्धि के पथ पर बढ़े, अश्वेत–श्वेत और मिश्रित रंग के लोग, जिन में भारत से गये हुए लोग बड़ी संख्या में हैं, वे सब नये दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में जुटें, इस बात की आवश्यकता है।

जैसाकि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम पहले से स्वतंत्रता के युद्ध में उनको सहयोग देते रहे हैं, अब पुनर्निर्माण के यज्ञ में भी अपने संविधा के साधनों की संविधा का समर्पण करने के लिये तैयार होंगे। आप हमारी शुभकामनायें दक्षिण अफ्रीका की जनता और उनके नये राष्ट्रपति डॉ. मंडेला तक पहुंचा दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, जब दक्षिण अफ्रीका के लोगों का और विशेष कर उनके नेता नैल्सन मंडेला का हम अभिनन्दन कर रहे हैं तो यह बात बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी जी की याद सबसे पहले आ जाती है। चूंकि नेल्सन मंडेला ने इस बात को कहा था कि अगर पिछले कई दशकों में उनके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव किसी एक व्यक्ति के विचारों ने डाला तो महात्मा गांधी जी के विचारों ने ही डाला। हमें परेशानी हो जाती है जब मंडेला जैसा व्यक्ति 50 साल के संघर्ष अनेक सालों की जेल यातना, वह भूमिगत जीवन, कई कटु अनुभव, काफी अपमान, इन सारी चीजों से गुजरते हुए गांधी जी का नाम वे ले रहे हैं तो गांधी जी के ही देश में गांधी जी पर आक्षेप करने की भी बातें होती हैं।

मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अन्तर्मुखी होना बहुत जरूरी है, जब दक्षिण अफ्रीका का एक आजाद देश के तौर पर उदय होते हुए हम उनका अभिनन्दन कर रहे हैं। जब नेल्सन मंडेला

जेल से बाहर आये तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि जेल के भीतर जाते हुए आप जिस प्रकार के व्यक्ति थे, उस व्यक्ति में और आज जो व्यक्ति बाहर आया है, उसमें क्या अन्तर है तो उनका दो शब्दों का ही उत्तर था "मैं अब एक परिपक्व व्यक्ति हूं, मैं अब अपने जीवन में या अपनी सोच में परिपक्व हुआ हूं।" वह परिपक्वता उन्होंने इस बात में दिखाई कि जब उनका देश भी एक तरह से टूट के कगार पर आकर पहुंचा था, आजादी की लड़ाई के उनके अन्तिम 3–4 सालों में, जब एक तरफ गोरे लोग अपने लिए एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए, इसके लिए लड़ रहे थे, दूसरी ओर जुलू और अन्य लोगों को भी अनेक ताकतें प्रोत्साहित कर रही थीं, प्रेरित कर रही थीं कि वे भी वहां पर एक प्रकार का अन्दरूनी संघर्ष चलायें और अपना अलग घर बनाने का प्रयास करें, तब उनका यह जो वाक्य है कि अब मैं मैच्योर हो चुका हूं तो उस मैच्योरिटी में मुझे यह लगता है कि हिन्दुस्तान के बंटवारे के बाद का इतिहास भी उनकी आंखों के सामने रहा होगा। चूंकि जैसे गांधी जी ने अपने जीवन, अपने काम से उनको अहिंसात्मक रास्ते पर जाने के लिए प्रेरणा दी, अगर उन्हें गांधी जी के जीवन से प्रेरणा मिली तो फिर उसी मैच्योरिटी ने अपने देश को टूट से बचाने के लिए भी एक दिशा बताने का काम किया। वहां भी मुझे लगता है, मैं मेरे मन की बात कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान का पिछले 45–47 साल का जो अनुभव है, वह उनकी आंखों के सामने रहा होगा।

दक्षिण अफ्रीका के लोगों के सामने बहुत चुनौतियां हैं। उनकी गरीबी हम लोगों की गरीबी से कम नहीं है। फी आदमी आमदनी वगैरह के आंकड़ें, काले लोगों का जो जीवन स्तर है, उसको हम लोगों को बता नहीं सकते हैं। जब नेल्सन मंडेला छूटकर बाहर आये थे, उसके कुछ समय के बाद 1991 के जुलाई महीने में वहां जाने का हमको मौका मिला था। रंगीन लोगों का और विशेषकर दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं, उनके कस्बों में, उनके गांवों में जाकर उनकी हालत को देखने का मौका मिला था। उनकी झुग्गी झोंपड़ियों में और हमारी झुग्गी झोंपड़ियों में कोई फर्क हमने नहीं देखा। बिजली का, पानी का, घर का, शिक्षण का, 50 फीसदी लोग आज भी वहां पर साक्षर नहीं हैं। 50 फीसदी लोगों को आज रोजगार प्राप्त नहीं है, बड़ी चुनौतियां उनके सामने हैं। कुछ मामलों में हम लोगों के सामने जो चुनौतियां थीं, उससे भी बढ़कर चुनौतियां उनके सामने हैं।

हम यही आशा व्यक्त करते हैं कि नेल्सन मंडेला और उनके जो सहयोगी हैं, जिनमें उनके मंत्रिमंडल में आज शायद पांच लोग ऐसे हैं, जो भारतीय मूल के निवासी वहां गये थे, उनके बच्चे हैं। उन सब को हम शुभकामनाऐं देते हुए हम चाहते हैं कि जो चुनौतियां हैं, उनको वह मात करने में कामयाब हों और गांधी जी का रास्ता उन्हें हर तरह से प्रेरणादायक हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपनी शुभकामनाएं उन्हें देता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से राष्ट्रपति मंडेला को उनके दक्षिण अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति के उच्च पद पर आसीन होने पर तथा दक्षिण अफ्रीका के लोगों को हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ।

इस विश्व के महान नेता का हम स्वागत करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों का भी अभिवादन करते हैं जो आज राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के ही शब्दों में एक ऐतिहासिक संघर्ष के बाद वास्तव में स्वतंत्र हुए हैं।

हम उनकी उपलब्धि की भावना तथा सदियों के क्रूर उत्पीड़न तथा गुलामी से स्वतंत्र होने के उल्लास में सम्मिलित हैं।

गुरु देव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा अफ्रीका के नागरिकों विशेषकर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के उत्पीड़न के प्रति आक्रोश तथा विरोध प्रकट किया।

रंगभेद की नीति ऐसी सर्वाधिक विनाशकारी तथा अमानवीय पीड़ादायक प्रणाली थी जिसका उपयोग एक उपनिवेशवादी तथा घृणित जातीय शासन ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों के दमन के लिए किया। परन्तु कोई भी उत्पीड़न तथा कष्ट दक्षिण अफ्रीका के हमारे बहिन भाइयों में स्वतंत्रता की लालसा और स्वतंत्र होने की भावना को मार नहीं सका। इसके लिए बड़े बड़े बलिदान दिए गये तथा कई महापुरुषों को अपनी जानें गंवानी पड़ीं। होनी मोलोइस जैसे कम्युनिस्ट नेताओं तथा दक्षिण अफ्रीका के अन्य नेताओं ने जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया उन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मानवता समाप्त हो गई थी, परन्तु दक्षिण अफ्रीका के संघर्षशील तथा बहादुर लोगों ने बुराई तथा जातीय भेदभाव पर आधारित ताकतों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया तथा सशस्त्र और अहिंसात्मक दोनों तरह का संघर्ष जारी रखा और आज एक नई सुबह हुई है जिसमें मानवता की उत्पीड़क तथा साम्राज्यवादी ताकतों पर विजय हुई है।

हमें भारत में इस बात का विशेष हर्ष है क्योंकि भारत तथा भारतवासी सदैव दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ रहे तथा उत्पीड़न और रंगभेद के विरुद्ध उनके संघर्ष में अपनी क्षमतानुसार पूरा योगदान दिया।

हम इस बात को भुला नहीं सकते कि हमारे राष्ट्रपिता द्वारा दिए गये प्रतीकात्मक योगदान के परिणामस्वरूप हमारे आपस में भ्रातृभाव के विशेष सम्बन्ध विकसित हुए हैं। उन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आरम्भ किया था तथा उनके नेतृत्व तथा योगदान को राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कई बार स्वीकार किया है।

महोदय, कलकत्ता में उस समय जो राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का स्वागत और अभिवादन किया गया, मैं उसे भुला नहीं सकता तथा उन्होंने खुले तौर पर यह स्वीकार किया था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वे अपने ही देश में हों।

मुझे कल उस समय बड़ा हर्ष हुआ जब दूरदर्शन ने कलकत्ता में उनके स्वागत के कुछ अंश दिखाये। अपने बीच में उनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त होने पर अत्यधिक हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहे हैं।

आज, इस सभा में, हम जो 90 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक नये दक्षिण अफ्रीका के उद्‌भव पर हर्ष का अनुभव करते हैं तथा इसका हार्दिक स्वागत करते हैं।

महोदय, हम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला तथा दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अपनी शुभकामनायें भेंट करते हैं। उन्होंने 27½ वर्ष जेल में काटे। परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जब वे यह उत्पीड़न झेल कर बाहर आये तो उनके मन में उनका उत्पीड़न करने वाले लोगों के विरुद्ध कोई कटुता अथवा घृणा की भावना नहीं थी। अगर हम उनके मंत्रिमंडल की संरचना को देखें तो उससे पता चलता है कि वे दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न वर्गों का हार्दिक समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के उत्थान के लिए उनके साथ मिल कर संघर्ष किया। हम भारत में, विशेषतौर पर इसलिए की प्रसन्न हैं क्योंकि एक बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग आज दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं तथा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका तथा इसके लोगों के विकास तथा समृद्धि के लिए योगदान दिया है, योगदान दे रहे हैं तथा मुझे पूरा विश्वास है कि योगदान देते रहेंगे।

हमें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि भारतीय मूल की एक महिला दक्षिण अफ्रीका का प्रथम विधिवत् रुप से निर्वाचित संसद की अध्यक्ष चुनी गई हैं। यह बात हमारे आपसी मित्रता, भ्रातृभाव, प्रेम तथा आदर के विशेष बंधनों की द्योतक है।

मैं राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला द्वारा दक्षिण अफ्रीका के लोगों को अपनी शुभकामनायें भेंट करता हूँ। उनके समक्ष एक वृहत् कार्य है। उन्हें रंगभेद की राख पर देश का निर्माण करना है। उन्हें अब स्वतंत्रता का फल प्राप्त करना है। ऐसा करना आसान नहीं है। परन्तु मुझे विश्वास है कि भारत के लोग एक हो कर इस अवसर पर जैसे भी संभव हो, दक्षिण अफ्रीका की सहायता के लिए सामने आयेंगे तथा यह सभा दक्षिण अफ्रीका की सरकार तथा लोगों को सहर्ष समर्थन देने का प्रण करेगी जो कि मुझे पूरा यकीन है कि एक महान व्यक्ति, राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में समृद्धि तथा महान उपलब्धियों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे।

मैं उन्हें अपनी शुभकामनायें देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, दक्षिण अफ्रीका के लिए, समस्त विश्व के लिए और कुछ मायने में अपने देश और अपनी परम्परा के लिये एक बहुत ही शुभ मुहूर्त की घड़ी में हम यहां बैठे हैं। हमें विश्वास है कि राष्ट्रपति बनने के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के लिये, समस्त अफ्रीका के लिये और विभिन्न नस्लों में, विभिन्न रंगों में बंटी हुई मानवता के लिये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत का प्रतीक बन कर के उभर रहे हैं और आगे भी उभरेंगे।

महोदय, दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी में खूबी है जिसने हीरे को भी पैदा किया है, वहां हीरे का भंडार है और उसने आदमी को भी हीरा बनाने का काम किया है। हमने एक अभिवक्ता के रूप में श्री मोहन दास करमचंद गांधी को अफ्रीका भेजा था और अफ्रीका की मिट्टी ने उनको महात्मा गांधी बना कर हमें वापस किया। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष में हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व का और मानवता के लिये शांति, अहिंसा और स्वतंत्रता के एक अग्रदूत के रूप में वह रहे और हमारे लिये दक्षिण अफ्रीका के साथ विशेष संबंध के सूत्र के रूप में वह ऐतिहासिक परम्परा महात्मा जी की शहादत के बाद भी समस्त भारत के लोगों ने और सरकार ने भी उस परम्परा को कायम रखा।

अध्यक्ष जी, अब जिस घड़ी में हम लोग हैं अफ्रीका से हमारा एक और विशेष संबंध इस आंदोलन से रहा, श्री नेल्सन मंडेला के कुछ अगले क्रांतिकारी साथियों में डॉ. युसूफ दादु, जो अफ्रीकन कांग्रेस के एक अद्वितीय नेता थे, अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी के महान नेता थे आज वह हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनका त्याग और सफल नेतृत्व एक भारतीय मूल के होने के नाते, अफ्रीका के कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता रूप में और समस्त दक्षिण अफ्रीकी जनता के नेता के रूप में वे रहे थे। पिछले साल डॉ. मणि की शहादत में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में अफ्रीका के जन–गण को आगे बढ़ाने में और भी एक प्रेरणा का काम किया। आज भी नेल्सन मंडेला और उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका भारत का एक अभिन्न मित्र के रूप में है और आगे भी हमारी मैत्री बढ़ती जाएगी।

जिस भावना का इजहार हमारे मित्रों ने किया है, प्रधान मंत्री जी ने किया है, मैं समझता हूं कि भौतिक, नैतिक, राजनीतिक, सभी मायनों में हमारे संबंध दृढ़तर होते जाएंगे और दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग करने से हमारा पिछड़ापन कोई बाधा खड़ी नहीं करेगा और यथासंभव हम सहयोग करेंगे। जिस तरह का दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संघर्ष में वहां पर भारतीय मूल के लोगों का सहयोगात्मक रुख महात्मा गांधी के समय रहा, हमें विश्वास है कि अनेकता में एकता की उसी प्राचीनतम भारतीय परंपरा के अनुसार नए दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में वे योगदान करेंगे। इसका एक खास उदाहरण वहां पर संसद के अध्यक्ष के रूप में एक भारतीय मूल की महिला को चुनना है। हमें विश्वास है कि

भारतीय मूल के लोग देशभक्ति की भावना से काम करेंगे और दक्षिण अफ्रीका की जनता से हमेशा हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण रहेंगे।

इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं अपनी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, अपनी ओर से और आप सब की ओर से खुशी का इजहार करता हूं और 90 करोड़ भारतवासी समस्त दक्षिण अफ्रीका के जनगण के आगे विकास में योगदान देंगे तथा वर्तमान विश्व में नव–उपनिषदवाद के खतरे के खिलाफ ज्यादा सजग, सचेत और मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, इस काम में हम सफल होंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसार) : महोदय, रंगभेद की नीति से युक्त दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रसंघ में स्वागत करते हुए प्रधान मंत्री तथा अन्य बड़े नेताओं के साथ मैं अपना हर्ष और उल्लास अभिव्यक्त करते हुए सम्मिलित हूं।

महोदय, यह एक महान अन्तर्राष्ट्रीय घटना है जो कि उपनिवेशवाद, रंगभेद पर आधारित युद्ध तथा रंगभेद पर आधारित घृणा के अन्त की द्योतक है तथा इससे मौलिक मानवाधिकारों तथा मूल्यों पर आधारित एक नये युग का सूत्रपात होता है। हमें विश्वास है कि डॉ. मंडेला के नेतृत्व में नई सरकार दक्षिण अफ्रीका के लाखों मेहनतकश लोगों के हित में दक्षिण अफ्रीका के पुनर्निर्माण तथा नस्लवाद से युक्त और एकजुट दक्षिण अफ्रीका के तथा एकता स्थायित्व के लिए सभी संभव प्रयास और कार्य करेगी।

हमें इस बात का भी विश्वास और यकीन है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग अपनी पसंद की स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप, बिना किसी बाहरी ताकत के हस्तक्षेप के जो कि अपनी नव–उपनिवेशवाद की आर्थिक नीति, लूट तथा शोषण को वहां जारी रखना चाहती थीं, अपनी समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे।

मुझे इस बात का विश्वास और यकीन है कि भारत तथा दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र आज मानव जाति के लिए एक बेहतर दुनिया के निर्माण हेतु मिल जुल कर अपने प्रयास करेंगे।

महोदय, इस अवसर पर हम दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ अपनी एकजुटता और भाईचारा व्यक्त करते हैं तथा मैं आशा करता हूं कि अच्छे मूल्यों से परिपूर्ण ऐसे विश्व के निर्माण के उद्देश्य की प्राप्ति की ओर हम एक साथ अग्रसर होंगे जिसमें समृद्धि के बेहतर तथा बेहतर संभावनायें होंगी।

श्री ए. अशोकराज (पैरम्बलूर) : महोदय, देश को गोरों के शासन से लोकतंत्र के बदलने की अद्वितीय प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बहुजातीय संसद द्वारा आज डॉ. नेल्सन रोहलिहलाला मण्डेला को दक्षिण का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया।

एक महान संघर्ष और बलिदान के पश्चात् उपलब्धि मिली है। वे 27 वर्ष की लम्बी अवधि तक जेल में रहे। आज, उन्हें राष्ट्रपति चुना गया है तथा इसके बाद आज दक्षिण अफ्रीका एक नये युग में प्रवेश कर रहा है। एक लम्बे संघर्ष के बाद रंगभेद का अंत हुआ है तथा इससे उपनिवेशवाद का भी अंत हुआ है। यह सब बिना किसी खून ख़राबे के प्राप्त हुआ है। वे महात्मा गांधी जी के आदर्शों के प्रति आकर्षित हुए तथा अहिंसा का पालन करते हुए उन्होंने इस संघर्ष का नेतृत्व किया। भारत तथा इसकी परम्पराओं के प्रति सम्मान को डॉ. फ्रेनी गिनवाला को दक्षिण की बहुजातीय संसद का अध्यक्ष चुन कर साकार किया गया है।

महोदय, मैं अपनी ओर से तथा अपने दल ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से डॉ. नेल्सन मंडेला का अभिवादन करता हूं तथा उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं तथा हम उनके देश की समृद्धि की कामना करते हैं।

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (एलुरू) : अध्यक्ष महोदय, दक्षिण अफ्रीका के लिए वास्तविक लोकतंत्र की प्राप्ति करने पर डॉ. नेल्सन मंडेला को बधाई देने में मैं प्रधान मंत्री महोदय तथा अन्य दलों के नेताओं के साथ हूं। हम विशेष तौर पर इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी के पद्चिन्हों का अनुकरण किया तथा हमने भी दक्षिण अफ्रीका के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमंडल तथा गुट निरपेक्ष आन्दोलन में संघर्ष किया ताकि बिना किसी व्यापार प्रतिबंध अथवा ऐसे किसी कदम के दक्षिण अफ्रीका में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित हो सके। हमने हर कदम पर उन्हें पूरा समर्थन दिया तथा आज दक्षिण अफ्रीका में वास्तविक लोकतंत्र स्थागित होने पर उन्हें पूरा समर्थन दिया तथा आज दक्षिण अफ्रीका में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित होने पर उन्हें तथा डॉ. नेल्सन मंडेला को विशेषतौर पर उनकी सफलता पर बधाई देते हुए सर्वाधिक प्रसन्न हैं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मानव जाति के इतिहास में आज का दिन सबसे महत्त्वपूर्ण दिन है। मैं यह अनुभव करता हूं कि आज उपनिवेशवाद, जातीय फासिस्टवाद तथा प्रत्येक अन्य बुराई पर न्याय और सत्य की जीत हुई है। आज हमें केवल डॉ. नेल्सन मंडेला को ही नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गये उनके प्रयासों की सफलता पर बधाई देनी है। आज श्री नेल्सन मंडेला उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद की सभी ताकतों को परास्त करके दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के राष्ट्रपति चुने गये हैं।

महोदय, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आज एक महान दिवस है तथा इसलिए प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करेगा कि अफ्रीका के लोगों ने सदियों तक संघर्ष किया है तथा डॉ. नेल्सन मंडेला ने दशकों तक कष्ट झेला है आज उन्हें सफलता मिली है। हम आज विश्व के इस महानतम् तथा सर्वोच्च व्यक्तित्व को अपनी शुभकामनायें भेंट करते हैं तथा आने वाले वर्षों में उनके लिए सफलता की कामना करते हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष जी, आज विश्व के साधारण लोगों का एक शुभ दिन और खुशी का दिन है चूंकि आज दक्षिण अफ्रीका में कई वर्षों बाद रंगभेद समाप्त हुआ है। 1990 में नेल्सन मंडेला हिंदुस्तान में आए थे और उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। उस दिन उपाधि लेते समय हिंदुस्तान के लिए और महात्मा गांधी के लिए उनके जो विचार थे, वह मैं तीन–चार वाक्यों में पेश करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"वर्ष 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष के लिए एकमात्र सर्वोच्च प्रेरणास्रोत रहा है। अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिरोध दक्षिण अफ्रीका के लोगों की आत्मा में रच बस गया है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, आज नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने हैं। वे दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और 27 साल जेल में रहे। तो उनके मुखारबिन्द से जिस तरह से हिन्दुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए और उनके अहिंसात्मक सत्याग्रह आंदोलन की प्रशंसा में शब्द निकले, उसी अस्त्र का इस्तेमाल उन्होंने अपने देश में करके वहां रंगभेद को समाप्त किया।

हमें दुनिया के एक और महान नेता को भी याद रखना चाहिए, वे मार्टिन लूथर किंग हैं। वे हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने भी महात्मा गांधी के इस अस्त्र का इस्तेमाल करके अमरीका में रंगभेद को समाप्त करने में सफलता पाई थी। वे भी इसी अस्त्र के साथ साथ आगे चलकर पराधीन देशों के लिए और उपनिवेशवाद के खिलाफ भी लड़े थे। इसी अस्त्र के प्रयोग से हमारे दोस्त राष्ट्र अफ्रीका और अमरीका में रंगभेद से आजादी दिलाई। श्री मंडेला ने भी गांधीजी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरणा ली और अपने देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के गरीब और दलित लोगों के लिए वे लड़े। इसी अस्त्र का प्रयोग हमें भी करके इसका सम्मान रखने हेतु अपने को कर्मठ बनाना चाहिए।

आज इस शुभ अवसर पर अफ्रीका के नेता और राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और दक्षिण अफ्रीका की जनता को हम बधाई देते हैं। इस अवसर पर हमारे उप–राष्ट्रपति हमारे प्रतिनिधि मंडल का

प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं, वे भी हिन्दुस्तान की जनता की तरफ से वहां की जनता को स्नेह और श्रद्धा देंगे।

4.38 बजे म.प.

[अनुवाद]

बहुजातीय निर्वाचित सरकार के गठन पर दक्षिण अफ्रीका के लोगों तथा उनके नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नेल्सन रोहलिहलाला मण्डेला को बधाई देने संबंधी संकल्प

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव दिया गया है कि इस अवसर पर इस सभा को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। मैं यह संकल्प अनुमोदन के लिए माननीय सदस्यों के समक्ष रखता हूं :

— यह सभा नोट करती है कि आज 10 मई, 1994 का दिन दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, भारत की जनता और पूरे विश्व के लिए विशेष रूप से शुभ दिन है।

— इस तथ्य का स्वागत करती है कि पहली बार बहुजातीय चुनावों के आधार पर निर्वाचित नई सरकार ने पदभार ग्रहण कर लिया है।

— इस बात की खुशी का इज़हार करती है कि डॉ. नेल्सन रोहलिहलाला मण्डेला को दक्षिण अफ्रीका का प्रथम लोकतंत्रीय राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है।

— स्मरण करती है कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए अपना स्नेह और उसकी समस्याओं के लिए अपनी चिन्ता व्यक्त की थी।

— यह स्वीकार करती है कि भारतीय मूल के लगभग दस लाख लोगों ने, जो अब दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं, अपने दक्षिण अफ्रीकी भाइयों और बहनों के साथ रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष किया है तथा उस देश की समृद्धि के लिए कठोर परिश्रम किया है।

— यह भी स्वीकार करती है कि रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष करने में भारत हमेशा अग्रणी रहा है और संयुक्त राष्ट्र में जातिवाद के इस मसले को उठाने वाला वह पहला राष्ट्र था। उपनिवेशीय आधिपत्य तथा श्वेत अल्पसंख्यक शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के लोगों को निरन्तर नैतिक और भौतिक समर्थन देता रहा है।

भारत की जनता की ओर से यह घोषणा करती है कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर उल्लास, प्रसन्नता और गर्व के साथ तथा समूचे विश्व के लिए उनकी स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाने में भारत के लोग दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ शरीक होते हैं।

(ख) कि दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई ने यह दिखा दिया है कि सकरात्मक परिवर्तन के लिये मानव भावना और नैतिक विश्वास ऐसी शक्तियां हैं जिनको दबाया नहीं जा सकता है।

(ग) भारत दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में आज राष्ट्रपति नेल्सन रोहलिहलाला मंडेला द्वारा उत्तरदायित्व संभालने पर उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता है। हम शांति, लोकतंत्र और समृद्धि पूर्ण भविष्य बनाने में उनकी सफलता की कामना करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों को बधाई देते हैं।"

हम समझते हैं कि यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

यह संकल्प तथा माननीय प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता तथा विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा दिये गए भाषणों का ब्यौरा समुचित रूप से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति डॉ. रोहलिहलाला नेल्सन मंडेला को और उनके माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के लोगों को हम सभी तथा भारत के लोगों की ओर से बधाई, शुभकामनायें और प्रसन्नता व्यक्त करने के लिये भेजा जायेगा।

4.41 बजे म.प.

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक — जारी

राज्य सभा द्वारा यथापारित

अध्यक्ष महोदय : अब हम नई मद पर चर्चा करेंगे। श्री धनंजय कुमार बोलेंगे।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मैं उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम में संशोधन करने संबंधी विधेयक के उपबंधों का समर्थन करता हूं।

मुझे खुशी है कि इस माननीय सभा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के हमारे भाइयों के कल्याण के लिए शुभकामनाओं संबंधी संकल्प सर्वसम्मति से पारित करने के तत्काल बाद मुझे इस विधेयक का समर्थन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जो मेहनतकश लोगों के कल्याण के लिए इस सभा के समक्ष लाया गया है।

4.42 बजे म.प.

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

मज़दूरों की यह लंबे समय से चली आ रही मांग है। 1983 में भारत सरकार के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में श्रम मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उपदान की पात्रता की सीमा में संशोधन किया जाए, लेकिन साथ ही उपदान प्राप्त करने की कुल राशि की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये ही रखी गई है। यद्यपि इस सीमा में कुछ संशोधन किया गया है लेकिन यह अपर्याप्त है। कीमतों में वर्तमान वृद्धि, श्रमिक वर्ग का निम्न जीवन स्तर होने से इस राशि में कम से कम 5 लाख रुपये की वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होती। मेरा तो यह सुझाव है कि किसी मज़दूर द्वारा 20 वर्ष या 30 वर्ष या किन्ही मामलों में 30 वर्ष से अधिक कार्य करने के बाद उपदान संदाय की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

ऐसे भुगतान के लिए कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। इतने लंबे समय तक नौकरी करने के बाद हम उन्हें अन्य कोई सेवानिवृत्ति लाभ नहीं देते हैं और केवल उन्हें उपदान ही देते हैं। निःसन्देह भविष्य निधि का भुगतान किया ही जाता है लेकिन भविष्य निधि में कर्मचारियों की भी भागीदारी होती है और नियोजकों की इसमें आंशिक भागीदारी ही होती है। इसलिए वास्तव में उपदान ही एक ऐसा भुगतान है जो श्रमिक को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में दिया जा सकता है। यद्यपि उपदान की पात्रता का दायरा बढ़ा दिया गया है और ऊपरी सीमा में भी संशोधन कर दिया गया है फिर भी अधिनियम में अन्तर्निहित कतिपय बाध्यताएँ अभी भी हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी कारण से किसी कर्मचारी को कतिपय कारणों से बर्खास्त किया गया हो तो उसे उपदान के लाभ से वंचित किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि अनेक मामलों में बहुत से बेदर्द नियोजक ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे कर्मचारी को देय उपदान राशि से वंचित कर दिया जाता है। अतः मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस विषय पर विचार करें ताकि कर्मचारी को सभी मामलों में उपदान राशि मिल सके। और हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे यह राशि प्राप्त हो।

अधिनियम के उपबंध में यह कहा गया है कि उपदान की राशि सेवानिवृत्ति पर, मृत्यु होने पर अथवा अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने तथा इस्तीफा देने के मामले में भी कुछ निश्चित अवधि अर्थात् कम से कम पांच वर्षों तक नौकरी करने के बाद देय हो जाती है। इस प्रकार यह किसी श्रमिक और कर्मचारी का सुनिश्चित अधिकार है और इससे उसे किसी भी मामले में वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

नियोजकों द्वारा उपदान निधि स्थापित करने का भी प्रावधान है। वे इस उपदान निधि में अपने लाभ का कुछ अंश डाल सकते हैं और जो धन इसमें डाला जाता है उस पर पूर्णतः आय कर की छूट होती है। साथ ही उपदान निधि में जो राशि डाली जाती है उस पर ब्याज भी मिलता है। लेकिन जब कर्मचारी को सेवान्त लाभ के रुपये उपदान दिया जाता है तो उसे ब्याज नहीं दिया जाता है।

इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जिस दिन से कर्मचारी उपदान प्राप्त करने का हकदार हो जाता है उस दिन से उसे उपदान ब्याज सहित मिलना चाहिए। नियोजक उपदान निधि में जो राशि जमा करता है उस राशि पर ब्याज भी अवश्य मिलना चाहिए और ब्याज की यह राशि कर्मचारी को मिलनी चाहिए क्योंकि वही वास्तविक लाभार्थी हैं।

इसका एक दूसरा पहलू है कि नियोजक द्वारा उपदान निधि में जमा की गई राशि पर आय कर में छूट मिलती है लेकिन जिस कर्मचारी को यह राशि दी जाती है उसे इस राशि पर आय कर देना पड़ता है। उसे उपदान की राशि पर कर देना होगा। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से यह अनुरोध है कि इस पहलू पर भी विचार करें और कर्मचारी को जो राशि उपदान के रूप में दी जाती है या दी जाने वाली है उस पर आय कर की पूरी छूटी होनी चाहिए।

जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि यह किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला सेवान्त लाभ है। साथ ही हमें न केवल किसी कर्मचारी अथवा किसी श्रमिक के कल्याण के बारे में ही सोचना चाहिए बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। यद्यपि नियोजक के लिए ऐसे कोई भी बाध्यकारी कानून नहीं है कि वह चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक सुविधाएं, मातृत्व लाभ जैसे अन्य लाभ किसी श्रमिक या कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अवश्य प्रदान करें फिर भी सरकार को उपदान प्राप्त करने के पात्र कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को ऐसी सुविधाएं प्रदान कराने के लिए उपयुक्त प्रावधान करना चाहिए ताकि उस श्रमिक या कर्मचारी को, जिसने न केवल एक उद्योग या मिल विशेष में निस्वार्थ सेवा की है बल्कि अपने राष्ट्र की भी सेवा की है, कुछ और सुविधाएं दी जा सकें।

जो कर्मचारी सीजनल मिलों में कार्य करते हैं उन्हें उपदान के अधिकार से वंचित करने का भी खतरा है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को इस उपबंध की जानकारी है। कुछ नियोजक इस छूट संबंधी खंड के अंतर्गत आने का प्रयास कर सकते हैं और वे अपनी मिलों को वर्ष में एक–दो माह के लिए सामयिक मिल घोषित करवाने का प्रयास कर सकते हैं ताकि उनकी मिलें इस अवधि में काम न करें और उत्पादन कार्य बंद रहे और इस प्रकार वे अपने कारखानों अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सामयिक कारखाने घोषित करवाकर उपदान के भुगतान से छूट प्राप्त कर लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय इस अधिनियम के उपबंधों पर बड़ी उत्सुकतापूर्वक गौर कर रहे हैं तथा वह यह कहने में मुझ से सहमत होंगे कि इस विशिष्ट उपबंध को भी संशोधित किया जाना चाहिये ताकि उपदान–संदाय का लाभ उन कर्मचारियों को भी प्रदान किया जा सके जोकि किसी प्रतिष्ठान में एक सीमित अवधि के लिए कार्य कर रहे हैं। उपदान संदाय अधिनियम में यह उल्लिखित है। अब यह अधिनियम मात्र कुछेक उद्योगों जैसे कि कारखानों, तेल क्षेत्रों आदि–आदि पर ही लागू होता है, ताकि कम से कम जिन कर्मचारियों को इस प्रकार का सेवानिवृत्ति–लाभ पाने का सौभाग्य प्राप्त है, वे ऐसा लाभ प्राप्त करने से वंचित न रह जायें।

इन कुछेक सुझावों के साथ, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि अब से आगे किसी अधिनियम में ऐसा संशोधन–प्रस्ताव जोकि कामकाजी वर्ग हेतु कल्याणकारी उपाय के इरादे से प्रस्तुत किया गया हो — पेश करने से पूर्व एक गहन अध्ययन किया जा सकता है तथा समूचे अधिनियम के लिए समुचित एवं अनुकूल संशोधन करने का प्रस्ताव किया जा सकता है ताकि कामकाजी वर्ग की सहायता के लिए अधिनियम के उपबंधों को वास्तव में मजबूत किया जा सके। आज, जिन भी संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है, वह सभी वास्तव में ज्यों के त्यों ही समर्थित किये जाने योग्य हैं। उपदान संदाय अधिनियम में संशोधन करने वाला यह विधेयक पेश करने के लिए मंत्री महोदय द्वारा की गई पहल के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं इस विधेयक में निहित उपबंधों का समर्थन करता हूँ।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदया, इस विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए, मैं आपकी अत्यंत आभारी हूं।

मैं उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1993 का समर्थन करती हूँ। इस ढंग से यह विधेयक लाने के लिए मुझे श्रम मंत्रालय एवं विभाग को अवश्य ही बधाई देनी चाहिए। हम जानते है कि हमारे श्रम मंत्री महोदय अत्यंत कुशल एवं प्रभावकारी हैं। वह कर्मचारी–वर्ग के लिए कुछ करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि यह प्रशंसा करने योग्य बात है तथा इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ।

इस विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में जो यह उल्लिखित है कि अधिनियम की धारा 2(3) (4) में यह उपबंध है कि "किसी कर्मचारी को देय उपदाय की राशि 50000 रु. से अधिक न हो।" — यह सही है। यह राशि सन् 1987 में निर्धारित की गई थी। विभिन्न मजदूर संघों से उपदान की अधिकतम राशि की सीमा को समाप्त करने अथवा इसे बढ़ाने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं। मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि इस विधेयक को लाया जाये और इस अधिनियम के उपबंधों को विभिन्न प्रतिष्ठानों आदि में मजदूरी पर नियुक्त तथा इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर इस अधिनियम की धारा 2(ड़) के अंतर्गत लगाई गई सीमा को समाप्त करके लागू किया गया है। उपदान संदाय की सीमा 50000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है। लेकिन मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूँ कि इस विधेयक में किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उपदान का भुगतान कब किया जायेगा, इसके लिए किसी समय–सीमा और समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यद्यपि सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं, लेकिन उनको व्यावहारिक रूप से लागू करने में हम कुछ त्रुटियाँ पाते हैं। कामकाजी वर्ग को उचित समय पर उनकी उपदान राशि नहीं मिल रही है। मंत्री महोदय ने यह एक बहुत अच्छा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। लेकिन, इसके साथ ही मंत्री महोदय को सभा को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि कामकाजी–वर्ग को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी; कामकाजी–वर्ग के साथ कोई ऐसा वायदा किया

जाना चाहिए कि उन्हें उनका उपदान संदाय समुचित समय पर मिलेगा, इसकी समय सीमा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन अथवा छह महीने की हो सकती है। उपदान संदाय की अदायगी के लिए कोई समय–सीमा अवश्य नियत होनी चाहिए। मुझे अनेक ऐसे मामलों की जानकारी है, जोकि काफी लम्बे समय से हमारे देश में स्थित पटसन एवं कपड़ा उद्योग में लम्बित पड़े हुए थे।

महोदया, आप भी इस बात से सहमत होंगी कि हमारे राज्य में पटसन एवं कपड़ा मिलों के मालिक ई.एस.आई. के लाभों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। वे कामकाजी वर्ग को भविष्य निधि का भुगतान नहीं कर रहे हैं तथा न ही उन्हें उपदान ही अदा कर रहें हैं। यहाँ तक कि उन्हें उनका वेतन भी नहीं मिल रहा है। आप भी इस बात को स्वीकार करेंगी कि विक्टोरिया जूट मिल्स के मालिक, श्री बरैली, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति था। वह राज्य सरकार द्वारा दिये गये संरक्षण से कलकत्ता आया था। यहाँ तक कि उसने पुलिस कर्मियों तथा कामगारों की भी पिटाई की है। उसने कामकाजी वर्ग को अभी तक उनका वेतन, उपदान, ई.एस.आई. तथा भविष्य निधि लाभों का भुगतान नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप कामकाजी–वर्ग उत्तेजित हो गया। एक कामगार भी लापता है; आज तक, हमें यह विदित नहीं है कि श्री बिकरी पासवान के साथ क्या घटना घटी है। निस्संदेह, किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट बंदी–प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है तथा अब यह मामला न्यायाधीन है। लेकिन इसी मिल में तीन अथवा चार कामगार भुखमरी के-कारण मर गये हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तथा मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इससे मिलता–जुलता ही एक मामला कनोरिया मिल में है, यह हावड़ा में एक और मिल है, जोकि बर्द्धमान–उलूबेरिया में है। कामकाजी–वर्ग क्या चाहता है ? वे रुपये–पैसे की मांग नहीं कर रहे हैं। वे यह कह रहे हैं कि इस मिल को राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले ले अथवा उन्हें इस मिल को सहायता प्रदान करनी चाहिए। वे इधर–उधर भटक रहे हैं तथा उनकी भूख–हड़ताल जारी है। मुझे विदित नहीं है कि कामगारों अब कैसी हालत है। मुझे यह पता नहीं है कि उनका भविष्य क्या होगा। यदि कामकाजी–वर्ग काम की उपेक्षा कर रहा है, तो मुझे इसकी निंदा करनी ही चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। वहाँ आज कामकाजी–वर्ग सबसे अधिक पीड़ित है। कामकाजी–वर्ग को उनका वेतन, भविष्य निधि तथा अन्य लाभ नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वे आन्दोलन कर रहे हैं। पुलिस किसी कामगार को जान से मार देती है अथवा किसी पर गोलियाँ चला देती है; कुछ लोग लापता हैं। कामकाजी–वर्ग भूख–हड़ताल पर हैं।

मंत्री महोदय से मैं यह अनुरोध करती हूँ कि वह यह देखा करें कि भविष्य निधि, ई.एस.आई. . उपदान संदाय राशि का भुगतान न करने वाले मिल मालिक कौन–कौन से हैं तथा उन मिल मालिकों को सरकार अथवा बैंकिंग संस्थाओं अथवा प्रशासन द्वारा कोई लाभ अथवा कोई सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। मंत्री महोदय से यह मेरा निवेदन है।

5.00 बजे म.प.

पश्चिम–बंगाल में भविष्य निधि का भुगतान न करने वाली सबसे बड़ी इकाई स्वयं पश्चिम–बंगाल सरकार है। हमारी राज्य सरकार ने कुछ मिल मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उनके साथ क्या घटित हुआ ? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और तत्पश्चात् वे नर्सिंग होम में चले गये। यद्यपि न्यायाधीश ने यह अधिनिर्णय दिया था कि उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। जेल भेजने की बजाय, क्योंकि वे धनी लोग एवं बड़े उद्योगपति थे, राज्य–सरकार ने उन्हें नर्सिंग होम में भेज दिया। अब उन्हें वहाँ सभी प्रकार की अति विशिष्ट व्यक्तियों वाली सुविधाएँ मिल रही हैं। उन लोगों को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है ? उन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। यदि आप उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। समुचित व्यवहार करने से मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि उन्हें पीटा जाना चाहिए। लेकिन इन व्यक्तियों को काले कारनामे करने वाले व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इन लोगों को कामगारों को वेतन अवश्य ही देना चाहिए। अन्यथा, सरकार को इन व्यक्तियों की परिसंपत्तियों को जब्त करके बेच देना चाहिये और इस राशि को कामकाजी–वर्ग में बांट देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसी वज़ह से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन्हें इन बातों पर गम्भीरता–पूर्वक गौर करना चाहिए।

यहाँ तक कि निजी क्षेत्र उद्योग वाले भविष्य निधि एवं उपदान का भुगतान नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र के बारे में क्या स्थिति है ? राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार दोनों ही के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि एवं उपदान राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट है। मुझे केन्द्रीय सरकार को बधाई देनी ही चाहिए। मैंने इस बात पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के साथ बातचीत की है। उनका कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें भविष्य निधि, उपदान एवं अन्य पेंशन संबंधी लाभ मिल जाते हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में ही 1.5 लाख से अधिक अध्यापक पेंशन न मिलने की वजह से मर गये हैं। ऐसी बात हो रही है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूँ कि वह इस सभा को यह आश्वासन दें कि कामगारों एवं कर्मचारियों को उनकी पेंशन, भविष्य निधि, उपदान तथा ई.एस.आई. के लाभों की अदायगी एक समुचित समय पर मिल जाए ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद भुखमरी के कारण मौत के शिकार न हों।

यह विधेयक पेश करने के लिए मुझे मंत्री महोदय को बधाई देनी ही चाहिए। इसके साथ ही, मैं एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ। तथापि यह मुद्दा इस विधेयक से संबंधित नहीं है, लेकिन यह मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करती हूं कि वह यथासम्भव शीघ्र पांचवा वेतन आयोग बैठाने की घोषणा करें क्योंकि मुद्रा–स्फीति की वजह से मूल्य–वृद्धि इतनी अधिक हो रही है कि कामकाजी–वर्ग पीड़ित हैं। इसी वजह से, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वह यह कार्य यथासम्भव शीघ्र करें।

पत्रकारों हेतु वेज–बोर्ड गठित करने के बारे में, क्या हुआ, मुझे विदित नहीं है। यह मामला लम्बे समय से लम्बित है। आप इस बात से सहमत होंगे कि आजकल हमारा मीडिया अत्यन्त सशक्त है। बिना प्रचार एवं बिना मीडिया के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वास्तविक समाचार निचले–स्तर तक नहीं पहुँच सकते। इसी कारण मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करती हूँ कि पत्रकारों हेतु वेज–बोर्ड गठित करें।

मैं जानती हूं कि कुछ लोग इसके विरुद्ध हैं। लेकिन हमें उन पत्रकारों के हित को देखना है कि जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अतः, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे वेतन बोर्ड का गठन करें और जितना जल्दी हो सके वेतन बोर्ड की घोषणा करें। पत्रकार इन वेतन बोर्डों के माध्यम से अपनी सुविधायें प्राप्त कर सकें, इसके लिए कुछ दिशा–निर्देशों का होना अत्यंत आवश्यक है।

मैं पत्रकारों के लिए पेंशन योजना के सम्बन्ध में एक और मुद्दा उठाना चाहती हूं। आप जानते हैं कि हमें सांसदों के रूप में पेंशन मिलती है, विधायकों को पेंशन मिल रही है और सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है। लेकिन मैं बहुत से पत्रकारों को जानती हूं जो सेवानिवृत्ति के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं और समाचार एकत्र करने के लिए जाते हैं लेकिन उनके लिए पेंशन योजना नहीं है। मैंने सुना था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी व्यवस्था कर दी है। मुझे अन्य सरकारों की कोई जानकारी नहीं है। मैंने यह सुना था कि दो–तीन अन्य राज्य सरकारों ने भी पत्रकारों के लिए पेंशन योजना के बारे में निर्णय किया है। लेकिन हमारे देश में कुछ मानदंड, कुछ दिशा निर्देश अवश्य होने चाहिये। जो पत्रकार वास्तव में इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार को एक व्यापक विधेयक तैयार करना चाहिये ताकि पत्रकारों को भी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिल सके। मैं कुछ पत्रकारों को जानती हूं। सेवानिवृत्ति के बाद वे इधर–उधर भटक रहे हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति और उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। सेवानिवृत्ति के बाद उनको सड़कों पर भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिये। इसीलिए मैंने यह अनुरोध किया। हमें इस बात पर विचार करना है कि सभी एक ही समूह तथा एक ही देश से संबंध रखते हैं। अतः, जब सरकार कर्मचारियों के लिए उपदान योजना, भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना तथा अन्य योजनाओं पर विचार कर रही है, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि जो पत्रकार इसके योग्य हैं, उन्हें पेंशन दी जाये।

मेरा माननीय मंत्री, श्री संगमा जी से यही अनुरोध है। उन्होंने कहा है कि पांच वर्ष के सेवाकाल के पश्चात् वे उपदान योजना के योग्य होंगे। मेरे विचार से पांच वर्ष के बजाय अगर यह अवधि दो वर्ष होती तो ज्यादा बेहतर होता क्योंकि आजकल कुछ फैक्टिरियों में और विशेष रूप से पटसन उद्योग, कपड़ा उद्योग तथा अन्य छोटे उद्योगों के मिल मालिक दो या तीन वर्ष के पश्चात् मिलों को बन्द कर देते हैं। वे अन्य मिलें खरीद लेते हैं; सरकारी संस्थान से ऋण लेकर वे नया व्यवसाय शुरू कर देते हैं। मैं जानती हूं कि मंत्री महोदय बहुत नमनशील हैं और विशेष रूप से श्रमिक वर्ग के लिए, अतः अगर वह पांच वर्ष के बजाय इसे दो वर्ष करने पर विचार करें तो यह बेहतर होगा।

मैं यह विधेयक लाने के लिए मंत्री महोदय को बधाई देती हूं। मैं मंत्री महोदय से यह भी बताने का अनुरोध करती हूं कि वे राज्य कौन से हैं, जो भविष्य निधि और उपदान के चूककर्त्ता हैं; वे कौन से राज्य हैं, जिन्होंने अपने श्रमिकों को उपदान दिया है तथा वे कौन से राज्य हैं, जिन्होंने यह व्यवस्था नहीं की है। अगर उन्होंने यह उपदान नहीं दिया है तो सरकार को उस राज्य सरकार के साथ यह मामला उठाना चाहिये ताकि श्रमिकों को जितना जल्दी हो सके अपनी भविष्य निधि, उपदान कर्मचारी बीमा योजना तथा अन्य फायदे मिल सकें।

महोदया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद; इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदया, ग्रैच्युटी विधेयक 1993 जो सदन में संशोधन के लिए लाया गया है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक बहुत सीमित है लेकिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें मजदूर वर्ग का हित निहित है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो सीमा थी, उसे खत्म किया गया है और जितने भी संगठनों में काम करने वाले लोग हैं, सबको इससे लाभ मिलने वाला है। इसमें 50 हजार उपदान की जगह जो एक लाख किया गया है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें साथ–साथ यह भी निर्धारित होना चाहिए था कि यदि मजदूर सेवानिवृत्त हो जाता है, चाहे 30 वर्षों में हो या 38 वर्षों में, तो उसको ग्रैच्युटी मिलने के समय की सीमा होनी चाहिए। यह देखा गया है कि उन्हें ग्रैच्युटी लेने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि इसकी समय सीमा होनी चाहिए कि सेवानिवृत्त होने के तीन महीने तक उसे उसका भुगतान हो जाएगा। यदि उसे ग्रैच्युटी का भुगतान मिलने में देर होती है तो उसे ब्याज मिलना चाहिए, तभी यह सफल हो सकता है।

आज जो निजीकरण का सिलसिला चल रहा है, दिल्ली और दिल्ली के बाहर जितने भी उद्योग हैं, उनमें काम करने वाले लोगों को ग्रैच्युटी देना तो दूर, मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रही है। बहुत से राज्यों में जो लोग यहां पर काम करने के लिए आए हुए हैं, उनको 500–700 रुपये वेतन में ही रखा जाता है। ऐसे मजदूर भी हैं जिन्हें 3–4 वर्ष बाद ही काम से निकाल दिया जाता है। उनको इस कानून से क्या लाभ होगा।

कारखानों में काम करते हुए, अगर किसी की मौत हो जाती है तो कोई हर्जाना नहीं मिलता है। आपका कानून देखने में बहुत अच्छा है लेकिन प्राइवेट उद्योगों पर यह लागू नहीं होगा। आप वहां मजदूरों को उचित मजदूरी दिला नहीं पाये हैं तो ग्रैच्युटी कहां से दे पायेंगे ? आपके नाक के सामने ये सब चीजे हो रही हैं। ठेकेदार अपने मालिक से मजदूरी के एक हजार रुपये लेता है लेकिन देता केवल 600 रुपये ही है। वह 400 रुपये अपनी जेब में रख लेता है। दिल्ली और गाजियाबाद

में यह सिलसिला बहुत दिनों से चालू है। मजदूरों को ग्रैच्युटी का फायदा कैसे मिलेगा और इसको कौन देखेगा?

जो मजदूर रेल कारखानों और दूसरे भिन्न–भिन्न कारखानों में काम कर रहे हैं, उनको तो ग्रैच्युटी का फायदा मिलेगा लेकिन खेतिहर मजदूरों को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। आज देश में बहुत बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर हैं। वे बुढ़ापे में काम करने लायक नहीं होते हैं लेकिन फिर भी खेतों में काम करते रहते हैं। सरकारी कर्मचारी 58 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं लेकिन रिटायर हुए मजदूरों के लिये आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। वे बिना दवा, कपड़े के मर जाते हैं। उन्हें दो जून का खाना भी नहीं मिलता है। लाखों–करोड़ों खेतिहर मजदूर जो कि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, उनके लिये आपने कोई कानून नहीं बनाया है। उनको इस कानून से क्या फायदा मिलेगा ? खेतों में काम करने वाले मजदूरों को बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं मिल पाता है। बड़े लोगों के जो पालतू कुत्ते हैं, वे उनसे अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह हम सब के लिये शर्म की बात है। वैसे तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले सैशन में आप खेतिहर मजदूरों के लिये एक बिल अवश्य लाये जिससे बुढ़ापे में उन्हें कोई सहारा मिल सके। इससे उनकी जिन्दगी ठीक से कटेगी।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा पेश बिल पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। जार्ज साहब ने कहा कि 1984 में इस पर विचार किया था और 1989 में कानून बनाने की बात कही। जब आपने इस पर विचार किया तब धनराशि एक लाख रुपये तय की थी। सम्माननीय मंत्री महोदय, अगर गम्भीरतापूर्वक इस बिल को लाना चाह रहे थे तो कृपा करके इस बात को देखना चाहिये था कि 6–7 साल के बाद जो बिल आया है, उसमें रखी गई धनराशि क्या उस अनुपात में सही है ? अगर इस बात को आप देख लेते तो इतनी आलोचना का शिकार न होना पड़ता। आप कामगार मंत्री जरूर हैं और मजदूरों की भी आपको चिन्ता है। 8 महीने पहले एक सभा में भाषण देते हुए आपने कहा था कि ग्रैच्युटी और पैंशन की राशि लालफीताशाही के कारण समय पर मिल नहीं पाती है। मैं कानून बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा जिससे मजदूरों को रिटायरमैंट के वक्त ही पूरी की पूरी धनराशि मिल जाये।

मजदूर रिटायर हो जाते हैं, मगर पैंशन पाने के चक्कर में वृद्धावस्था में इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर काटने के बावजूद, खून–पसीने की गाढ़ी कमाई जो उसने बचत करके बचायी होती है, वह समय पर प्राप्त नहीं हो पाती।

माननीय मंत्री महोदया, बिल लाते समय इसमें कोई न कोई ऐसी धारा, ऐसा क्लाज जोड़ना चाहिए था, जिसके आधार पर मजदूर को जिस दिन वह रिटायर हो रहा है, उसी दिन उसकी टेबिल पर उसकी धनराशि हाथोंहाथ मुहैया हो जाती।

यह जो धनराशि है, यह एक करोड़ 70 लाख कर्मचारियों की भविष्यनिधि का पैसा हिन्दुस्तान में है। 17 करोड़ 621 रुपये इस धनराशि में जमा हैं लेकिन आपका आज भी यह आंकड़ा है कि 100 करोड़ रुपया अनुपयोगी है यानि कोई व्यक्ति जिसने धनराशि लेने का काम नहीं किया, ऐसी धनराशि आपके पास, आपके खजाने में मौजूद है। यह इसी बात का प्रतीक है कि समय पर उसको धनराशि मुहैया नहीं हुई। वह नौकरी छोड़कर चला जाता है, बाद में वह धक्के खाता है। मिल के दरवाजे पर जाने के बाद उसको कोई पूछता तक नहीं, उसको घुसने तक नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में वह धक्के खाकर निराश हो जाता है और वह धनराशि आपके पास बढ़ती हुई चली जाती है। माननीय मंत्री महोदय, 1980–84 के आंकड़े मेरे पास हैं, जिसमें कुल 1400 करोड़ की धनराशि इकट्ठी की और वितरित किया एक करोड़ 44 लाख रुपये मात्र तो यह चौंकाने वाली बात है इसलिए समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर उस गरीब को उसकी धनराशि प्राप्त नहीं होती।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूर तो तब बनेगा, ग्रैच्युटी तो तब मिलेगी न, जब आपकी ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगी। आज हिन्दुस्तान भर में बड़े से बड़े कारखाने में भी ठेकेदारी प्रथा चालू हो गई है और उसके कारण मजदूर को न ग्रैच्युटी मिलती है, न किसी प्रकार की सहायता राशि मिलती है। अगर वह मर भी जाता है तो ठेकेदार जाने, ठेकेदार का काम जाने, उसकी कारखानेदार को रंचमात्र भी चिन्ता नहीं होती। यहां दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान के मजदूर काम करते हैं। कुछ दिन पहले 100–125 मजदूर मेरे पास मेरे घर पर आये और वह कहने लगे कि हमको अचानक नौकरी से निकाल दिया। न हमारी भविष्य निधि का पता है, न कोई धनराशि हमको मुहैया की है, 5–5 साल से हम कारखाने के अन्दर काम कर रहे थे लेकिन हमको मजदूरी नहीं मिल रही। मैंने तुरन्त मिल मालिकों को फोन किया तो मुझे बताया गया कि 5 साल काम करने के बावजूद हमने इनको नौकरी पर ही नहीं रखा। यह तो ठेकेदार के मजदूर थे, ठेकेदार को हमने हटा दिया। उसके साथ–साथ सारे आदमियों को भी हमने अलग कर दिया। ऐसी स्थिति में आप कानून लाते हैं तो कृपा करके ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ कोई ठोस कानून लायें तब तो इन कारखानों के अन्दर मजदूर के हित की कोई बात हो सकती है। वरना मजदूर तो मजदूर ही रहेगा, वह पिसता चला जायेगा। आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपा करके हिन्दुस्तान के अन्दर पिछले पांच साल के अन्दर जो नई ठेकेदारी प्रथा प्रारम्भ हुई है, इस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आप कोई ठोस कानून जरूर लायें, वरना तो आपकी जो समाजवादी समाज की रचना की कल्पना है, वह समाजवादी समाज की रचना का स्वप्न चूर–चूर हो चुका है। आपने कुछ साल पहले संविधान में संशोधन करके संविधान में सार्वभौम समाजवादी गणतंत्र शब्द स्थापित किया था। आज समाजवाद का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार बताये तो सही कि आपका समाजवाद कहां है। आपका समाजवाद तो सिसक–सिसक कर मर रहा है। आज ठेकेदारी के आधार पर शोषण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि आप एक बार कृपा करके कानून को अगर लाते हैं तो ठोस कानून बनाकर लायें।

मेरा निवेदन करना है कि सरकारी कारखानों के अन्दर मजदूर का रुपया पड़ा हुआ है लेकिन उसको मिलता नहीं है। सरकारी कारखाने आज आपकी नीति के कारण समाप्त प्रायः हैं। सार्वजनिक उपक्रम तो करीब-करीब समाप्त हो रहे हैं। आप दिन प्रतिदिन उनके शेयर्स बेचते चले जा रहे हैं। उसके अलावा भी आपकी नीति के आधार पर बी.आई.एफ.आर. में सैंकड़ों केस आज पड़े हुए हैं, उनका निपटान नहीं होता। बी.आई.एफ.आर. के तहत जब वह केस चले जाते हैं तो कारखाना बन्द पड़ा रहता है। कारखाने जब बन्द पड़े रहते हैं तो मजदूर को कोई पैसा नहीं मिलता। वर्षों से राजस्थान के अन्दर साहू की एक सीमेंट फैक्टरी आज बन्द पड़ी हुई है। 8000 में से मरते-मरते, भागते-भागते आज 2000 व्यक्ति इन्तजार की घड़ियां गिन रहे हैं कि किसी न किसी तरह यह फैक्टरी चलेगी लेकिन वह चल नहीं पाती। इसलिए मेरा निवेदन है कि बी.आई.एफ.आर. के जितने भी मामले हैं, उनको लम्बा मत करिये। वहां पर आपका स्टाफ नहीं है, स्टाफ न होने के कारण वह मामले प्रिलोंग करते चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में मजदूर की दयनीय स्थिति होती चली जाती है।

कुछ साल पहले लखेरी में सीमेंट फैक्ट्री में श्रम कल्याण केन्द्र की स्थापना की थी, लेकिन वह केन्द्र कहां हैं। मजदूरों का किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं होता है। राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं, जहां पर कोटा स्टोन निकलता है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर कोटा जिले में रामगंज मंडी क्षेत्र में भयंकर क्षय रोग व्याप्त है। इस बारे में मैंने आपको एक पत्र भी लिखा था और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी चिट्ठी का उत्तर दिया है और कहा है कि आप इस मामले को दिखायेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, जहां पर भी इस प्रकार के कारखाने हैं, खनिज के कारखानें हैं, वहां मजदूरों की संख्या के आधार पर टी.बी. के उपचार के लिए और निदान के लिए अस्पताल स्थापित करें, उससे मजदूरों का हित हो सकता है।

आपने जो बिल संदन में प्रस्तुत किया है, उसकी भावना अच्छी है, लेकिन यदि आपने पूरा बिल प्रस्तुत किया होता, तो हम इसका हार्दिक स्वागत करते। आपकी मंशा अच्छी होते हुए भी आपने पूरी मेहनत नहीं की और आप इधर-उधर के कामों में उलझे रहे। आप कृपया मजदूरों के हितों की कल्पना करते हुए कार्य करें, तो निश्चित रूप से मजदूरों का कल्याण हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण राज्य) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रैच्युटी बिल पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

मुम्बई शहर में 1982 से टैक्सटाइल मिलें बन्द हुई हैं। बन्द होने के बाद आपने कुछ मिलें टेकओवर की हैं और कुछ मिलें अभी-अभी बन्द है। जहां तक इन मिलों के मजदूरों को ग्रैच्युटी का सवाल है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि उनको आपको ग्रैच्युटी देनी चाहिए, जो अभी तक आप नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां के 1654 मजदूर कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और आपकी मिनिस्ट्री के थ्रू वायदा किया गया

था कि 28 फरवरी से पहले आप उनको भुगतान दे देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के नोट में यह बात लाने की विनती करता हूं।

सभापति महोदया, दो सैक्टर हैं, एक अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर और दूसरा आर्गेनाइज्ड सैक्टर। टैक्सटाइल में भी आर्गेनाइज्ड मिल्स हैं और अनआर्गेनाइज्ड मिल्स हैं। मैं आपकी अनुमति से इस बारे में मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

जून, 1985 के कपड़ा नीति सम्बन्धी वक्तव्य ने विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युत कर्घाओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था। राज्य प्राधिकरणों को भी नई नीति के अन्तर्गत कपड़ा (नियंत्रण) आदेश, 1986 के खंड 9, भाग तीन में उपबंध है कि विद्युतकर्घाओं का पंजीकरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। विभिन्न राज्य पंजीकरण प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट से प्राप्त अद्यतन स्थिति के अनुसार विद्युतकर्घाओं की संख्या 12 लाख से ऊपर थी।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से एक और विनती करना चाहता हूं, बारह लाख के ऊपर अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें 12 घन्टे काम करना पड़ रहा है और वेतन आर्गेनाइज्ड सैक्टर से आधा मिलता है। वहां पर लेबर लाज नहीं हैं। जब वहां पर लेबर लाज नहीं हैं, तो ग्रैच्युटी मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको आपने रजिस्टर करने के लिए मजबूर किया है। मेरी विनती है, वहां आप लेबर लाज इम्पलीमेंट कराइए, जिससे मजदूरों को फायदा हो सके। साथ ही साथ आप कम्पटीशन रखिए। दोनों सैक्टरों से जो कपड़ा निकलता है, उसमें दो रुपए से ढाई रुपए मजदूरों का ज्यादा मार्केट रहता है। अगर आप लेबर लाज इम्लीमेंट करेंगे, तो उससे मजदूरों को फायदा हो सकता है।

आर्गनाइज़ मिल्स के लिये भी फायदा हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक वर्कर्स रिहेबिलिटेशन फंड है जो आपने 1985 में इंट्रोड्यूस किया था लेकिन उसका जो यूनिट है।

[अनुवाद]

जो 6 जून, 1985 के पश्चात् बन्द हो गई थी।

[हिन्दी]

तो 1982 के बाद हमारे मुंबई शहर में बहुत सी मिलें बंद हुई। जब कोइ मिल बंद होती है

तो उसमें मिल मजदूर का दोष रहता है तो आपने यह क्राइटेरिया क्यों रखा है ? 1982 के बाद बहुत सी मिलें बंद हुई इस कारण से बहुत से मिल मजदूर बाहर हैं जिनको इसका मुनाफा नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब भी कभी कोई मिल बंद हो तो उसका मुनाफा इन्हें मिलना चाहिये।

[अनुवाद]

पहले वर्ष में वेतन का 75 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 50 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में 25 प्रतिशत होना चाहिये।

[हिन्दी]

वह उन्हें मिल सकता है। इसलिये मैं आपसे विनती करता हूं कि इसको आप ध्यान में रखिये, जिसकी वजह से उनकी ग्रैच्युटी का भी फायदा मिल सकता है।

सभापति महोदया, हमारे अभी सुल्तानपुरी जी, चार्ल्स जी और ममता जी ने भी कहा, उन्होंने गवर्नमेंट की बहुत सराहना की लेकिन मजदूरों के बारे में बहुत कम कहा। आज आप वीआरएस, जो टैक्सटाइल मिलें है इस हिन्दुस्तान में 120 मिलें हैं तो उनको आप मरम्मत करने के लिये सिर्फ एक करोड़ रुपया देते हैं और वीआरएस के लिये तीन सौ करोड़ देते हैं। अगर उनको रॉ–मेटीरियल नहीं दिया जाएगा तो मिल कैसे चलेगी और मजदूरों को ग्रैच्युटी कैसे मिलेगी। आप मजदूरों को बाहर निकाल रहे हैं, अभी भी आपने एक डिसीजन लिया है जिसके लिये मैंने सदन में दो दिन पहले यह मामला उठाया था क्योंकि मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूं, यहां पर हमारे टैक्सटाइल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि एक भी मिल बंद नहीं होगी और उन्होंने मेरे पास अभी रिपोर्ट दी है उसमें लिखा हुआ है कि मुंबई शहर की 6 मिलों को मर्जर के नाम पर बंद करने जा रहे है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मधुसूदन मिल की 18.05 एकड़ जगह है यह पूरी की पूरी मिल ये बेच रहे हैं। कोहिनूर मिल की 14.33 एकड़ जगह बेच रहे हैं। सीताराम मिल की 14.48 एकड़ जगह बेच रहे हैं। जाम मिल की 8.05 एकड़ जगह बेच रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी गवर्नमेंट ने जो जमीन एन.टी.सी. बनाए थे तो उसको प्रोटेक्ट करना आपका फर्ज था। अभी यहां पर सुल्तानपुरी जी ने कहा कि आपको हमारे मिल मजदूरों के लिये बहुत हमदर्दी है तो आपकी हमदर्दी कहां गई ? गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह पॉलिसी चेंज हुई या नहीं हुई और मैं यह विनती करता हूं कि आप मिल बंद मत कीजिये।

महोदया, मैं आपको इस सरकार की नीति बतलाना चाहता हूं कि यह सरकार ऐसी है कि मिल मजदूरों को एन.टी.सी. का पैसा देने के लिये राजी नहीं है। इन्होंने 750 करोड़ रुपया मार्डनाइजेशन

के लिये रखा था लेकिन इन्होंने 877 करोड़ में से 765 करोड़ रुपया प्राइवेट सैक्टर के लिये दिया, गरीब मिल मजदूरों के लिये नहीं दिया जिससे उसको कोई रॉ–मेटीरियल नहीं मिल सकता है। वे कपास भी नहीं ला सकते। वे कहते हैं कि कपास लाएंगे तो ही हम मिल चला सकते हैं इस कारण से इन्हें ग्रेच्युटी भी नहीं मिल रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं मिनिस्टर से विनती करता हूं कि इस पर आप सीरियसली विचार करिये कि वह इस मामले को सुलझायें।

[अनुवाद]

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या (इलूरू) : सभापति महोदया, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में फैक्टरियों, खानों, तेल क्षेत्रों, पौधारोपण, बंदरगाहों, रेलवे, कंपनियों, दुकानों तथा अन्य संस्थानों में लगे हुए कर्मचारियों के लिए उपदान के भुगतान की एक योजना है। मूल रूप से 2,500 रुपये प्रति माह देने का विचार किया गया था। लेकिन बाद में 25 नवम्बर, 1992 को 1 दिसम्बर, 1992 से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। वेतन में भी अधिक राशि देने का अनुमोदन किया गया था। अब हम आय पर लगी सीमा को हटाना चाहते हैं और उन्हे अच्छे वेतन भी देना चाहते हैं।

पहली बार उपदान के लिए अधिकतम सीमा 50,000 रुपये निर्धारित की गई थी। अब हम इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर रहे हैं। सीमा को हटाने और पुनः कुल राशि की सीमा 1 लाख रुपये करना उचित नहीं है। कितने दिनों तक कार्य किया है, यह सेवाकाल पर निर्भर करता है। जो कर्मचारी काफी लंबे अरसे तक कार्य करते हैं, उन्हें अपेक्षाकृत उच्च दर पर उपदान का भुगतान किया जाना आवश्यक है। इस उपदान का उद्देश्य यह है कि इतना अधिक परिश्रम करके के बाद और इतने वर्षों की सेवा के बाद जब वे सेवानिवृत्त होते हैं, तो उन्हें कुछ सहारा मिलना चाहिये और इसी उद्देश्य के लिए उपदान निर्धारित किया गया है। इसकी तुलना सेवाकाल से होती है। रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए 1 लाख रुपये की सीमा को हटाया जाना चाहिये और इसे बढ़ाकर न्यूनतम 2 लाख रुपये किया जाना चाहिये। वर्तमान परिस्थितियों में जबकि विभिन्न वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं, ऐसा करना बहुत उचित होगा।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस सुविधा को अन्य अनेक क्षेत्रों के लिए भी प्रभावी बनायेंगे जहां कि कर्मचारियों को सहायता करने के लिए इस सुविधा का दिया जाना आवश्यक है और विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न सेवा श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों को अधिकतम सहायता और उपदान की अधिकतम राशि का भुगतान किया जाना चाहिये। सेवानिवृत्ति, पद–त्याग, अथवा नौकरी बदलने के पश्चात् यह उनके मुख्य सहारों में से एक है। यह राशि कुछ अधिक होनी चाहिये जिस पर वे निर्भर कर सकें।

यह भी कहा गया है कि उपदान का भुगतान पाँच वर्ष के सेवाकाल के पश्चात् ही किया जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि इसे कम सेवा अवधि जैसे तीन वर्ष या उससे भी कम होने की स्थिति में दिया जाना चाहिये और जहां उन्होंने सेवा की है, उसे गिना जाना चाहिये ताकि उनकी सेवाओं के लिए उन्हें कुछ सहायता मिल सके और और वे उपदान के योग्य हो सकें।

इन थोड़ी सी सिफारिशों के साथ, जिन्हें मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री लागू करने पर विचार करेंगे, अपनी बात समाप्त करता हूं।

मेजर जनरल आर. जी. विलियम्स (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : सभापति महोदया, मैं उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक 1993 का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। तथापि मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1972 में जब इस अधिनियम को पारित किया गया तभी से इसके निर्वचन में तथा प्रस्तावित संशोधन में अनेक असंगतियां और अन्तर्विरोध हैं।

5.34 बजे म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, शब्दकोष देखने पर मैंने यह पाया कि 'ग्रेच्युटी' (उपदान) शब्द का अर्थ है कि अनुग्रह पूर्वक अथवा किसी कार्य के लिए इनाम के रूप में कुछ देना। इस तरह यह इनाम के रूप में देने का अर्थ है स्वैच्छिक रूप से कुछ देना। इसलिए परिभाषा के अनुसार उपदान अधिनियम इनाम के रूप में स्वैच्छिक अदायगी है जो कि उनकी लम्बी, निरन्तर और संतोषजनक सेवाओं के लिए दी जाती है। यह राशि कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दी जाती है ताकि वे अपनी उत्पादकता को बढ़ायें। तथापि, पिछले दशक में विशिष्ट मामलों को निपटाते हुए माननीय न्यायालयों ने अनेक भ्रामक और परस्पर विरोधी निर्णय जारी किए हैं। एक मामले में यह निर्णय दिया गया है कि यह उपदान स्वेच्छा से नहीं दिया जाता है और यह उपहार स्वरूप भी नहीं दिया जाता है। उन्होंने यह राय भी जाहिर की है कि सेवा से किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी का यह अर्थ नहीं कि वह इस उपदान का हकदार नहीं है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि सेवा से बर्खास्तगी केवल असन्तोषजनक सेवाओं अथवा गंभीर व्यावसायिक दुराचरण की स्थिति में ही की जाती है। माननीय न्यायालयों के निर्णयों से यह प्रतीत होता है कि यदि कर्मचारी की सेवाएँ बहुत असन्तोषजनक हैं तब भी अधिकार के रूप में उपदान दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो जिन स्थितियों में कर्मचारी के उपदान को ज़ब्त कर लिया जाता है अथवा कम कर दिया जाता है जो कि उपदान अधिनियम के पैराग्राम 6 की धारा 4 में दिया गया है वह अर्थविहीन तथा व्यर्थ हो जाता है। महोदय इन भ्रामक व्याख्याओं के आधार पर मुझे यह आश्चर्य

होना स्वाभाविक है कि क्या उपदान अधिनियम का नाम यथार्थपरक है और क्या इसे और समुचित तथा सार्थक बनाने के लिए बदला नहीं जाना चाहिए।

महोदय, जब सन् 1972 में उपदान अधिनियम बनाया गया था तो उद्देश्य यह था कि एक विशेष वर्ग के कर्मचारी अर्थात् 750 रु. प्रतिमाह अथवा इससे भी कम वेतन लेने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर उनकी लम्बी, निष्ठापूर्ण और संतोषजनक सेवा के लिए स्वेच्छा से इनाम के रूप में एकमुश्त राशि दी जानी चाहिए। वेतन सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य था कर्मचारियों को उच्च वेतन पाने वाले प्रबंधक तथा कार्यकारी वर्ग से अलग करना जो कि विभिन्न प्रकार के अन्य परिलब्धियों, सुविधाओं और प्रोत्साहन राशियों का लाभ उठाते हैं। जबकि अनेक वर्षों से कर्मचारियों के वेतन बढ़ गए हैं, इसलिए वेतन सीमा को तदनुसार सही करके पहले 1600 रु. तथा बाद में 2500 रु. प्रति माह कर दिया गया है।

महोदय, इस भेद को पूर्णतः समाप्त करने का हमारा प्रस्तावित संशोधन इस मूल संकल्पना को नकारता है और इसलिए मेरे विचार से उपदान अधिनियम का पूरा उद्देश्य विकृत हो जाता है। सामान्यतः उपदान की अदायगी की सीमा को 50,000 रु. से 1 लाख तक बढ़ाना उदारतापूर्ण कदम है और इससे उच्च वेतन पाने वालों के द्वारा हो रहे शोषण को कम करने में मदद मिलती है जिनको कि इस अधिनियम से मूलतः बाहर रखा गया है। यह अपरिहार्य है कि समय के साथ–साथ इस लाभकारी अधिनियम का लक्ष्य और उद्देश्य पूर्णतः समाप्त होता जा रहा है। अतः इस प्रकार इसे अर्थहीन बनाना इसे औद्योगिक उपक्रमों पर अन्य वित्तीय बोझ में बदलना है और उत्पादकता कम करने को प्रोत्साहित करना है। इसलिए, जब ऐसी स्थिति आ गई है तो इस अधिनियम के स्थान पर अधिक प्रोत्साहन देने वाले तथा उत्पादकता बढ़ाने वाले अधिनियम को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए मैं प्रस्तावित संशोधनों के प्रति अपने समर्थन को दोहराता हूं।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1993 को चलताऊ ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। फिर भी इस समय, संशोधन विधेयक में केवल 50,000 रु. राशि की सीमा को 1 लाख रु. करने की बात की गई है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय श्रम मंत्री महोदय ने हमारे देश के उपदान अधिनियम के सभी पहलुओं और उसके कार्यान्वयन के बारे में विचार किया है।

'कर्मचारी' शब्द की परिभाषा में यहां फैक्ट्री, तेल क्षेत्र, खान संयंत्र, बन्दरगाह, रेलवे, कम्पनी दुकान आदि में कार्य कर रहे लोगों के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूँगा कि इस अधिनियम में ठेके पर काम करने वाले मज़दूरों तथा पटसन और कपड़ा

मिलों में काम करने वाले बदली कामगारों को भी शामिल किया जाये जो दो वर्ष से अधिक ठेका मजदूरों या बदली मज़दूरों के रूप में काम कर रहे हैं। यदि इन्हें शामिल किया गया तो कुछ और लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि खेतिहर मजदूरों सहित अन्य क्षेत्रों में भी उपदान संदाय अधिनियम लागू किया जाए।

महोदय, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें उपदान संदाय अधिनियम में संशोधन किया गया है और जिस पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने की प्रतीक्षा है। उन संशोधनों में दो मुख्य संशोधन किए गए हैं — मज़दूरी सीमा को समाप्त करना। इस मुद्दे को भी इस विधेयक में शामिल किया गया है। मौजूदा विधेयक में, कुछ अन्य छोटे–छोटे संशोधन भी किए गए हैं यथा वर्ष में 240 दिनों से अधिक कार्य कर चुके कर्मचारी को भी इसका हकदार बनाया जाए। पश्चिम बंगाल विधान सभा में ऐसे संशोधन इस विधेयक को पारित करते समय कर दिए गए हैं जिस पर सहमति मिलने की प्रतीक्षा है।

अब मौजूदा विधेयक में जो भारत सरकार ने आज रखा है, 2500/– रु. प्रतिमाह वेतन को 3500/– रु. तक बढ़ा दिया गया है। इसे नवम्बर, 1992 में ही बढ़ा दिया गया था जिसे 1 दिसम्बर, 1992 से लागू किया गया था। अब इस विधेयक में 50,000 रु. की राशि को बढ़ाकर 1,00,000/– रु. करने का प्रस्ताव है।

उपदान संदाय अधिनियम में 1987 में जो संशोधन किया गया जिसमें एक नए खण्ड का उपबंध किया गया जोकि अत्यंत महत्वपूर्ण है अर्थात् धारा 4 क को जोड़ा गया और जीवन बीमा निगम या ऐसी ही किसी एक बीमा योजना से कुछ सम्बद्ध उपदान निधि की व्यवस्था किए जाने को अनिवार्य किया गया। इसे इस तरह से सन् 1978 में संशोधित किया गया। जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे देश में किसी भी उद्यमी द्वारा ऐसी निधि नहीं सृजित की गई है। सन् 1987 में इस दिशा में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और अब 1994 में संशोधन किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने एक अन्य संशोधन पुरःस्थापित किया है जिसमें 50,000 रु. की सीमा को 1,00,000 रु. करने की मांग की गई है। मैं नहीं जानता कि क्या वे इस सीमा को आने वाले समय में 2,00,000/– रु. से 3,00,000 रु. तक बढ़ाया जाएगा अथवा नहीं। लेकिन पिछले सात वर्षों में किसी भी उद्यमी द्वारा इस संशोधन के अनुरूप जीवन बीमा निगम से सम्बद्ध उपदान निधि बनाने की दिशा में कुछ नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता कि इस संबंध में उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं जिन्होंने इस संबंध में स्पष्ट रूप से चूक की है। यदि इस संशोधन को प्रभावी बनाना है तो इस संबंध में कुछ नियम बनाने होंगे ताकि प्रत्येक उद्यमी जीवन बीमा निगम या ऐसे किसी संस्थान में ऐसी धनराशि अनिवार्य रूप से जमा करें ताकि कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के समय कोई उद्यमी समुचित राशि

के अनुपलब्ध होने का बहाना नहीं बना सके और यह न कह सके कि वह अभी उपदान की अदायगी नहीं कर सकता।

मैं नहीं जानता कि यह कहाँ तक सच है। ऐसे मुद्दे भी उठाए गए हैं कि इस समबन्ध में कोई समय सीमा नहीं है लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इस संबंध में समय सीमा है। 6 माह के भीतर उपदान की अदायगी की जानी होगी।

मैं यह कहूँगा कि मंत्री महोदय इसमें इस तरह से संशोधन कर सकते हैं कि यह छः महीने की सीमा तीन महीने हो जाए।

सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति की स्थिति में देय उपदान की राशि इसी अवधि के भीतर कर्मचारी को मिल जाये। यह सब बातें विशेषकर इस तथ्य के कारण बहुत आवश्यक हैं कि अनेक उद्योग उपदान निधि न होने के कारण बन्द हो चुके हैं जो कि जीवन बीमा निगम अथवा किसी अन्य संस्थान से उपलब्ध हो सकता था। इनके कारण कर्मचारियों को उपदान नहीं मिल सका।

मोहनजी ने इस सम्बन्ध में कपड़ा उद्योग का उल्लेख किया है। मैं पटसन उद्योग का हवाला दे सकता हूँ। वहाँ हो यह रहा है कि नए प्रमोटर जो पटसन कारखानों को चलाना चाहते हैं वे न्यायालय से आदेश प्राप्त करके किसी को किसी प्रकार की अदायगी किए बिना मिल को अपने अधिकार में ले लेते हैं। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय भी वे उपदान की राशि अदा करने की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वे उन्हें बिना उपदान की अदायगी किए जाने देते हैं। इसे रोका जाना चाहिए। ऐसे उपाय किये जाने चाहिए कि उन्हें अनिवार्य रूप से उपदान की राशि मज़दूरों को अदा करनी पड़े।

मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि उपदान के हकदार 'कर्मचारी' शब्द में बदली कामगारों और ठेके पर काम करने वाले मज़दूरों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल यहां लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव भी यहां रखना चाहूंगा। 1972 में यह बिल लाया गया था, तब पचास हजार रुपये तक की इसमें सीमा का प्रावधान था, अब 1994 में इसे एक लाख रुपये किया गया है। इन बाईस वर्षों में जिस तरह से मंहगाई बढ़ी, तनख्वाह बढ़ी और कितने मजदूर रिटायर हो गये। उसका लाभ नहीं मिला तो इस मौके पर चाहूंगा कि जिस तरह से मंहगाई भत्ते का रेशनलाईजेशन होता है उसी प्रकार मजदूर प्रतिनिधियों को बैठाकर इस बात को समय समय पर देखकर बढ़ोत्तरी की जाये ताकि रिटायर होने वाले मजदूरों को इसका लाभ मिल सके। मुझे याद

है कि 22 साल पहले राजस्थान में मजदूरों को ढाई रुपया मिलता था जो अब 30 रुपये है लेकिन 10 गुना मिनिमम वेजेज होने पर भी उसको कोई ग्रेच्युटी या पी.एफ. नहीं मिलता है। इसके साथ ही यह निवेदन है कि स्थायी या संगठित मजदूरों को लाभ मिल सकता है लेकिन जो असंगठित और अस्थायी मजदूर हैं, उनको लाभ नहीं मिलने वाला है यहां तक कि कई वर्षों तक काम करने के बाद भी पी.एफ. ग्रैच्युटी का लाभ नहीं दिया जाता है। मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने विभाग में स्टाफ की संख्या बढ़ायी जाये ताकि समय समय पर जाकर उन स्थानों की चैंकिंग करें कि कौन मजदूर कहां पर काम करता था और उसके बाद कहां चला गया ? ऐसे ऐसे कारखाने हैं जिनमें मार्बल स्टोन, कोटा स्टोन के मालिक मजदूरों का रिकार्ड नहीं रखते हैं। चैंकिग होने से सभी मजदूरों को पी.एफ. और ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि पिछले 3–4 सालों से श्रम मंत्री और प्राइवेट उपक्रमों के मजदूरों के बीच में त्रिपक्षीय वार्त्ता चल रही थी लेकिन उसका कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है ? उन लोगों की छोटी सी मांग है जिसमें पेंशन, बोनस और इसकी सीमा बढ़ाना और मंहगाई भत्ते को सूचकांक के अनुसार दिया जाना चाहिये। यह 2 रुपये जरूर कर दिया है लेकिन कम से कम 3–4 रुपये प्वांयट डी.ए. होना चाहिये। मेरे ख्याल से यदि मजदूरों को संतुष्ट रखा जायेगा तो ठीक रहेगा। जहां पर उदारीकरण के कारण निजीकरण होने जा रहा है, वहां पर मजदूरों में भारी असंतोष है क्योंकि जब कारखाने नये सिस्टम से चलेंगे तो श्रमिकों की छंटनी होगी। आप जानते हैं कि किसान और मजदूर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और जब सरकारी उपक्रम घाटे में जाते हैं तो मजदूरों की छंटनी होती है यह नहीं देखा जाता है कि यह घाटा क्यों और किस कारण से हो रहा है जबकि यह सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण होता है या उनके प्रबंधन की व्यवस्था ठीक नहीं होती है और दोष मजदूरों पर डाल दिया जाता है कि वे हड़ताल करते हैं और प्रबंधन के साथ सहयोग नहीं करते हैं। यह तब होता है जब मजदूरों के साथ अन्याय किया जाता है और वे आन्दोलन करने पर आमादा हो जाते हैं और अपनी मांगों के लिये हड़ताल करते हैं। तो मैं इस मौके पर यह कहूंगा कि जो सरकारी उपक्रम हैं, वहां पर मजदूरों की छंटाई नहीं होनी चाहिये। यदि छंटनी होगी तो मजदूरों में भारी मात्रा में असंतोष होगा और सरकारी उपक्रमों में घाटा और अधिक होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक 1972 के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने जो विधेयक में 50,000 रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपया किया है वह सराहनीय है। परंतु यह 1984 में आना था और काफी समय के बाद

आया है। उस हिसाब से राशि कम लगती है जिस हिसाब से देश में मंहगाई बढ़ गई है और उस हिसाब से राशि बढ़ाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रैच्युटी की बात हो या प्रॉविडेण्ट फंड हो या और जो भी सुविधाएं मजदूरों को रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं उसमें काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसमें बड़ी घपलेबाजी होती है। मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कि रांची में बहुत से कल कारखाने हैं और निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों में हैं। उसमें अभी देखने को मिला है कि बहुत से कारखाने वाले पी.एफ. का पैसा या ग्रैच्युटी का पैसा समय पर जमा नहीं करते हैं और बहुत से लोग जमा करते हैं तो मजदूरों को जो रसीद जमा राशि की दी जाती है उसके लिए जो प्राइवेट कारखाने हैं, वे लोग पी.एफ. कमिश्नर के दफ्तर में जाकर पैरवी नहीं करते हैं, पैसा नहीं देते हैं तो उनकी रसीद तक नहीं मिलती है। जो सरकारी संस्थाएं हैं वह पैसा नहीं देती हैं। इसलिए बहुत से लोगों के पैसे का अता–पता नहीं लगता है और रिटायरमेंट के बाद लोग बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं और जितना पैसा नहीं मिलता है उससे ज्यादा या आधा पैसा इधर–उधर दौड़ने में लग जाता है। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने पर एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए कि दो महीने या तीन महीने के अंदर ही जो भी पैसा उस कर्मचारी को देना है वह उसे मिलना चाहिए, यही मेरा भी सुझाव है। अन्यथा पैसा तो जमा होता है मगर सरकारी दफ्तरों में ही इस प्रकार की गड़बड़ी होगी तो किस पर विश्वास किया जाएगा ? इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि कर्मचारी या मजदूर राहत की सांस ले सके।

बहुत से लोगों ने सप्लाई मजदूरों की बात की है। एच.ई.सी. में हजारों लोग केन्द्रीय सरकार से संबंधित हैं और हजारों लोग सप्लाई मजदूर में काम करते हैं ठेकेदारों के माध्यम से। उसी प्रकार से अनेक कारखाने हैं चाहे प्राइवेट हों या सरकारी हों, सभी में ठेकेदारों के माध्यम से मजदूर 25–30 साल तक काम करते हैं और अंत में उसे कुछ नहीं मिलता है। इस तरफ भी हम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि ऐसे जो सप्लाई मजदूर ठेकेदारों के माध्यम से काम करते हैं उसे बंद करना चाहिए और मजदूरों को कुछ लाभ मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब तक हम इस विधेयक को पारित करें तब तक सभा का समय बढ़ा दीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ और लोग बोलने वाले हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कल हमारे कुछ विशेष कार्यक्रम हैं इसलिए कल हमारे लिए देर तक बैठना कठिन होगा। अब केवल दो सदस्यों ने इस वाद–विवाद में भाग लेना है।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उस तरफ खाली है। आपने मंडेला की बात कही तो उस पर भी वह लोग नहीं आए। वह अपने चुनाव में फंसे हैं। अभी भी वहीं फंसे हैं।

[अनुवाद]

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : महोदय, हमारे दल के एक और सदस्य श्री अन्ना जोशी इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। कृपया उन्हें भी अनुमति दें। आप उन्हें आज नही, कल बोलने की अनुमति दे दीजिए।

6.00 बजे म.प.

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए, इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्री जी मजदूरों के हित में काफी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिये काम कर रहे हैं और हमें उन पर विश्वास है। मैं यहां अपनी बातों को फिर दोहराना चाहता हूं कि मजदूरों के वेतन से जो आप ग्रैच्युटी और प्रौविडैंट फण्ड का पैसा काटते हैं, उसे जमा करते हैं, यदि रिटायरमेंट के तीन महीने के भीतर वह राशि मजदूरों को मिल जाये, ऐसी आप व्यवस्था और कर देते हैं तो वह मजदूरों के हित में होगा अन्यथा आज की स्थिति में मजदूरों को बहुत कठिनाई होती है, सभी माननीय सदस्य उससे अवगत हैं, वह राशि लेने के लिये मजदूरों को पैसा खर्च करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इस समस्या पर ध्यान देकर मजदूरों की भलाई में यह व्यवस्था भी करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री हराधन् राय को सुनते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि शेष बिजिनैस को कल लिया जाये। सरकार की तरफ से जिस तरह कार्य किया जा रहा है, कभी कहा जाता है कि हम इस बिल को विदड्रा कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि अभी पास कराना है, हमारे ऊपर बर्डन क्यों डाला जा रहा है, भार क्यों डाला जा रहा है। सरकार अनिश्चय की स्थिति में है। **(व्यवधान)**

श्री फूलचन्द शर्मा (शाजापुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि सदन कब तक चलेगा।

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : कल सरकार ने आईडैन्टिटी कार्ड वाले बिल को वापस ले लिया यानी सरकार जैसे मर्जी आये, काम करती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ 10 मिनट और बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : हम समय बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। इसकी क्या आवश्यकता है ? यह कोई अध्यादेश नहीं है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सत्ता पक्ष पीठासीन अधिकारी पर दबाव डाल रहा है। ऐसा नहीं है। सभा के पास बहुत काम है। इसलिए पीठासीन अधिकारी इसे पूरा करना चाहते हैं। ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। ऐसा निष्कर्ष निकालना गलत है।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

अब गणपूर्ति है।

अब मैं सभा की इच्छा जानना चाहता हूं। क्या सभा की यह इच्छा है कि हम और आधा घंटा बैठें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें समझौता करना होगा। हम इसे पूरा कर लें। माननीय मंत्री कल इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री पीटर जी. मखनिआंग (शिलांग) : प्रत्येक विधेयक महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : दो घंटे का समय दिया गया था और 2½ घंटे का समय ले लिया गया है। अब केवल दो व्यक्तियों को बोलना है। उनके नाम सूची में हैं। प्रत्येक सदस्य दस मिनट तक बोल सकता है। यदि आप सहमत हैं तो माननीय मंत्री भी उत्तर दे सकते हैं। कल कार्य–सूची में बहुत से काम हैं।

श्री ए. चार्ल्स (त्रियेन्द्रम) : हम इस विधेयक को पूरा करके जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी की राय जानना चाहता हूं। केवल दो सदस्यों को ही बोलना है। यदि वे बोलते हैं तो माननीय मंत्री आधे घंटे में उत्तर दे सकते हैं। कल कार्य–सूची में बहुत काम हैं। हमें भोजन अवकाश भी छोड़ना होगा। डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय बहुत उत्तेजित हैं।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सहमति इसलिए नहीं है कि सरकार जब चाहे जो बिल ले आती है और हमारी कोई बात नहीं मानती है क्योंकि कल आइडेंटिटी कार्ड के मामले को स्थगित कर दिया और उससे पहले हयूमन आर्गेन ट्रांसप्लांट सम्बन्धी मामले को। इस प्रकार जब सरकार की जो मर्जी होती है वह करती है। इसलिए हम सदन को शाम के 6 बजे के बाद और बढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल-नहीं हैं।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हम सदैव कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों और नेताओं से परामर्श करते हैं। उनसे परामर्श किए बिना कुछ नहीं किया जाता है। इन मुद्दों पर कार्य मंत्रणा समिति में और नेताओं के साथ चर्चा की गई थी। कुछ बैठकों में डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय स्वयं उपस्थित थे। हम किसी विधेयक पर जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। यह कार्य–सूची की एक नियमित मद है जिसमें सभा का प्रत्येक वर्ग रुचि लेता है। यह कल्याणकारी उपाय किसी विशेष राजनैतिक दल की ही कार्यवाही नहीं है। यदि डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय को हमारे काम करने के तरीके के विरुद्ध कोई शिकायत है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं और उचित रूप से उसका समाधान कर सकते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन अब हम सत्र की समाप्ति पर हैं और यदि हम काम को ऐसे ही इकट्ठा करते रहे तो हमें रात को देर तक बैठना

ही पड़ेगा। केवल दो माननीय सदस्य अब पांच—पांच मिनट के लिए बोलेंगे। माननीय मंत्री पांच मिनट में उत्तर देंगे और विधेयक पर चर्चा समाप्त हो जाएगी तथा उसके बाद हम सभा को स्थगित कर सकते हैं। हमने पहले ही निर्णय किया है कि यदि आवश्यक हो तो सरकारी कार्य के लिए हम देर तक बैठेंगे।

इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कुछ और मिनटों के लिए बैठने पर विचार करें। हम अधिक देर तक नहीं बैठेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री महोदय कार्य—सूची के आधार पर ही काम करना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन ही ऐसा किया करें।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : 6.30 बजे तक सब कार्य समाप्त हो जाएगा। मेरा डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय से अनुरोध है कि वह समझौता कर लें और इस विधेयक का कार्य समाप्त होने दें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है। हम मंत्री जी की बात मान लेते हैं।

[अनुवाद]

***श्री हाराधन राय** (आसन सोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बांग्ला भाषा में बोलूंगा। मैं उपदान (संशोधन) विधेयक, 1993 में कुछ संशोधनों का समर्थन कर रहा हूं। प्रारम्भ में, मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि उदारीकरण की नई औद्योगिक नीति के कारण अनेक कारखाने या तो बन्द हो गए हैं या बन्द होने के कगार पर हैं। अनेक बड़े कारखाने बन्द हो चुके हैं और श्रमिकों को करोड़ों रुपए का उपदान नहीं मिला है। मैं उन कुछ कारखानों के बारे में बता सकता हूं जो मेरे क्षेत्र में हैं, जैसे, हिन्दुस्तान पिलकिंटटन ग्लास फैक्टरी तथा बंगाल पेपर मिल तथा जो बन्द हो गए हैं। उन कारखानों के मालिकों ने मजदूरों को बिना कुछ उपदान का भुगतान किए ही इन प्रतिष्ठानों को बन्द कर दिया है। हजारों पटसन कपड़ा और इंजीनियरिंग कारखाने बन्द किए जा चुके हैं और श्रमिकों को अभी

---

* मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तक कोई उपदान नहीं मिला है। महोदय, यह तो बहुत अच्छी बात है कि एक नया कानून पास होने जा रहा है परन्तु मुझे आशा है कि यह हाथी दांत के सजावटी सामान की भांति नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि हाथी के दो तरह के दांत होते हैं। एक खाने के और दूसरे दिखाने के। अर्थात् सजावटी सामान की भांति यह उपदान अधिनियम हाथी दांत के समान नहीं होना चाहिए जिसका कोई कारगर काम नहीं होता। यह अच्छी बात है कि विधेयक सभा के समक्ष लाया गया है किन्तु इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए। मिल मालिक आदि कितने भी धनी क्यों न हों, वे सरकारी और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये धन का अपव्यय करते हैं। यहां तक कि मजदूरों के कड़े परिश्रम से कमायी गयी उपदान निधि को भी अनाप–शनाप खर्च कर देते हैं। यह मामला मेरे साथी कामरेड तरित तोपदार द्वारा उठाया गया है। भविष्य निधि में अंशदान मजदूरों के वेतन से काटा जाता है, किन्तु उपदान निधि मिल मालिक द्वारा दी जाती है। अतः ऐसा कोई प्रावधान किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत उपदान निधि में मासिक अंशदान भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा किसी बैंक में जमा किया जा सके। सेवामुक्त होने पर मजदूर अपना दातव्य प्राप्त कर सकें। उपदान अधिनियम एक संवैधानिक अधिनियम है, इसलिए मालिकों को उपदान में अपना भाग अवश्य देना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस सम्बन्ध में समुचित कदम उठाए जाने चाहिए। उपदान संदाय के लिए पांच वर्षों की सेवा की जो शर्त रखी गई है उसको या तो समाप्त कर दिया जाना चाहिए या फिर इसे घटाकर 2 वर्ष कर देना चाहिए क्योंकि हमारे देश में नौकरी की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कारखाने किसी भी वक्त बन्द हो सकते हैं। रोजगार की कोई गारंटी न होने के कारण पांच वर्ष की शर्त उचित नहीं है। एक लाख रुपए की अधिकतम सीमा को भी हटाया जाए यदि यह सम्भव नहीं है तो इसे बढ़ाकर दो लाख रुपए किया जाना चाहिए। हमारे देश में एक विशेष श्रेणी के श्रमिक हैं अर्थात् आकस्मिक बदली या अस्थायी श्रमिक, जो विभिन्न कारखानों में काम करते हैं या सड़क पर काम करते हैं, वे आजन्म आकस्मिक मजदूर ही बने रहते हैं और आकस्मिक बदली या अस्थायी मजदूर ही मर जाते हैं। इन मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए और उनके लिए उपदान संदाय की व्यवस्था होनी चाहिए। आकस्मिक मजदूरों के अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए विधेयक में मैं इस तरह का संशोधन अन्तःस्थापित कराना चाहता हूं। मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि वह कानून तोड़ने वाले उन मिल मालिकों से वसूली करने के लिए कदम उठाए, जिन्होंने मजदूरों को समुचित भुगतान किए बिना ही कारखाने बन्द कर दिए हैं और सरकार व मजदूरों का धन हड़प कर भाग गए हैं। मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इन चीजों को लागू करने के लिए सांविधिक कानून बनायें। महोदय इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, जो बातें हमारे मित्र ने कही हैं, समय बचाने के लिए मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा। इस विधेयक की आवश्यकता भी मुद्रास्फीति के कारण हुई है। क्योंकि हमारे

रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है, इसलिए विभिन्न मसलों पर बार–बार विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक ग्रैच्युटी विधयेक का मामला है, इसे 1972 में उस दौर में लाया गया था जब देश का मजदूर वर्ग, 1969 से 1972 के बीच, देश के आम राजनीतिक वातावरण में एक प्रगतिशील दिशा में काम करने में अग्रणीय हुआ था। इस विधेयक का खासकर उस हाल में लाया गया था, जिसमें हम सबने पूरी मेहनत की थी। लेकिन चूंकि मंहगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का मूल्य घटता जा रहा है, मेरा मंत्री जी से आग्रह होगा, अभी जो सुझाव हैं उसमें विरोध का कोई सवाल नहीं है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं, लेकिन भविष्य के लिए ऐसा कर दीजिए कि जिस दर से मुद्रास्फीति बढ़ती जाए, यह दर अपने आप बढ़ती जाए। फिर बार–बार विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी मामले हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। सरकार झंझट से बच जाएगी क्योंकि भविष्य में मुद्रास्फीति रुकने वाली नहीं है अब तो नई आर्थिक नीति का जो आधार अपना रहे हैं, उससे मंहगाई अमरीका में बढ़ेगी और रुपये का अवमूल्यन भारत में होगा।

इसलिये बार–बार विधेयक लाना पड़ेगा। हर साल जिस तरह से मुद्रास्फीति बढ़े, उसमें अपने आप वृद्धि होती जाये। हमारी मैथिली में एक कहावत है, "जखन लोक जीवक जोगर हाइ छूँ लखन मरि जाइछै" जब आदमी जिन्दा होने लायक होता है तो मर जाता है। सब कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। काम करने वाला जब काफी अनुभवी होता है तो अवकाश प्राप्त कर लेता है। ऐसी हालत में उनके अनुभव का फायदा उनको, उनके परिवार को देश को भी मिलना चाहिये। इसलिये मेरा आग्रह होगा कि जो भविष्यनिधि, ग्रैच्युटी और पैंशन के संबंध में कोई ऐसी नीति बनाये जिससे किसी को परेशानी न हो। मंत्री जी इसमें साहस दिखायें। अवकाश प्राप्ति के बाद या उसके पहले कोई छुट्टी लेकर, उत्पादक काम में पूंजी लगाना चाहे तो उसमें आप उसकी पूरी मदद करें। जब मैं उत्पादन कहता हूं तो बीड़ी, सिगरेट, शराब को उस उत्पादन में नहीं गिनता हूं। किसी उपयोगी उत्पादक कार्यों में इसे लगाया जाये। इसके लिये सरकार कम सूद पर कर्जा या अनुदान दे ताकि देश की अनुभवशील श्रम शक्ति, मानसिक शक्ति, हुनर की शक्ति देश के उत्पादन को बढ़ाने में लग सके, देश को समृद्ध बनाने के काम में आ सके। यह ज्यादा उपयोगी होगा। जो अपना अर्जित धन स्वनियोजित उत्पादक कार्यों में लगायें, उनको सरकार की ओर से कम सूद पर रकम दी जाये। इससे देश के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। आज जब दुनिया के बाजार में हर चीज खुली छोड़ने जा रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है।

इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के लिये मैं मंत्री महोदय को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत साहसिक काम किया है। इससे कर्मचारियों को सुविधायें मिलेंगी।

जो फैक्ट्रियों या सरकारी संस्थाओं में 240 दिन काम करने के बाद हटा दिये जाते हैं और 15 दिन के बाद फिर रख लिये जाते हैं, उनको परमानैंट करने का आपने इसमें कोई प्रावधान नहीं किया है। ऐसे कर्मचारी लाखों–लाख हैं और इसके शिकार हो रहे हैं। अगर कोई 240, 230 या 225 दिन काम कर ले, उनको परमानैंट कर देना चाहिये। अभी भी 40–50 हजार कर्मचारियों की रेलवे को आवश्यकता है लेकिन 240 दिन पूर्व ही कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया। प्राइवेट सैक्टर में तो नौकरी से एकदम निकाल दिया जाता है। आप कोई ऐसा प्रावधान करें जिससे नौजवानों के साथ कोई अन्याय न हो सके। मेरा मात्र यही सुझाव था।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार ने कर्मचारियों के हित के लिये एक अच्छा कदम उठाया है। कई माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का यहां काम किया। जो वर्तमान कानून में खामियां हैं, उनको दूर करने का कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया।

माननीय सूर्य नारायण जी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात रखी। सरकार को इस पर गौर करना चाहिए और ऐसे लाखों की तादात में जो कैजुअल कर्मचारी हैं, उनका जो एक्सप्लायटेशन होता है, शोषण होता है, उस शोषण को दूर करने का काम सरकार को ठोस कानून बनाकर करना चाहिए।

आज जहां 50,000 से एक लाख रुपया ग्रैच्युटी देने का काम सरकार अपने कानून के प्रावधान में कर रही है, वह निश्चित रूप से एक कर्मचारी को राहत देने का काम कर रही है। इस बात को और पहले ही करना चाहिए था। जिस तरह से मंहगाई दिनोंदिन बढ़ रही है, उस स्तर से यह एमाउण्ट कोई ज्यादा नहीं लगता है। इससे ज्यादा राहत देने का काम नहीं हो सकेगा इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था और इसको और पहले लाना चाहिए था और इसकी राशि को और बढ़ाना चाहिए था।

सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून बनता है, उसका सही तरह से इम्पलीमेंटेशन हो, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ग्रैच्युटी पहले भी 50,000 रुपये थी लेकिन वह ग्रैच्युटी कर्मचारी को सही समय पर नहीं मिल पाती थी और अभी भी नहीं मिल रही है। कई ऐसे कर्मचारी हैं, जो निजी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको इस लाभ से वंचित हो जाना पड़ता है। सरकार के दफ्तरों में 4–5 महीने, साल–साल भर तक कर्मचारियों को दौड़ना पड़ता है, उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है, तब कहीं जाकर कर्मचारी इस राशि का लाभ उठा सकते हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि जिस तरह से उसकी मंशा कर्मचारियों की हैल्प करने की है, उसी तरह से यह मंशा भी हो कि जल्दी से जल्दी उनको यह एमाउण्ट मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी स्तर पर जो मजदूरों का शोषण और दोहन करने का काम होता है, खासकर जो निजी उद्योग हैं, छोटे उद्योग

हैं, बड़े उद्योग हैं, चाहे कर्मचारी उसमें सौ की मात्रा में हों या हजार की मात्रा में काम करते हों, वैसे शोषण करने वाले उद्योग धन्धे में जो प्रबन्ध में शामिल होने वाले लोग हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई कर सके, सरकार को इसके लिए एक ठोस कानून बनाना चाहिए। जिससे मजदूरों का शोषण कम हो सके और सही व समय पर राशि उनको मिल सके।

यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में मैं बताना चाहूंगा कि मैं सभा की मनोदशा को अच्छी तरह समझता हूं और इसीलिए मैं अपना उत्तर बहुत ही संक्षेप में दूंगा।

महोदय, प्रत्येक चर्चा से हमें अनुभूति प्राप्त होती है, हमें बड़ी शिक्षा मिलती है क्योंकि जो माननीय सदस्य वाद-विवाद में भाग लेते हैं वे बहुत से नये विचार व सुझाव लेकर सामने आते हैं जो भविष्य में नई नीति बनाने में और लोक कल्याणकारी कदम उठाने में सरकार की मदद करते हैं। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज सभा में जो भी चर्चा हुई है, उसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है और भविष्य में कार्यवाही करते वक्त उस पर ध्यान दिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं जिनके बारे में उत्तर दूंगा। सबसे पहले मैं दिल्ली में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के बारे में कहना चाहूंगा।

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि यह प्रस्ताव बहुत पहले 1983 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में लाया गया था जबकि इसमें संशोधन इस वर्ष लाए गए हैं। यह तो सत्य है कि यह बहुत लम्बे समय के बाद लाया गया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

यदि हम इस विधान विशेष का इतिहास देखें तो हम पायेंगे कि यह 1972 में पारित किया गया था। उस समय विशेष में यह अधिनियम उन मजदूरों पर लागू होता था जो 750 रुपए मासिक वेतन पाते थे। यह इसकी शुरुआत थी। जब श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया तब इसे 1600 रु. तक बढ़ाया गया था। सन् 1987 में यह अधिकतम सीमा बढ़ाकर 2500 कर दी गई। सन् 1992 में इसे बढ़ाकर 3500 रुपए कर दिया गया। अतः धीरे-धीरे वेतन सीमा बढ़ाई गई और आज हम इस सभा के समक्ष इस सीमा को भी पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए उपस्थित हैं। इस प्रकार सरकार ने एक प्रगतिशील कदम उठाया है।

चर्चा के दौरान उठाया गया दूसरा मुद्दा यह था कि 1 लाख रुपए की जो अधिकतम सीमा रखी गई थी, वह कम है, उसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाना चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि दूसरे कानूनों के तहत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी भी उपदान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उन पर भिन्न-भिन्न अधिनियम लागू होते हैं। जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं कि यह केवल औद्योगिक मजदूर और दूसरे मजदूरों पर ही लागू होता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम

सीमा एक लाख रुपए है। हमने सोचा है कि नीति में एकरूपता होना आवश्यक है। यदि हम इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए करते हैं तो सरकारी कर्मचारी भी एकदम इस सीमा को दो लाख रुपए बढ़ाने की मांग करने लगेंगे। जहां तक व्यवहार्य हो, सरकार इस संबंध में एकरूपता बनाए रखना चाहती है। यही कारण है कि मैंने अधिकतम सीमा एक लाख रुपए रखी है।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : मंत्री महोदय, सरकारी कर्मचारी मांग कर सकते हैं कि आप तो उनके सुझावों को स्वीकार कर पहल करें।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें। इसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री पी.ए. संगमा : हम पश्चिम बंगाल का अनुकरण करते हैं। वास्तव में, पश्चिम बंगाल सरकार ने ही 1971 में सर्वप्रथम उपदान अधिनियम अधिनियमित किया था। पश्चिम बंगाल अधिनियम के, जिसके बाद केरल अधिनियम आया, आधार पर श्रम मंत्रियों की 1971 के सम्मेलन में एक केन्द्रीय विधान बनाने का निश्चय किया और 1972 में इसे अधिनियमित किया। इस प्रकार हम पश्चिम बंगाल का अनुकरण कर रहे हैं। श्री तोपदार ने पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित नए संशोधनों का जिक्र किया जो राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति उनकी सहमति के लिए पड़े हैं। मुझे उस अधिनियम के प्रावधानों की याद नहीं है। मैं निश्चित रूप से देखूंगा। मैं यह देखूंगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कितना किया है और इसकी तुलना करने का प्रयास करूंगा। यह दूसरा मुद्दा अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए करने का था। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए, जिनका मैं अभी उल्लेख कर चुका हूं। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

तीसरा मुद्दा उपदान विलम्बित भुगतान और भुगतान न करने के बारे में था। वास्तव में यह एक समस्या है। इस संबंध में मैंने राष्ट्रीय स्तर पर समिति की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। वास्तविकता यह है कि हमने सभी राज्य सरकारों को लिखा है कि वह हमें सूचना दें क्योंकि मैं जानता था कि यह मुद्दा बहस में उठाया जाएगा। दुर्भाग्यवश मुझे, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों के अतिरिक्त किसी राज्य से सूचना नहीं मिली है। इन राज्यों ने कुछ सूचना दी है। अन्य राज्यों से सूचना मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे ही मुझे सूचना मिलती है, मैं वह सूचना माननीय सदस्यों को देने को तत्पर रहूंगा बशर्ते कोई सदस्य इस संबंध में आंकड़ें जानना चाहें।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि उपदान राशि तीन महीने के अन्दर अदा कर दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सुझाव तोपदार महोदय का है। वास्तविकता यह है कि अधिनियम की धारा 7 के अनुसार उपदान राशि का 30 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाना चाहिए। 3 महीने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि उपदान देय होने के 30 दिन के

भीतर उसका भुगतान किया जाना चाहिए। यदि कोई मालिक 30 दिन के भीतर इसका भुगतान नहीं करता है या 30 दिन के बाद भुगतान करता है, तो उसको ब्याज के साथ उपदान का भुगतान करना होता है। यह प्रावधान भी उसमें है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी मांग की है कि ब्याज का भी प्रावधान होना चाहिए। यह पहले से ही अधिनियम में विद्यमान है। मालिक द्वारा उपदान का भुगतान न किये जाने की स्थिति में मजदूर अदालत में जा सकते हैं। हां, इसके लिए क्या-क्या दण्ड दिये जा सकते हैं, अधिनियम की धारा 9 में उनका प्रावधान है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। उपदान का भुगतान न करने की स्थिति के लिए भी दाण्डिक उपबंध पहले ही मौजूद हैं इसके अतिरिक्त यदि उपदान निहित समय के भीतर अदा नहीं किया जाता, उस स्थिति में ब्याज सहित उपदान राशि वसूल किये जाने का प्रावधान है।

एक अन्य मुद्दा जो उठाया गया वह इस अधिनियम को ठेके के मजदूरों और बदली मजदूरों पर लागू किये जाने के संबंध में था।

श्री हाराधन राय : वह न्यायालय कैसे जा सकते हैं ?

श्री पी.ए. संगमा : मैं प्रावधानों को अभी बताता हूं।

मैं समझता हूं कि चर्चा के दौरान उठाया गया यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। वास्तव में यह अधिनियम स्थायी मजदूर, ठेका मजदूर और बदली मजदूरों के बीच कोई अन्तर नहीं करता। मैंने जो शुरूआत में सूची पढ़ी, यह अधिनियम उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनकी सूची मैंने शुरूआत में पढ़कर सुनायी। आवश्यक शर्तें यह हैं कि मजदूर पांच वर्ष तक काम कर चुका हो और मजदूर जहां काम करता हो उस प्रतिष्ठान में दस लोग काम करते हों। यही दो मानदण्ड निश्चित किये गये हैं। अन्यथा यह मौसमी कामगार मजदूरों पर भी लागू होता है और आप यह भी कह सकते हैं कि यह ठेका मजदूर पर भी लागू होता है, बशर्ते वे पूर्व दोनों शर्तों को पूरा करते हों। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि यह पांच वर्ष के लिए ही क्यों, 2 वर्ष के लिए क्यों नहीं ? जिन माननीय सदस्यों ने इस तरह के सुझाव दिए हैं उनमें कुमारी ममता बनर्जी, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह और अन्य लोगों का नाम लिया जा सकता है। वास्तव में, जहां तक सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, उपदान संदाय के पात्र होने के लिए 10 वर्ष की सेवा अपेक्षित है। जहां तक औद्योगिक मजदूरों का संबंध है, हमने यह सेवा 5 वर्ष कर दी है। अतः हम सोचते हैं कि फिलहाल पांच वर्ष की सेवा अवधि ठीक है।

मैं समझता हूं कि श्री धनंजय कुमार जो यहां उपस्थित भी हैं, ने उपदान राशि को आयकर से मुक्त रखने का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है – इसका पहले से ही प्रावधान है। इस पर कर नहीं लगता जो भी राशि कामगारों को उपदान राशि के रूप में दी जाती है वह आयकर से मुक्त रहती है।

एक अन्य माननीय सदस्य ने — मैं समझता हूं कि इस समय वह यहां पर उपस्थित नहीं हैं — असंगठित श्रम के बारे में मुददा उठाया, विशेषकर कृषि कामगारों के बारे में और पूछा कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम एक या दो बार मैं सभा को सूचित कर चुका हूं कि कृषि कामकारों और निर्माण उद्योग में लगे ठेका कामगारों के लिए सरकार केन्द्रीय विधान लाने के लिए प्रयासरत हैं। हम सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर चुके हैं। जो हमने राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी हेतु भेजा था। प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप पर मुझे लिखित टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं। मैं आशा करता हूं कि इन दो विषयों पर हम अपना विचार विमर्श पूरा करने की स्थिति में होंगे। क्योंकि जब हम असंगठित श्रम की बातें करते हैं तो कृषि क्षेत्र में सबसे असंगठित श्रमिक हैं जो 100 मिलियन हैं। ठीक यही स्थिति निर्माण उद्योग में भी है। मैं आशा करता हूं कि इन सभी समस्याओं को शीघ्र ही किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचा जा सकेगा।

मैं समझता हूं कि ये कुछ ऐसे मुददे थे जो माननीय सदस्यों द्वारा यहां उठाए गए और जिनका उत्तर देना मैंने मुनासिब समझा।

मैं एक बार फिर उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बहस में भाग लिया और जिन्होंने यहां इतनी देर रात रुक कर अपने धैर्य का परिचय दिया। अब मैं चाहता हूं कि विधेयक को स्वीकृति प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, यहां पर प्रश्न उपस्थित किया गया कि जो ठेकेदार कर्मचारी को नियुक्त करता है आपके इस कानून के मुताबिक पांच वर्ष की अवधि उसको पूरी की जानी चाहिए लेकिन जब ठेकेदार नियुक्त करता है तो वे थोड़े—थोड़े समय में विलम्ब करके 2—3 वर्ष के बाद उनको अलग कर देता है और उन्हीं कर्मचारियों को फिर से दो या चार दिन के बाद नियुक्त करता है और इस तरह से वर्षों तक वही कर्मचारी काम करते रहते हैं। उनके प्रोटेक्शन के लिये आपके इस कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा कहना यह है कि जब कर्मचारी वही है, काम वही है, जो वर्षों तक काम करते हैं और विशेषकर कोई रेलवे में या अन्य संगठनों में देखे जा सकते हैं उनके लिए आप कोई व्यवस्था कीजिये अन्यथा ये हमेशा जिन्दगी भर किसी प्रकार की ग्रैच्युटी का लाभ नहीं उठा सकते।

[अनुवाद]

***श्री हाराधन राय** : आप कैसे उपदान देंगे इस पर कृपया कुछ कहें। हजारों कारखानें बन्द कर दिए गए और कामगारों को अभी तक किसी तरह के किसी उपदान का भुगतान नहीं किया गया

* मूलतः बंगला में दिये गये भाषण में अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

जिसके परिणामस्वरूप वे भूखों मर रहे हैं, इस पर भी कुछ कहें। लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, लाखों लोग कारखानों के बन्द होने से प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। कृपया बतायें कि इन लोगों को उनके पैसे का भुगतान कैसे मिलेगा।

****श्री पी.ए. संगमा** : आपने अपने भाषण में कुछ प्रतिष्ठानों के नामों का उल्लेख किया है। मैंने उन्हें नोट कर उनकी सूची बना ली है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, कोहिनूर मिल वर्कर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि मिल मजदूरों को रोजगार मिले और ड्यूज मिलें, लेकिन अब तक मजदूरों को ड्यूज नहीं दिए गए। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एनटीसी वर्कर्स के सभी ड्यूज देने के लिए वर्डिक्ट दिया है, वह भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। इसी तरह से मुम्बई के अंदर 70000 बदली मजदूर है, उनको आप 240 दिन के बाद परमानेंट क्यों नहीं करते हैं, ताकि उनको भी इन प्रावधानों का लाभ मिल सके। हमारे यहां मंझगांव डॉक में तथा कई मिलों में बदली वर्कर्स हैं और इस मांग को लेकर 1983 में स्ट्राइक भी हो चुकी है। इन सवालों के बारे में मैं मंत्री महोदय का उत्तर चाहूंगा।

श्री पी.ए. संगमा : मुम्बई की प्राईवेट टेक्सटाइल मिल्स के बारे में आप काफी चर्चा कर चुके हैं, उस दिन भी आपने इस सदन में काफी रिएक्ट किया था। पब्लिक सेक्टर के बारे में, एनटीसी मिल्स के बारे में ट्रिपार्टाइट कमेटी में चर्चा के बाद एक फार्मूला तैयार किया गया है और रीमार्डनाइजेशन का प्रपोजल केबीनेट में जाने वाला है। प्राइवेट मिल्स के बारे में ट्रिपार्टाईट कमेटी की मीटिंग 30 तारीख को मुम्बई में बुलाई गई है, उसमें इस विषय पर चर्चा होगी।

श्री मोहन रावले : मैंने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है कि 28 फरवरी तक मजदूरों को पैसा दे दिया जाए, वह तारीख निकल चुकी है, इसके बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है।

श्री पी.ए. संगमा : इसके बारे में मेरे पास कोई इनफरमेशन नहीं है।

श्री रामकृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सही समय पर मजदूरों को ग्रैच्युटी का भुगतान करने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कानून इतने ठोस नहीं हैं, जिससे कि मिल मालिकों या अधिकारियों पर इस बात का दबाव पड़े और वे समय पर इसका

** मूलतः बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

भुगतान कर दें। क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई ठोस कानून बनाएंगे, ताकि आफिसर्स और मिल मालिक डरें और मजदूरों को समय पर ग्रैच्युटी का भुगतान हो सके।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में बनी है, उस प्रवर समिति में मैं भी था, उसमें जोर देकर भविष्य निधि को धारा 110 में बेहर लाइवलीहुड में, क्रिमिनल अफेंस में रखा गया। मेरा आग्रह है कि ग्रैच्युटी को भी इसमें जोड़ दिया और जो प्रावधान भविष्य निधि का भुगतान न करने पर है, वही प्रावधान डिफाल्टर के खिलाफ ग्रैच्युटी के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : ब्यावर में कृष्णा मिल आठ साल से बंद है। उसके श्रमिकों को निकाल दिया गया है। उनकी ग्रैच्युटी का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। सारे देश के अंदर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की समस्या है जो सरकारी स्कूल और कालेज से अच्छा काम करती है। ग्रांट इन एड रूल्स में यह है कि सरकार उनको अनुदान वगैरह सब दे। लेकिन उनको ग्रैच्युटी की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। अनुदानित शिक्षण संस्थाएं जैसे विद्यालय या महाविद्यालय हैं उनमें कोई भत्ता और ग्रैच्युटी वगैरह की सुविधा नहीं है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री पी.ए. संगमा : उपाध्यक्ष महोदय, इंडीविजुअल मिल्स के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। सैक्शन–7,8 और 9 में यह है कि कैसे पेमेन्ट करना है, पेमेन्ट नहीं होने पर कैसे रिकवर होगा और क्या पनिशमेंट है, यह सब उसमें है। नान पेमेंट और ग्रैच्युटी कितनी है तो इसकी जानकारी मैंने सभी राज्यों से मांगी थी, वह नहीं पहुंची है। मेरे पास दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा और मणिपुर की जानकारी है, वह मैं आपको दे दूंगा। बाकी जानकारी आने पर आपको दे दूंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि उपदान संदाय अधिनियम 1972, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधयेक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 2 प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 और 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 और 4 विधेयक में जोड़े गए।

खण्ड 1 — संक्षिप्त नाम

किया गया संशोधन

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, —

"1993 के स्थान पर 1994" प्रतिस्थापित किया जाए (2)

(श्री पी.ए. संगमा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1—

"चवालीसवां" के स्थान पर "पैतालीसवां" **प्रतिस्थापित** किया जाए (1)

(श्री पी.ए. संगमा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

श्री पी.ए. संगमा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप के सहयोग के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। सभा कल 11 बजे म.पू. पर समवेत होने तक स्थगित होती है।

6.46 बजे म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 11 मई, 1994/वैशाख 21, 1916 (शक) 11 बजे म.पू. तक स्थगित हुई।